खण्ड-468, अंक-2
शुक्रवार, 10 फाल्गुन, शक संवत् 1929
(29 फरवरी, 2008 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(पंद्रहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2008)

खण्ड 468 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

2008

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क-च
प्रश्नोत्तर	1-93
प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	93-94
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	94
विधान सभा क्षेत्र घाटमपुर जनपद कानपुर नगर में 16 घण्टे विद्युत आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	94-95
बहराइच की कोतवाली नानपारा के ग्राम धनौली समोखन में भगवान शिव का अरघा तोड़े जाने की जांच कराकर दोषीजनों के विरुद्ध कार्यवाही कराने विषयक नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	95
जनपद बदायूं से बरेली मार्ग पर रामगंगा से बरेली तक के क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	95-96
अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र खैर के विकास खण्ड टप्पल में पेयजल समस्या से ग्रस्त गांवों को शुद्ध पेयजलापूर्ति कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	96
जनपद मथुरा के निर्वाचन क्षेत्र गोवर्धन में सिंचाई के लिए लालपुर फीडर के निर्माण हेतु विचाराधीन परियोजना को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	96-97
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	97
उत्तर प्रदेश विधान सभा के पार्टी कार्यालयों, मा0 सदस्यों की वाहन पार्किंग, विधान सभा सचिवालय के समिति कक्षों एवं कार्यालयों की संख्या को दृष्टिगत विधान सभा का परिसर बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	97-99
विधान सभा के वर्तमान सत्र के अधिवेशनकाल में जिलाधिकारी सीतापुर द्वारा दिनांक 28 फरवरी, 2008 को सदन का उपवेशन होने के बावजूद मिश्रिख में लगने वाले फाल्गुन मेला सम्बन्धी बैठक बुलाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	99-102
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के राजस्व वसूली में वृद्धि के लिए ग्रामीण क्षेत्र के विद्युत उपभोक्ताओं के बकाये हेतु बिजली बकायों पर अधिभार और उस पर लगने वाले ब्याज पर शत प्रतिशत माफी योजना को प्रभावी ढंग से लागू किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	102-103

विषय	पृष्ठ-संख्या
गोरखपुर के थाना शाहपुर के अन्तर्गत मौर्या हास्टल के दलित छात्रा के अपहरण विषयक सूचना पर अब तक कोई कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	103-104
उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2008 .... (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	104
उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 2008 .... (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	104
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2008 .... (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	104
उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2008 .... (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	105
जनपद हाथरस (महामायानगर) के बाई पास का निर्माण कराये जाने विषयक श्री देवेन्द्र अग्रवाल निवासीगण जनपद-हाथरस (महामायानगर) आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका .... (प्रस्तुत की गई)	105
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं .... (जारी)	105-118
नियम 301 के अन्तर्गत सूचना दिये जाने से सम्बन्धित व्यवस्था का प्रश्न ...	118
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	118-120
वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान अनुदान संख्या-73 शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) ... (स्वीकृत) ...	120-152
वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान अनुदान संख्या-72 शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) .... (स्वीकृत)	152-184
वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान अनुदान संख्या-71 शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) .... (स्वीकृत)	184
अनुदान संख्या-75 शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) .... (स्वीकृत)	184-215
वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान अनुदान संख्या-47 प्राविधिक शिक्षा विभाग .... (स्वीकृत) ...	215-219

विषय				पृष्ठ-संख्या
वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान अनुदान संख्या-48 मुस्लिम वक्फ विभाग .... (स्वीकृत)	...			220-229
वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान अनुदान संख्या-87 सैनिक कल्याण विभाग .... (स्वीकृत)	...			229-231
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	...	...	...	231-232
नत्थियाँ	...	...	...	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 29 फरवरी, 2008

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री सुखदेव राजभर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

उपस्थित सदस्य-312

अंगद यादव, श्री	आजमगढ़	अब्दुल समद अंसारी हाजी, श्री	वाराणसी
अकबर हुसैन, श्री	मुरादाबाद	अमरेश कुमार शुक्ल, श्री	बाराबंकी
अकीलुर्रहमान खां, श्री	मुरादाबाद	अम्बिका सिंह, श्री	गोरखपुर
अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली	अमेरिका प्रधान, श्री	गाज़ीपुर
अजय कपूर, श्री	कानपुर नगर	अयोध्या प्रसाद पाल, श्री	फतेहपुर
अजय तोमर, डा0	बागपत	अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री	बाराबंकी
अजय पाल सिंह, कुंवर	रायबरेली	अरविन्द सिंह यादव, श्री	कन्नौज
अजय यादव, श्री	एटा	अरशद खान, श्री	पीलीभीत
अजय सिंह, श्री	जालौन	अरूणा तोमर, श्रीमती	कानपुर नगर
अनन्त मिश्रा, श्री	फर्रुखाबाद	अलाउद्दीन, श्री	बलरामपुर
अनिल कुमार, श्री	कन्नौज	अलीम हाजी, श्री	बुलन्दशहर
अनिल कुमार, श्री	मुजफ्फरनगर	अवध पाल सिंह यादव, श्री	एटा
अनिल कुमार अहिरवार, श्री	महोबा	अवधेश कुमार वर्मा, श्री	शाहजहाँपुर
अनिल कुमार मौर्य, श्री	मिर्जापुर	अवनीन्द्र नाथ द्विवेदी उर्फ	
अनिल कुमार सिंह यादव, श्री	एटा	महन्त दुबे, श्री	महराजगंज
अनिल चौधरी, डा0	हाथरस (महामायानगर)	अवस्थी बाला प्रसाद, श्री	लखीमपुर खीरी
अनीस अहमद खाँ उर्फ		अशोक कुमार दोहरे, श्री	औरैया
फूलबाबू, श्री	पीलीभीत	अशोक कुमार कंसल, श्री	मुजफ्फरनगर
अनुग्रह नारायण सिंह, श्री	इलाहाबाद	अशोक कुमार राणा, श्री	बिजनौर
अनूप कुमार गुप्ता, श्री	सीतापुर	अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री	हमीरपुर
अनूप सण्डा, श्री	सुल्तानपुर	अशोक सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी
अब्दुल कलाम, श्री	सन्तकबीरनगर	आदित्य पाण्डेय, श्री	फतेहपुर
अब्दुल मन्नान, श्री	हरदोई	आनन्द कुमार उर्फ	
अब्दुल वारिस खाँ, श्री	मुजफ्फरनगर	कलेक्टर पाण्डेय, श्री	इलाहाबाद

आनन्द सेन, श्री	फैजाबाद
आर0 ए0 उस्मानी, श्री	लखीमपुर खीरी
आर0 के0 चौधरी, श्री	लखनऊ
आर0 के0 शर्मा, पण्डित	बरेली
आरिफ अनवर हाशमी, श्री	गोण्डा
आलोक कुमार शाक्य, श्री	मैनपुरी
आसिफ, श्री	हरदोई
इकबाल महमूद, श्री	मुरादाबाद
इन्द्रजीत सरोज, श्री	कौशाम्बी
इरफान सोलंकी, श्री	कानपुर नगर
ईश्वर चन्द्र शुक्ल, श्री	सिद्धार्थनगर
उदयराज, श्री	उन्नाव
उदयलाल मौर्य, श्री	वाराणसी
उमेश पाण्डेय, श्री	मऊ
उस्मानुल हक, श्री	मुरादाबाद
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर
ओम प्रकाश सिंह (ओ0पी0सिंह), श्री	सुल्तानपुर
कमलेश चन्द्र दिवाकर, श्री	कानपुर देहात
कालीचरन राजभर, श्री	गाजीपुर
काशीराम, श्री	रामपुर
कुबेर सिंह, श्री	एटा
कुलदीप सिंह गंगवार, श्री	फर्रूखाबाद
कुलदीप सिंह सेंगर, श्री	उन्नाव
कृपा शंकर सिंह, श्री	उन्नाव
कृष्ण कुमार, श्री	बहराइच
कृष्ण गोपाल पटेल, श्री	लखीमपुर खीरी
कृष्णाराज, श्रीमती	लखीमपुर खीरी
के0 के0 सचान, डा0	जौनपुर
केदारनाथ वर्मा, श्री	बलिया
कैलाश सिंह राजपूत, श्री	कन्नौज
कौशलेन्द्र नाथ योगी, महंत	बलरामपुर
गजेन्द्र सिंह, श्री	बुलन्दशहर
गिरीश चन्द्र, श्री	मुरादाबाद
गुटियारी लाल दुबेश, श्री	आगरा
गुरू प्रसाद मौर्य, श्री	इलाहाबाद
गुलाम मोहम्मद खान, श्री	बहराइच
गेंदा लाल चौधरी, श्री	हाथरस (महामायानगर)
घूराराम, श्री	बलिया
चन्द्रदेव, श्री	आजमगढ़
चन्द्र प्रकाश मिश्र "मटियारी", श्री	सुल्तानपुर
चन्द्रभद्र सिंह, श्री	सुल्तानपुर
चौधरी रविन्द्र प्रताप, श्री	सिद्धार्थनगर
छत्रपाल सिंह, श्री	बरेली
छोटे सिंह, श्री	जालौन
जगदीश नारायण, श्री	जौनपुर
जगदीश सोनकर, श्री	जौनपुर
जगन प्रसाद गर्ग, श्री	आगरा
जगपाल, श्री	सहारनपुर
जमुना निषाद, श्री	गोरखपुर
जयवीर सिंह, श्री	मैनपुरी
जयवीर सिंह, ठाकुर	अलीगढ़
जसवन्त सिंह उर्फ अतुल सिंह, श्री	कुशीनगर
जावेद अंसारी, श्री	जौनपुर
जितेन्द्र कुमार एडवोकेट, श्री	चन्दौली
जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री	बस्ती
जितेन्द्र कुमार बब्लू भइया, श्री	फैजाबाद
जुल्फिकार अहमद भुट्टो, श्री	आगरा
जोखू लाल यादव, श्री	इलाहाबाद
ज्योत्सना श्रीवास्तव, डा0	वाराणसी
ताहिर हुसैन सिद्दीकी, श्री	फर्रूखाबाद
तौफीक अहमद, श्री	सिद्धार्थनगर
त्रिभुवन दत्त, श्री	अम्बेडकरनगर
ददूदन मिश्रा, श्री	श्रावस्ती

दद्दू प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दयाराम, श्री	कौशाम्बी
दाउद अहमद, श्री	हरदोई
दिनेश प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दीनानाथ कुशवाहा, श्री	देवरिया
दीनानाथ पाण्डेय, श्री	वाराणसी
दीपक कुमार, श्री	उन्नाव
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री	आजमगढ़
धर्मपाल, श्री	गाजियाबाद
धर्मपाल सिंह, डा0	आगरा
धर्मराज निषाद, श्री	अम्बेडकरनगर
धर्म सिंह सैनी, डा0	सहारनपुर
धर्मी रावत, श्रीमती	बाराबंकी
धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री	बरेली
धू राम लोधी चौधरी, श्री	हमीरपुर
नकुल दुबे, श्री	लखनऊ
नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी', श्री	इलाहाबाद
नरेन्द्र सिंह, श्री	सीतापुर
नसीरुद्दीन, श्री	फिरोजाबाद
नाथू राम कुशवाहा 'इंजीनियर', श्री	ललितपुर
नारायण सिंह, श्री	आगरा
निर्मल वर्मा, श्री	सीतापुर
नीरज कुशवाहा, श्री	शाहजहाँपुर
पशुपति, श्री	गाजीपुर
पी0 के0 राय, डा0	कुशीनगर
पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी, श्री	बाँदा
पूजा पाल, श्रीमती	इलाहाबाद
पूरन प्रकाश, श्री	मथुरा
प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती	कानपुर देहात
प्रदीप कुमार उर्फ गुड्डू, श्री	बदायूं
प्रदीप जैन 'आदित्य', श्री	झाँसी
प्रदीप माथुर, श्री	मथुरा
प्रमोद तिवारी, श्री	प्रतापगढ़
प्रमोद सिंह, श्री	देवरिया
प्रवीण पटेल, श्री	इलाहाबाद
प्रेमलता कटियार, श्रीमती	कानपुर नगर
फतेह बहादुर, श्री	महराजगंज
फरहत हसन, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
फरीद महफूज किदवई, श्री	बाराबंकी
फागू, श्री	मऊ
बलबीर, श्री	मुजफ्फरनगर
बादशाह सिंह, श्री	हमीरपुर
बिरजू राम, श्री	जौनपुर
बृजेश सौरभ, श्री	प्रतापगढ़
बैजनाथ दुबे, श्री	गोण्डा
भगवत शरण गंगवार, श्री	बरेली
भगवती प्रसाद सागर, श्री	झाँसी
भगवान दास, श्री	सन्तकबीरनगर
भगवान सिंह कुशवाहा, श्री	आगरा
भगेलू राम, श्री	सुल्तानपुर
भीमराव अम्बेडकर एडवोकेट, श्री	इटावा
मंजू, श्रीमती	बलिया
मदन भैया, श्री	बागपत
मदन चौहान, श्री	गाजियाबाद
मधुसूदन शर्मा, श्री	आगरा
मनोज चौधरी, श्री	सहारनपुर
ममतेश शाक्य, श्री	एटा
महबूब अली, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
महिपाल सिंह, श्री	सहारनपुर
महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री	सीतापुर
महेन्द्र सिंह, श्री	अलीगढ़
महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री	इटावा
महेश चन्द्र, श्री	कानपुर देहात

उत्तर प्रदेश विधान सभा

महेश चन्द्र गुप्ता, श्री	बदायूं
माधव पासवान, श्री	गोरखपुर
मिथलेश कटियार, श्रीमती	कानपुर देहात
मीता गौतम, कु0	बाराबंकी
मुरलीधर, श्री	फतेहपुर
मुस्लिम खाँ, श्री	बदायूँ
मोहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मोहम्मद इकबाल, श्री	बिजनौर
मोहम्मद गाजी, श्री	बिजनौर
मोहम्मद जलील खान, श्री	गोण्डा
मोहम्मद जासमीर अंसारी, श्री	सीतापुर
मोहम्मद ताबीश खां, श्री	सन्तकबीरनगर
मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री	इलाहाबाद
यशपाल सिंह, श्री	बिजनौर
यशपाल सिंह चौहान, श्री	अलीगढ़
यशवन्त सिंह, डा0	मुजफ्फरनगर
याकूब हाजी, श्री	मेरठ
योगराज सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
योगेन्द्र सागर, श्री	बदायूँ
योगेश वर्मा, श्री	मेरठ
रंगनाथ मिश्र, श्री	सन्त रविदासनगर (भदोही)
रघुनाथ प्रसाद शंखवार, डा0	कानपुर देहात
रघुराज प्रताप सिंह	
"राजा भइया", कुंवर	प्रतापगढ़
रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ	
धुन्नी भइया, श्री	फतेहपुर
रतनलाल अहिरवार, श्री	झाँसी
रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री	कुशीनगर
रमेश गौतम, श्री	गोण्डा
रमेश चन्द्र विन्द, डा0	मिर्जापुर
रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री	जौनपुर
रवीन्द्र कुमार (मोल्हू), श्री	सहारनपुर
राकेश धर त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
राजकुमार सिंह गौतम, डा0	गाजीपुर
राजकुमार रावत, श्री	मथुरा
राजपाल सिंह, श्री	गाजियाबाद
राजबली जैसल, श्री	इलाहाबाद
राजाराम त्यागी, श्री	रायबरेली
राजेन्द्र कुमार, श्री	मऊ
राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ	
मोती सिंह, श्री	प्रतापगढ़
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
राजेन्द्र सिंह, डा0	आगरा
राजेश अग्रवाल, श्री	बरेली
राजेश कुमार, श्री	लखीमपुर खीरी
राजेश त्रिपाठी, श्री	गोरखपुर
राजेश्वरी, श्रीमती	हरदोई
राधामोहन दास अग्रवाल, डा0	गोरखपुर
राधे लाल रावत, श्री	उन्नाव
राधे श्याम गुप्ता, श्री	फतेहपुर
राधेश्याम जायसवाल, श्री	सीतापुर
राम अचल राजभर, श्री	अम्बेडकर नगर
राम कुमार तिवारी, पण्डित	ललितपुर
रामपाल राजवंशी, श्री	सीतापुर
रामपाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम प्रकाश कुशवाहा, श्री	कानपुर नगर
राम प्रकाश यादव, श्री	फिरोजाबाद
राम प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
राम बिशुन आजाद, श्री	गोण्डा
रामवीर उपाध्याय, श्री	हाथरस
राम शिरोमणि शुक्ल, श्री	प्रतापगढ़
राम सागर अकेला, श्री	श्रावस्ती
राम सिंह, डा0	अलीगढ़
रामसेवक, श्री	सुल्तानपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

राम सेवक सिंह पटेल, श्री	बदायूँ
रामहेत भारती, श्री	सीतापुर
रिजवान अहमद खाँ, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
रियाज अहमद, श्री	पीलीभीत
रोशन लाल वर्मा, श्री	शाहजहाँपुर
लखीराम नागर, श्री	मेरठ
लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
लालजी टंडन, श्री	लखनऊ
लालजी यादव, श्री	सिद्धार्थनगर
लालजी वर्मा, श्री	अम्बेडकरनगर
वकार अहमद शाह, डा0	बहराइच
वाचस्पति, श्री	कौशाम्बी
वारिस अली, श्री	बहराइच
वासुदेव सिंह "बाबा", श्री	बुलन्दशहर
विजय कुमार, श्री	गाजीपुर
विजय कुमार उर्फ	
विजय यादव, श्री	मुरादाबाद
विजय पाल सिंह, श्री	बरेली
विद्या चौधरी, श्रीमती	आजमगढ़
विद्यासागर गुप्त, श्री	लखनऊ
विनोद सिंह, श्री	सुल्तानपुर
विनोद कुमार हरित, श्री	मेरठ
विनोद चतुर्वेदी, श्री	जालौन
विवेक कुमार सिंह, श्री	बांदा
विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री	बांदा
विश्वनाथ, श्री	कुशीनगर
वीरेन्द्र सिंह, श्री	बरेली
शब्बीर अहमद, श्री	बहराइच
शम्भू चौधरी, श्री	कुशीनगर
शहजिल इस्लाम अंसारी, श्री	बरेली
शारदा प्रसाद, श्री	चन्दौली
शाहिद मंजूर, श्री	मेरठ
शिव गणेश, श्री	रायबरेली
शिवबालक पासी, श्री	रायबरेली
शिवशंकर, श्री	बलिया
शीशराम, श्री	बिजनौर
शेखर तिवारी, श्री	औरैया
शेरबहादुर, श्री	अम्बेडकरनगर
श्यामदेव राय चौधरी, श्री (दादा)	वाराणसी
श्याम नारायण यादव, श्री	आजमगढ़
श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा
श्रीभगवान पाठक, श्री	बलिया
श्रीभगवान शर्मा, श्री	बुलन्दशहर
संग्राम सिंह, श्री	बाराबंकी
संजय कुमार त्रिपाठी, श्री	प्रतापगढ़
संजय कपूर, श्री	रामपुर
संजीव दरियाबादी, श्री	कानपुर नगर
संध्या, कुमारी	मैनपुरी
सत्य नारायण जैसल, श्री	सोनभद्र
सत्यपाल सिंह, चौ0	अलीगढ़
सत्यवीर सिंह गुर्जर, श्री	गौतमबुद्धनगर
सत्येन्द्र सोलंकी, चौ0	बागपत
सदल प्रसाद, श्री	गोरखपुर
सनातन पाण्डेय, श्री	बलिया
सलिल विश्नोई, श्री	कानपुर नगर
सिनोद कुमार शाक्य, श्री	बदायूं
सी0एम0 प्रसाद, श्री	सोनभद्र
सीमा द्विवेदी, श्रीमती	जौनपुर
सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री	फतेहपुर
सुखदेव राजभर, श्री	आजमगढ़
सुखलाल, श्री	पीलीभीत
सुधीर कुमार, श्री	उन्नाव
सुन्दर लाल लोधी, श्री	उन्नाव
सुभाष, श्री	बलिया

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सुभाष पाण्डेय, श्री	जौनपुर	सूर्यभान, श्री	मिर्जापुर
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री	आजमगढ़	सोबरन सिंह, श्री	मैनपुरी
सुरेश तिवारी, श्री	देवरिया	हरगोविन्द भार्गव, डा0	सीतापुर
सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर	हरपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ	हरिओम, श्री	जालौन
सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री	लखनऊ	हसरत उल्ला, श्री	एटा
सुरेश्वर सिंह, श्री	बहराइच	हुकुम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
सूरजपाल ठाकुर, श्री	आगरा	होराम सिंह, श्री	गौतमबुद्धनगर
सूरज सिंह शाक्य, श्री	एटा		

नोट–आबकारी, लोक निर्माण, सिंचाई, आवास एवं शहरी नियोजन तथा विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी) तथा भूतत्व एवं खनिकर्म तथा पंचायती राज मंत्री (श्री बाबू सिंह कुशवाहा) भी सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में नीलगायों/वनरोजों से किसानों की खड़ी फसलों की हो रही हानि के निराकरण हेतु कार्य योजना

*1-डा0 अनिल चौधरी व श्री जोखू लाल यादव-

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नील गायों/वनरोजों से किसानों की खड़ी फसलों को हानि हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस समस्या के निराकरण हेतु कोई कार्ययोजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वन, जन्तु उद्यान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री फतेह बहादुर)-

प्रदेश के लगभग सभी जनपदों में वनरोजों (नीलगायों) द्वारा किसानों की फसलों को क्षति पहुंचाये जाने की सम्भावना पायी जाती है।

कृषि फसलों को क्षति पहुंचाने वाली उत्पाती वनरोजों (नीलगायों) की समस्या को नियंत्रित करने के लिये इन्हें आवश्यकतानुसार नष्ट करने की अनुमति देने हेतु शासनादेश संख्या-736/14-4-94-854/92, दिनांक 9-3-1994 द्वारा समस्त जिलाधिकारियों एवं शासनादेश संख्या-2194/14-4-2001-854/92, दिनांक 28-9-2001 से समस्त उप जिलाधिकारियों एवं खण्ड विकास अधिकारियों को प्राधिकृत किया जा चुका है। प्रभावित कृषक अपनी कृषि फसलों के सुरक्षार्थ कृषि फसलों को नुकसान पहुंचाने वाली हानिकारक वनरोजों (नीलगायों) को नष्ट करने के लिए इन अधिकारियों से अनुमति प्राप्त कर समस्या का निदान कर सकते हैं।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

डा0 अनिल चौधरी-

मान्यवर, मंत्री जी ने बड़े विस्तार से मेरे प्रश्न का उत्तर दिया और उसमें शासनादेशों का उल्लेख भी किया है। मान्यवर, यह बहुत बड़ी समस्या है और पूरे सूबे का किसान, यह जो नील गाय हैं, वनरोज हैं और बिजनौर, मुजफ्फरनगर और बागपत में जंगली सुअर है, से किसान बहुत परेशान है और कोई जिला ऐसा नहीं है जिसमें यह आवारा पशु नुकसान न कर रहे हों। मान्यवर, यह भी सत्य है क्योंकि इसके साथ गाय शब्द जुड़ा हुआ है इसलिए किसान को धार्मिक भावना इसको मारने की अनुमति नहीं देती, मान्यवर, आपके उत्तर में आया है कि प्रभावित कृषक अपनी कृषि फसलों के सुरक्षार्थ कृषि, कृषि फसलों को नुकसान पहुंचाने वाली हानिकारक वनरोजों (नीलगायों) को नष्ट करने के लिए इन अधिकारियों से अनुमति प्राप्त कर समस्या का निदान कर

सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि गन्ने में पायरीला रोग लगता है, सरसों में चेता रोग लगता है तो सरकार यह व्यवस्था करती है कि उसमें हेलीकाप्टर द्वारा दवाई का छिड़काव कराया जाए। मान्यवर, मेरा सीधा और स्पष्ट प्रश्न है कि क्या सरकार कोई विशेष अभियान चलाकर के, इसमें कोई शक नहीं है कि यह घोड़ा प्रजाति का पशु है, लेकिन धार्मिक भावनाओं के कारण और गाय शब्द जुड़ा होने के कारण लोग इसको मारने से बचते हैं तो क्या सरकार कोई विशेष कार्ययोजना बनाकर कोई अभियान चलाकर इन जंगली जानवरों के आतंक से मुक्त करायेगी ? मेरा दूसरा प्रश्न है कि क्या सरकार कोई अन्य उपाय अपनाने पर विचार करेगी जैसे कि किसान के खेत में कांटेदार बाड़ लगाया या फिर इनमें जो नर पशु हैं, उनका बन्ध्याकरण कराने का अभियान चलाये तो इनकी आबादी घट सकती है ? मैं चाहूंगा कि सरकार इस पर संवेदनशीलता के साथ विचार करके कोई कार्ययोजना बनाकर किसानों को इनसे राहत दिलाये।

श्री सुन्दर लाल लोधी-

मान्यवर, इस प्रश्न पर मंत्री जी का यही उत्तर आया है, हमारा भी यही प्रश्न है कि क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव में खासकर के आप आज देखें एक हवाई जहाज को वनरोजों ने गिरा दिया ? कानपुर में एक हवाई जहाज ज्यों ही पट्टी के ऊपर उतरा, एक नीलगाय बीच में आ गयी और उसको गिरा दिया। हमारे उन्नाव में कृषक भुखमरी की कगार के ऊपर आ गया है, खेती नहीं कर पा रहा है, चारों ओर से घेरे हैं, बागें पूरी नष्ट किए हुए हैं। इसलिए मान्यवर, हम जानना यह चाहते थे कि इसमें मंत्री जी ने यह तो कहा कि वह अगर बीडीओ से परमीशन ले ले मारने की या डीएम परमीशन दें, उसको विनाश करने की, लेकिन सरकार की क्या योजना है ? दूसरे पशु तो साल में एक ही बार बच्चा देते हैं, लेकिन यह पशु साल में 4 बार बच्चा देता है। इसलिए इनकी इतनी बड़ी तादात बढ़ती चली जा रही है कि कुछ दिन में इन्हीं का राज्य होगा, यहीं रहेंगे और कोई इन्सान नहीं रह पायेगा। इसलिए हम इस अति महत्वपूर्ण प्रश्न के ऊपर मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहते हैं कि वह इनको समाप्त करने की कोई योजना बनायें, इनको पकड़वाये और इनको पकड़वाकर ऐसी जगह भेजे, मैं तो कहता हूं कि विदेशों में आवश्यकता है, मांस की बहुत ज्यादा, विदेशी लोग खा रहे हैं।

मान्यवर, विदेशों के लिए ऐसे परमिट दे दिये जायें कि यह बूचड़खाना के द्वारा कटकर के यह विदेशों में चला जायें। विदेशों में इसकी बड़ी मांग है। वहां पर निर्यात किया जा सकें। भारत में यह गाय मानी जाती है लेकिन वहां पर यह गाय नहीं मानी जाती है। इससे देश को आर्थिक लाभ भी होगा और हमारे किसानों का लाभ भी होगा।

श्री फतेह बहादुर-

मान्यवर, तारांकित प्रश्न संख्या 1, 6, 12 व 13 इसी प्रश्न से सम्बन्धित हैं। यह चारों प्रश्न इसी से सम्बन्धित हैं। मैं चाहूंगा कि यह सब एक में सम्मिलित कर लिये जायें। अगर माननीय सदस्य चाहें तो इस पर और प्रश्न रख सकते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, अभी मुरादाबाद में दिनांक 11-1-08 को एस0 डी0 एम0 श्री दीपेश चौधरी ने एक परमिट जारी किया और उसके बाद

अरशद अली ने उस नीलगाय को मारा और उसे मारने के बाद जनपद मुरादाबाद में इतना बड़ा हंगामा हुआ। ढाई घण्टे इलेक्ट्रानिक मीडिया ने, प्रिंट मीडिया ने और तमाम समाचार पत्रों में इस बात का वर्णन आया और मुझे स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से भारत सरकार में शिकायत करने के माध्यम से मेरे संज्ञान में लाया गया कि इसे मारना उचित नहीं। लेकिन फिर भी हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि डी0 एम0, उप जिलाधिकारी और बी0डी0ओ0 को अधिकृत किया कि कोई भी ग्रामीण अगर लाइसेंस के लिए परमिट का आवेदन करता है तो जितनी भी संख्या हो, उस संख्या का निर्धारण नहीं हैं। जितने भी परमिट के लिए एप्लाई करेंगे सारे परमिट की परमीशन देने के लिए सरकार कटिबद्ध है। इसके साथ-साथ मैं कहना चाहता हूं कि मैं भी ग्रामीण अंचल से आता हूं। हमारा भी गांव, हमारा भी घर जंगली क्षेत्रों के आसपास है। हमारे क्षेत्रों को भी नीलगायें चर जाती हैं। यह एक समस्या है। इस समस्या के बारे में अभी हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा कि क्यों न इसका बंधीकरण कर दिया जाय ? मान्यवर, बंधीकरण करने के लिए ट्रंकोलाइजिंग गन की आवश्यकता होती है और उसकी मारक क्षमता 300 फिट की है। लेकिन नीलगाय जैसे ही किसी व्यक्ति को बंदूक लिये हुए देखती है वह 1 कि0मी0 दूर से देखकर ही भागना शुरू कर देती है। इसलिए बंधीकरण करना सम्भव नहीं है। इसलिए अगर यह सदन और हम सब लोग इसके लिए पूर्ण रूप से तैयार हो जांय, क्योंकि अभी हमारे सदस्य ने कहा कि हमारे यहां धार्मिक प्रवृत्ति के लोग इसको गाय मानते हैं। निश्चित रूप से इसको गाय मानने का कोई औचित्य नहीं है। इसमें जो अंतर है इसमें सींग, थन, मल, गर्दन, आंख, खूर और रंग के जितने भी अन्तर है वह कहीं भी गाय से मेल नहीं खाते हैं। लेकिन फिर भी धार्मिक उन्माद न बढ़े। इसकी वजह से प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा पर कोई कलह न हो और आपसी कलह भी नहीं बढ़नी चाहिए। निश्चित रूप से आज उत्तर प्रदेश में वन विभाग जिस तरह से काम कर रहा है यह किसी से छिपा नहीं है। पहले की सरकारों में क्या होता था इसमें कहने की आवश्यकता नहीं है लेकिन जिस समस्या पर हमारे साथियों ने प्रश्न उठाया है वास्तव में गम्भीर समस्या है। हम इस पर अभी एक व्यवस्था करने जा रहे हैं। हमारे वन क्षेत्राधिकारियों को हम यह प्राधिकृत करने जा रहे हैं कि उन्हें भी परमिट जारी करने का अधिकार दे देंगे और यह एक अच्छी व्यवस्था हो जाएगी तो एक आम नागरिक भी उनके पास पहुंचकर आसानी से परमिट ले सकेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री जोखू लाल यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, यह सदन अवगत है कि नील गाय के कारण और बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए आज दलहन और तिलहन की फसल चौपट हो गयी है, किसान आज इन फसलों को बो नहीं पा रहा है और उत्पादकता न होने के कारण महंगाई बढ़ती जा रही है। बंध्याकरण आप करा नहीं सकते, बाड़े आप लगा नहीं सकते हैं। क्योंकि नील गाय 'गाय' शब्द से जुड़ा होने के कारण धार्मिक भावनाओं से जुड़ी हुयी हैं, तो क्या माननीय मंत्री जी जन जागरण करके कि यह गाय नहीं है, एक विशेष अभियान चलाकर के, जो दलहन, तिलहन का नुकसानदायक जानवर है, उसको समाप्त करने की कोई योजना बनायेंगे ?

श्री फतेह बहादुर-

मान्यवर, हम इस पर कृषि विभाग से फसल बीमा कराये जाने की संस्तुति भेज रहे हैं। जब यह बीमा हो जायेगा तो यह समस्या निश्चित रूप से समाप्त हो जायेगी। मान्यवर, जो जन जागरण अभियान की बात कही गयी यह निश्चित रूप से अच्छा सुझाव है। हम समाचार-पत्रों और अन्य एजेन्सियों के माध्यम से यह अभियान करेंगे ताकि जनमानस को इसकी जानकारी हो। जो बेस्ट पोसिबिल होगा वह हम करेंगे।

श्री उदयराज-

माननीय अध्यक्ष जी, नील गाय की वजह से जहां एक तरफ पूरे प्रदेश में फसल चौपट हो रही है वहीं दूसरी तरफ आये दिन दुर्घटनाओं में लोग घायल हो रहे हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक माह पहले उत्तम लोधी नाम का लड़का जो मोटरसाइकिल से जा रहा था, नील गाय से टकराकर मर गया। वह अपने घर का अकेला लड़का था उसका पूरा परिवार बरबाद हो गया। जो इस तरह से घटनाएं होती हैं, जो टकरा कर मर रहे हैं, क्या उनके बारे में सरकार उन्हें कोई मुआवजा देने पर विचार करेगी ?

श्री फतेह बहादुर-

माननीय अध्यक्ष जी, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 में स्पष्ट प्राविधान है कि यदि जानवर से क्षति वन क्षेत्र में होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति वन विभाग करता है। पोस्ट मार्टम रिपोर्ट या अन्य रिपोर्ट आने के बाद उसकी पुष्टि होने पर मृत्यु पर पचास हजार रुपया तथा घायल होने पर पांच हजार रुपये देने का प्राविधान है। तो इस तरह से हमने यह व्यवस्था पहले से कर रखी है। यदि माननीय सदस्य लिखित रूप से भेज देंगे तो हम निश्चित रूप से कार्यवाही करेंगे।

श्री राजाराम त्यागी-

मान्यवर, पूरे देश और प्रदेश में जब मनुष्यों की आबादी बढ़ रही है तो एक तरह का प्लान चला रहे फेमिली प्लानिंग का, क्योंकि जनसंख्या पर असर पड़ता है। नील गाय इतनी ज्यादा है कि फसलों पर भारी असर पड़ रहा है। यदि इसी तरह से पूरी फसल चौपट हो जायेगी इसका असर फेमिली प्लानिंग पर भी पड़ेगा जिस तरह से आप मनुष्यों की फेमिली प्लानिंग करा रहे हैं इनकी फेमिली प्लानिंग क्यों नहीं करा सकते हैं। लेकिन इनकी फेमिली प्लानिंग आप कर नहीं सकते हैं क्योंकि माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि तीन सौ फिट से ज्यादा पकड़ नहीं सकते हैं।

अभी एक साल पहले इसी तरह की एक नीलगाय नर काटने वाला हो गया था। गांव के लोगों ने गड्ढे खोदे और उसे दौड़ा करके उसको पकड़वा लिया। मान्यवर, जैसा अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि उसका बधियाकरण करना सरल काम नहीं है, वह उसे नहीं कर सकते हैं तो जगह-जगह गड्ढे खुदवा कर माननीय मंत्री जी उसको पकड़वाने का काम करेंगे। अन्यथा पूरे प्रदेश में कहीं भी खाने को अन्न नहीं रह जायेगा मान्यवर।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, गड्ढे खुदवाने की व्यवस्था के बारे में बता दें ?

श्री फतेह बहादुर-

माननीय अध्यक्ष जी, हम वन क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए वन क्षेत्रों के किनारे गड्ढे खुदवाते हैं लेकिन वह इसके लिए नहीं खुदवाते हैं कि उसमें नीलगाय गिरे और हम उसे पकड़ लें। निश्चितरूप से माननीय सदस्य ने अच्छा सुझाव दिया है हम इस पर अपने विभागीय अधिकारियों से विचार-विमर्श करके कार्यवाही करेंगे। मान्यवर, डेढ़ लाख की जनसंख्या में घड़रोच है, जिनको हम नीलगाय कहते हैं। इनके दो नाम हैं, जगह-जगह लोग इनको इन्हीं अलग-अलग नामों से जानते हैं। क्योंकि यह घोड़े की प्रजाति के हैं, इसीलिए इन्हें घड़रोच कहते हैं। तो मान्यवर, जो इनकी जन संख्या है वह डेढ़ लाख के करीब पूरे प्रदेश में है। निश्चितरूप से यह समस्या हमारे सामने है। ये श्रेणी-3 का जानवर है, वाइल्ड लाइफ ऐक्ट के तहत। हम यह भी प्रयास करेंगे, हमारा सदन यदि सहमत हो, हमारे भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यगण यहां हैं, अगर वह भी इस पर सहमत हो जायें कि श्रेणी-3 से श्रेणी-5 में इन्हें लाने के लिए हम भारत सरकार को एक प्रस्ताव दे दें, निश्चितरूप से हम इस पर छूट देने के लिए हम अधिकार दे सकते हैं, भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करके, अगर सभी सदस्य इस पर तैयार हों, हम इसका भी प्रस्ताव भेजने के लिए तैयार है।

श्री हुकुम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी का विशेष तौर से नाम लिया इसलिए मैं एक बात कह दूं, वर्ष 2001 में एक शासनादेश हुआ था, आप भी शायद भारतीय जनता पार्टी में थे तब, और 2001 में यह शासनादेश भारतीय जनता पार्टी ने किया था, वह शासनादेश आपके सामने है तो भारतीय जनता पार्टी का क्या विचार है, वह भी आपके सामने है। श्रीमन, भारतीय जनता पार्टी को इसमें कोई आपत्ति नहीं है, आप प्रस्ताव भेजिए और संशोधन कराइये।

श्री फतेह बहादुर-

मान्यवर, माननीय हुकुम सिंह जी का अच्छा सुझाव रहा, इसके लिए मैं इन्हें धन्यवाद दूंगा।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न बहुत गम्भीर है, थोड़ा सदन में इसको हल्का करने का काम हो गया और तमाम मेरे साथी जो किसान परिवार से चुन कर आये हैं आज अगर हम गांव के किसान की यदि बात करें और उनके सामने इस चर्चा को करें कि दो जानवर ऐसे आज प्रदेश में बड़ी तादात में बढ़ गये हैं, एक नीलगाय दूसरा जंगली सुअर। माननीय विद्युत मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं यह रात में किसान को बिजली देने का काम करते हैं और आज उत्तर प्रदेश का किसान रात को अपने ट्यूबवेल चलाने के लिए, अपने खेत में पानी चलाने के लिए रात को जाने की हिम्मत नहीं करता। क्योंकि 20-20, 25-25 की संख्या में इनका पूरा झुण्ड आता है। तो माननीय अध्यक्ष जी

सवाल बड़ा गम्भीर है। मैं सरकार से यह चाहता हूं कि सरकार ने जो जिलाधिकारी के द्वारा, बी0डी0ओ0 के द्वारा आपने लाइसेन्स देने की बात की है। आज गांव के किसान अपने कुछ साथियों की मदद से जंगली सुअर को, नीलगाय को मारना चाहते हैं, लेकिन उनके पास परमिट नहीं है। तो क्या सरकार सबको यह छूट देने का काम करेगी ? क्योंकि सरकार का भी यह मानना है कि इनका वध होना चाहिए, तो सरकार क्यों न ऐसी छूट देने का काम करे जो किसान अपने खेत में काम करने के लिए जाता है और जंगली सुअर उसके ऊपर हमला करता है, नीलगाय उसकी फसल को नुकसान पहुंचाने का काम करती है तो उनको मारने की छूट सब किसानों को देनी चाहिए। जो किसान पकड़ना चाहे वह पकड़ ले, जो मारना चाहे मार दें। तो क्या सरकार ऐसी छूट देने का विचार करेगी ? क्योंकि जिलाधिकारी और बी0डी0ओ0 के द्वारा तो अपने देने का काम किया ही है तो किसानों के द्वारा भी यह छूट देने का काम कर दें। क्या सरकार इस पर विचार करेगी ?

श्री फतेह बहादुर-

माननीय अध्यक्ष जी, बहुत स्पष्ट व्यवस्था है, बी0डी0ओ0 तक को यह अधिकार प्राधिकृत कर दिया गया है। कोई भी किसान बी0डी0ओ0 के पास जा करके एक साधारण एप्लीकेशन देगा कि उसके खेत में इस प्रजाति का जीव विचरण करता है या फसलों को नुकसान करता है, और उस पर बी0डी0ओ0 स्पष्ट रूप से परमिट देने को अधिकृत है, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। ब्लाक लेबिल पर यह अधिकार निहित है, फिर इस सवाल का कोई औचित्य नहीं रह जाता है।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

माननीय अध्यक्ष जी, हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहते हैं क्योंकि नीलगाय की समस्या बहुत विकराल हो गई है। किसान परेशान हैं। आज सरकार पूरे प्रदेश में जो है कहीं जिलों के नाम बदल रही हैं, कहीं किंगजार्ज मेडिकल का नाम बदल दिया है तो मेरा कहना है कि क्या नील गाय का नाम बदलकर कुछ और नाम घोषित करने का काम करेगी ? जैसे पहले इसे दरिया घोड़ा के नाम से जाना जाता था। इसमें मुख्य बात यह है कि उसके प्रति पहले धार्मिक आस्था खत्म हो।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मान्यवर, नाम इसलिए बदलने का सवाल पैदा नहीं होता क्योंकि यह लोगों के विश्वास पर निर्भर करता है। एक माननीय सदस्य का सुझाव बहुत अच्छा है कि जन जागरण करके हम आम जनता को पहले इसके लिये तैयार करें। अभी यह बताया गया कि एक जगह परमिट के बाद जब व्यक्ति ने मारा तो विषम स्थिति वहां पर पैदा हो गयी थी। तो हमारा यह दायित्व है कि कहीं इसको लेकर कोई प्रशासनिक व्यवस्था या कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न हो जाये। इसका यही सर्वोत्तम उपाय है कि लोगों में जागरुकता पैदा करके कार्य किया जाये ताकि इस जानवर के प्रति जो धारणा है वह दूर हो। क्योंकि जब मारने की छूट दी जाती है तो धार्मिक आधार पर इस तरह की स्थितियां भी पैदा हो जाती है। मान्यवर, इसमें सबके सहयोग की जरूरत है जन जागरण करके ही इस धारणा को दूर किया जाना उपयुक्त होगा।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, इसलिए कि गाय शब्द धार्मिक है इसलिए लोगों की भावनायें उससे जुड़ी हुई है। और कोई भी चीज चाहें गाय हो, तुलसी का पौधा हो या पीपल का पेड़ हो यह सब मजहबी जज्बात से जुड़ी हुई चीजें हैं। जब इनसे कोई छेड़छाड़ की बात होती है तो अयोध्या जैसी बात हो जाती है। इसलिए यह सुझाव अच्छा है कि आप जन जागरण करें और उस जन जागरण में लोगों तक यह बात पहुंचनी चाहिए आम आदमी तक जो बहुत पढ़ा लिखा नहीं है और जिसकी धर्म में आस्था बहुत ज्यादा है कि यह गाय नहीं है। पहले मान्यवर इसे दरिया घोड़ा कहा जाता था। वन मंत्री जी ने इसका कोई और नाम भी लिया। तो यह जरूरी है कि इसके बारे में आप जन जागरण करायें ताकि लोगों के मन में इसके प्रति जो भ्रम बना हुआ है वह दूर हो यही सबसे अच्छी पहल होगी। मान्यवर, चुने हुए लोगों की जिम्मेदारी होती है कि जो उनके वोटर हैं जो उनके साथ काम करने वाले लोग हैं उनको बतायें कि यह गाय नहीं है।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, यह वनरोज नाम है इसका। आम आदमी इसे नील गाय के रूप में जानता है। जन जागरण की जो बात है वह अकेले सरकार की बात नहीं है सभी लोग सहयोग करें और लोगों को बताये कि इस नील गाय का गाय प्रजाति से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह एक अन्य जंगली जानवर है। हमें आशा है कि जब इस बारे में सब लोग जन जागरण करेंगे तो सफल हो जायेंगे। परमिट देने की प्रक्रिया भी है लेकिन वह तभी सफल हो पायेगी जब लोगों में जागरुकता आये।

डा0 राजेन्द्र सिंह-

मान्यवर, वन रोज या नील गाय के बारे में यहां पर चर्चा हो रही है। मान्यवर, हमारे यहां आगरा में फतेहाबाद में भी बहुत सी गाय जो दुधारू है परन्तु दूध नहीं देती हैं और 90-90 के झुंड में घूमती हैं जिससे नुकसान होता है। तो क्या उनके लिये कोई विशेष बाड़ा या गौशाला बनवाने की कृपा करेंगे ताकि उनको वहां पर रखा जा सके ? मान्यवर, इसी तरह से जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है उसमें वन्य जीवों को मारने पर प्रतिबन्ध है तो उसको देखते हुए इन गायों को अलग बाड़े में रखे जाने पर विचार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

डा0 साहब इसका जन जागरण करें। कई महीने दूध दिया अब नहीं दे रही है।

डा0 धर्मपाल-

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जैसे भालू संरक्षण गृह बनाये गये हैं वन विभाग की जमीन पर क्या वैसे ही जहां वन विभाग की जमीन है जहां बबूल आदि है वहां पर नील गाय के लिए संरक्षण गृह बना दिया जाय तो निश्चित रूप से किसानों को उससे फायदा मिलेगा तो क्या नील गाय के लिए संरक्षण गृह वन विभाग की जमीन पर बनवाने की कृपा करेंगे ?

ठाकुर सूरज पाल-

मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं पूरे सदन को कि नीलगाय का धार्मिक आस्था से जोड़ा जाता है इसी कारण उसको गाय का रूप देते हैं। मेरी व्यवस्था है कि नील गाय को यह मुझे कोई पता कर बता दे कि नीलगाय को कभी किसी ने पूजा है, किसी ने गाय माना है, किसी ने उसका दूध पिया है, बता दीजिए उसको गाय मानते हैं, किसी ने दूध पिया है उसका तो कैसे उसको मान लिया जाय, कैसे उसको गाय की संज्ञा दे दिये ?

(हंसी)

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, जिस आत्म विश्वास और ऊंची आवाज में उन्होंने कहा है तो निश्चित रूप से इन्होंने जरूर पिया है।

श्री कुबेर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि सदन 100 प्रतिशत एकदम इस प्रश्न पर राजी है कि नीलगाय को मरवाने में किसी को कहीं एतराज नहीं है।

(कुछ सदस्यों द्वारा मुझे एतराज है, एतराज है कहने पर)

मान्यवर, मान लीजिए कुछ लोगों को एतराज है ज्यादा लोगों का कहना है कि इससे किसानों को नुकसान हो रहा है। इससे तो बड़ा यातायात को नुकसान हो रहा है तो मैं जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि इससे किसानों को और यातायात को सबको नुकसान हो रहा है, 80 प्रतिशत सदन इससे सहमत भी है। एक ब्लाक के अन्दर डेढ़ लाख आदमी निवास करता है तकरीबन। उस समय उसे अपनी सुरक्षा की आवश्यता है जब वह अपने खेत पर निकलता है तो नीलगाय या सुअर उस पर अटैक करता है तो वह बी0डी0ओ0 को तलाश करे या अपनी रक्षा करें। (हंसी) माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से और सम्पूर्ण सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है आग्रह है कि आप सीधे अपनी जानमाल की सुरक्षा हेतु परमिट कर दीजिए यह मेरा अपना आग्रह है।

श्री फतेह बहादुर-

मान्यवर, जो वैपन के लाइसेंस होल्डर हैं असलहों के उनके अगर लाइसेंस की शर्तों को माननीय सदस्य ने पढ़ा होता तो यह प्रश्न नहीं उठा होता। आत्मरक्षा के लिए अस्त्र दिया गया है अगर जान माल पर ही बन जायेगी तो उस अस्त्र का कैसे इस्तेमाल करेंगे यह अच्छी तरह से उनको जानकारी है।

श्री अध्यक्ष-

वह निहत्थों की बात कर रहे है।

तारांकित प्रश्न

*1-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

[15वें सोमवार के तारा0प्र0सं0-1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद मुजफ्फरनगर में अवैध रूप से कनेक्शन देने से हो रहे राजस्व हानि की जांच

*2-श्री हुकुम सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुजफ्फरनगर जनपद में निजी नलकूपों के नये विद्युत संयोजन देने की कोई व्यवस्था न होने के कारण स्थानीय अधिकारी, दलालों के माध्यम से कृषकों से लाखों रुपये वसूल करके अवैध विद्युत कनेक्शन दे रहे हैं जिससे पावर कारपोरेशन को करोड़ों रुपये के राजस्व की हानि हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ऊर्जा मंत्री (श्री राम वीर उपाध्याय)-

जी नहीं, जनपद मुजफ्फरनगर में कारपोरेशन द्वारा वर्ष 2007-08 में सामान्य योजना के अन्तर्गत 800 निजी नलकूपों के ऊर्जीकरण के आवंटित लक्ष्यों के सापेक्ष वरीयता क्रमानुसार निजी नलकूपों के ऊर्जीकरण की व्यवस्था है। अतः राजस्व हानि का प्रश्न ही नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैंने इस प्रश्न के माध्यम से बहुत ही गम्भीर समस्या की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया है मेरे प्रश्न के दो भाग हैं। संयोजन देने की कोई व्यवस्था नहीं है। आपने कहा कि वर्ष 2007-2008 का लक्ष्य 800 का रखा है हमने और उसके अन्तर्गत वरीयता के आधार पर आपका आवंटन चल रहा है। तो व्यवस्था आ गयी, अगर यह व्यवस्था है और 800 का लक्ष्य है तो आज हम 29 फरवरी को यहां पर खड़े हैं, मुजफ्फरनगर में अब तक इसके तहत कितने कनेक्शन मिल चुके हैं यह बता दीजिये ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

मान्यवर, 800 के लक्ष्य में काफी लग चुके हैं, आधे के करीब लग चुके हैं, सामने काफी लोगों को जा चुका है। जहां तक यह प्रश्न आपने उठाया है यह प्रकरण मेरे सामने करीब 3 महीने पहले आया था। हर महीने की 10 तारीख को मैं पूरे प्रदेश के डिवीजन तक की बैठक लेता हूं, उसमें यह प्रकरण मेरे सामने आया था। मैं तो आपका आभार प्रकट करता हूं माननीय हुकुम सिंह जी आपका, कि आपने बड़े संवेदनशील प्रश्न को यहां पर उठाया। यह कुछ दलाल यहां 2007-2008 में चेयरमैन के नाम से कुछ आदेश करा के ले गये और वहां पर 186 फर्जी ट्यूबवेल

लगा दिये। जो प्रश्न आपने उठाया है यह उसी से संबंधित है तो उसमें हमने 3 महीने पहले विजिलेंस की जांच के आदेश दिये थे और उसमें कई ऐसे लोग हैं जिसमें हमारे कई अधिकारी भी लिप्त हैं और कुछ दलाल भी लिप्त हैं, उसकी जांच हो रही है। हमने कल फिर इसमें यह आदेश दिये है कि सीनियर आई0पी0एस0 आफिसर से, जो हमारे एस0पी0 विजिलेंस है, उनसे जल्दी से जल्दी जांच कराकर, जो दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं इसमें आपका थोड़ा संरक्षण चाहूंगा। मेरा प्रश्न सही है आपने आभार भी व्यक्त किया और मैं भी आपका आभार व्यक्त कर रहा हूं कि आपने इतनी संवेदनशीलता दर्शाई। लेकिन जब मैं खुद कह रहा हूं कि व्यवस्था नहीं है और आप भी मान रहे हैं कि व्यवस्था नहीं है। खुद आपने कहा कि वास्तव में व्यवस्था नहीं थी। जब व्यवस्था नहीं थी तो आपको कम से कम इतना कहना चाहिये था कि हां व्यवस्था नहीं थी, उसको हमने ठीक किया। आपने कहा कि व्यवस्था है और उसके अन्तर्गत आपने 800 संयोजन का लक्ष्य रखा है। तो मैं जानकारी चाह रहा हूं कि जब 2007-2008 का लक्ष्य 800 का था उसके सापेक्ष अब तक कितने कनेक्शन लगे हैं, इससे ज्यादा और छोटा, स्पष्ट बात तो मैं कर नहीं सकता ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

मान्यवर, 800 निजी नलकूपों के ऊर्जीकरण के लिये सामान भेज दिया गया है और उसमें कार्यवाही शुरू हो गयी है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, माननीय हुकुम सिंह जी जानना चाहते हैं कि 2007-2008 का जो लक्ष्य 800 का निर्धारित था, यह पूरे का पूरा 100 प्रतिशत संतृप्त हो गया या थोड़ी पूर्ति हुयी है, यह जानना चाहते हैं।

श्री रामवीर उपाध्याय-

कुछ हुआ है, 3 महीने के अन्दर पूरा करा देंगे।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, 2007-2008 का लक्ष्य 800 का था, आज फरवरी खत्म हो गयी है। एक महीना मार्च का रह गया है, 11 महीने में तो एक भी कनेक्शन लगा नहीं और 800 का लक्ष्य है तो उस जिले का क्या होगा ? माननीय मंत्री जी मैं आपका ध्यान चाह रहा हूं, आज ही आपका उत्तर आया है, प्रश्न नं0 23 में, कि यह पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम में 31 मई, 2007 तक 12.026 आवेदन पत्र लम्बित थे, इसमें 21 अगस्त, 2007 तक 4 जनपद गौतम बुद्ध नगर में 23, सहारनपुर नगर में 46, मुरादाबाद में 25, जे0पी0 नगर में 13, इस प्रकार पूरे पश्चिमांचल में 4 जनपदों में कुल 107 कनेक्शन लगे हैं। जनपद तो और भी हैं, बागपत है जीरो, मेरठ है जीरो, मुजफ्फरनगर है जीरो, बिजनौर है जीरो, अलीगढ़ भी इसी में आता है, रामपुर भी आता है। किसी भी जनपद में

एक भी कनेक्शन नहीं लगा और 12 हजार लम्बित थे 31 मई, 2007 तक, आज यह संख्या बढ़कर हो गयी है 25 हजार और 25 हजार आवेदन-पत्र लम्बित रहें और कनेक्शन लगे हैं केवल 107 तो कहां से लक्ष्य पूरा हो जायेगा। हम बार-बार आपके संज्ञान में लाने का प्रयास इसलिए करते हैं कि कुछ तो प्राथमिकता हो। जब आपने यह माना अपने उत्तर में, बहुत अच्छा आपने स्वीकार किया, मैं आपकी प्रशंसा करता हूं कि विजिलेंस की जांच भी करायी, कुछ अधिकारियों के नाम भी आये तो अभी तक उनमें से कितने अधिकारी दण्डित हुए हैं, लम्बित हुए हैं, कितनों के खिलाफ मुकदमा दायर हुआ है ? तभी तो कुछ प्रभाव पड़ेगा। मैंने आपको जानकारी दी, आपने कहा कि जांच कराने की आवश्यकता नहीं है और जांच करा रहे हैं। आपने कहा कि जांच विजिलेंस से करायी और आई0पी0एस0 अधिकारी से करायी। मैंने क्या पाप किया कि आपने मुझे लिख करके उत्तर दिया कि जांच कराने की आवश्यकता नहीं है। मान्यवर, सदन में किसी पर टीका टिप्पणी किये बिना, मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी बैठे हैं, मा0 ऊर्जा मंत्री जी बैठे हैं, जब जांच करायी थी तो लिखित उत्तर कैसे आ गया कि जांच कराने की आवश्यकता नहीं है। आखिर सदन की गरिमा क्या है, सदन में गलत उत्तर देना कितना बड़ा अपराध है इसकी कुछ जानकारी आपको है या नहीं है। मैं इस प्रश्न को यहीं बन्द कर दूंगा आप केवल मुझे यह आश्वासन दे दें कि जिन लोगों ने जांच कराने के बावजूद भी और जांच के परिणाम आने के बाद भी जिन्होंने यह उत्तर बना करके दिया है कि जांच कराने की आवश्यकता नहीं है, क्या उनके खिलाफ आप कार्यवाही करेंगे ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

मान्यवर, मा0 हुकुम सिंह जी ने कहा कि गलत उत्तर दिया गया है। मैं आपको अवगत करा दूं, मूल प्रश्न है आपका कि "मुजफ्फर नगर जनपद में निजी नलकूपों के नये विद्युत संयोजन देने की कोई व्यवस्था न होने के कारण स्थानीय अधिकारी, दलालों के माध्यम से कृषकों से लाखों रुपये वसूल करके अवैध विद्युत कनेक्शन दे रहे हैं, जिससे पावर कारपोरेशन को करोड़ों रुपये की राजस्व हानि हो रही है।" यह मूल प्रश्न है आपका, मान्यवर, उसका जवाब आया है कि हमने एक लक्ष्य निर्धारित कर दिया है, कार्यवाही शुरू हो रही है और आपने ही कहा कि राजस्व की हानि हो रही है। यह तीन महीने पहले ही हमारे संज्ञान में आया था तो हमने स्वयं इसकी जांच करायी और जब कल यह मेरे संज्ञान में आया तो मैंने इसकी जांच की और मेरठ के एम0डी0 एवं वहां के अधिकारियों से बात की कि यह प्रकरण है क्या ? तब उन्होंने बताया कि साहब ये विजिलेंस जांच आपने की थी तीन महीने पहले, उसकी जांच चल रही है, 186 गलत कनेक्शन लगे हैं। चेयरमैन के फर्जी दस्तखत बनाये गये, अभी तक डिप्टी एस0पी0 से जांच होती थी लेकिन हमने एक आई0पी0एस0 आफीसर से जांच के लिए कहा है। जो आपने कहा कि क्या कार्यवाही करेंगे, तो मैं आपको बता दूं निश्चित रूप से कार्यवाही होगी और कार्यवाही अधिकारियों के खिलाफ भी होगी, दलालों के खिलाफ भी होगी और जिन्होंने रिश्वत दे करके अवैध कनेक्शन लिये हैं, उनके खिलाफ भी कार्यवाही होगी, इस प्रकार से मान्यवर तीनों लोगों के खिलाफ कार्यवाही होगी।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मेरा मूल प्रश्न मा0 मंत्री जी ने पढ़ करके सुनाया और मैं मूल प्रश्न को फिर आपके सामने रख रहा हूं कि "निजी नलकूपों के नये विद्युत संयोजन देने की कोई व्यवस्था न होने के कारण स्थानीय अधिकारी, दलालों के माध्यम से कृषकों से लाखों रुपये वसूल करके अवैध विद्युत कनेक्शन दे रहे हैं, जिससे पावर कारपोरेशन को करोड़ों रुपये की राजस्व हानि हो रही है।" मैंने तो खुद कहा कि अवेध कनेक्शन दे रहे हैं। फिर मैंने कहा कि क्या इसकी जांच आप करायेंगे, आपने कहा कि आवश्यकता नहीं है जांच की और जांच आपने करा भी ली। मेरे प्रश्न में है कि आपने अवैध कनेक्शन दिये थे, दलालों के माध्यम से दिये थे। मैंने मांग की कि क्या आप जांच करायेंगे, आपने कहा कि 800 का लक्ष्य निर्धारित है। लक्ष्य की बात सामने आ गई। मान्यवर, 11 महीने में एक कनेक्शन भी नहीं मिला तो आगे लक्ष्य का क्या होगा ? मा0 मंत्री जी बड़े दुःखी मन से आपसे कह रहा हूं, कोई मेरे परिवार का मामला नहीं है, मेरे घर का मामला नहीं है। मान्यवर, कितने लोग ऐसे आये मुश्किल से आधी धोती पहने हुए बिना जूते के और मेरे सामने रोये कि साहब कोई सिंचाई का साधन नहीं है। 15-15 महीने पहले हम लोग स्टीमेट के पैसे भी जमा कर चुके हैं। मैंने व्यक्तिगत रूप से मि0 माथुर थे, उनसे कहा, जितने अधिकारी थे उनसे कहा कि इस गरीब को देख लो, ये आदमी मेरे पास चक्कर काट रहा है, इसे मैं आपके पास भेज रहा हूं। लेकिन हम उनको कनेक्शन नहीं दिला सकते। सरकार को इस्टीमेट भरने के बावजूद, जिन्होंने इस्टीमेट ही नहीं भरा अधिकारियों को पैसे दे दिये उनके ट्यूबवेल चल रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जांच कराने की आवश्यकता नहीं। मैं कार्यवाही की मांग कर रहा हूं उनके खिलाफ, जिन्होंने यह गलत उत्तर आपके सामने रखा। मान्यवर, जांच की आवश्यकता नहीं है कैसे धृष्टता उन्होंने कर ली, आपने जांच भी करायी, उनको चिन्हित भी कर लिया और करने के बाद में, आपके पास निर्धारित संख्या भी आ गयी कि इतने लोगों का दोष इसमें है इसके बावजूद अधिकारी कह रहे हैं कि जांच की आवश्यकता नहीं है। इसमें यह आ जाता कि हमने जांच करायी है और जांच के परिणामस्वरूप हम कार्रवाई करेंगे। आखिर हम लोगों को इसमें हम और आप सभी शामिल हैं। टेकेन फार ग्रान्टेड क्यों दे दिया उन्होंने, क्या राजनीतिज्ञ लोग केवल हस्ताक्षर करने वाले रह गये, हम लोगों में बुद्धि नहीं रह गयी, विश्लेषण की शक्ति नहीं रही। क्यों ऐसे सवाल बनाकर विभाग के अधिकारी आपके सामने रखते हैं। मैं चाहता हूं कि मा0 सिद्दीकी जी, संसदीय कार्य मंत्री जी और आप भी बैठे हैं, कम से कम वह अधिकारी जिन्होंने आपको गुमराह करने का प्रयास किया और आपके माध्यम से सदन को गुमराह किया, गलत उत्तर दिया उन्होंने उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ? मैं केवल इतना आश्वासन चाहता हूं।

श्री रामवीर उपाध्याय-

मान्यवर, मैंने पहले ही माननीय हुकुम सिंह जी का आभार प्रकट किया था कि आपने इस संवेदनशील प्रश्न को उठाकर जो जांच चल रही थी उसमें गति प्रदान करने का काम किया है। जहां तक बात है कि जो फर्जी दलालों के माध्यम मे लगे हुये हैं, मान्यवर, यह 2006-2007 के लगे है

और जब हमें शिकायत मिली उस अधिकारी के खिलाफ तो हमने वहां के डी0जी0एम0 को 3 महीने पहले बदला भी और बदलने के बाद ही जांच के आदेश दिये। जिस अधिकारी ने उत्तर दिया है, अब लक्ष्य निर्धारित हो गया है, उसने अपनी जगह उत्तर सही दिया है। लेकिन रामवीर उपाध्याय मंत्री स्वयं कह रहा है इस बात को कि इसमें धांधलेबाजी हुई है और 186 आदमियों को चिन्हित किया गया है। जांच चल रही है, निश्चित रूप से इसमें दलालों के खिलाफ भी कार्यवाही होगी, अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी और जिन्होंने रिश्वत देकर ट्यूबवेल लगाया है उनके खिलाफ भी कार्यवाही होगी, हम छोड़ेंगे किसी को नहीं, जल्दी ही कार्रवाई करेंगे। अगली बोर्ड की बैठक होगी उसमें रखा जा रहा है और एक आई0 पी0 एस0 आफिसर को कहा गया है कि जल्दी से जांच करके रिपोर्ट दे दें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी निजी नलकूपों के ऊर्जीकरण के सम्बन्ध में मेरा भी अतारांकित प्रश्न सं0-58 आज की कार्यसूची में है, वह टेकअप नहीं हुआ। मैं आपके माध्यम से एक सवाल इसी प्रश्न पर करना चाहता हूं कि जो समस्या पैदा हुई वह इसलिये पैदा हुई कि वर्तमान सरकार जब से आयी है 1-10-2007 से जो निजी नलकूप के ऊर्जीकरण के रेट थे उसमें बेतहाशा परिवर्तन हो गया। परिवर्तन कितना हुआ, पिछली सरकार में यह कनेक्शन 20 से 30 हजार रुपये में मिल जाता था और वर्तमान में 1 लाख 30 हजार रुपया खर्च करना पड़ता है, 43 हजार रुपया सब्सिडी है, 90 हजार रुपया अतिरिक्त देना पड़ रहा है चूंकि कनेक्शन का रेट बढ़ा दिया। इस समस्या के मूल में कारण यह है कि निजी नलकूपों का ऊर्जीकरण का रेट बढ़ा दिया गया। क्या मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि इस समस्या के मूल कारण की तरफ ध्यान देते हुये मा0 मंत्री जी यह विचार करेंगे कि निजी नलकूपों के ऊर्जीकरण का जो रेट निर्धारित किया है उसको कम करने पर विचार करेंगे ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

अब तक तो सरकार के द्वारा 43 हजार रुपये सब्सिडी दी जाती थी जब यह सब्सिडी निर्धारित की गयी थी तो किसानों से करीब 9 हजार रुपये लेकर ट्यूबवेल लग जाती थी। अब तार, खम्भा, ट्रान्सफार्मर की कीमत दो से तीन गुनी बढ़ गयी है और 43 हजार में ट्यूबवेल नहीं लग पाता है। यू0पी0पी0सी0एल0 पहले से ही हजारों करोड़ रुपये के घाटे में है, हमने मा0 मुख्य मंत्री से अनुरोध किया तो इस सब्सिडी को 55 हजार रुपया कर दिया गया है, अभी जल्दी ही किया है। उसमें हम यह विचार कर रहे हैं कि कैसे किसानों के ट्यूबवेल लगा सकें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, 1 लाख 30 हजार में ट्यूबवेल लग रहा है, 55 हजार की सब्सिडी कर देंगे, इजाफा कितना हुआ 20 हजार से 75 हजार रुपये, 55 हजार रुपये सरकार ने निजी नलकूपों के लिये बढ़ाया। यह किसानों का हित कहां से है ? 55 हजार रुपया गरीब आदमी कहां से लाकर देगा ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

मा0 खन्ना जी उल्टा समझ रहे हैं। 55 हजार रुपया सरकार सब्सिडी दे रही है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

अब एक लाख 30 हजार का खर्च आता है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न केवल मुजफ्फरनगर जिले से सम्बन्धित है। मंत्री जी पूरे प्रदेश के बारे में कैसे बता सकते हैं ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, हमारे यहां से 511 आवेदन आये लेकिन उनके विद्युत कनेक्शन इसलिये नहीं हुये क्योंकि दरों में बेतहाशा वृद्धि हो गयी है। मंत्री जी ने 55 हजार की सब्सिडी की बात कही लेकिन दरों में 20 हजार से 1 लाख 30 की वृद्धि हो गयी है। मैं पूरे प्रदेश के किसानों के हित की बात कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

यह एक जिले का प्रश्न है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मैं पालिसी की बात कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

इसके लिये अलग से प्रश्न करिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मैं मंत्री जी से इतना आश्वासन चाहता हूं वह कह दें कि इसको देख लिया जाएगा विचार कर लिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

यह तो वह कह रहे हैं किसानों के हित में विचार कर लेंगे।

श्री उदय राज-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पूर्ववर्ती सरकार में केबिल कनेक्शन के लिये, ट्यूबवेल के लिये कोई आदमी केबिल कनेक्शन लेता था तो उसको 7 हजार रुपये में केबिल कनेक्शन मिल जाता था। 1-10-07 को ट्यूबवेल्स कनेक्शनों की दरों में बढ़ोत्तरी की गई हमारे जनपद उन्नाव में कम से कम 100 ऐसे किसान हैं जिन्होंने दरें बढ़ने के पूर्व पैसा जमा कर दिया था लेकिन उनको कनेक्शन नहीं मिल सका अब उनसे यह कहा जा रहा है कि आपका एग्रीमेन्ट नहीं हुआ था इसलिये आपको पुरानी दरों पर ट्यूबवेल का कनेक्शन नहीं दिया जा सकता है आप बढ़ी हुई दरों से अपना पैसा जमा कर दो क्या मंत्री जी उन लोगों को पूर्व दरों पर अनुबन्ध कराकर ट्यूबवेल कनेक्शन देने के आदेश जारी करने की कृपा करेंगे ?

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अध्यक्ष-

यह प्रश्न मूल प्रश्न से हटकर है।

श्री रामवीर उपाध्याय-

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने बहन जी से अनुरोध करके 43 हजार से बढ़ाकर 55 हजार सब्सिडी की है। इसमें यह व्यवस्था है कि एक ट्रांसफार्मर से 3 किसानों को ट्यूबवेल दे दिया जाय लेकिन यह व्यवस्था व्यावहारिक रूप से सम्भव नहीं होती है इस पर विचार कर रहे हैं और किसानों के हित में जल्द से जल्द निर्णय लिया जायेगा।

श्री उदय राज-

जिन लोगों ने बढ़ी हुई दरों से पूर्व पैसा जमा किया था।

श्री अध्यक्ष-

यह प्रश्न मुजफ्फर नगर जिले का है अब मंत्री जी के पास हर जिले की जानकारी कैसे होगी ?

श्री उदयराज-

जिनका पैसा जमा हो गया था, इस्टीमेट गये थे उनको तो पूर्व दरों पर ट्यूबवेल के कनेक्शन दे देंगे।

श्री रामवीर उपाध्याय-

जिनका 1-10-07 के पहले पैसा जमा हो गया था और अनुबन्ध हो गया था उनको उसी रेट पर लगायेंगे।

श्री उदय राज-

मान्यवर, अनुबंध नहीं हुआ तो उसमें विभाग की गलती है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अध्यक्ष जी, सरकारें बदलती हैं, नीतियां बदल जाती है। इसमें कोई ऐतराज नहीं है कीमतें बढ़ी, आपने दर बढ़ा दी लेकिन एक कमिटमेंट होती है सरकारों का भी अधिकारियों का भी। मान्यवर, वह किसान जिसने पैसा जमा कर दिया और अपनी अनपढ़ी के कारण, दफ्तरों की परेशानियों के कारण उसका अनुबंध नहीं हो सका। अनुबंध न होने में उसकी कोई गलती नहीं है आखिर अनुबंध न होने की सजा उसको क्यों मिले ? वह पैसा जमा कर सकता था, उसने जमा कर दिया, मात्र इतना प्रश्न है। प्रश्न तो माननीय हुकुम सिंह जी का बहुत अच्छा था। उसका उत्तर नहीं आया और एक वरिष्ठतम सदस्य मायूस होकर बैठ गये। अब अनुपूरक प्रश्न में यह सवाल है कि जिन लोगों ने पैसा जमा कर दिया, जाहिर है कि उनकी जिम्मेदारी पूरी हो गयी। किसी कारण से सरकार बदल गयी। किसी कारण क्या ? जो कारण है वह सामने है। किसानों के बुरे दिन आने थे, आ गये। अब ऐसे में मान्यवर, जिन्होंने पैसा जमा कर दिया (हंसी) हंसे मान्यवर, बहुत अच्छी बात है।

श्री अध्यक्ष-

नहीं दोनों तरफ हंसे हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

नहीं हंसे मान्यवर हंसे। किसानों की दुर्दशा पर हंसिये, कहकहे लगायें। मान्यवर, सिर्फ इतना प्रश्न है कि जिन्होंने पैसा जमा कर दिया, अनुबंध नहीं हो सका उन्हें जमा किये हुये पैसे की बुनियाद पर क्या आप कनेक्शन देने की व्यवस्था करेंगे ? मात्र इतना प्रश्न है।

श्री रामवीर उपाध्याय-

मान्यवर, आपने, आजम खां साहब ने जो बातें कहीं हैं कि हुकुम सिंह जी चुपचाप बैठ गये। मान्यवर, यह इन्हीं की सरकार का सब घोटाला है। 2006 2007 का। इन्हीं का दिया हुआ है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

तब ही तो हम यहां बैठे हैं और आप वहां बैठे हैं। इसकी सजा कितनी देंगे सजा हमें दे दीजिये। सजा किसानों को मत दीजिये।

श्री रामवीर उपाध्याय-

मान्यवर, मैं पहले ही स्पष्ट उत्तर दे चुका हूं। आपके माध्यम से फिर अवगत करा दूं कि 1-10-07 तक जिनके पैसे भी जमा हो गये हैं मान्यवर, हम उसी रेट पर उसको लगायेंगे।

प्रदेश के राष्ट्रीयकृत मार्गों पर निगम एवं निजी बसों के साथ-साथ संचालन की योजना

*3-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या राष्ट्रीयकृत मार्गों पर निगम एवं निजी बसों के साथ-साथ संचालन की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवहन मंत्री (श्री राम अचल राजभर)-

राष्ट्रीयकृत मार्गों पर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रचालन को अनुपूरित करने के लिये निजी प्रचालकों को मंजिली गाड़ियां चलाने की अनुज्ञा प्रदान किये जाने हेतु मार्गों की राष्ट्रीयकरण की योजनाओं में उपान्तरण किये जाने के प्रस्ताव हेतु अधिसूचना संख्या-1225/30-2-07-1(2)07, दिनांक 12-12-2007 जारी की गयी है जिसमें प्राप्त आपत्तियों पर श्रवणाधिकारी के स्तर पर सुनवाई की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

(मा0 मंत्री द्वारा उत्तर पढ़ने के उपरान्त)

श्री राम अचल राजभर-

मान्यवर, मैं श्री मोती सिंह ...

श्री अध्यक्ष-

नीचे और है, उसको पढ़ दें।

(शेष उत्तर मंत्री द्वारा पढ़े जाने के उपरान्त)

श्री राम अचल राजभर-

मान्यवर, मैं अपनी बात कहने के पहले श्री मोती सिंह जी को बताना चाहता हूं कि यह उत्तर पहले बन चुका था और कल देर शाम तक इसका फैसला आ गया।

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी कुछ कहना चाहते थे, आपने अनुमति नहीं दी।

श्री अध्यक्ष-

नहीं, नहीं। नीचे उत्तर की दो लाइन और थी उसको पढ़ने के लिये कहा था।

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

जो आपका उत्तर आया है कि श्रवण अधिकारी के स्तर पर सुनवाई की जा रही है। अगर कोई फैसला आ गया है, अंतिम निर्णय हो गया है तो आपके माध्यम से बता दें।

श्री राम अचल राजभर-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से मैं बता दूं कि उत्तर पहले बन गया था और देर शाम तक फैसला आ गया 28-2-08/475 मार्गों में 460 मार्गों का उपरानान्तरण प्रस्ताव सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। 15 मार्गों में से 5 मार्ग पूर्णतया उत्तराखण्ड के हैं उसमें संशोधन का अधिकार प्रदेश सरकार को नहीं है। 7 मार्ग ऐसे हैं जिसकी गजट विज्ञप्ति प्रकाशित नहीं हुई। 2 मार्ग की योजना को विखंडित किया जा चुका है। एक मार्ग दो बार छप गया था तो 5, 7, 2, 1, 15 यह फैसला आ गया मान्यवर।

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

ठीक है मान्यवर।

प्रदेश के इलाहाबाद, बांदा, कानपुर, मेरठ व आगरा में विद्युत बिलों के बकायेदारों की जानकारी

*4-श्री अनुग्रह नारायण सिंह

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, बांदा, कानपुर, मेरठ व आगरा में विद्युत बिलों के 10 लाख रु0 से अधिक के कितने-कितने और कौन-कौन से बकायेदार हैं और उनसे वसूली के लिये क्या कोई उपाय किये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

04-जनपद इलाहाबाद में रु0 10.00 लाख से अधिक के 108 बकायेदार हैं। इनमें से 10 उपभोक्ताओं का मामला मा0 उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय में लम्बित है। 68 संयोजन कटे हुए हैं तथा इनका स्थाई विच्छेदन निस्तारण कर वसूली हेतु धारा-5 की नोटिस प्रेषित की जा चुकी है। 5 उपभोक्ताओं के बिल त्रुटिपूर्ण होने के कारण सुधारे जा रहे हैं, 25 संयोजन सरकारी हैं जिनका बीजक सत्यापन प्रस्तावित है।

बांदा-

जनपद बांदा में 10.00 लाख से अधिक बकायेदारों की संख्या-6 हैं। इनसे वसूली हेतु धारा-3 की नोटिस जारी की जा चुकी है। तथा सभी के स्थायी विच्छेदन की कार्यवाही करके धारा-5 की नोटिस जारी किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

कानपुर-

जनपद कानपुर के अन्तर्गत कानपुर विद्युत कम्पनी लि0 (केस्को) एवं कानपुर क्षेत्र के जनपद कानपुर से सम्बन्धित सूचना निम्नवत् है :-

1-कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लि0 (केस्को) के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत रु0 10.00 लाख से अधिक राशि के कुल 77 बकायेदार हैं। बकायेदार उपभोक्ताओं से बकाया राशि की वसूली हेतु अन्तिम लेखा पर्ची तैयार कर जारी करने एवं तदोपरान्त धारा-5 निर्गत कर वसूली की कार्यवाही की जा रही है। स्थाईरूप से विच्छेदित उपभोक्ताओं की अन्तिम लेखा पर्ची तैयार कर धारा-3/धारा-5 निर्गत कर वसूली की कार्यवाही एवं न्यायालय में लम्बित प्रकरणों में प्रभावी पैरवी कर स्टे वैकेट करने की कार्यवाही की जा रही है।

2-कानपुर क्षेत्र कानपुर नगर में रु0 10.00 लाख से ऊपर के गैर सरकारी बकायेदारों की कुल संख्या-4 है। जिनमें से 3 संयोजन विच्छेदित हैं। 1 संयोजन मा0 न्यायालय के आदेशानुसार पुनः संयोजित किया गया है। कानपुर देहात में गैर सरकारी बकायेदारों की संख्या-11 है। ये सभी 11 संयोजन विच्छेदित कर दिये गये हैं। इन सभी उपभोक्ताओं से वसूली हेतु सभी वैधानिक कार्यवाहियां की जा रही है।

मेरठ-

जनपद मेरठ के अन्तर्गत रु0 10.00 लाख से अधिक बकायेदारों की संख्या-13 हैं। इन बकायेदारों में से 10 मामलों में कोर्ट केस/विवादित चल रहे हैं। इन प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण कराने हेतु सम्बन्धित अधिवक्ता से अनुरोध किया जा रहा है। शेष 3 मामले सरकारी हैं जिनसे सम्बन्धित विभागाध्यक्ष को शीघ्र भुगतान हेतु नोटिस दिया गया है।

आगरा-

जनपद आगरा में विद्युत बिल के रु0 10.00 लाख के बकायेदारों की कुल संख्या-58 हैं। इन बकायेदारों में से 18 मामले विभिन्न न्यायालयों में चल रहे हैं। शेष 40 मामलों में धारा-3 की

नोटिस सभी उपभोक्ताओं को भेज दी गयी है तथा धारा-5 की कार्यवाही खण्डों द्वारा की जा रही है।

बकायेदारों की सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है।

उपरोक्तनुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी पांच जिलों में 266 बकाएदार ऐसे हैं जिन पर 10 लाख से ज्यादा बकाया है। आज हम लोगों के सामने यह समस्या है कि छोटे-टोटे बाकएदार हजारों की संख्या में ऐसे हैं जिनके खिलाफ आर0सी0 जारी हो गई है। तहसीलदार परेशान करता है 266 बकाएदारों के बारे में मैंने प्रश्न पूछा था हालांकि मंत्री जी बड़े लोगों से वसूली में प्रयासरत हैं लेकिन इसमें कौन-कौन से बकाएदार हैं इलाहाबाद और बांदा में जो सबसे बड़े हैं और उन बकाएदारों की राशि क्या है ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

इलाहाबाद में सेक्रेट्री एस0टी0 जैन प्रिंसिपल एस0टी0यूनीवर्सिटी, सबकी लिस्ट है आपको भिजवा देंगे।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

बांदा का बता दें।

श्री रामवीर उपाध्याय-

मैं आपको लिस्ट उपलब्ध करा दूंगा आप देख लेना।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से प्रश्न करूं या अनुरोध करूं कि जो छोटे बकायेदार हैं 500, 1000 या 1500 के, उनके ऊपर आर0सी0 जो आप जारी कर रहे हैं, चूंकि यह बड़े लोग हैं, इनके पास पैसा है यह हाई कोर्ट चले जायेंगे, सुप्रीमकोर्ट चले जायेंगे और इनकी वसूली रुक जाती है। इलाहाबाद के गंगा के किनारे जो टिकुली, सिन्दूर, छोटे बर्तन, माला-फूल, कंठी बेचते हैं, उन लोगों के ऊपर छापे पड़ रहे हैं, मलिन बस्तियों में छापे पड़ रहे हैं। आप बड़े-बड़े लोगों पर छापे डाले हैं, बात सही है लेकिन जो आपका विभाग है, उनकी दृष्टि सबसे नीचे वालों पर है और वह उनके यहां छापे डालकर, आर0सी0 जारी कर रहे हैं। एक जगन्नाथ हैं, दारागंज में दशाश्वमेध घाट पर जिसकी एक वहां छोटी सी झोपड़ी हैं, उसने आपके यहां से कनेक्शन भी ले रखी है और कनेक्शन का सारा पैसा भी देता है लेकिन उसके ऊपर 25 हजार रुपये की आर0सी0 जारी कर दी गयी है कि वह अपनी उसी झोपड़ी में कुछ कंठी-माला भी रख लेता है, उस पर कामर्शियल चार्जेज लगाये गये हैं। मान्यवर, यह जो छोटे बकायेदार हैं, जिनके खिलाफ आर0सी0 जारी की गयी है, क्या आप उनकी आर0सी0 वापस कराने की कृपा करेंगे ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

मान्यवर, जो लोग बिजली जला रहे हैं तो उन्हें पैसा देना ही पड़ेगा लेकिन यदि कहीं अनियमितता हुई है तो मा0 सदस्य लिखकर दे दें, मैं दिखवा लूंगा।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा, यह 5 जिलों का है, जो छापे डाले गये हैं और जो आप यह कह रहे हैं कि आप बड़े बकायेदारों पर छापें डाल रहे हैं तो इन सारे 77988 छापों में, मैं स्थान नहीं पूछ रहा हूं, किसी जिले के कौन, कितने हैं, मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि इनमें से कितने ऐसे हैं जो 2 के0वी0 से कम के हैं और कितने ऐसे हैं जो 10 के0वी0 से अधिक के कनेक्शन हैं। इसी से स्पष्ट हो जायेगा कि किधर छापा अधिक पड़ रहा है ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

मान्यवर, यह प्रश्न अलग है, यह बकायेदारों की लिस्ट है, यह छापेदारों की लिस्ट नहीं है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से डा0 अग्रवाल साहब को बताना चाहता हूं कि यह जो लिस्ट है, यह बकायेदारों की है। जहां तक छापों की बात है, मैंने व्यक्तिगत रूप से जो 50 हार्सपावर के जितने कनेक्शन हैं, उन्हीं को चेक करने का काम किया है। मैं किसी 2 किलोवॉट, 3 किलोवॉट, 4 किलोवॉट, या 10 किलोवॉट, 20 किलोवॉट वाले के यहां नहीं गया और हमारे स्पष्ट निर्देश हैं और लिखित में भी यह निर्देश है कि किसी 1 किलोवॉट, 2 किलोवॉट वाले उपभोक्ता के खिलाफ कार्यवाई न की जाए, उसको डांटा फटकारा जाए, उसे रोका जाए लेकिन उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई जाए। अगर ऐसा किसी मा0 सदस्य के संज्ञान में है कि किसी 1 किलोवॉट, 2 किलोवॉट वाले उपभोक्ता के खिलाफ एफ0आई0आर दर्ज कराई गयी है तो कार्यवाई करायेंगे।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं विभाग की बात कर रहा हूं। यह 77988 चोरियां, अनियमितता जो पाई गयी हैं, मैं उसके सम्बन्ध में पूछना चाहता हूं कि जो छोटे कन्ज्यूमर हैं, 2 किलोवॉट, 3 किलोवॉट से कम के, उनमें कितने हैं और जो बड़े कन्ज्यूमर हैं, उनमें कितने हैं ? क्योंकि आपने संख्या दी है, इसलिए आप उसका बाइफरकेशन भी बता सकते हैं। इससे स्पष्ट हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

डा0 साहब, मंत्री जी ने छापों की संख्या दी है, अब वह ब्रेकअप कैसे बता दें कि 2 के0वी0 का है, 3 के0वी0 का है या 7 के0वी0 का है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी की मंशा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं विभाग की बात कर रहा हूं कि विभाग द्वारा छोटे बकायेदारों को कितना परेशान किया जा रहा है। कितने ऐसे मुकदमें हैं

जो 3 किलोवॉट से कम के उपभोक्ताओं पर हुए हैं, यही बता दीजिए। मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि इसमें 90 प्रतिशत से अधिक मुकदमें 3 किलोवॉट से कम के ही है।

श्री रामवीर उपाध्याय-

मान्यवर, आपके माध्यम से बता दूं, जब से हमारी सरकार बनी है, चोरी रोकने के लिए तेजी से प्रयास किए गये हैं और यह भी स्पष्ट निर्देश हैं कि किसी गरीब को परेशान न किया जाए, किसी झोपड़-पट्टी वाले को परेशान न किया जाए और दूसरी बात मान्यवर, यह कि कोई एक बल्ब, दो बल्ब की कि कटिया लगाये पकड़ा भी जाता है, उसे हिदायत दी जाए, उसे डांटा फटकारा जाए लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्यवाही न की जाए। यह भी व्यवस्था कर दी है कि मात्र 250 रुपये जमा करा कर उन्हें कनेक्शन दे दिया जाए। कैम्प लगाकर कनेक्शन दे दिया जाए। मा0 सदस्य जिस तरह की बात कर रहे हैं, हो सकता है, कहीं एक-दो ऐसा मामला आ गया हो, मैं तो खुद कह रहा हूं कि आप लिखकर दे दीजिए मैं अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाई करूंगा। जब स्पष्ट निर्देश हैं कि 1 किलोवॉट, 2 किलोवॉट वाले के खिलाफ कार्यवाही न की जाए एफआईआर दर्ज न की जाए, यह हमारे निर्देश हैं, यह सरकार के निर्देश है।

प्रदेश में बन्द हो रही हैण्डलूम इकाइयों के बेरोजगार बुनकरों की आजीविका हेतु सरकार की कार्य योजना

*5-डा0 अजय तोमर-

क्या हथकरघा वस्त्रोद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बन्द हो रही हैण्डलूम इकाइयों के बेरोजगार बुनकरों की आजीविका हेतु सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

जी हां।

हथकरघा वस्त्रोद्योग विभाग द्वारा केन्द्र पुरोनिधानित योजना के माध्यम से प्रदेश के बुनकरों के उत्थान की योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

हथकरघा क्षेत्र की इकाइयों के बुनकरों के लिये एकीकृत हथकरघा विकास योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में प्रथम चरण में 04 क्लस्टरों का क्रियान्वयन भारत सरकार द्वारा नामित कार्यदायी संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है। द्वितीय चरण के 10 एवं तृतीय चरण के 15 क्लस्टरों का क्रियान्वयन किया जाना है, जिसमें से द्वितीय चरण के 10 एवं तृतीय चरण के 13 क्लस्टरों का क्रियान्वयन हथकरघा निदेशालय द्वारा किया जायेगा। शेष तृतीय चरण के 2 क्लस्टरों का क्रियान्वयन बुनकर सेवा केन्द्र वाराणसी एवं मेरठ द्वारा किया जायेगा। भारत सरकार से बजट प्राप्त होने पर योजना का क्रियान्वयन कराया जायेगा।

इसके अतिरिक्त बुनकरों के उत्थान हेतु पावरलूम जनश्री बीमा योजना, हेल्थ इंश्योरेंस योजना, महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना, एक्सपो व मेला के द्वारा बुनकरों के माल की बिक्री कराकर उनका उत्थान व बेरोजगारी दूर की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 अजय तोमर-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जवाब में जो कहा है उसमें मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि क्या श्रीलंका के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री श्री डा0 दारेन साहब का जिन्होंने बुनकरों पर बहुत वर्क किया है, प्रदेश सरकार को कोई सिफारिश प्राप्त हुयी है। और यदि हुयी है तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री जगदीश नारायण राय-

जी नहीं, कोई सिफारिश प्राप्त नहीं हुयी है।

डा0 अजय तोमर-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने मना किया है। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि श्री दारेन साहब श्रीलंका के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने इसी तरह के लोगों के लिए बहुत वर्क किया है। पूरे विश्व में उन्हें जाना जाता है। डा0 दारेन की सिफारिशों पर उत्तर प्रदेश शासन और भारत सरकार को बुनकरों के उत्थान के लिए कुछ सिफारिशें भेजी गयीं और उत्तर प्रदेश सरकार के विशेष सचिव हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग के अर्धसरकारी पत्र संख्या 4सी0एम0/63 व उ0 2006 दिनांकित 18 मार्च, 2006 के द्वारा जो डा0 दारेन साहब ने उत्तर प्रदेश सरकार को भेजी थी, उत्तर प्रदेश के विशेष सचिव हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग के इस पत्र के द्वारा वाराणसी के मण्डलायुक्त को एक पत्र लिखा गया है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि सिफारिश प्राप्त नहीं हुयी है। मैं उसका हवाला दे रहा हूं कि यह पत्र भेजा गया था। वह पत्र नहीं है, क्योंकि मंत्री जी ने कहा कि कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है तो अब अनुपूरक की बात ही नहीं है। अब बात तो यह है कि वह पत्र कहां गया और मण्डलायुक्त वाराणसी ने इस पर क्या कार्यवाही की ? वह पत्र कहां है ?

श्री जगदीश नारायण राय-

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जिस पत्र का हवाला दिया है वह पत्र भारत सरकार से सीधे चूंकि यह विभाग जो है हथकरघा विभाग, प्रदेश से कम, भारत सरकार की गाइडलाइन से ज्यादा गवर्न होता है। वहां बनारस में भारत सरकार के अधिकारी आलरेडी पोस्ट होते हैं, उनको भेजा गया था। उनके माध्यम से जानकारी मिली थी लेकिन उस पर कोई नीतिगत निर्णय लेने का अधिकार प्रदेश सरकार का नहीं है। यदि कोई सिफारिश थी तो वह पुनः वहां से अपनी संस्तुतियों के साथ भेजा गया था। भारत सरकार से उस पर कोई निर्देश नहीं आया इसलिए उस पर कोई अभी तक विचार नहीं किया गया।

डा0 अजय तोमर-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि बुनकरों के लिए क्लस्टरों को चलाये जाने की योजना है तो मैं इसके लिए इनका आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने भारत सरकार की इस योजना के लिए एक अपनी नीति निर्धारित की है। भारत सरकार से इसका पैसा कब तक मिल जाएगा ? प्रदेश सरकार अपनी क्या व्यवस्था कर रही है ? दूसरा दारेन साहब की इस योजना में क्लस्टरों के अलावा इन बुनकरों को इनकी तकनीकी, इनकी कानूनी मान्यता और उसका बाजार में किस तरह बेचा जाये, बाजार उपलब्ध कराने के विषय में जो सलाह है उनके जो विचार हैं, क्या उन पर सरकार कार्य करने के लिए विचार करेगी ?

श्री जगदीश नारायण राय-

मैंने पूर्व में भी बताया है कि भारत सरकार जो गाइड लाइन्स तैयार करेगा उस पर हम अमल करेंगे। क्लस्टर जारी करने की जहां तक बात है वह मार्च के प्रथम सप्ताह में देने का वायदा किया है। पैसा आने पर क्लस्टर का कार्य शुरू किया जायेगा। जहां तक संस्तुतियों की बात है आप हमें पत्र हस्तगत करा दें हम इस सम्बन्ध में भारत सरकार से अनुरोध कर लेंगे।

डा0 अजय तोमर-

मान्यवर, बुनकरों के उत्थान के लिए ही भारत सरकार से नाबार्ड बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के माध्यम से स्वास्थ्य बीमा योजना चलायी जा रही है। योजना आयोग की सदस्या डॉ सईदा अहमद ने 23 जुलाई, 2007 से इस विभाग के द्वारा बुनकरों को दी जाने वाली सुविधाओं में अनियमितता पायी गयी थी, उनकी शिकायत की गयी थी, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री जगदीश नारायण राय-

मान्यवर, शिकायत सही थी उसका परीक्षण कराया गया है। भारत सरकार ने उसमें थोड़ा परिवर्तन कर दिया है। पहले इसमें हमारे विभाग का इन्वाल्वमेंट नहीं था, अब जो बीमा का सर्वे किया जायेगा, किनको दिया जायेगा यह सर्वे करा कर हमारी सरकार ने भारत सरकार को भेज दिया है। तीन लाख बुनकरों को कार्ड बांटा जायेगा। यद्यपि कि विभाग की कोई रिसपांसिबिलिटी नहीं थी लेकिन हमने अपनी तरफ से निर्देश जारी किया है। हमने वहां के जिलाधिकारी और कमिश्नर से भी अनुरोध किया है कि इस बीमा वितरण में, जो कि बैंक के द्वारा जारी किया जायेगा बीमाकार्ड, उसमें हमारे विभाग के लोग और सरकार के लोग सहयोग करें।

डॉ0 अजय तोमर-

मान्यवर, कम्बल बनाने का उद्योग अनेकों जगह है। मेरे जनपद बागपत में निपुड़ा गांव में कम्बल खेकड़ा, तोड़ा और चुनावी अहीर और सैदपुर इन 6,7 गांवों में खादी के वस्त्र, खादी के दरी बनाने का काम है, वहां पर भी अत्यन्त दयनीय स्थिति है तो क्या मंत्री जी वहां पर भी ध्यान देने का काम करेंगे ?

श्री जगदीश नारायण राय-

मान्यवर, यह खादी ग्रामोद्योग से सम्बन्धित मेरा विभाग नहीं है। ना इसका हमारे विभाग से कोई लेना देना नहीं है। हथकरघा से इसका कोई लेना देना नहीं है। खादी ग्रामोद्योग का है, उसमें प्रश्न लगायें।

प्रदेश में जंगली जानवरों द्वारा फसलों की क्षतिग्रस्त किये जाने पर मुआवजा दिये जाने की मांग

*6-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या वन एवं जन्तु उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किसानों की खड़ी फसलों को जंगली जानवरों एवं आवारा पशुओं द्वारा भारी पैमाने पर क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है जिससे किसानों की जमा पूंजी बर्बाद हो जाती है ? क्या सरकार इस प्रकार बर्बाद की गयी फसलों का किसानों को मुआवजा देने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फतेह बहादुर-

प्रदेश के लगभग सभी जनपदों में जंगली जानवरों द्वारा किसानों की कृषि फसलों को छिटपुट रूप से क्षति पहुंचाये जाने की सम्भावनायें पायी जाती हैं।

शासनादेश संख्या-2384/14-4-96-836/92, दिनांक 06-12-96 के प्राविधानों के अनुसार जंगली हाथी द्वारा फसलों की क्षति पहुंचाये जाने की दशा में आर्थिक अनुग्रह सहायता दिये जाने का प्राविधान है, जो सम्पूर्ण फसल क्षतिग्रस्त होने पर धान/गेहूं/तिलहन हेतु रु0 2,000.00 प्रति एकड़ है।

श्री राम विशुन आजाद-

मान्यवर, मैंने सीधा सा प्रश्न पूछा था कि क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किसानों की खड़ी फसलों को जंगली जानवरों एवं आवारा पशुओं द्वारा भारी पैमाने पर क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है जिससे किसानों की जमा पूंजी बर्बाद हो जाती है। क्या सरकार बर्बाद की गयी फसलों का किसानों को मुआवजा देने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? इसका जवाब यह आया कि प्रदेश के लगभग सभी जनपदों में जंगली जानवरों द्वारा किसानों की कृषि फसलों को छिटपुट रूप से क्षति पहुंचाये जाने की सम्भावना पायी जाती हैं। शासनादेश संख्या-2384/14-4-96-836/92, दिनांक 06-12-96 के प्राविधानों के अनुसार जंगली हाथी द्वारा फसलों की क्षति पहुंचाये जाने की दशा में आर्थिक अनुग्रह सहायता दिये जाने का प्राविधान है, जो सम्पूर्ण फसल क्षतिग्रस्त होने पर धान/गेहूं/तिलहन हेतु रु0 2,000.00 प्रति एकड़ है। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि अधिकांश जंगल पूर्वांचल में है। मेरे सवाल का जवाब आप साफ-साफ दे दें कि आपने संभावना व्यक्त की है तो सत्यता क्या है और कितने किसानों की फसल क्षतिग्रस्त हुई है और कितना आपने सहायता दिया है ? मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जंगली हाथी के द्वारा कितने किसानों की फसल क्षतिग्रस्त हुई है और कितने किसानों को कितना मुआवजा दिया गया ? दूसरी चीज, पूर्वान्चल के चाहे सोहेलवा जंगल हों, कतर्निया घाट हो, चाहे

शारदा नहर रेंज हो, नादान रेंज हो, कुआंला रेंज हों, टिकरी रेंज हो, इन रेजों के अन्तर्गत जंगल के अन्दर जो आवारा गाय, जंगली गाय और नील गाय और जंगली सुअर की संख्या दिनों दिन बढ़ रही हैं। हजारों की तादाद में संख्या बढ़ रही है और उसके आस-पास गांव में रहने वाले लोग, किसान और जंगल के अन्दर जो तहनिया के लोग हैं, और जंगल के अन्दर जो ग्राम सभायें और ग्राम पंचायतें हैं मान्यवर, उनके किसानों की फसलें भारी पैमाने पर जंगली गाय, नीलगाय, सुअर नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से चाहूंगा मान्यवर, कि जिस तरीके से जैसे लखीमपुर में शुगर केन टाईगर्स हो गये, कहीं ऐसा न हो कि पूर्वांचल के जंगलों के आस-पास जो जंगली गाय और नील गाय और आवारा पशु जो कि बाहर से पशुओं को लोग ट्रकों के माध्यम से ला-ला करके हमारे टिकरी रेंज के जंगलों में मान्यवर, छोड़ रहे हैं और उस जंगल से सटा हुआ मेरा गांव है, मेरा कम से कम 15 बीघा लाही और सब नुकसान कर दिया गया मान्यवर। तो आपके माध्यम से चाहूंगा मान्यवर, कि यह सरकार व्यवस्था करें।

श्री फतेह बहादुर-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य की चिन्ता निश्चित रूप से सही है और जैसा कि इन्होंने वर्णन किया कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो जंगली क्षेत्र हैं उनके जंगल के किनारे जो खेत हैं उनकी जो फसलों का नुकसान होता है, बड़े व्यापक पैमाने पर होता है। जहां तक वन विभाग में मुआवजा देने की बात है, यह केवल हाथी के लिये है। यह कभी हम अन्तर नहीं कर पायेंगे कि वह गाय चरी, कि हिरन चरा या अन्य जानवरों के द्वारा उस खेत को चरा गया। इसका कोई सर्टिफिकेट तो दे नहीं पायेगा, लेकिन फिर भी हमने हाथी के लिये यह प्राविधान रखा कि अगर हाथी के द्वारा चरा गया है चूंकि हाथी का पैर भारी होता है।

(सत्ता पक्ष की ओर से आवाज आई कि यहां भी भारी है)

मान्यवर, हाथी जहां अपना पैर रखता है उसका निशान खेतों में दिखाई देता है, इसलिये यह तो मालूम हो जायेगा कि हाथी के द्वारा उसका नुकसान हुआ है। लेकिन हम यह कहां से क्लियर कर पायेंगे माननीय अध्यक्ष जो कि हिरन ने चरा है, गाय ने चरा है, किसने चरा है। जब तक यह स्पष्ट नहीं होगा तब तक हम अभी इस पर कोई स्पष्ट नीति बनाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। जहां तक नील गाय को मारने का या नुकसान की बात है तो हमने पहले ही प्राविधानित कर रखा है कि खण्ड विकास अधिकारी इसमें परमिट जारी करेंगे और उन जानवरों को नष्ट करने की व्यवस्था भी करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

इस पर तो कुबेर सिंह, शिवपाल सिंह व्यवस्था पहले से ही दे चुके हैं।

डा0 पी0 के0 राय-

माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न बड़ा स्पष्ट है कि आपने कहा है कि जंगली जानवरों द्वारा किसान की कृषि फसलों को छुटपुट रूप से क्षति पहुंचाये जाने की संभावना पाई जाती है। और

हकीकत में क्या है ? इसका इसमें बयान नहीं है और दूसरा यह कि आपने हाथी के द्वारा जो नुकसान पहुंचाया जायेगा तो उसको मुआवजा दिया जायेगा। अब तक हाथी के द्वारा कितनी फसलों का नुकसान किया गया है और कितना मुआवजा दिया है ? यह दो प्रश्न है और दोनों प्रश्नों का स्पष्ट जवाब माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी से दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, हाथी के द्वारा कितना नुकसान हुआ है, अगर कोई सूचना हो तो बता दें।

श्री फतेह बहादुर-

मान्यवर, हमारा जो लखीमपुर क्षेत्र का इलाका है वह जो बेल्ट है उसमें दुधवा नेशनल पार्क स्थापित है। मान्यवर, उस क्षेत्र के आसपास उत्तरांचल से हाथी आते हैं जब ठंडी ज्यादा पड़ती है वह उस पार्क में भी आ जाते हैं। मान्यवर, उस कारण से उससे सटे हुये कई इलाकों में घटनायें हुई हैं। एक हाथी से एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और हमने 50 हजार रु0 का मुआवजा दिया है फसल का भी मुआवजा दिया। जो खेतों में इससे नुकसान होता है निश्चित रूप से सरकार उसके प्रति संवेदनशील है। माननीय राम विशुन आजाद जी ने एक प्रश्न उठाया था कि क्या सरकार विचार करेगी फसलों के मुआवजे के बारे में और आगे क्या रणनीति है उसको जानना चाहा था।

मान्यवर, सरकार इस पर गम्भीर है। हम कृषि विभाग से बात कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

मान्यवर, माननीय नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी एक वरिष्ठ मंत्री हैं मेरे बहुत ही प्रिय साथी हैं। प्रश्नकाल में उन्होंने कहा कि हाथी ने किस-किस का नुकसान कर दिया। मेरा सिर्फ यह कहना है कि हाथी से सबसे ज्यादा नुकसान इनको हुआ है जो इधर आ गये और आप उधर चले गये। बाकी नुकसान सबका हुआ है। लेकिन एक बात उन्होंने कही कि हाथी के पांव भारी हैं तो मैं यह जानना चाहता हूं कि मंत्रिमंडल के किस सदस्य के पांव भारी है ? (हंसी)

शाहजहांपुर में पंजीकृत आरा मशीनों को पुनः चालू कराने की मांग

श्री सुरेश कुमार खन्ना

*7-क्या वन एवं जन्तु उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर की पंजीकृत आरा मशीनों जिनका नवीनीकृत शुल्क जमा था, को किन कारणों से बन्द कराया गया है ? क्या मा0 मंत्री को जानकारी है कि ऐसी आरा मिलों जो लाइसेन्स से मुक्त हैं को भी बन्द कराया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार छोटे व लघु उद्योगों की श्रेणी में आने वाली लघु आरा मशीनों को पुनः चालू करने के आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट :-तारांकित प्रश्न संख्या-6 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

श्री फतेह बहादुर-

मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 01-09-2006 के अनुपालन में शाहजहांपुर वन प्रभाग के अन्तर्गत पंजीकृत 29 आरा मशीनों, जिनका वर्ष 1997 तक का नवीनीकरण शुल्क दिनांक 04-03-1997 के उपरान्त जमा किया गया था, को बन्द कराया गया। इनमें से वर्ष 1994, 1995, 1996 तक नवीनीकृत 23 आरा मशीनें जिनका नवीनीकरण दिनांक 04-03-1997 के पश्चात् हुआ था, को मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 18-05-2007 के अनुपालन में संचालन हेतु अनुमति दी गई है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विद्युत दरें बढ़ाये जाने एवं विद्युत चोरी रोकने की मांग

*8-श्री लालजी यादव-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या सरकार के समक्ष विद्युत दरें बढ़ाये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा एवं आधार क्या है ? क्या सरकार विद्युत दर बढ़ाने के स्थान पर बिजली चोरी रोकने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

प्रस्ताव नियामक आयोग के स्तर पर विचाराधीन है।

गत तीन वर्षों से विद्युत दरों में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुयी जबकि ईधनों की कीमत एवं अन्य खर्चे लगातार बढ़ने से विद्युत की क्रय दर बढ़ गयी।

विद्युत चोरी रोकने के गम्भीर प्रयास किये जा रहे हैं और समयबद्ध तरीके से इस पर कार्यवाही की जा रही है एवं इसका लगातार अनुश्रवण भी किया जा रहा है।

वर्ष 2006-07 में विभागीय एवं प्रवर्तक दल द्वारा 276023 उपभोक्ताओं की जांच कर 46330 चोरी/अनियमितता पकड़ी गयी, 7311 के विरुद्ध एफ0आई0आर दर्ज करायी गयी तथा 724 गिरफ्तारियां की गयी जिसके फलस्वरूप लगभग रु0 170 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व वसूला गया। इसी प्रकार वर्ष 2007-08 में (12/07 तक) 493116 उपभोक्ताओं की जांच कर 77988 चोरी। अनियमितता पकड़ी गयी तथा 23733 के विरुद्ध एफ0 आई0 आर0 दर्ज कराकर 5436 लोगों को जेल भी भेजा गया। इस कार्यवाही से लगभग रु0 92 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ।

उपरोक्त प्रयासों के साथ-साथ तकनीकी प्रयास यथा डबल मीटरिंग, ए0बी0सी0 कन्डक्टर, एल0टी0 लाइनों को एच0टी0 लाइन में परिवर्तित कर चोरी की सम्भावना को कम करने जैसे प्रयास भी किये जा रहे हैं, जिससे भविष्य में लाइन हानियों को वांछित स्तर पर लाने के प्रयास किये जा रहे हैं। जिसका निश्चय ही सकारात्मक परिणाम निकलेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में बिजली के जर्जर तारों को बदले जाने की कार्य योजना

*9-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बिजली के जर्जर तारों को अभियान के तहत बदले जाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

कार्य योजना के अनुसार मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0 में 14665.45 कि0मी0 तार व 23598 खम्भें, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0 में 19554.00 कि0मी0 तार व 38395 खम्भे, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0 में 31144.00 कि0मी0 तार व 22459 खम्भे, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0 में 18939.04 कि0मी0 तार व 56486 खम्भे एवं केस्को में 483.81 कि0मी0 तार व 530 खम्भे बदलने की कार्ययोजना बनाई गई है। इस प्रकार पूरे प्रदेश में कुल 84786.30 कि0मी0 तार एवं 141468 अदद खम्भे बदलने की कार्य योजना है।

प्रश्न नहीं उठता।

परिवहन निगम के बस अड्डों को पी0पी0पी0 माडल के अन्तर्गत विकसित करने का निर्णय

*10-श्री लल्लू सिंह-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परिवहन निगम के लाभ में होने के बावजूद उ0प्र0 के बस स्टेशनों को संचालन हेतु प्राइवेट सेक्टर को दिये जाने का निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? परिवहन निगम के कर्मचारियों के विरोध एवं यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार बस स्टेशनों को प्राइवेट सेक्टर में दिये जाने की व्यवस्था को निरस्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम अचल राजभर-

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम दिनांक 31-3-2007 तक रु0 732.47 करोड़ की संचित हानि में है। निगम के बस अड्डों को पी0पी0पी0 माडल के अन्तर्गत विकसित करने का निर्णय लिया गया है।

जनता को बेहतर सड़क परिवहन सेवा उपलब्ध करवाने हेतु बस अड्डों को पी0पी0पी0 माडल के अन्तर्गत विकसित करने का निर्णय लिया गया है।

बस अड्डों को प्राइवेट सेक्टर को नहीं दिया जाना है अपितु पी0पी0पी0 माडल के अन्तर्गत विकसित किया जाना है।

प्रश्न नहीं उठता।

*11-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

[3सरे सोमवार के तारा0 प्र0 सं0-06 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*12-श्री जोखू लाल यादव-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद उन्नाव में वनरोजों द्वारा कृषि फसलों की क्षति को रोकने हेतु कार्य योजना

*13-श्री सुन्दर लाल लोधी-

क्या वन एवं जन्तु उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव में वनरोजों द्वारा किसानों की फसल को नष्ट करने से रोकने और उन्हें नियंत्रित अथवा समाप्त करने की कोई योजना शासन द्वारा बनाई जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फतेह बहादुर-

कृषि फसलों को क्षति पहुंचाने वाली हानिकारक वनरोजों (नीलगायों) की समस्या को नियंत्रित करने के लिये इन्हें आवश्यकतानुसार नष्ट करने की अनुमति देने हेतु शासनादेश संख्या-736/14-4-94-854/92, दिनांक 9-3-94 द्वारा समस्त जिलाधिकारियों एवं शासनादेश संख्या-2194/14-4-2001-854/92, दिनांक 28-9-2001 से समस्त उप जिलाधिकारियों एवं खण्ड विकास अधिकारियों को प्राधिकृत किया जा चुका है। प्रभावित कृषक अपनी कृषि फसलों के सुरक्षार्थ कृषि फसलों को नुकसान पहुंचाने वाली हानिकारक वनरोजों (नीलगायों) को नष्ट करने के लिये इन अधिकारियों से अनुमति प्राप्त कर समस्या का निदान कर सकते हैं।

प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पेंशन को पुनः चालू किये जाने की मांग

*14-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को प्रतिमाह रुपया 1,000/- पेंशन दी जा रही थी ? क्या वर्तमान सरकार द्वारा यह योजना बन्द कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या उक्त पेंशन पुनः चालू की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (कु0 मायावती)-

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

दुधवा नेशनल पार्क, लखीमपुर खीरी के चारों ओर बाउन्ड्रीवाल बनवाने की मांग

*15-श्री कृष्ण गोपाल पटेल-

क्या वन एवं जन्तु उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दुधवा नेशनल पार्क जनपद लखीमपुर खीरी में लोहे के कटीले तार की बाउण्ड्री न होने से किसानों को वन्य पशुओं से जान-माल का खतरा रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नेशनल पार्क के चारों ओर बाउण्ड्री वाल बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फतेह बहादुर-

दुधवा नेशनल पार्क में कटीले तार की बाउन्ड्री न होने से यदा-कदा इसकी सम्भावना रहती है।

दुधवा नेशनल पार्क के चारों ओर बाउन्ड्रीवाल बनवाना व्यवहारिक नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

जनपद शाहजहांपुर में नलकूपों को ठीक ढंग से चलाने हेतु खराब ट्रांसफारमर बदलवाने की मांग

1-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2007 में जनपद-शाहजहांपुर में कितने ट्रान्सफारमर खराब हुए ? इनमें से कितने ट्रान्सफारमर तेल की चोरी होने के कारण खराब हुए तथा कितना तेल एक वर्ष में चोरी किया गया ? क्या मा0 मंत्री जी नलकूपों को ठीक से चलाने तथा विद्युत सप्लाई निर्बाध रूप करने हेतु तत्काल सभी खराब ट्रान्सफारमर बदलवायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जनपद शाहजहांपुर में वर्ष 2007 (04/07 से 12/07 तक) में 730 ट्रांसफारमर खराब हुये। वर्ष 2007 में 237 परिवर्तक तेल चोरी के कारण खराब हुये तथा लगभग 20080 लीटर तेल चोरी हुआ है।

पिछले वर्ष (दिसम्बर 2007 तक) के सभी तेल चोरी के परिवर्तक बदले जा चुके हैं।

उपरोक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर में अब्दुल्लागंज सब-स्टेशन को चालू कराने की मांग

2-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर का अब्दुल्लागंज का सब स्टेशन रेलवे लाइन से तार क्रास करने की अनुमति डी0आर0एम0 रेलवे मुरादाबाद से न मिलने के कारण चालू नहीं हो पा रहा है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में अनुमति प्राप्त करने हेतु अभी तक कोई प्रयास किये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

शाहजहांपुर नगर स्थित अब्दुल्लागंज सब-स्टेशन को उर्जित करने वाली लाइन पर रेलवे क्रासिंग की अनुमति डी0आर0एम0 मुरादाबाद से प्राप्त हो चुकी है तथा दिनांक 10-12-07 को अनुबन्ध हो गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही आई0सी0आई0सी0आई0 लोम्बार्ड बीमा योजना से बुनकरों को होने वाले लाभ की जानकारी

3-डॉ0 अजय तोमर-

क्या हथकरघा वस्त्रोद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार द्वारा प्रदेश में चलाई जा रही आई0सी0आई0सी0आई0 लोम्बार्ड बीमा योजना का बुनकरों के बीच प्रचार प्रसार के लिए प्रदेश सरकार द्वारा क्या कदम उठाया गया है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि वर्ष 2007-08 में प्रदेश स्तर पर कितने बुनकरों द्वारा इसका लाभ उठाया गया है ?

श्री जगदीश नारायण राय-

हथकरघा बुनकरों के उत्थान के लिए भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित योजनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु भारत सरकार के पत्र संख्या-4/2/2004-डी0सी0एच0/प्रो-1 दिनांक 30-03-05 द्वारा धनराशि रु0 33,262.00 एवं समसंख्यक पत्र दिनांक 01-09-2005 द्वारा धनराशि रु0 75,813.00 अर्थात् कुल रु0 1,09,075.00 स्वीकृत किया गया था जिसका उपयोग भारत सरकार के निर्देशानुसार करते हुए अन्य योजनाओं के साथ-साथ आई0सी0आई0सी0आई0 लोम्बार्ड के सहयोग से क्रियान्वित स्वास्थ्य बीमा योजना का प्रचार-प्रसार समाचार-पत्रों, पम्पलेट हैण्ड बिल, पोस्टर आदि के माध्यम से कराया गया है।

भारत सरकार के अर्द्ध शा0 पत्र संख्या-1/2/2007-डी0सी0एच0/डब्लू0डब्लू0/एच0डब्लू0सी0डब्लू0एस0 दिनांक 24-10-2007 द्वारा 3.00 लाख का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसके सापेक्ष आई0सी0आई0सी0आई0 लोम्बार्ड द्वारा 2,99,645 हेल्थ कार्ड तैयार कराकर बुनकरों को वितरित किया जा रहा है।

जनपद इलाहाबाद के ग्राम पुरवा खास में जर्जर विद्युत तारों के बदले जाने के सम्बन्ध में पत्र

4-श्री उदयभान करवरिया-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि तहसील करछना, जनपद-इलाहाबाद के ग्राम पुरवाखास में विद्युत तार जर्जर हालत में हैं ? क्या इस विषय में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-404057 दिनांक 23-9-07 जो अधिशाषी अभियन्ता, इलाहाबाद को प्रेषित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या जर्जर तार बदले जाने के आदेश निर्गत कर दिये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

जी हां।

इस ग्राम के जर्जर तार बदलने हेतु रु0 0.85 लाख का प्राक्कलन तैयार कर लिया गया है। सामग्री प्राप्त कर तार बदलने का कार्य 15-03-2008 तक करा लिया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के निर्वाचन क्षेत्र बारा के घूरपुर में नया ट्रांसफार्मर लगाये जाने की मांग

5-श्री उदयभान करवरिया-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-322194, दिनांक 3-10-07 जो घूरपुर निर्वाचन क्षेत्र बारा, इलाहाबाद में नये ट्रान्सफारमर के लगाने हेतु उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त पर आदेश निर्गत कर कार्यवाही कर दी गई है ? क्या नया ट्रान्सफारमर की व्यवस्था करा दी गई है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

घूरपुर बाजार में एक नया 250 के0वी0ए0 का एल0टी0 उपकेन्द्र बनाये जाने हेतु रु0 2.92 लाख का प्राक्कलन तैयार कर तकनीकी स्वीकृति दी जा चुकी है।

कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

6-श्री उदयभान करवरिया-

[दिनांक 27-2-2008 के अता0 प्र0 सं0-55 द्वारा उत्तरित]

तीर्थ स्थली बल्देव, जनपद मथुरा से जाने वाले कतिपय मार्गों हेतु बस सेवा का संचालन किये जाने की मांग

7-डॉ0 अनिल चौधरी-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तीर्थस्थली बल्देव जनपद-मथुरा से सहपऊ, हाथरस से सहपऊ, सादाबाद से लखनऊ, सादाबाद से मथुरा तथा सादाबाद से दिल्ली रोडवेज की बस सेवायें बन्द कर दी गयी हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सादाबाद से बाजना (जनपद मथुरा) रोडवेज बस सेवा चलाया जाना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त बस सेवा का संचालन कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम अचल राजभर-

मथुरा से सहपऊ मार्ग पर मथुरा-सहपऊ-जलेसर के लिए संचालित बस में पर्याप्त संख्या में यात्री न मिलने के कारण इसका संचालन फरवरी, 2005 से बन्द कर दिया गया।

हाथरस से सहपऊ के लिए निगम की बस संचालित नहीं थी।

सादाबाद से लखनऊ तथा मथुरा से सहपऊ मार्गों के लिए निगम द्वारा संचालित मथुरा-सादाबाद-सहपऊ-जलेसर-एटा-लखनऊ मार्ग पर संचालित बस उपलब्ध हैं।

सादाबाद-मथुरा मार्ग पर संचालित शटल सेवा पर्याप्त यात्री उपलब्ध न होने के कारण माह जनवरी, 2007 में बन्द कर दी गई। वर्तमान में इस मार्गांश के यात्री सादाबाद-मथुरा-दिल्ली, सादाबाद-मथुरा-जयपुर एवं मथुरा-सादाबाद-जलेसर-एटा-लखनऊ की बस सेवाओं से यात्रा करते हैं।

सादाबाद से दिल्ली के लिये बस संचालित हो रही है।

उपरोक्तवत्।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

पर्याप्त संख्या में यात्री उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी में वृक्षारोपण हेतु निर्धारित लक्ष्य

8-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी के लिये राजस्व विभाग को वृक्षारोपण हेतु माह जुलाई, 05 से 3 जुलाई, 2007 तक क्या लक्ष्य निर्धारित था ? वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थलों की सूची के साथ लगाये गये वृक्षों एवं वर्तमान में जीवित वृक्षों की संख्या क्या है ? क्या सरकार लक्ष्य के अनुरूप कार्य न कराने के लिए दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फतेह बहादुर-

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी के लिए राजस्व विभाग को वर्ष 2005-06 में वृक्षारोपण के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं था एवं वर्ष 2006-07 में 4000 पौध एवं वर्ष 2007-08 में 2500 पौध रोपण का लक्ष्य निर्धारित है।

वर्ष 2006-07 में 4000 पौध रोपण लक्ष्य के सापेक्ष 13000 पौध रोपित किये गये, जिसमें जीवित पौधों की संख्या 8241 है। वर्ष 2007-08 में 2500 पौध रोपण के लक्ष्य के सापेक्ष 3 जुलाई, 2007 तक 1370 पौधे लगाये गये, जिसमें जीवित पौधों की संख्या 1127 है। चयनित स्थलों की सूची 1 व 2 संलग्न है।

कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के शासनादेश संख्या-3042/31-2007-19/2007 दिनांक 3-10-2007 के अनुसार माह जुलाई, 2007 के अन्त तक निर्धारित लक्ष्य का 33 प्रतिशत वृक्षारोपण पूर्ण किया जाना निर्धारित है, जबकि तहसील पट्टी के लिए राजस्व विभाग द्वारा माह जुलाई, 2007 तक 54.8 प्रतिशत वृक्षारोपण कर लक्ष्य प्राप्त किया जा चुका हैं। अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही का कोई प्रश्न नहीं उठता।

(सूची के लिये देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ 233-234 पर।)

जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी विधान सभा क्षेत्र के कतिपय विकास खण्डों में 3 एच0पी0 विद्युत कनेक्शन पर लगी रोक को हटाने तथा विद्युत कनेक्शन स्वीकृत न करने के दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

9-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के विकास खण्ड आसपुर देवसरा, पट्टी, मंगरौरा, बेल्खरनाथ धाम में 3 एच0पी0 विद्युत कनेक्शन दिये

जाने पर उ0 प्र0 राज्य विद्युत निगम द्वारा कोई रोक लगायी गयी है ? यदि नहीं, तो कृषकों को 3 एच0पी0 विद्युत कनेक्शन स्वीकृत न करने के दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामबीर उपाध्याय-

जी नहीं। उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित विद्युत आपूर्ति-संहिता, 2005 (तृतीय संशोधन) की धारा 3.2(1)(क) के अनुसार 5 कि0वा0 (6.7 हा0पा0) से कम संविदामुक्त भार के साथ व्यक्तिगत नलकूपों और पम्पसेटों को शामिल करके सभी संस्थापन-230 वोल्ट एकल फेज पर निर्गत होगें। उक्त संहिता की धारा 3.2 (1)(ख) के अनुसार व्यक्तिगत नलकूपों और पम्पसेटों तथा 5 कि0वा0 या अधिक और 50 कि0वा0/56 के0वी0ए0 के संविदायुक्त भार के साथ सभी संस्थापन 400 वोल्ट 3 फेज 4 तार पर निर्गत किये जायेंगे।

कृषकों को 3 हार्सपावर का संयोजन न दिये जाने का कोई मामला संज्ञान में नहीं है।

परिवहन निगम एवं निजी बसों को अन्तर्राज्यीय मार्गों पर संचालित कराये जाने की कार्य योजना

10-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परिवहन निगम एवं निजी बसों को अन्तर्राज्यीय मार्गों पर संचालित कराये जाने हेतु परमिट निर्गत किये जाने की अनुमति प्रदान करने की कोई योजना है ? इलाहाबाद, वाराणसी संभागों से ऐसे कितने मार्गों पर पारस्परिक समझौता शासन द्वारा किया जाना प्रस्तावित है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम अचल राजभर-

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-88 (5) एवं 88 (6) के अन्तर्गत अन्तर्राज्यीय मार्गों पर पारस्परिक परिवहन समझौतों के अन्तर्गत ही परमिट निर्गत किये जाते हैं।

जी हां।

उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य के मध्य प्रस्तावित समझौते में इलाहाबाद संभाग के 03 मार्ग तथा वाराणसी संभाग के 11 मार्ग सम्मिलित हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी में भोगांव विधान सभा क्षेत्र में ब्लाकवार ग्रामों का विद्युतीकरण

11-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र भोगांव जनपद-मैनपुरी में वर्ष 2004-05 व 2005-2006 में विद्युतीकरण हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गयी है तथा ब्लाक वार कौन-कौन से ग्राम विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत किये गये हैं ? इनका विवरण क्या है ? स्वीकृत ग्रामों का विद्युतीकरण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु धनराशि जनपदवार स्वीकृत की जाती है। जनपद मैनपुरी में इस योजना के अन्तर्गत रु0 30.64 करोड़ निर्गत किये जा चुके है। इस योजना के अन्तर्गत स्वीकृत ग्रामों की सूची मा0 सदन के पटल पर रख दी गयी है।

अविद्युतीकृत राजस्व ग्रामों में विद्युत ढांचा तैयार किया जा चुका है एवं इनमें से 193 ग्रामों को विद्युतीकृत किया जा चुका है। शेष कार्य केन्द्र सरकार से अतिरिक्त धनराशि प्राप्त होने पर 2008 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी के ब्लाक सुल्तानगंज के ग्राम्य सभा-किन्हावर में खड़न्जों व नाली का निर्माण

12-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा-किन्हावर ब्लाक सुल्तानगंज जनपद-मैनपुरी में वर्ष 2007 में जनवरी से नवम्बर तक खड़न्जे व नाली का निर्माण कराया गया है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

भूतत्व एवं खनिकर्म तथा पंचायती राज मंत्री (श्री बाबू सिंह कुशवाहा)-

जी हां।

खडण्जा निर्माण, मरम्मत एवं चौडीकरण तथा नाली निर्माण के 06 कार्य ग्राम हरचन्दपुर, नगलाकोट, नगलाकलू में कराये गये हैं, जिसमें कुल धनराशि रु0 599189 व्यय हुयी। ग्राम हरचन्दपुर में खड़न्जा मरम्मत एवं चौड़ीकरण कार्य 794.8 वर्गमी0 नगलाकोट में खड़न्जा निर्माण/मरम्मत कार्य 1053.0 वर्गमी0 नगलाकलू में खड़न्जा निर्माण कार्य 900.76 वर्गमी0 हरचन्दपुर/नगलाकोट में नाली निर्माण 690 मी0 यू टाईप तथा नगलाकलू में नाली निर्माण 162 मी0 यू टाइप का निर्माण हुआ है।

जनपद वाराणसी के दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र के कतिपय कालोनियों में बांस बल्लियों के स्थान पर विद्युत पोल लगाये जाने की मांग

13-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या ऊर्जा मंत्री वाराणसी नगर में दक्षिणी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत गंगोत्री बिहार कालोनी, महेश नगर कालोनी, शिव प्रसाद गुप्त कालोनी, खोजबां क्षेत्र में लगे हुए बांस-बल्लियों को हटाने एवं उनके स्थान पर विद्युत पोल लगाने हेतु आवश्यक निर्देश देंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

वाराणसी नगर में दक्षिणी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत गंगोत्री बिहार कालोनी, महेश नगर कालोनी, शिव प्रसाद गुप्ता कालोनी, खोजवां क्षेत्र की अविकसित कालोनियां हैं, जहां विद्युत वितरण प्रणाली स्थापित नहीं है। उन क्षेत्रों में वितरण प्रणाली का विस्तार उपभोक्ताओं से धन प्राप्त कर किया जा सकता है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

वाराणसी नगर में ए0पी0डी0आर0पी0 योजनान्तर्गत दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जर्जर विद्युत तारों को बदलने की मांग

14-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ए0पी0डी0आर0पी0 योजनान्तर्गत दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र का विस्तृत सर्वेक्षण कराकर जर्जर तारों को बदलने एवं आवश्यक स्थानों में 3 फेस लाइन में परिवर्तित करने एवं परिवर्तकों की क्षमता वृद्धि किये जाने हेतु सरकार आवश्यक निर्देश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

वाराणसी नगर में ए0पी0डी0आर0पी0 योजनान्तर्गत दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जर्जर तारों को बदलने एवं आवश्यक स्थानों में 03 फेस लाइन के 107 कि0मी0 परिवर्तित करने का कार्य पूर्व में ही किया गया है एवं 112 परिवर्तकों की क्षमतावृद्धि किये जाने का कार्य भी किया जा चुका है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड बिजुआ के कतिपय ग्रामों के विद्युतीकरण की मांग

15-डॉ0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम नब्बू पुरवा व ग्राम सूरजपुर, वि0खं0 बिजुआ, तह0 गोला, जिला-लखीमपुर खीरी का विद्युतीकरण कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त गांवों का विद्युतीकरण कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी नहीं।

उक्त गांव किसी भी योजना में चयनित न होने के कारण विद्युतीकरण नहीं कराया जा सका है।

उक्त गांवों को विद्युतीकरण हेतु राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के द्वितीय चरण में सम्मिलित कर लिया गया है। योजना की स्वीकृति के उपरान्त गांवों के विद्युतीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के ग्राम पंचायत मकसोहा मजरा दुअन्नी में लगे ट्रांसफार्मर से विद्युत कनेक्शन दिये जाने की मांग

16-डॉ0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद- लखीमपुर खीरी के वि0खं0 फूलबेहड़ के ग्राम पंचायत मकसोहा के मजरा दुअन्नी में ऊर्जा विभाग का ट्रान्सफारमर लगा हुआ है, किन्तु गांव वालों को विद्युत कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं जिससे क्षेत्रीय जनता को काफी कठिनाई हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार विद्युत कनेक्शन स्वीकृत करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

ट्रांसफार्मर सरकारी ट्यूबवेल पर लगा है अतः उक्त ट्रांसफार्मर से नियमित विद्युत संयोजन नहीं दिये जा सकते हैं।

राजीव गांधी ग्रामीण योजना के अन्तर्गत उक्त मजरे को विद्युतीकरण हेतु सम्मिलित कर लिया गया है। योजना भारत सरकार स्तर से अभी स्वीकृत नहीं हुयी है। प्रस्तावित योजना के स्वीकृतोपरान्त उक्त ग्राम का विद्युतीकरण करा दिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखीमपुर खीरी के ग्राम मुबारकपुर में नवनिर्मित 33 के0वी0ए0 विद्युत उपकेन्द्र के संचालन की मांग

17-डॉ0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम मुबारकपुर (मैगल गंज) जनपद-खीरी विकास खण्ड-पसगवां, तहसील मोहम्मदी जनपद-खीरी में 33 के0वी0ए0 का नवनिर्मित विद्युत उपकेन्द्र कब तक संचालित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

ग्राम मुबारकपुर (मैगलगंज) विकास खण्ड पसगवां, तहसील मोहम्मदी, जनपद खीरी में 33/11 के00वी0 उपकेन्द्र का निर्माण किया जा चुका है। सम्बन्धित उपकेन्द्र बरबर उपकेन्द्र से पोषित होना है। 33 के0वी0 लाइन का निर्माण भी किया जा चुका है। बरबर उपकेन्द्र 66/11 के0वी0 का है एवं वर्तमान में नेरी उपकेन्द्र से पोषित है। बरबर 66/11 के0वी0 उपकेन्द्र को 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र में परिवर्तित करने के उपरान्त 132 के0वी0 मोहम्मदी उपकेन्द्र से पोषित किया जाना है। 132 के0वी0 मोहम्मदी अतिभारित है एवं इसकी क्षमतावृद्धि 1 × 20 एमवीए से 2 × 20 एमवीए किया जाना प्रस्तावित है। 132 के0वी0 मोहम्मदी उपकेन्द्र की क्षमतावृद्धि के उपरान्त बरबर 66/11 के0वी0 उपकेन्द्र को 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र में परिवर्तित करने के उपरान्त मुबारकपुर विद्युत उपकेन्द्र को ऊर्जीकृत किया जायेगा। कार्य 6 माह में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के कतिपय ग्रामों का विद्युतीकरण किये जाने की मांग

18-डॉ0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद- लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड लखीमपुर के अन्तर्गत ग्राम-मोहनपुरवा मजरे ग्राम पंचायत सिसौना में अभी तक विद्युतीकरण नहीं कराया गया है, जिससे क्षेत्रीय जनता को काफी कठिनाई हो रही है ? यदि हां, तो सरकार ग्राम मोहनपुरवा में विद्युतीकरण कब तक करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत उक्त मजरे को विद्युतीकरण हेतु सम्मिलित कर लिया गया है। योजना अभी भारत सरकार से स्वीकृत नहीं हैं।

भारत सरकार से प्रस्तावित योजना के स्वीकृत होने के उपरान्त उक्त मजरे का विद्युतीकरण कर दिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखीमपुर खीरी मुख्यालय से लखनऊ तक वातानुकूलित बस सेवा को पुनः चलाये जाने की मांग

19-डॉ0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-लखीमपुर खीरी के मुख्यालय से लखनऊ तक वातानुकूलित बसों का संचालन बन्द कर दिया गया है जिससे क्षेत्रीय जनता को काफी कठिनाई हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग पर वातानुकूलित बस सेवा पुनः प्रारम्भ करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम अचल राजभर-

कम आय के कारण सेवाओं को बन्द कर दिया गया था। लखनऊ-लखीमपुर मार्ग पर पर्याप्त संख्या में साधारण एवं पवन सेवायें संचालित हैं तथा जनता को कोई कठिनाई नहीं हो रही है।

लखीमपुर-लखनऊ-कानपुर मार्ग पर प्रतिदिन एक वातानुकूलित सेवा तथा लखीमपुर-लखनऊ मार्ग पर प्रतिदिन दो वातानुकूलित सेवाएं पुनः संचालित कर दी गई हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

20-श्री सुखलाल-

[दिनांक 27-2-08 के अता0प्र0सं0-56 द्वारा उत्तरित]

जिला पंचायत सिद्धार्थनगर में राज्य वित्त आयोग के मद से आवंटित तथा व्यय की गई धनराशि की जानकारी

21-श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-सिद्धार्थनगर के जिला पंचायत सिद्धार्थनगर में वर्ष 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007 एवं 2007-2008 में राज्य वित्त आयोग के मद में वर्षवार कितनी-कितनी धनराशि प्राप्त हुई और उसमें से वर्षवार कितनी-कितनी धनराशि व्यय की गई तथा कितनी-कितनी धनराशि शेष है ?

श्री बाबू सिंह कुशवाहा-

जनपद सिद्धार्थनगर की जिला पंचायत, सिद्धार्थनगर राज्य वित्त आयोग मद में वर्षवार प्राप्त धनराशि एवं उसके सापेक्ष किये गये व्यय की धनराशि तथा अवशेष धनराशि का विवरण निम्नवत् है :-

(धनराशि रुपयों में)

वर्ष	प्राप्त धनराशि	व्यय की गयी धनराशि	अवशेष धनराशि
2003-2004	15070000.00	14566925.00	503075.00
2004-2005	16801700.00	16436396.00	365304.00
2005-2006	29485196.00	1276000.00	28209196.00
2006-2007	शून्य	शून्य	शून्य
2007-2008	35262000.00	शून्य	35262000.00

जनपद मदोही तथा शाहजहांपुर को कालीन निर्यात को बढ़ाने के लिये उद्यमियों को सुविधायें उपलब्ध कराये जाने की मांग

22-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या लघु उद्योग मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश के कई नगरों जैसे भदोही, शाहजहांपुर से कालीन का निर्यात किया जाता है ? क्या मा0 मंत्री जी इन जनपदों में कालीन उद्योग को निर्यात की दृष्टि से निर्यात जोन के रूप में विकसित करने पर विचार करेंगे ? क्या सरकार कालीन निर्यात को बढ़ाने के लिये उद्यमियों को कोई सुविधाएं प्रदान करेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लघु उद्योग मंत्री (श्री चन्द्रदेव)-

जी हां।

निर्यात जोन अलग से परिभाषित नहीं है और न ही ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन है, परन्तु उ0 प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम लि0 द्वारा भदोही में विशेष आर्थिक परिक्षेत्र परियोजना की स्थापना प्रस्तावित है, जिस पर भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक अनुमति प्रदान की गयी है।

जी हां।

1-विपणन विकास सहायता योजनान्तर्गत निर्धारित श्रेणियों में वित्तीय सहायता।

2-भाड़ा, युक्तिकरण योजनान्तर्गत वित्तीय सहायता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के पश्चिमांचल पावर कारपोरेशन को विगत वर्ष में नलकूपों के विद्युत संयोजन हेतु प्राप्त आवेदन-पत्र

23-श्री हुकुम सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि पश्चिमांचल पावर कारपोरेशन के अन्तर्गत 31 मई, 2007 तक निजी नलकूपों के विद्युत संयोजन हेतु कितने आवेदन पत्र लम्बित थे तथा 21 अगस्त, 07 तक जनपदवार कितने-कितने संयोजन निर्गत किये गये ? सरकार शेष विद्युत कनेक्शन कब तक निर्गत करायेगी ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अन्तर्गत 31 मई, 2007 तक निजी नलकूपों के विद्युत संयोजन हेतु 12,026 आवेदन-पत्र लम्बित थे। 21 अगस्त, 2007 तक जनपदवार निर्गत किये गये विद्युत संयोजन का वितरण निम्नवत् है :-

जनपद गौतमबुद्धनगर- 23

जनपद सहारनपुर- 46

जनपद मुरादाबाद- 25

जनपद जे0पी0 नगर- 13

शेष का विद्युतीकरण आगामी वर्षों में नलकूपों के संयोजन हेतु निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार किया जायेगा।

जनपद सहारनपुर में हाइटेन्शन लाइन टूटकर बस पर गिरने से यात्रियों की मृत्यु तथा भविष्य में अंकुश लगाने की कार्यवाही

24-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि अगस्त, 2007 में सहारनपुर में हाईटेन्शन लाइन का तार टूट कर यात्री बस पर गिरने से लगभग एक दर्जन लोगों की मृत्यु हो गयी थी और कई लोग गम्भीर रूप से घायल हो गये थे ? क्या सरकार द्वारा मृतकों के परिजनों को एवं घायलों को कोई आर्थिक सहायता प्रदान की गयी ? क्या सरकार इस प्रकार की दुखद घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु कोई कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

जी हां।

जी हां।

भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु जनपद सहारनपुर में जर्जर तारों को कसने, लाइनों की क्लीयरेन्स मानकों के अनुरूप करने, 33 के0वी0 एवं 11 के0वी0 लाइन के नीचे गार्डिंग करने, लम्बे स्थान में अतिरिक्त पोल लगाने, झुके हुए पोलों को सीधा करने, स्टे ठीक करने, जर्जर एल0टी0 पोलों की मरम्मत करने, वितरण परिवर्तकों की प्लिंथ/फैन्सिंग ठीक करने से सम्बन्धित कार्य कराये जा रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

वाराणसी नगर के कई क्षेत्रों में हाईटेंशन लाइन को चिन्हित करके सुरक्षित स्थान पर ले जाने की मांग

25-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या ऊर्जा मंत्री के संज्ञान में है कि वाराणसी नगर के कई क्षेत्रों में हाईटेन्शन लाइन के नीचे मकान बन गये हैं जिससे ब्रेक डाउन होने पर बहुत कठिनाई उत्पन्न होती है, क्या सरकार सर्वेक्षण द्वारा उक्त क्षेत्रों को चिन्हित करके लाइनों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने हेतु कोई निर्देश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

वाराणसी नगर के कई अविकसित क्षेत्रों में उच्च विभव की विद्युत लाइनों के नीचे अनियोजित तरीके से मकानों का निर्माण करा लिया गया है। उच्च विभव लाइनों के अन्यत्र हटाये जाने सम्बन्धी कार्य उपभोक्ताओं के माध्यम से वांछित धनराशि का वित्तीय पोषण होने के उपरान्त ही सम्भव हो सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

जनपद हाथरस की तहसील सादाबाद में मई व सहपऊ सब-स्टेशनों की क्षमता वृद्धि की मांग

26-डा0 अनिल चौधरी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस की तहसील सादाबाद की विद्युत व्यवस्था को सुचारु करने के लिए मई व सहपऊ सब स्टेशनों की क्षमता वृद्धि उमई, बेदई, नानऊ, मढ़ाका में नए सब स्टेशन के निर्माण व पांच लम्बे पोषकों मढाका लालगढ़ी, फूलपुर, बरौली एवं जुगसना के विभाजन की क्या कोई कार्य योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जनपद हाथरस की तहसील सादाबाद में स्थापित मई उपकेन्द्र की क्षमतावृद्धि का कोई प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि गीजला में 1×5 एम0वी0ए0 क्षमता का नया 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र बनाकर चालू कर दिया गया है। उपकेन्द्र सहपऊ की क्षमतावृद्धि 3+5 एम0वी0ए0 से बढ़ाकर 2×5 एम0वी0ए0 की जा चुकी है। बेदई या उमई में नये 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। नानऊ व मढाका में कोई नया उपकेन्द्र प्रस्तावित नहीं है। मढ़ाका की लाइन की लम्बाई 33/11 उपकेन्द्र उमई के बनने के उपरान्त कम हो जायेगी। चूंकि बरौली एवं जुगसना एक ही लाइन से चालू है, इसलिए 02 कि0मी0 11 के0वी0 लाइन बनाकर इस पोषक का विभाजन किया जाना प्रस्तावित है।

फसल कटने के बाद शेष कार्य निकट भविष्य में पूरा किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा प्रस्तावित बस स्टेशनों पर ए0सी0 फूड प्लाजा निर्माण एवं संचालन

27-श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा किन-किन जनपदों के बस स्टेशनों पर ए0सी0 प्लाजा का निर्माण प्रस्तावित है ? किन-किन जनपदों में ए0सी0 फूड प्लाजा का निर्माण हो चुका है एवं किन-किन जनपदों में ए0सी0 फूड प्लाजा का संचालन हो रहा है ?

श्री राम अचल राजभर-

परिवहन निगम के समस्त बस स्टेशनों पर ए0सी0 फूड प्लाजा का निर्माण/संचालन निजी निवेशकों की सहभागिता से प्रस्तावित है।

बरेली (सेटेलाइट), लखनऊ (आलमबाग), मेरठ (भैसाली), हरदोई, कानपुर (झकरकटी) तथा मथुरा (भूतेश्वर) बस स्टेशनों पर ए0सी0 फूड प्लाजा का निर्माण हो चुका है एवं संचालन हो रहा है।

जनपद मैनपुरी के विधान सभा क्षेत्र भोगांव में विद्युत आपूर्ति की मांग

28-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र भोगांव, जनपद मैनपुरी में 20 घंटा बिजली देने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

प्रदेश में विद्युत मांग के सापेक्ष उपलब्धता में कमी होने के कारण सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखीमपुर खीरी वि0 खं0 फूलबेहड़ के मजरे नरी के विद्युतीकरण की मांग

29-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के वि0खं0 फूलबेहड़ के ग्राम सभा गौरा के मजरे नरी में अभी तक विद्युतीकरण नहीं हुआ है, जिससे जनता को काफी परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार ग्राम नरी में विद्युतीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

उक्त ग्राम सभा के मजरे नरी को राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के द्वितीय चरण में सम्मिलित कर लिया गया है। योजना अभी भारत सरकार से स्वीकृत नहीं है।

भारत सरकार से प्रस्तावित योजना के स्वीकृत होने के उपरान्त उक्त मजरे का विद्युतीकरण कर दिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मथुरा के विद्युत वितरण खण्ड प्रथम के बरौली उपकेन्द्र से पोषित अम्बेडकर ग्राम नैरा बांगर, नगला गुखरौली व आकोस में विद्युतीकरण का कार्य

30-डा0 अनिल चौधरी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत वितरण खण्ड प्रथम मथुरा के बरौली उपकेन्द्र के अकोस पोषक, जिससे अम्बेडकर ग्राम नगला गुखरौली, नेरा बांगर व अकोस बांगर पोषित हैं, के जीर्ण-शीर्ण कन्डक्टर एवं लाइन सामग्री बदलवा कर ओवर हालिंग की कोई कार्य योजना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

विद्युत वितरण खण्ड प्रथम मथुरा के बरौली उपकेन्द्र से पोषित अम्बेडकर ग्राम नैरा बांगर, ग्राम नगला गुखरौली व आकोस में विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण करा दिया गया है तथा आकोस फीडर की लाइन का जी0आई0 वायर बदलने के लिये साइड पर पहुंचा दिया गया है। माह मार्च, 2008 तक बदल दिया जायेगा तथा फीडर के अन्य कार्य करा दिये गये हैं।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ तहसील मुख्यालय को विद्युत आपूर्ति के निर्धारित आदेश

31-चौ0 रवीन्द्र प्रताप-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर में शोहरतगढ़ तहसील मुख्यालय पर कितने घंटे विद्युत आपूर्ति के आदेश हैं ? क्या निर्धारित अवधि के अनुरूप तहसील मुख्यालय पर विद्युत आपूर्ति की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

प्रदेश में अन्य तहसील मुख्यालयों की भांति शोहरतगढ़ तहसील मुख्यालय में भी प्रतिदिन 15 घण्टे विद्युत आपूर्ति आदेशित है।

विद्युत की उपलब्धता के अनुसार प्रतिदिन विद्युत आपूर्ति कराई जाती है।

निर्धारित अवधि के अनुरूप विद्युत आपूर्ति कराये जाने के यथा सम्भव प्रयास किये जाते हैं परन्तु विद्युत मांग के सापेक्ष विद्युत की उपलब्धता में कमी के कारण प्रणाली की सुरक्षा हेतु आपात कटौती कराना अपरिहार्य हो जाता है।

जनपद बागपत के कतिपय मुख्य मार्गों पर वृक्षारोपण की कार्य योजना

32-डा0 अजय तोमर-

क्या वन एवं जन्तु उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत के मुख्य मार्ग दाहा-बरनावा, बड़ौत-अमीनगर सराय, बन्थला-ढिकोली, बागपत-मुरादनगर, बड़ौत-छपरौली-टाडा, बिराल- छपरौली, रसाला-टाडा पर वृक्षारोपण की सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फतेह बहादुर-

जनपद-बागपत में प्रश्नगत 7 उपमार्गों पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर सन्निहित कार्ययोजना के अन्तर्गत वर्ष 2007-08 तक 69 कि0मी0 की लम्बाई में वृक्षारोपण किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

33-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

[2रे सोमवार के अता0प्र0सं0-128 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बांदा में बारहवें वित्त आयोग द्वारा स्वीकृत परियोजनाएं

34-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में वित्तीय वर्ष 2006-2007 व 2007-08 में बारहवें वित्त आयोग द्वारा जिला पंचायत में कुल कितनी परियोजनाएं स्वीकृत हुई थीं ? क्या उक्त परियोजनाओं का कार्य मानक के विपरीत तथा स्वीकृत स्थान के बजाय अन्य स्थान पर कराया गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करायेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री बाबू सिंह कुशवाहा-

बारहवें वित्त आयोग द्वारा बांदा में वित्तीय वर्ष 2006-07 में 20 एवं 2007-08 में 41 परियोजनाएं और दोनों वर्षों को जोड़कर कुल 61 परियोजनाएं स्वीकृत हुई थी।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

पंचायती राज विभाग में लेखा व सामान्य संवर्ग के लिपिकों के वेतनमान

35-श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पंचायती राज विभाग में लेखा व सामान्य संवर्ग के लिपिकों का वेतनमान समान है ? यदि हां, तो क्या लेखा संवर्ग के लिपिकों की प्रदेश स्तरीय ज्येष्ठता सूची तैयार कर पदोन्नति वेतनमान दिया जा रहा है और सामान्य वर्ग के लिपिकों को नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सामान्य वर्ग के लिपिकों को भी उक्त सुविधा सरकार प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू सिंह कुशवाहा-

जी नहीं।

पंचायती राज विभाग के लेखा सवंर्ग के सहायक लेखाकार की राज्य स्तरीय ज्येष्ठता सूची तैयार करायी जा रही है। सामान्य संवर्ग के लिपिकों के नियुक्ति प्राधिकारी सम्बन्धित जिलों के जिला पंचायत राज अधिकारी तथा निदेशालय में निदेशक पंचायती राज है। अतः इनकी राज्य स्तरीय ज्येष्ठता सूची तैयार कराने का प्रश्न हीं नहीं उठता।

सामान्य वर्ग के लिपिकों को पदोन्नति वेतनमान, समयमान, वेतनमान आदि की सुविधा पूर्व से ही प्रदान की जा रही है।

जनपद प्रतापगढ़ के आसपुर देवसरा, पट्टी व मंगरौरा ब्लाकों में नलकूप संयोजन हेतु आवेदन-पत्र

36-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक आसपुर देवसरा, पट्टी, मंगरौरा में एक हार्स पावर से 5 हार्स पावर के ट्यूबवेल कनेक्शन स्वीकृत करने पर रोक लगाई गई है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार बतायेगी कि उपखण्ड अधिकारी पट्टी एवं अधिशाषी अभियन्ता कार्यालय को उक्त ब्लाकों में दि0 13-5-2007 से 31-12-07 तक कितने प्रार्थना-पत्र विद्युत कनेक्शन हेतु प्राप्त हुए हैं और कितने स्वीकृत किये गये हैं तथा कितने लम्बित हैं और क्यों ? विद्युत कनेक्शन स्वीकृत किये जाने में विलम्ब के दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी नहीं।

जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक आसपुर, देवसरा एवं मंगरौरा में विद्युत वितरण खण्ड पट्टी को दिनांक 13-05-07 से 31-12-07 तक पांच हार्स पावर पर नलकूप संयोजन हेतु 50 आवेदन-पत्र तथा 5 हार्स पावर से कम के नलकूप संयोजन हेतु 186 (वाणिज्यिक) आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे। उक्त सभी आवेदन-पत्र स्वीकृत कर दिये गये हैं। कोई आवेदन-पत्र लम्बित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महामायानगर (हाथरस) में सामान्य योजनान्तर्गत निजी नलकूपों के ऊर्जीकरण का लक्ष्य

37-श्री यशपाल सिंह चौहान-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सामान्य योजना के अन्तर्गत निजी ट्यूबवेल के कितने विद्युत कनेक्शन जनपद-महामायानगर (हाथरस) को आवंटित किये गये तथा उसके सापेक्ष तहसील सिकन्दराराऊ, सासनी, सादाबाद के कितने कृषकों को विद्युत कनेक्शन स्वीकृत किये गये ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जनपद महामायानगर (हाथरस) में सामान्य योजना के अन्तर्गत 820 निजी नलकूपों के ऊर्जीकरण का लक्ष्य आवंटित किया गया है जिसके सापेक्ष तहसील सादाबाद में 81, तहसील सिकन्दराराऊ में 115 एवं तहसील सासनी में 18 नलकूपों में विद्युत संयोजन निर्गत किये गये हैं।

जनपद हाथरस की तहसील सिकन्दराराऊ में लगाये गये वृक्षों की संख्या एवं व्यय

38-श्री यशपाल सिंह चौहान-

क्या वन एवं जन्तु उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-हाथरस तहसील सिकन्दराराऊ में कितने क्षेत्र में कितने वृक्ष 2006-07 में लगाये गये तथा उसमें से कितने वृक्ष वर्तमान में जीवित हैं ? उक्त वृक्षों के लगाने पर कुल कितना धन व्यय हुआ ?

श्री फतेह बहादुर-

वर्ष 2006-07 में जनपद हाथरस के तहसील सिकन्दराराऊ में 840680 पौधों का रोपण किया गया तथा उसका क्षेत्रफल 528.00 हेक्टेयर है। जून, 2007 की प्रगणना के अनुसार जीवित पौधों की संख्या 756612 है।

उक्त वृक्षों के लगाने पर रु0 70.40 लाख व्यय किया गया है।

जनपद महामायानगर (हाथरस) के ताज ट्रिपेजियम क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों को विद्युत कटौती से मुक्त करने के आदेश

39-श्री यशपाल सिंह चौहान-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद-महामायानगर (हाथरस) को टी0पी0 जोन के अन्तर्गत विद्युत कटौती से मुक्त करने का कोई शासनादेश है ? यदि हां, तो क्या तहसील सिकन्दराराऊ में उक्त शासनादेश का अनुपालन किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में जनपद महामायानगर (हाथरस) के ताज ट्रिपेजियम क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों को विद्युत कटौती से मुक्त रखने के आदेश हैं तथा प्रतिदिन 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति आदेशित है।

जी नहीं।

तहसील सिकन्दराराऊ, जनपद महामायानगर (हाथरस) के ताज ट्रिपेजियम क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं है।

जनपद इलाहाबाद के टाउन एरिया शंकरगढ़ के जर्जर विद्युत तारों को बदले जाने की मांग

40-श्री उदयभान करवरिया-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के टाउन एरिया शंकरगढ़ के जर्जर विद्युत तार बदल दिये जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

टाउन एरिया शंकरगढ़ में 7 किमी0 जर्जर तार एवं 14 अदद खम्भे बदले जाने सम्बन्धी निर्माण कार्य शीघ्र करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

आपातकालीन अवधि में डी0आई0आर0 तथा मीसा में जेल में निरुद्ध राजनैतिक बन्दियों को सम्मान राशि व अन्य सुविधायें

41-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आपातकाल में डी0आई0आर0 तथा मीसा में बन्द विभिन्न राजनैतिक दलों के कार्यकर्ताओं को निवर्तमान सरकार द्वारा लोकतंत्र रक्षक सेनानी का दर्जा देने एवं मानदेय सहित अन्य सुविधायें दी जा रही थी ? यदि हां, तो क्या वर्तमान सरकार द्वारा निरस्त कर दिया गया है ? क्या सरकार बतायेगी कि इस पर वार्षिक व्यय कितना था और इसे निरस्त करने का औचित्य क्या है ?

कु0 मायावती-

जी हां।

आपाताकलीन अवधि में मीसा एवं डी0आई0आर0 में जेल में निरुद्ध राजनैतिक बन्दियों को सम्मान राशि व अन्य सुविधायें दिये जाने की योजना प्रारम्भ की गयी थी जो दिनांक 31 मार्च, 2007 तक प्रभावी थी।

प्रश्नगत योजना पर वित्तीय वर्ष 2006-07 में धनराशि रुपये 28189281/-व्यय की गयी। प्रश्नगत योजना दिनांक 01 अप्रैल, 2006 से 31 मार्च, 2007 तक ही प्रभावी थी।

जनपद आगरा के शमसाबाद रोड पर परिवहन निगम की बसों की संख्या तथा बसें बढ़ाने की मांग

42-डा0 राजेन्द्र सिंह-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा शमसाबाद रोड पर परिवहन निगम की कितनी बसें चल रही हैं ? क्या यात्रियों की संख्या को देखते हुए बसे बढ़ाने के बारे में निगम का कोई प्रस्ताव है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम अचल राजभर-

आगरा शमसाबाद रोड पर परिवहन निगम की 05 बसों द्वारा 10 ट्रिपें संचालित हैं।

जी नहीं।

प्रश्नगत मार्ग राष्ट्रीयकृत नहीं है। निगम बसों के अतिरिक्त निजी बसें भी संचालित हैं।

आगरा जनपद में स्मार्ट कार्ड ड्राईविंग लाइसेन्स योजना के तहत बने लाइसेन्स की संख्या

43-डा0 राजेन्द्र सिंह-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्मार्ट कार्ड ड्राईविंग-लाइसेन्स योजना के तहत आगरा जनपद में कितने लाइसेन्स बने हैं ? पुराने लाइसेन्स धारकों के लाइसेन्स बदलने की विभाग की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम अचल राजभर-

स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेन्स योजना अभी लागू नहीं हुई है इसलिए आगरा जनपद में इस योजना के अन्तर्गत बने लाइसेन्स की संख्या बताने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेन्स योजना अभी लागू ही नहीं हुई है इस लिए पुराने लाइसेन्स धारकों के लाइसेन्स बदलने का प्रश्न नहीं उठता है।

विधान सभा क्षेत्र बारा, जनपद इलाहाबाद के कतिपय ग्रामों में विद्युत ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि सम्बन्धी कार्य हेतु प्राक्कलन

44-श्री उदयभान करवरिया-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 16-7-07 जो विधान सभा क्षेत्र द्वारा जनपद इलाहाबाद के कतिपय ग्रामों में आवश्यकता के दृष्टिगत विद्युत-भार क्षमता बढ़ाने हेतु ट्रान्सफारमर अवस्थापित कराने विषयक है, उनको प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या प्रश्नगत विषय का सर्वे करा लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सर्वे के अनुसार समस्या का समाधान करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

विधान सभा क्षेत्र बारा के कतिपय ग्रामों में आवश्यकता को देखते हुए विद्युत ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि सम्बन्धी कार्य हेतु प्राक्कलन बना लिये गये हैं। प्राक्कलन की कुल धनराशि

रु0 19.80 लाख अनुमानित है। आंतरिक संसाधनों से वित्तीय पोषण कराकर वांछित कार्य पूर्ण कराये जाने के प्रयास किये जायेंगे।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद में जिला पंचायत द्वारा कतिपय ग्रामों में कूप निर्माण कार्य

45-श्री उदयभान करवरिया-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-इलाहाबाद के जिला पंचायत इलाहाबाद द्वारा जूही, सोनवर्षा, नाढा-कटरा, देवरी बेली, करया कला, बेनीपुर ग्रामों में वर्ष 2003-04 में कूप निर्माण हेतु धन स्वीकृत किया गया था ? यदि हां, तो इन स्वीकृत ग्रामों के कूपों का निर्माण कार्य पूर्ण करा दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि इन कूपों का निर्माण मात्र कागजी तौर पर पूर्ण कराना दिखाकर धन/खाद्यान्न आहरित कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी स्थल जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू सिंह कुशवाहा-

वर्ष 2003-04 में कूप निर्माण हेतु देवरी बेनी ग्राम को छोड़कर किसी अन्य ग्राम के लिए कोई धनराशि स्वीकृत नहीं हुआ है।

ग्राम-देवरी बेनी में कूप निर्माण का कार्य प्रगति पर है।

शीघ्र पूर्ण करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

वाराणसी के भेलूपुर में प्रस्तावित 220/33 के0वी0 सब-स्टेशन के निर्माण की जानकारी

46-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी के भेलूपुर में 220/33 के0वी0 का सब स्टेशन के निर्माण का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह कब तक बन कर तैयार हो जायेगा और उस दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

वाराणसी में भेलूपुर में 220/33 के0वी0 उपकेन्द्र का निर्माण कार्य पारेषण कार्य समिति से अनुमोदित है एवं इसका अनुमोदन उ0 प्र0 शासन की ऊर्जा टास्क फोर्स समिति से भी प्राप्त हो

गया है। इस कार्य हेतु वित्त पोषक हुडको से विचाराधीन है। उपकेन्द्र निर्माण पूर्ण होने की संभावित तिथि मार्च, 2010 है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महामायानगर के विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय हाथरस में सामान्य नलकूप योजना में स्वीकृत आवेदनों के निस्तारण की जानकारी

47-डा0 अनिल चौधरी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय हाथरस, जनपद महामायानगर में 2006 व इससे पूर्व के वर्षों के सामान्य नलकूप योजना में स्वीकृत आवेदनों का निस्तारण कर सभी आवेदकों को इस वर्ष के कोटे में नलकूप संयोजन दे दिया गया है ? यदि हां, तो क्या प्रतीक्षा सूची सन् 2006 तक की संतृप्त हो गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? इसे कब तक संतृप्त कर दिया जायेगा ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी नहीं।

जी नहीं।

सामान्य योजना के अन्तर्गत भविष्य में लक्ष्य की सीमा तक शेष कनेक्शन भी स्वीकृत कर दिये जायेंगे।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री इलम सिंह की राजनैतिक पेंशन को जनपद मेरठ से आगरा स्थानान्तरित करने की जानकारी

48-डा0 अनिल चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री इलम सिंह की राजनैतिक पेंशन को जनपद मेरठ से जनपद आगरा को स्थानान्तरण करने सम्बन्धी जिलाधिकारी, आगरा के पत्रांक सं0-220/एल0बी0सी0 दि0 19-05-2007, सचिव गृह अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या श्री इलम सिंह की पेंशन जनपद-आगरा को स्थानान्तरित हो गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

जी हां।

पेंशन स्थानान्तरण आदेश निर्गत किये जा चुके हैं।

जी हां। मुख्य कोषाधिकारी मेरठ के पत्रांक 1298 लेखाकार/राज0 पेंशन/पेंशन स्थानान्तरण/07-08, दिनांक 17-12-2007 के द्वारा जनपद आगरा स्थानान्तरित कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव के ग्राम पंचायत अम्बाहारा राजस्व ग्राम जुनेदपुर के विद्युतीकरण की मांग

49-श्री सुधीर कुमार-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पंचायत-अम्बाहारा, राजस्व ग्राम-जुनेदपुर, विधान सभा क्षेत्र सफीपुर, जनपद-उन्नाव का विद्युतीकरण करा दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो उसका विद्युतीकरण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी नहीं। जनपद-उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सफीपुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत अम्बाहारा के राजस्व ग्राम जुनेदपुर अविद्युतीकृत है।

राजस्व ग्राम जुनेदपुर का विद्युतीकरण शीघ्र कराया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

कानपुर में बस स्टेशन झकरकटी में बन्द जलपान गृह के स्थान पर साधारण जलपान गृह की व्यवस्था की मांग

50-श्री सुन्दर लाल लोधी-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, के बस स्टेशन झकरकटी, कानपुर में जलपान गृह बन्द करा दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या जन साधारण की सुविधा हेतु रियायती दरों पर साधारण जलपान गृह की व्यवस्था करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम अचल राजभर-

जी नहीं। फूड प्लाजा संचालित है, जिसमें जलपान सुविधा उपलब्ध है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

बस स्टेशनों पर जलपान व्यवस्था सामान्य दरों पर उपलब्ध है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद उन्नाव के तहसील हसनगंज के ग्राम पछियांव में वन विभाग की जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराने की मांग

51-श्री सुन्दर लाल लोधी-

क्या वन एवं जन्तु उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव की तहसील हसनगंज के ग्राम पछियांव परगना झलोतर राजस्व अभिलेख के प्रपत्र 45 में खाता सं0-490 पर कुल 48 नम्बर जिसमें 100 बीघा तीन बिस्वा व पांच बिस्वांसी भूमि शामिल है, वन विभाग के नाम दर्ज है ? यदि हां, तो भूमि सं0 467 (ग) व 378/4 मिल जुमला जिसका रकबा लगभग डेढ़ बीघा किन व्यक्तियों के कब्जे में है ? क्या सरकार उक्त भूमि को कब्जा मुक्त करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फतेह बहादुर-

जी हां।

राजस्व अभिलेखों के अनुसार गाटा संख्या-378/4 का कुल क्षेत्रफल 15 बिस्वां 10 बिस्वांसी था तथा चकबन्दी के पश्चात् इसका नया गाटा संख्या-467ग हो गया है। वन विभाग के इस गाटा संख्या 467ग के 1 बिस्वा 1 बिस्वांसी पर श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री गंगा नारायण निवासी ग्राम व पोस्ट कटेहरू जिला उन्नाव द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया।

जी हां। इसे खाली करने के लिए उन्हें वन विभाग की ओर से भारतीय वन अधिनियम की धारा 61बी के अधीन नोटिस जारी किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में आरा मशीन के लाइसेन्स नवीनीकरण शुल्क की वृद्धि को कम किये जाने की मांग

52-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या वन एवं जन्तु उद्यान मंत्री को जानकारी है कि आरा मशीन का लाइसेन्स नवीनीकरण शुल्क पिछली सरकार के कार्यकाल में 1000/- रु0 से बढ़ाकर 5,000/- रु0 कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार आरा मशीन धारकों की गम्भीर आर्थिक स्थिति को देखते हुए नवीनीकरण शुल्क की वृद्धि को कम करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फतेह बहादुर-

जी हां।

लगभग 14 वर्षों के पश्चात् नवीनीकरण शुल्क में वृद्धि वर्ष 2004 में होने के कारण शुल्क को कम किये जाने का औचित्य नहीं है।

प्रदेश में विद्युत कटौती से मुक्त जिले

53-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में कितने जिले विद्युत कटौती से मुक्त है तथा किन-किन कारणों से उन्हें कटौती से मुक्त किया गया है ? क्या सरकार को जानकारी है कि शाहजहांपुर जनपद में निर्धारित घंटों में विद्युत आपूर्ति नहीं की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनपद-शाहजहांपुर को विद्युत कटौती से मुक्त करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में ताज ट्रिपेजियम क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले जनपद आगरा, जनपद मथुरा, जनपद फिरोजाबाद जनपद हाथरस एवं जनपद एटा के क्षेत्रों को मुक्त रखा गया है। प्रदेश मुख्यालय को भी मुक्त रखा गया है। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु धार्मिक पर्व एवं विशेष आयोजनों पर तथा जनप्रतिनिधियों के अनुरोध पर अन्य

जनपदों को पूर्णतः या आंशिक रूप से भी समय-समय पर आवश्यकता के अनुसार मुक्त किया जाता है।

प्रदेश में विद्युत की उपलब्धता में कमी होने के कारण तथा प्रणाली की सुरक्षा हेतु विद्युत आपूर्ति की निर्धारित अवधि में भी विद्युत कटौती कराना अपरिहार्य हो जाता है।

जी नहीं।

प्रदेश में विद्युत की मांग के सापेक्ष विद्युत की उपलब्धता में कमी होने के कारण सम्भव नहीं है।

परिवहन सेवा में निजी क्षेत्र का सहयोग लेकर बसों का संचालन करने की योजना

54-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार परिवहन के क्षेत्र में निजी क्षेत्र का सहयोग लेकर बसों का संचालन करने की योजना है ? यदि हां, तो इसका व्यावहारिक स्वरूप क्या होगा ? क्या मा0 मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि निजी क्षेत्र की सहभागिता से बस अड्डों के निर्माण की भी कोई योजना है ? यदि हां, तो शाहजहांपुर में वर्षों से बनने वाला बस अड्डा कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा तथा बरेली मोड़ से गर्रा फाटक या केरूगंज के रास्ते में भी कोई बस अड्डा बरेली/फर्रुखाबाद जाने के लिये प्रस्तावित है ? यदि हां, तो बस अड्डा कब तक बना दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम अचल राजभर-

जी हां।

निजी क्षेत्र की बसों को किराये के आधार पर अनुबन्ध पर लेकर संचालित करने की योजना वर्तमान में परिवहन निगम में विद्यमान है।

जी हां।

शाहजहांपुर में बस अड्डा पूर्व से ही निर्मित है। निजी क्षेत्र की सहभागिता से शाहजहांपुर में बस अड्डा बनाने की कोई योजना नहीं है।

बरेली मोड़ से गर्रा फाटक या केरूगंज के रास्ते में भी कोई बस अड्डा बरेली/फर्रुखाबाद जाने के लिये प्रस्तावित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव के ब्लाक नवाबगंज के ग्राम कोठवा में श्रीमती मधुलता पाण्डेय द्वारा ग्राम सभा सदस्या एवं आंगनबाड़ी कार्यकत्री के पद पर कार्य करने की जानकारी

55-श्री सुन्दर लाल लोधी-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-उन्नाव के ब्लाक नवाबगंज के ग्राम कोठवा में श्रीमती मधुलता पाण्डेय ग्राम सभा सदस्या हैं ? क्या यह भी सही है कि श्रीमती मधुलता पाण्डेय ग्राम सभा में आंगनबाड़ी कार्यकत्री के पद पर भी कार्यरत है ? यदि हां, तो

क्या उक्त के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 5-9-07 जिला पंचायत राज अधिकारी, उन्नाव को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू सिंह कुशवाहा-

जी नहीं। श्रीमती मधुलता पाण्डेय ने ग्राम पंचायत सदस्य पद से दिनांक 16-9-07 को अपना त्याग-पत्र दे दिया है।

जी हां।

जी हां।

श्रीमती मधुलता पाण्डेय को दिनांक 12-9-2007 को नोटिस जारी की गयी जिसके परिप्रेक्ष्य में श्रीमती पाण्डेय ने ग्राम पंचायत सदस्य पद से अपना त्याग-पत्र दिनांक 16-9-2007 को दे दिया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में चयनित ग्रामों का विद्युतीकरण

56-श्री सुन्दर लाल लोधी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में वर्ष 2005-06 व 2007 में चयनित ग्रामों का विद्युतीकरण हो गया है ? यदि हां, तो क्या उन ग्रामों में विद्युत आपूर्ति चालू है ? यदि नहीं, तो कब तक आपूर्ति चालू हो जायेगी ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जनपद उन्नाव में वर्ष 2005-06 व 2006-07 में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत 629 ग्राम विद्युतीकरण हेतु चयनित किये गये थे, जिसमें से 620 ग्रामों का विद्युतीकरण ढांचा तैयार किया जा चुका है।

जिन 620 ग्रामों का विद्युतीकरण ढांचा पूर्ण हो चुका है उनमें से 108 ग्रामों में विद्युत आपूर्ति चालू है।

शेष ग्रामों में आर0ई0सी0 से धन प्राप्त होने पर माह जून, 2008 तक विद्युत आपूर्ति चालू किया जाना प्रस्तावित है।

जनपद उन्नाव के ब्लाक नवाबगंज के ग्राम कपूरखेड़ा व हिनौड़ा में विद्युत आपूर्ति कराने की मांग

57-श्री सुन्दर लाल लोधी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के ब्लाक नवाबगंज के अन्तर्गत वर्ष 2003 में ग्राम कपूरखेड़ा व ग्राम हिनौड़ा की विद्युत लाइन की चोरी होने के कारण विद्युत आपूर्ति बाधित हो गयी है ? यदि हां, तो क्या उक्त ग्राम की विद्युत लाइन ठीक कर दी गई है ? यदि नहीं, तो उक्त विद्युत लाइन कब तक ठीक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

ग्राम कपूरखेड़ा के चोरी गये तार दिनांक 30-12-07 को पुनः लगाकर एवं हिनौड़ा की लाइन के तार एवं खम्भे लगाकर दिनांक 26-12-07 को विद्युत आपूर्ति बहाल कर दी गयी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर में सिंचाई हेतु नये निजी नलकूपों को विद्युत कनेक्शन दिये जाने की नीति

58-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई हेतु नये निजी नलकूपों को विद्युत कनेक्शन देने की नीति क्या है ? क्या मा0 मंत्री जी को जानकारी है कि जनपद-शाहजहांपुर में नये नलकूपों के विद्युत कनेक्शन हेतु कितने काश्तकारों द्वारा रु0 125 की रसीद कटवाकर वर्ष 2007 में आवेदन किया गया है तथा उसमें से कितने लोगों को विद्युत कनेक्शन दिया जा चुका है तथा शेष को कब तक दे दिया जायेगा ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

सिंचाई हेतु कृषकों को निजी नलकूपों के ऊर्जीकरण हेतु पावर कारपोरेशन द्वारा निम्न दो योजना के अन्तर्गत विद्युत संयोजन दिया जाता है :-

(1) सामान्य योजना-इस योजना के अन्तर्गत निजी नलकूपों के ऊर्जीकरण हेतु अनुदान प्राप्त होता है। कृषकों को नलकूप संयोजन उनके द्वारा देय प्राक्कलन की धनराशि में से अनुदान राशि को कम कर दिया जाता है। कुल अनुदान राशि के आधार पर जनपदवार लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं जिसके सापेक्ष जनपद में निजी नलकूपों का ऊर्जीकरण किया जाता है।

(2) पूर्ण जमा योजना-इस योजना के अन्तर्गत कृषक द्वारा प्राक्कलन की पूर्ण धनराशि जमा करने पर प्राथमिकता पर संयोजन दिया जाता है।

वर्ष 2007-08 में जनपद शाहजहांपुर में नये नलकूप के विद्युत कनेक्शन हेतु रु0 125.00 की रसीद कटाकर किये गये आवेदकों का विवरण निम्नवत् है :-

1-सामान्य योजना के अन्तर्गत 511 आवेदन-पत्र प्राप्त हुये थे। इन आवेदकों तथा पूर्व में पंजीकृत आवेदकों को प्राक्कलन की धनराशि जमा करने हेतु टी0सी0 निर्गत करने के पश्चात् कुल 190 आवेदकों द्वारा सभी औपचारिकतायें पूरी की गयीं जिनके सापेक्ष 94 विद्युत कनेक्शन दिनांक 31-1-2008 तक निर्गत किये जा चुके हैं। शेष पर कार्यवाही प्रगति पर है। दिनांक 01-10-2007 से नियामक आयोग द्वारा नये संयोजन देने की दरों में परिवर्तन के पश्चात् जिन भावी उपभोक्ता द्वारा दिनांक 30-9-07 तक समस्त औपचारिकतायें पूरी नहीं की गयी थीं उनकी पुनरीक्षित दरों पर प्राक्कलन की धनराशि सूचित की जा रही है।

2-जमा योजना के अन्तर्गत 106 आवेदन-पत्र प्राप्त हुये थे जिनके सापेक्ष 81 विद्युत कनेक्शन दिनांक 31-1-08 तक निर्गत किये जा चुके हैं। शेष विद्युत कनेक्शन अवमुक्त किये जाने हेतु कार्यवाही जारी है।

जनपद आगरा, मथुरा तथा हाथरस में ग्रामीण नलकूपों पर विद्युत आपूर्ति की दर

59-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा मथुरा एवं हाथरस में टीटी जैड के नाम पर ग्रामीण नलकूपों पर प्रति हॉर्स पावर विद्युत दर रुपया 75 से बढ़ाकर 135 रुपया प्रति हॉर्स पावर कर दी गयी है जबकि प्रदेश के अन्य जनपदों में रुपया 75 प्रति हॉर्स पावर ही है ? यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है ? क्या सरकार इन बढ़ी हुई विद्युत दरों को वापस लेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी नहीं।

वर्तमान में विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित निजी नलकूपों/पम्पसेट हेतु निम्न दरें लागू हैं :-

अ-जिन उपभोक्ताओं को ग्रामीण शिड्यूल के अनुसार विद्युत आपूर्ति की जाती है उनकी दर रु0 75/अश्वशक्ति/माह है। (इसमें 120 वाट तक प्रकाश हेतु उपभोग कर सकते हैं)

ब-निजी नलकूपों/पम्पसेट के उपभोक्ता जिनको शहरी शिड्यूल (मीटर्ड सप्लाई) एवं उन ग्रामीण पोषकों से की जाती है जो शिड्यूल रोस्टरिंग से मुक्त है, उनसे फिक्स चार्जेज रु0 30/-अश्वशक्ति/माह एवं इनर्जी चार्जेज रु0 220/-यूनिट है, परन्तु कम से कम रु0 130/-अश्वशक्ति/माह लिया जाता है। टी0टी0 जेड क्षेत्र में आने वाले सभी उपभोक्ताओं (चाहे वे ग्रामीण हों या नगरीय हों) को शिड्यूल रोस्टरिंग से मुक्त रखा गया है। अतः इस क्षेत्र में आने वाले सभी निजी नलकूपों/पम्पिंग सेट उपभोक्ताओं पर नगरीय शिड्यूल की दरों (यथोपरोक्त-ब) के अनुसार विद्युत दरें लागू हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

फैजाबाद नगर एवं अयोध्या को आतंकवादियों के हमले को देखते हुए विद्युत कटौती से मुक्त किये जाने की मांग

60-श्री लल्लू सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद नगर आतंकवादियों के निशाने पर है ? क्या सरकार आतंकवादी हमले एवं खतरे को देखते हुए फैजाबाद एवं अयोध्या नगर को विद्युत कटौती से मुक्त रखेगी ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जनपद फैजाबाद नगर एवं अयोध्या में आतंकवादियों से खतरे की संभावना हमेशा बनी रहती है। सुरक्षा की दृष्टि से समुचित पुलिस व्यवस्था की गयी है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत की मांग के सापेक्ष विद्युत की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान में फैजाबाद एवं अयोध्या दोनों स्थानों पर प्रतिदिन 6 घण्टे विद्युत कटौती आदेशित है। वर्तमान में प्रदेश में विद्युत की मांग के सापेक्ष उपलब्धता में कमी के कारण फैजाबाद एवं अयोध्या नगर को विद्युत कटौती से मुक्त रखना सम्भव नहीं है।

जनपद फैजाबाद में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत चयनित ग्राम

61-श्री लल्लू सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 में जनपद फैजाबाद के कौन-कौन से ग्राम राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत चयनित किये गये थे ? क्या चयनित किये गये समस्त ग्रामों का विद्युतीकरण कार्य पूर्ण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्या इसके लिये दोषी अधिकारियों, कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए विद्युतीकरण का कार्य समयबद्ध तरीके से पूर्ण करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत जनपद फैजाबाद में कुल 388 ग्रामों का चयन किया गया था जिसकी सूची मा0 सदन के पटल पर रख दी गयी है।

ग्रामों के विद्युतीकरण की वर्षवार प्रगति निम्नवत् है :-

वर्ष 2005-06 में 133, वर्ष 2006-07 में 217 एवं वर्ष 2007-08 में 38 ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया है। कार्य का सत्यापन किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद सीतापुर में वृक्षारोपण हेतु स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष लगाये गये पौधों की जानकारी

62-श्री अनूप कुमार गुप्ता-

क्या वन एवं जन्तु उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर में वृक्षारोपण हेतु पचास लाख धनराशि की स्वीकृति वर्ष 2006 में दी गयी थी ? यदि हां, तो उक्त धनराशि से 31-12-07 तक कितना वृक्षारोपण कराया गया ? यदि नहीं, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है ?

श्री फतेह बहादुर-

जनपद सीतापुर में वृक्षारोपण हेतु वर्ष 2006-07 में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत रु0 537.79 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी थी।

उक्त धनराशि से विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 997 हे0 में 21.586 लाख पौधों का रोपण किया गया।

स्वीकृत धनराशि के अनुसार वृक्षारोपण कार्य कराया गया है। अतः कोई भी जिम्मेदार नहीं है।

जनपद बुलन्दशहर के ब्लाक स्याना के ग्राम बैरा फिरोजपुर में आबादी के ऊपर से जा रहे हाई टेंशन लाइन हटाने की मांग

63-श्री सुन्दर सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र स्याना, जनपद बुलन्दशहर के ब्लाक स्याना के गांव बैरा फिरोजपुर में श्री चेतराम सिंह व अन्य अनेकों लोगों के मकान के ऊपर से हाई टेन्शन लाइन जा रही है जिससे कई बार ग्रामीणों के कच्चे मकानों के छप्परों में आग लग चुकी है ? लाइन अत्यधिक जर्जर हालत में होने के कारण कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है ? क्या सरकार उक्त लाइन को हटाने का आदेश पारित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जनपद बुलन्दशहर, ब्लाक-स्याना के ग्राम-बैरा फिरोजपुर में पूर्व निर्मित हाई टेंशन विद्युत लाइन के नीचे श्री चेतराम सिंह के द्वारा मात्र एक कमरे का निर्माण करा लिया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई मकान अथवा छप्पर विद्युत लाइन के नीचे नहीं है और न ही कभी इस हाईटेंशन विद्युत लाइन से आग लगने की घटना घटने का प्रकरण संज्ञान में आया है।

ग्राम बैरा, फिरोजपुर में 3 किलोमीटर जर्जर तार व 12 अदद टूटे पोल बदले जाने सम्बन्धी कार्य दिनांक 31-3-08 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

पूर्व निर्मित हाईटेंशन लाइन हटाने का कार्य तकनीकी रूप से सम्भव होने पर एवं उपभोक्ताओं द्वारा वांछित धनराशि जमा करने के उपरान्त कराया जाना सम्भव है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर के कस्बा बुगरासी में अधिक क्षमता का ट्रांसफार्मर लगाये जाने की मांग

64-श्री सुन्दर सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र स्याना जनपद बुलन्दशहर के कस्बा बुगरासी में लगे ट्रान्सफार्मर पर अत्यधिक भार होने के कारण वोल्टेज की समस्या बनी रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार अधिक क्षमता का ट्रान्सफार्मर लगाकर उक्त समस्या का निदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

जी हां।

कस्बा बुगरासी में स्थापित परिवर्तक की अतिभारिता समाप्त करने हेतु 250 के0वी0ए0 क्षमता का परिवर्तक शीघ्र बदलना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर के ग्राम दौलतपुर में स्थापित विद्युत उपकेन्द्र की क्षमता वृद्धि का प्रस्ताव

65-श्री सुन्दर सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र स्याना जनपद बुलन्दशहर के गांव दौलतपुर में 33 के0वी0 का उपकेन्द्र स्थापित है जिस पर 3 एम0वी0ए0 व 5 एम0वी0ए0 के ट्रान्सफार्मर स्थापित है ? 5 एम0वी0ए0 के ट्रान्सफार्मर से 2 फीडर गेसूपुर व फरीदाबागर चलाये जाने के कारण दोनों फीडरों का भार एक साथ नहीं चल पाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों के हित में 5 एम0वी0ए0 के स्थान पर 8 एम0वी0ए0 का ट्रान्सफार्मर लगायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां। विधान सभा क्षेत्र स्याना, जनपद बुलन्दशहर के ब्लाक जहांगीराबाद के ग्राम दौलतपुर में 33 के0वी0 का उपकेन्द्र स्थापित है जिस पर 5+3 एम0वी0ए0 के ट्रांसफार्मर स्थापित हैं। 5 एम0वी0ए0 ट्रांसफार्मर से गेसूपुर एवं फरीदाबागर 2 फीडर जुड़े हैं जिन पर क्रमशः 205 एवं 160 एम्पियर का भार है अधिभारिता के कारण दोनों फीडर ग्रीष्म काल में एक साथ नहीं चल पाते हैं।

33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र की क्षमता 5+3 एम0वी0ए0 से बढ़ाकर 5+5 एम0वी0ए0 किये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कर लगभग 6 से 8 माह में उक्त उपकेन्द्र की क्षमतावृद्धि किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर के ब्लाक जहांगीरगंज के ग्राम परवाना महमूदपुर के प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूल व आवासों के ऊपर से जा रहे हाईटेंशन लाइन अन्यत्र हटाने की मांग

66-श्री सुन्दर सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र स्याना जनपद बुलन्दशहर के ब्लाक जहांगीराबाद के गांव परवाना, महमूदपुर के प्राइमरी व जूनियर हाईस्कूल व आवासों के ऊपर

से 11 हजार वोल्टेज की हाईटेंशन लाइन जा रही है जिससे गांव मजराखानपुर व इलना में उक्त लाइन से करेन्ट उतरने से एक-एक भैंस भी मर चुकी है तथा इलना गांव में एक व्यक्ति विद्युत करेन्ट लगने से मर चुका है ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त लाइन को हटाने का आदेश करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जनपद-बुलन्दशहर, ब्लाक-स्याना के ग्राम-परवाना, महमूदपुर में पूर्व निर्मित हाई टेंशन विद्युत लाइन के नीचे प्राइमरी व जूनियर हाईस्कूल एवं आवासों का निर्माण बाद में कराया गया है। इस लाइन से लगभग 4 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की करेन्ट लगने से मृत्यु हो चुकी है।

पूर्व निर्मित हाईटेंशन लाइन हटाने का कार्य तकनीकी रूप से सम्भव होने पर एवं उपभोक्ताओं द्वारा वांछित धनराशि जमा करने के उपरान्त कराया जाना संभव है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के फतेहगंज विद्युत उपकेन्द्र मोहान रोड पालीटेक्निक फीडर के उपभोक्ताओं से नगरीय दर पर बिजली बिल के भुगतान की जानकारी

67-श्री सुखलाल-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि फतेहगंज विद्युत उपकेन्द्र, मोहान रोड लखनऊ का पालीटेक्निक फीडर, नगर-निगम क्षेत्रान्तर्गत शामिल मोहल्लों/ग्रामों को विद्युत की आपूर्ति करता है तथा उक्त फीडर की देख-रेख की जिम्मेदारी "सेस" के अधीन है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि उक्त फीडर के सभी विद्युत उपभोक्ताओं से नगरीय दर से बिजली के बिल का भुगतान लिया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार पालीटेक्निक फीडर को जो कि नगरीय क्षेत्र के तहत है को "लेसा" के अधीन स्थानान्तरित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

जी हां।

पालीटेक्निक फीडर लेसा के अधीन नव सृजित विद्युत वितरण खण्ड-सेस (द्वितीय) के अधीन 33/11 के0वी0 फतेहगंज उपकेन्द्र से पोषित है। इस फीडर को तकनीकी दृष्टि से अन्य उपकेन्द्र से पोषित करना सम्भव नहीं है। इस फीडर को शहरी क्षेत्र की तरह विद्युत आपूर्ति दी जा रही है एवं विद्युत बिलों का भुगतान भी नगरीय दर से लिया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर में निर्माणाधीन सब-स्टेशन तथा अब्दुल्लागंज का सब-स्टेशन चालू किये जाने की मांग

68-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर में कितने विद्युत सब-स्टेशन ऐसे हैं जो अभी तक चालू नहीं हो सके है ? क्या मा0 मंत्री जी के संज्ञान में है कि शाहजहांपुर स्थित अब्दुल्लागंज का सब-स्टेशन इसलिये चालू नहीं हो पा रहा है क्योंकि रेलवे लाइन से तार क्रास करने की अनुमति डी0आर0एम0 रेलवे मुरादाबाद से नहीं मिली है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अनुमति प्राप्त करने हेतु कोई प्रयास किये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जनपद शाहजहांपुर में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित 04 सब-स्टेशन निर्माणाधीन हैं :-

1-33/11 के0वी0, सब-स्टेशन, खुदागंज।

2-33/11 के0वी0, सब-स्टेशन, बादशाहनगर।

3-33/11 के0वी0, सब-स्टेशन, जैतीपुर।

4-33/11 के0वी0, सब-स्टेशन, मिर्जापुर।

शाहजहांपुर नगर में ए0पी0डी0आर0पी0 योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित 04 सब-स्टेशन निर्माणाधीन हैं :-

1-33/11 के0वी0, सब-स्टेशन, अब्दुल्लागंज।

2-33/11 के0वी0, सब-स्टेशन, ककरा।

3-33/11 के0वी0, सब-स्टेशन, रोजा।

4-33/11 के0वी0, सब-स्टेशन, हथौड़ा।

शाहजहांपुर नगर स्थित अब्दुल्लागंज सब रेलवे स्टेशन को उर्जित करने वाली लाइन पर रेलवे क्रासिंग की अनुमति डी0आर0एम0 मुरादाबाद से प्राप्त हो चुकी है तथा दि0 10-12-07 को अनुबन्ध हो गया है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर में तेल चोरी के कारण खराब हुए ट्रान्सफार्मर की संख्या की जानकारी

69-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिछले एक वर्ष में जनपद-शाहजहांपुर में कितने ट्रान्सफार्मर तेल की चोरी होने के कारण खराब हुए तथा कितना तेल चोरी गया ? क्या

मा0 मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि विद्युत सप्लाई निर्बाध रूप से मिलने हेतु खराब ट्रान्सफार्मर बदलवाये जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जनपद शाहजहांपुर में पिछले एक वर्ष (2007) में 237 परिवर्तक तेल चोरी के कारण खराब हुए तथा लगभग 20080 लीटर तेल चोरी हुआ है।

जी हां।

पिछले वर्ष (दिसम्बर, 2007 तक) के सभी तेल चोरी के परिवर्तक बदले जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के जिला पंचायतों में अपर मुख्य अधिकारी के पदों की संख्या, रिक्त पदों पर नियुक्त किये जाने की मांग

70-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या पंचायती राज मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश की जिला पंचायतों में अपर मुख्य अधिकारी के कितने पद हैं इनके विरुद्ध कितने अधिकारी तैनात हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेंगे कि रिक्त पदों पर कनिष्ठ अधिकारियों को प्रभारी अपर मुख्य अधिकारी तैनात किये जाने का मानक क्या है ? क्या सरकार रिक्त पदों पर नियमित अपर मुख्य अधिकारी नियुक्त करने की व्यवस्था करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू सिंह कुशवाहा-

जी हां, प्रदेश की जिला पंचायतों में अपर मुख्य अधिकारी के 70 पद सृजित हैं, जिनके विरुद्ध 66 अधिकारी तैनात हैं।

संगत सेवा नियमावली के अनुसार अपर मुख्य अधिकारी के पद 03 संवर्गों से क्रमशः कार्य अधिकारी संवर्ग से 60 प्रतिशत अर्थात् 42 पद, अभियन्ता संवर्ग से 20 प्रतिशत अर्थात् 14 पद एवं प्रतिनियुक्ति के आधार पर 20 प्रतिशत अर्थात् 14 पद भरे जाने की व्यवस्था है। रिट याचिका संख्या-40176/99 शूरवीर सिंह मटूरा व अन्य बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 17-9-99 द्वारा कार्य अधिकारियों की अन्तिम ज्येष्ठता सूची स्थगित होने से अपर मुख्य अधिकारी के पदों पर पदोन्नति की कार्यवाही बाधित है। अभियन्ता संवर्ग की अन्तिम ज्येष्ठता सूची के पात्र कार्मिक पदोन्नत हो चुके हैं। नई ज्येष्ठता सूची तैयार की जा रही है, जिससे ज्येष्ठता एवं पात्रता के आधार पर पदोन्नति की कार्यवाही की जायेगी। प्रतिनियुक्ति पर रोक लगी हुई है। उपरोक्त परिस्थिति के कारण कार्यहित में कनिष्ठ अधिकारियों को प्रभारी अपर मुख्य अधिकारी के रूप में तैनात किया गया है।

उल्लिखित रिट याचिका में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश अपास्त होने एवं अभियन्ता संवर्ग की नई अन्तिम ज्येष्ठता सूची तैयार हो जाने पर नियमित अपर मुख्य अधिकारी नियुक्त किया जाना सम्भावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत उपभोक्ताओं की समस्याओं के त्वरित गति से निपटाने हेतु व्यथा निवारण फोरम की स्थापना

71-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत उपभोक्ताओं की समस्याओं को त्वरित गति से निपटाने हेतु विद्युत कम्पनियों द्वारा व्यथा निवारण फोरम की स्थापना कर दी गयी ? यदि हां, तो क्या उपभोक्ताओं में इसका प्रचार-प्रसार किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां। सभी विद्युत वितरण निगमों द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत उपभोक्ताओं की समस्याओं को त्वरित गति से निपटाने हेतु जनपद में उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम्स की स्थापना कर दी गई है।

जी हां। विद्युत वितरण निगमों द्वारा उपभोक्ताओं में उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम्स का व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर के विकास खण्ड मिठवल के ग्राम भतीजावापुर उर्फ ककुआ में सांसद निधि द्वारा कराये गये अधूरे विद्युतीकरण को पूर्ण कराये जाने की मांग

72-श्री लालजी यादव-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि विधान सभा क्षेत्र बांसी, जनपद-सिद्धार्थनगर के ग्राम भतीजावापुर उर्फ ककुआ, विकास खण्ड मिठवल में विद्युतीकरण सांसद निधि द्वारा कराया गया है ? यदि हां, तो अधूरे विद्युतीकरण को कब तक पूर्ण करा लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

विधान सभा क्षेत्र बांसी, जनपद सिद्धार्थनगर के ग्राम भतीजावापुर उर्फ ककुआ, विकास खण्ड मिठवल में अधूरे विद्युतीकरण कार्य को दिनांक 12-11-07 को पूर्ण करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर के ब्लाक मिश्रिख के नैमिषारण्य में स्वीकृत 33/11 के0वी0 पावर हाउस शीघ्र पूर्ण कराये जाने की मांग

73-श्री अनूप कुमार गुप्ता-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के ब्लाक मिश्रिख के नैमिषारण्य में 33/11 के0 वी0 पावर हाउस की स्थापना हेतु स्वीकृति वर्ष 2007 में दी गयी थी ? यदि हां, तो उक्त पावर हाउस की स्थापना में विलम्ब का कारण क्या है ? उक्त कार्य को शीघ्र पूर्ण कराने का निर्देश सरकार देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

सिविल कार्य लगभग 90 प्रतिशत पूर्ण हो गया है। आउटडोर एवं लाइन निर्माण कार्य प्रगति पर है।

माह जुलाई, 2008 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर में वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण में व्यय की गई धनराशि

74-श्री लालजी यादव-

क्या वन एवं जन्तु उद्यान मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर में विगत 5 वर्षों से अब तक कितनी धनराशि वृक्षारोपण हेतु खर्च की गई ? वृक्षारोपण का कार्य स्वयं विभाग द्वारा कराया गया अथवा किसी एन0जी0ओ0 के द्वारा कराया गया ? वर्तमान में उन वृक्षों की क्या स्थिति है ?

श्री फतेह बहादुर-

वर्ष 2003 से 2007 तक वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण में जनपद सिद्धार्थनगर में रु0 81,74,514/-व्यय किया गया।

वृक्षारोपण का कार्य वन विभाग द्वारा कराया गया है।

वर्ष 2003 से वर्ष 2007 तक के वृक्षारोपण की औसत सफलता 87.19 प्रतिशत है।

जनपद उन्नाव के ब्लाक नवाबगंज के ग्राम बडौर में टूटे विद्युत खम्भों को बदलने की जानकारी

75-श्री सुन्दर लाल लोधी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-उन्नाव के ब्लाक नवाब गंज के ग्राम बडौर में विगत कई वर्षों से टूटे खम्भों को बदलने व निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र माह जून, 2007 अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण उन्नाव को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

ग्राम में 25 खम्भों की लाइन का निर्माण होना है, जो शीघ्र पूर्ण कर लिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ जनपद में ग्राम पंचायत अधिकारियों के चयन/नियुक्तियों में की गई अनियमितता की जांच

76-श्री उदयराज-

क्या पंचायती राज मंत्री को जानकारी है कि तत्कालीन मा0 पंचायती राज मंत्री ने अपने आ0शा0प0सं0 688/33-1-2007/48/06, दिनांक 11 मई, 2007 के माध्यम से अवगत कराया है कि लखनऊ जनपद में ग्राम पंचायत अधिकारियों के चयन/नियुक्तियों की अनियमितता के सम्बन्ध में कतिपय अधिकारी दोषी पाये गये हैं ? यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इन कर्मचारियों की अनु0 जाति के कोटे में अनियमित नियुक्ति को निरस्त करके वेतन आदि मद में किये गये भुगतान की वसूली भी की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू सिंह कुशवाहा-

जी हां।

दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जांच पूर्ण होने के उपरान्त यथास्थिति नियमानुसार अग्रतर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड मंगरौरा के ग्राम कानघटपुर में सरदार बल्लभ भाई पटेल एवं विकास खण्ड आसपुर देवसरा के ग्राम आसपुर देवसरा में पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति की स्थापना की जानकारी

77-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गृह (सामान्य) अनुभाग-1 का पत्र सं-वी0आई0पी0 21 जेड/6/सा-1-6106 दि0 08-05-2006 एवं पत्र सं0 1659 जेड/सा-1-06 दिनांक 02 अगस्त, 2006 द्वारा जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड मंगरौरा के ग्राम कानधरपुर में सरदार बल्लभ भाई पटेल एवं विकास खण्ड आसपुर देवसरा के ग्राम आसपुर देवसरा में पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति (पेडस्टल सहित) निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ एवं

उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता सेनानी कल्याण संस्थान, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 04-10-07 भी मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

जी हां।

जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड मंगरौरा के ग्राम कान्धरपुर में सरदार बल्लभ भाई पटेल की मूर्ति स्थापना के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ एवं मंत्री, उ0प्र0 स्वतंत्रता सेनानी कल्याण संस्थान से संस्तुति सहित प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। विकास खण्ड आसपुर देवसरा में पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति (पेडस्टल सहित) निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही संस्कृति विभाग द्वारा की जा रही है।

मुख्य मंत्री कार्यालय से प्राप्त सूचना एवं अनुभाग में उपलब्ध प्राप्ति पंजिका के अनुसार मा0 सदस्य का पत्र दिनांक 04-10-07 दर्ज नहीं है।

जिलाधिकारी की संस्तुति के अनुक्रम में शासन स्तर पर कार्यवाही गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर मोहद्दीपुर पावर हाउस कालोनी में अनुरक्षण कार्य, मलमूत्र की निकासी तथा शुद्ध पेयजल, सड़क का उच्चीकरण एवं पथ प्रकाश की व्यवस्था की मांग

78-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर में मोहद्दीपुर स्थित पावर हाउस कालोनी का विगत 20 वर्षों में कब-कब अनुरक्षण कार्य कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या माननीय ऊर्जा मंत्री इस कालोनी के मकानों के जीर्णोद्धार मल-मूत्र की निकासी हेतु शौचालय के टैंक शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, नाली एवं सम्पर्क मार्ग का उच्चीकरण एवं पथ-प्रकाश की व्यवस्था करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

आवश्यकतानुसार एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार जर्जर हुए मकानों की मरम्मत कराई जाती है। माह 08/2007 में तीन मकानों की मरम्मत कराई गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

मलमूत्र निकासी हेतु शौचालय एवं सैप्टिक टैंक बने हुए हैं। शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हेतु पावर कारपोरेशन का स्वयं का ट्यूवेल है। नाली एवं सम्पर्क मार्ग एवं पथ-प्रकाश की व्यवस्था है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

मेरठ में संजय वन को पिकनिक स्पाट एवं छोटा चिड़ियाघर बनाने की मांग

79-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

क्या वन एवं जन्तु उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पत्र कम्प्यूटर संख्या सी0एम0/वि0को0/एम-165693/2007, दिनांक 24-7-2007 जो मेरठ जनपद में संजय वन को पिकनिक स्पाट एवं छोटा चिड़ियाघर बनाने के सम्बन्ध में था, प्रमुख सचिव वन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फतेह बहादुर-

जी हां।

यह स्थल पूर्व में ही आंशिक रूप से पिकनिक स्पाट के रूप में विकसित है। सुदृढ़ीकरण के लिये आपरेशन ग्रीन योजना के अन्तर्गत रुपये 2.73 लाख की धनराशि मेरठ वन प्रभाग को उपलब्ध करा दी गई है।

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (यथा संशोधित) के अनुसार चिड़ियाघर की स्थापना हेतु केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की अनुमति के साथ-साथ माननीय उच्चतम् न्यायालय की भी अनुमति आवश्यक है। वित्तीय वर्ष 2007-08 में नये चिड़ियाघर की स्थापना हेतु आय-व्ययक में कोई धनराशि का प्राविधान नहीं है।

जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र, बांसी के कतिपय ग्रामों का विधायक निधि से स्वीकृत कार्य

80-श्री लालजी यादव-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र बांसी के अन्तर्गत ग्राम सभा बिरौहा, खरचौला, खोजीपुर, कल्साखोर, खुटहन पकरा टाउन आदि का विद्युतीकरण कराये जाने हेतु विधायक निधि से वर्ष 2004-05 में वी0 के0 ट्रेडर्स गोरखपुर बेतियाहाता गोरखपुर से अनुबन्ध किया गया था ? यदि हां, तो कार्य अब तक न कराये जाने का क्या कारण है और इसके लिये कौन जिम्मेदार है ? उक्त कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

70 प्रतिशत कार्य पूरा कर दिया गया है। शेष कार्य प्रगति पर है।

शेष कार्य 31 मार्च, 2008 तक पूरा किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव में जारी बस परमिट से ज्यादा चल रही डग्गामार बसों पर कार्यवाही की मांग

81-श्री सुन्दर लाल लोधी-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव में जारी बस परमिटों की संख्या से अधिक चलायी जा रही डग्गामार बसों पर सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम अचल राजभर-

जी हां।

डग्गामार बसों पर अंकुश लगाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही सतत् रूप से की जाती है। विगत छः माह में 12 बस/मिनी बस व 36 अन्य यात्री वाहनों को विभिन्न थानों में चालान/निरुद्ध किया गया तथा इन वाहनों से प्रशमन शुल्क के रूप में रु0 2,16,000/- तथा रु0 2,01,000/- कर के रूप में वसूली किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव में वन विभाग की वृक्षारोपण हेतु रिक्त भूमि

82-श्री सुन्दर लाल लोधी-

क्या वन एवं जन्तु उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव में कितने एकड़ वन विभाग की जमीन रिक्त है ? क्या सम्पूर्ण भूमि पर वृक्षारोपण हो चुका है ? यदि नहीं, तो क्या यह सही है कि अवशेष भूमि कृषि हेतु किसानों को पट्टे पर दे दी गयी है ? यदि हां, तो किस शासनादेश के अन्तर्गत ?

श्री फतेह बहादुर-

जनपद उन्नाव के अन्तर्गत 10955.82 एकड़ वन विभाग की जमीन वृक्षारोपण हेतु रिक्त है।

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

83-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

[दिनांक 28-2-08 के अता0प्र0सं0-68 द्वारा उत्तरित]

जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी विधान सभा क्षेत्र में पिछले चार वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित ग्रामों में विद्युतीकरण की प्रगति

84-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र पट्टी जनपद प्रतापगढ़ में किन-किन ग्रामों का वर्ष 2004-05 व 2005-06 तथा 2006-07 एवं 2007-08 में विद्युतीकरण कराये जाने का प्रस्ताव था ? क्या इन सभी गांवों का विद्युतीकरण करा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

विधान सभा क्षेत्र पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ में वर्ष 2004-05, 2005-06, 2006-07 एवं 2007-08 में निम्न ग्रामों का विद्युतीकरण कराये जाने का प्रस्ताव था :-

1-वर्ष 2004-05 (पूर्वांचल विकास निधि के अन्तर्गत)

विकास खण्ड पट्टी :-ग्राम मकरा, बेला (ठाकुर बस्ती), मंझोली, रामगंज, धनसार, बेसार, नारंगपुर।

विकास खण्ड मंगरौरा :-ग्राम मंगरौरा (चौरसिया बस्ती), उसरा (पसियान बस्ती), डोमनपुर (पाल बस्ती), भदौसी।

2-वर्ष 2005-06 (पूर्वांचल विकास निधि के अन्तर्गत)

विकास खण्ड मंगरौरा :-ग्राम नरायनपुर, शेषपुर, अधारगंज।

3-वर्ष 2006-07 (पूर्वांचल विकास निधि के अन्तर्गत)

विकास खण्ड पट्टी :-ग्राम उदयीशाहपुर।

विकास खण्ड मंगरौरा :-ग्राम चुदुआपट्टी, सरायरजई।

4-वर्ष 2007-08 (पूर्वांचल विकास निधि के अन्तर्गत)

विकास खण्ड आसपुर देवसरा :-ग्राम विनयका, कोटिया।

डाक्टर अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास योजना के अन्तर्गत :-धुई, भाभापुर, दूबे पट्टी, पूरा, गौरामाफी, लाखीपुर, कनही, मधुपुर।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत :-

विकास खण्ड पट्टी, मंगरौरा, आसपुर देवसरा में कुल 83 ग्रामों का विद्युतीकरण का कार्य किया गया है। (सूची संलग्न†)

जी हां। वर्ष 2007-08 के लिये चयनित पूर्वांचल विकास निधि एवं डा0 अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास योजना के अन्तर्गत चयनित ग्रामों का विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है जिसे शीघ्र ही पूरा कर लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

†देखिये नत्थी "ख" आगे पृष्ठ 235-237 पर।

जनपद इलाहाबाद के प्रतापपुर विधान सभा क्षेत्र के आराकला में 33/11 के0वी0 पावर हाउस के निर्माण की जानकारी

85-श्री जोखू लाल यादव-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के प्रतापपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत 33/11 के0वी0 पावर हाउस आराकला, सैदाबाद विकास खण्ड क्षेत्र में निर्माणाधीन है ? यदि हां, तो इसे कब तक चालू करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र आराकला का निर्माण कार्य प्रणाली सुधार योजना के अन्तर्गत कराया जा रहा है। इस पर कुल अनुमानित लागत रु0 148.00 लाख है। उपकेन्द्र के कन्ट्रोल रूम का निर्माण हो चुका है एवं निर्माणाधीन उपकेन्द्र के लिये हंडिया से 33 के0वी0 की 15 कि0मी0 लाइन का निर्माण हो चुका है। उपकेन्द्र में स्वीचगियर स्थापित किये जा चुके हैं 132 के0वी0 हंडिया इलाहाबाद पर 33 के0वी0 "बे" की स्थापना हेतु निर्माण कार्य लम्बित है एवं दिनांक 31-12-2008 तक कार्य करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ फीडर से पूर्वानुसार विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने की मांग

86-चौ0 रवीन्द्र प्रताप-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर में शोहरतगढ़ फीडर से पूर्वानुसार विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्रांक सी0एम0/वि0को0/एम-169853/2007, दिनांक 21-9-07 प्रमुख सचिव, ऊर्जा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार पूर्वानुसार विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

जी नहीं।

प्रदेश में विद्युत की मांग के सापेक्ष उपलब्धता में कमी के कारण पूर्वानुसार विशेष कर सायंकाल पीक अवधि में सम्भव नहीं है।

जनपद सिद्धार्थनगर में नेपाल सीमा पर स्थित कस्बा बढ़नी को विद्युत कटौती से मुक्त किये जाने सम्बन्धी पत्र

87-श्री चौ0 रवीन्द्र प्रताप-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर के नेपाल सीमा पर स्थित कस्बा बढ़नी को बिजली कटौती से अवमुक्त कराये जाने विषयक पत्रांक सी0एम0/वि0को0एम0/162552/2007, दि0 19-6-07 प्रबन्ध निदेशक, पावर कारपोरेशन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

बढ़नी क्षेत्र को प्रति दिन 18 बजे से 08 बजे तक विद्युत आपूर्ति किये जाने के आदेश दिनांक 27-06-07 में पारित कर दिये गये थे।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद की बंद मोदी पोन लिमिटेड को पुनः चलाये जाने की मांग

88-श्री मदन भैया व श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

क्या श्रम मंत्री को जानकारी है कि जनपद गाजियाबाद की तहसील मोदीनगर में स्थित विश्व प्रसिद्ध मोदी पोन लिमिटेड को विगत माह बन्द कर दिया गया है जिससे हजारों कर्मचारी बेरोजगार होकर भुखमरी के कगार पर हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में हस्तक्षेप कर मिल पुनः चलवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम मंत्री (श्री बादशाह सिंह)-

मोदी पोन लिमिटेड मोदीनगर इकाई को दिनांक 8-9-2007 में सेवायोजक द्वारा बन्द किये जाने की सूचना प्राप्त हुई है।

प्रश्नगत इकाई निजी क्षेत्र का प्रतिष्ठान है। अतः उसे चलाये जाने का दायित्व सेवायोजक का है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

कानपुर के बस स्टेशन झकरकटी में स्थापित ए0सी0 फूड प्लाजा का संचालन

89-श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम के बस स्टेशन झकरकटी, कानपुर के लिए ए0सी0 फूड प्लाजा का स्थापन निर्धारित की गयी शर्तों के अनुरूप किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ?, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम अचल राजभर-

जी हां।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

कानपुर के बस स्टेशन झकरकटी में जलपान व्यवस्था सामान्य दरों पर उपलब्ध कराये जाने की मांग

90-श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम के बस स्टेशन झकरकटी, कानपुर में जलपान गृह बन्द करा दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों, क्या जन साधारण की सुविधा हेतु रियायती दरों पर साधारण जलपान गृह की व्यवस्था करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम अचल राजभर-

जी नहीं। फूड प्लाजा संचालित है, जिसमें जलपान सुविधा उपलब्ध है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

बस स्टेशनों पर जलपान व्यवस्था सामान्य दरों पर उपलब्ध है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

संभागीय परिवहन कार्यालय, लखनऊ में कार्यरत कर्मचारी एवं स्थानान्तरण

91-श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संभागीय परिवहन कार्यालय, टी0पी0 नगर, लखनऊ में दिनांक 31-7-07 तक कितने कर्मचारी विगत 3 वर्षो से तैनात हैं ? क्या शासन की स्थानान्तरण नीति के अनुसार उन कर्मचारियों की तैनाती अन्य कार्यालयों में की जाएगी ? क्या यह सही है कि आर0टी0ओ0 आफिस टी0पी0 नगर, लखनऊ में दिनांक 5-10-07 को वहां कार्यरत लिपिक अतुल कुमार मौर्या ने टैक्स जमा करने आये लोगों के साथ अभद्रता व मार-पीट की और कार्यालय के अनुशासन को भंग किया ? यदि हां, तो उक्त कर्मचारी के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम अचल राजभर-

दिनांक 31-7-2007 को सम्भागीय परिवहन कार्यालय टी0पी0 नगर लखनऊ में कुल 56 कर्मचारी तीन वर्षों से अधिक समय से कार्यरत थे, जिनमें से 14 कर्मचारियों का स्थानान्तरण वर्ष 2007-2008 में कर दिया गया है।

शासन के स्थानान्तरण नीति के अनुसार स्थानान्तरण सत्र में कर्मचारियों का स्थानान्तरण किया जाता है।

जी हां।

सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा शिकायतकर्ता के विरुद्ध की गई अभद्रता, जांचोपरान्त सही पाये जाने पर नियुक्ति प्राधिकारी, सम्भागीय परिवहन अधिकारी, लखनऊ द्वारा श्री अतुल कुमार मौर्य कनिष्ठ लिपिक को प्रतिकूल प्रविष्टि का दण्ड दिया गया।

खण्डौली एवं मंगरौरा विद्युत उपकेन्द्रों में आउट गोइंग एवं इनकमिंग फीडर की स्थापना किये जाने विषयक पत्र पर कार्यवाही

92-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधीक्षण अभियन्ता विद्युत वितरण मण्डल द्वितीय उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् इलाहाबाद ने अपने पत्र संख्या 7359/एम-3/डिपाजिट एवं 7358 दिनांक 19-12-96 द्वारा खण्डौली, उपकेन्द्र पर 2 नये आउट गोइंग फीडर एवं मंगरौरा उपकेन्द्र पर एक आउटगोइंग एवं एक इनकमिंग फीडर की स्थापना हेतु पैकेज स्वीकृत किया गया है ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र खण्डौली पर वर्ष 2002 में दो नये आउटगोइंग फीडर स्थापित किये गये थे एवं 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र मंगरौरा पर एक इनकमिंग एवं एक आउटगोइंग कुल 2 नये फीडर स्थापित किये गये थे।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के फतेहाबाद व शमसाबाद विकास खण्ड के चयनित अम्बेडकर ग्रामों के विद्युतीकरण की मांग

93-डा0 राजेन्द्र सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा के फतेहाबाद व शमसाबाद विकास खण्डों में कितने अम्बेडकर गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है ? क्या चयनित ग्राम सभाओं के मजरों के विद्युतीकरण का प्राविधान नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जनपद आगरा के फतेहाबाद एवं शमसाबाद विकास खण्डों में वर्ष 1995-96, वर्ष 1997-98 व वर्ष 2002-03 में चयनित सभी अम्बेडकर ग्रामों का विद्युतीकरण पूर्ण हो चुका है।

चयनित ग्राम सभाओं के अन्तर्गत राजस्व ग्रामों के विद्युतीकरण का प्राविधान है। राजस्व ग्रामों के विद्युतीकरण के मानक के अनुसार उस ग्राम में वितरण लाइन्स उस ग्राम के आबाद क्षेत्र एवं उसकी अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्ती तक पहुंचाने का प्राविधान है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर व मिलक में निजी नलकूपों के संयोजन हेतु आवेदन-पत्र

94-श्री संजय कपूर-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर व तहसील मिलक में निजी नलकूपों को विद्युत कनेक्शन देने हेतु कितने आवेदन विभाग में 31-12-07 तक विचाराधीन हैं ? उक्त विद्युत कनेक्शन कृषकों के निजी नलकूपों को कब तक दे दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर में 31-12-2007 तक निजी नलकूपों के संयोजन हेतु सामान्य योजना में 144 तथा पूर्ण जमा योजना में 108 आवेदन-पत्र विचाराधीन थे। तहसील मिलक के अन्तर्गत निजी नलकूपों के विद्युत संयोजन का आवेदन-पत्र लम्बित नहीं था।

तहसील बिलासपुर में पूर्ण जमा योजना के अन्तर्गत प्राप्त 108 आवेदनों के सापेक्ष 104 निजी नलकूपों के विद्युत संयोजन दे दिये गये हैं। शेष 4 आवेदनकर्ताओं को संयोजन दिये जाने की प्रक्रिया जारी है। जनपद रामपुर में सामान्य योजना के 47 निजी नलकूपों के ऊर्जीकरण का लक्ष्य है जिनके विरुद्ध संयोजन निर्गत करने की कार्यवाही की जा रही है।

सामान्य योजना के अन्तर्गत भविष्य में लक्ष्य की सीमा तक शेष कनेक्शन भी स्वीकृत कर दिये जायेंगे।

जनपद रामपुर में क्षतिग्रस्त ट्रान्सफार्मर

95-श्री संजय कपूर-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रामपुर में वर्तमान में कितने ट्रांसफार्मर फुके हुए हैं ? शासन द्वारा इनको बदले जाने की क्या कोई नीति है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जनपद रामपुर के अन्तर्गत 03 क्षतिग्रस्त ट्रान्सफार्मर बदलने हेतु शेष हैं।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के प्रतापपुर विधान सभा क्षेत्र के मियां का पूरा बाजार में जर्जर विद्युत तारों को ठीक कराने की मांग

96-श्री जोखूलाल यादव-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के प्रतापपुर विधान सभा क्षेत्र के मियां का पूरा बाजार में विद्युत तार जर्जर होने के कारण प्रायः विद्युत सप्लाई में बाधा उत्पन्न होती है तथा दुर्घटना की सम्भावना बनी रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसे तत्काल ठीक करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

इलाहाबाद प्रतापपुर विधान सभा क्षेत्र के मियां का पूरा बाजार में जर्जर विद्युत तार एवं पोल को बदलने हेतु कार्य योजना बना ली गई है। जर्जर तारों एवं पोल को बदलने का कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद की प्रतापपुर विधान सभा क्षेत्र के भोपतपुर गांव की लो-वोल्टेज की समस्या

97-श्री जोखूलाल यादव-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के प्रतापपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कटहरा फीडर से सम्बद्ध भोपतपुर गांव के लोगों को "लो वोल्टेज" के कारण निजी नलकूप एवं लाइट के लिये परेशानी उठानी पड़ती है ? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों की इस समस्या का निदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

इलाहाबाद के प्रतापपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कटहरा फीडर से सम्बद्ध ग्राम भोपतपुर के उपभोक्ताओं को लो-वोल्टेज की समस्या दूर कर दी गई है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा में वन क्षेत्र एवं वनों के रख-रखाव पर व्यय

98-श्री राम विशुन आजाद-

क्या वन एवं जन्तु उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में कितने हेक्टेयर वन क्षेत्र हैं ? सरकार को रामगढ़ टिकरी रेन्ज से वर्ष 2006-07 तथा 2007-08 में कितना राजस्व प्राप्त हुआ है एवं उसके रख-रखाव पर कितना व्यय किया गया है ? क्या सरकार बतायेगी कि वन क्षेत्र से प्राप्त राजस्व का कितना अंश रामगढ़ टिकरी रेंज एवं क्षेत्र के विकास पर कितना धन व्यय किया गया है ? यदि हां, तो किन-किन योजनाओं पर ?

श्री फतेह बहादुर-

जनपद गोण्डा में 19786.370 हेक्टेयर वन क्षेत्र है। वर्ष 2006-07 में रामगढ़ टिकरी रेंज से कुल रु0 404.58 लाख तथा वर्ष 2007-08 (जनवरी, 2008 तक) में कुल रु0 439.54 लाख राजस्व प्राप्त हुआ। वनों के रख-रखाव पर वर्ष 2006-07 में रु0 22.30 लाख एवं वर्ष 2007-08 (जनवरी, 2008 तक) में रु0 20.74 लाख व्यय हुआ।

प्रभाग/रेन्ज स्तर पर राजस्व से प्राप्त धनराशि कोषागार में राजस्व लेखाशीर्षक में जमा की जाती है। केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत रामगढ़ टिकरी रेंज में विभिन्न वानिकी कार्यों आदि पर व्यय धनराशि प्राप्त राजस्व का वर्ष 2006-07 में लगभग 2.49 प्रतिशत एवं वर्ष 2007-08 में (माह जनवरी, 2008 तक) लगभग 3.27 प्रतिशत है।

मुख्य योजनायें जिला सेक्टर सामाजिक वानिकी योजना, औद्योगिक एवं पल्पउड योजना, वृक्षारोपण विस्तार योजना, इन्ट्रीग्रेटेड फारेस्ट, प्रोटेक्शन स्कीम व बारहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि है।

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर स्थित आरंगा झील को पक्षी विहार में सम्मिलित करने तथा सौन्दर्यीकरण हेतु आवंटित धनराशि

99-श्री राम विशुन आजाद-

क्या वन एवं जन्तु उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर स्थित अरंगा झील को पक्षी विहार में सम्मिलित किया गया ? यदि हां, तो कब ? अरंगा झील के सौन्दर्यीकरण पर वर्ष 2005 से दिसम्बर, 2007 तक शासन द्वारा कितना धन आवंटन हुआ एवं कितना धन व्यय किया गया ? क्या सरकार सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री फतेह बहादुर-

वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा-18 के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-1021/14-3-14/90, दिनांक 23-5-1990 द्वारा पक्षी विहार घोषित किया गया है।

झील के आस-पास के क्षेत्रों में किये गये कार्यों को सम्मिलित करते हुए वर्ष 2005-06 में 4.00 लाख रुपये, 2006-07 में 1.50 लाख की धनराशि आवंटित/व्यय की गई है। वर्ष 2007-08 में दिसम्बर, 2007 तक कोई धनराशि आवंटित नहीं है।

वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 में कराये गये कार्यों का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी "ग" आगे पृष्ठ 238 पर)

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा ट्रान्सफार्मरों की खरीद

100-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा विगत तीन वर्षों में किन-किन कम्पनियों से ट्रान्सफार्मर खरीदे गये हैं ? क्या यह सही है कि इनमें से कुछ कम्पनियां ब्लैक लिस्टेड थीं ? यदि हां, तो क्या इसके लिये दोषी अधिकारियों को दंडित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा पिछले तीन वर्षों में निम्नलिखित कम्पनियों से ट्रान्सफार्मर खरीदे गये हैं :-

1-मे0 एक्यूरेट ट्रान्सफार्मर्स लि0, सविता बिहार, दिल्ली।

2-मे0 लक्ष्मी ट्रान्सफार्मर्स एण्ड इलेक्ट्रिकल्स सिकन्दरा, आगरा।

3-मे0 राजस्थान ट्रान्सफार्मर्स एण्ड स्वीचगियर्स, आगरा।

4-मे0 टेक्नोक्रेट ट्रान्सफार्मर्स सिकन्दरा, आगरा।

5-मे0 टेक्निकल एसोसिएट्स, लि0 फैजाबाद रोड, लखनऊ।

6-मे0 ईस्ट इण्डिया उद्योग लि0, गाजियाबाद।

7-मे0 कैलाश ट्रान्सफार्मर्स, हाफिजपुर, आजमगढ़।

8-मे0 एसोसियेटेड इलेक्ट्रिकल्स प्रा0 लि0, गाजियाबाद।

9-मे0 यू0पी0 ट्रान्सफार्मर्स (इण्डिया) प्रा0 लि0, रायबरेली।

10-मे0 दयालोक ट्रान्सफार्मर्स, इलाहाबाद।

11-मे0 कमला ट्रान्सफार्मर्स प्रा0 लि0 प्रतापगढ़।

12-मे0 एपीएस पावर टेक इण्डिया प्रा0 लि0, लखनऊ।

13-मे0 पी0एम0 इलेक्ट्रानिक लि0 नोएडा।

14-मे0 सी0सी0आई0 ट्रान्सफारर्मर्स प्रा0 लि0, बाराबंकी।

15-मे0 यूनाइटेड इलेक्ट्रिकल्स एण्ड ट्रान्सफार्मर्स, रुड़की।

16-मे0 आनन्द ट्रान्सफार्मर्स प्रा0 लि0, फैजाबाद।

17-मे0 ट्रामसन (इण्डिया) मेरठ।

18-मे0 मा0 केला ट्रान्सफार्मर (प्रा0) लि0 भोगांव, मैनपुरी।

19-मे0 लारडमस इलेक्ट्रिकल्स प्रा0 लि0, रानीपुर, उत्तराखण्ड।

20-मे0 के0-सम्भव पावर ट्रोनिक्स, प्रा0लि0 नोएडा।

21-मे0 गिरनार ट्रान्सफार्मर आगरा।

22-मे0 डी0 पावर ट्रान्सफार्मर कानपुर।

23-मे0 माडर्न ट्रान्सफार्मर्स प्रा0 लि0 नोएडा/उत्तराखण्ड।

24-मे0 कोटसन्स प्रा0 लि0, आगरा।

25-मे0 जयको इलेक्ट्रिकल्स, मेरठ।

26-मे0 श्री राम ट्रान्सफार्मर, मेरठ।

27-मे0 ए0 पावरटैक इलैक्ट्रिकल्स, प्रा0 लि0, मेरठ।

28-मे0 ए0बी0 ट्रान्स प्रा0 लि0, किरतपुर।

29-मे0 इलेक्ट्रो ट्रान्सफार्मर, मुजफ्फनगर।

30-मे0 इलेक्ट्रो पावर इक्यूपमेंट, किरतपुर।

31-मे0 इलेक्ट्रोमेक इंजीनियरिंग इण्टरप्राइजेज, रामपुर।

32-मे0 गुप्ता ट्रान्सफार्मर, मुजफ्फरनगर।

33-मे0 एस0जे0 ट्रान्सफार्मर, रामपुर।

34-मे0 शक्ति इलेक्ट्रिकल्स एण्ड ट्रान्सफार्मर किरतपुर।

35-मे0 ऊषा ट्रान्सफार्मर्स एण्ड कट्रोलस प्रा0 लि0 गाजियाबाद।

36-मे0 यूनाइटिक, इलेक्ट्रिकल्स एण्ड ट्रान्सफार्मर, रुड़की।

37-मे0 एबीसी ट्रान्सफार्मर्स प्रा0 लि0 नोएडा।

38-मे0 हिलस्टोन, देहरादून।

39-मे0 ट्रांसटेक इलेक्ट्रिकल इण्डस्ट्रीज, मेरठ।

40-मे0 हाई टेक ट्रान्सफार्मर्स प्रा0 लि0, मेरठ।

41-मे0 महिन्द्रा ट्रान्सफार्मर्स प्रा0लि0, गाजियाबाद।

42-मे0 ट्रान्सट्रोन इलेक्ट्रिकल्स प्रा0लि0, मेरठ।

43-मे0 राजस्थान ट्रान्सफार्मर एण्ड स्विचगियर, जयपुर।

44-मे0 बेसल ट्रान्सफार्मर्स प्रा0लि0 रुड़की।

45-मे0 एप्सन ट्रान्सफार्मर, मेरठ।

46-मे0 राक्सन ट्रान्सफार्मर्स प्रा0लि0, मोहाली, (पंजाब)।

47-मे0 जे0बी0 इण्डस्ट्री, भटिंडा।

48-मे0 आर0के0 इण्डस्ट्रीज, लि0 बरेली।

49-मे0 कनोहर इलेक्ट्रिकल्स, लि0 मेरठ।

50-मे0 आदित्या वि0एप्ल0 थाणे।

51-मे0 भारत बिजली लि0 नई दिल्ली।

52-मे0 एम्को, थाणे।

53-मे0 ट्रान्सफार्मर रैक्टीफायर्स, इ0लि0, अहमदाबाद।

54-मे0 ऐरिवा टी0 एण्ड डी0 नैनी, इलाहाबाद।

55-मे0 ए0बी0बी0, बड़ौदा।

जी नहीं।

मे0 ईस्ट इण्डिया उद्योग लि0 गाजियाबाद को पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी द्वारा व्यापार निषिद्ध किया गया था तथा जिस अवधि में मे0 ईस्ट इण्डिया उद्योग लि0 गाजियाबाद से व्यापार निषिद्ध आदेश प्रभावी था उस अवधि में मे0 ईस्ट इण्डिया उद्योग लि0 गाजियाबाद से कोई परिवर्तक क्रय नहीं किया गया है। अब पुराने ट्रान्सफार्मर बदले जाने पर अनुमति दी गई है।

शेष उपरोक्त वर्णित फर्मों में से किसी भी फर्म को ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया था।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर के बस स्टेशन झकरकटी में ए0सी0 फूड प्लाजा की स्थापना

101-श्री सुन्दर लाल लोधी-

क्या **परिवहन** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम के बस स्टेशन झकरकटी, **कानपुर** के लिये ए0सी0 फूड प्लाजा का स्थापन निर्धारित की गई शर्तों के अनुरूप किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, **तो क्यों** ?

श्री राम अचल **राजभर**-

जी हां।

प्रश्न ही **नहीं** उठता।

प्रश्न ही **नहीं** उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

102-श्री कृष्ण गोपाल पटेल-

[अस्पष्टता के आधार पर निरस्त]

जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड आसपुर देवसरा में सम्पूर्ण रोजगार योजना के कार्यों में गड़बड़ी की जांच

103-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पंचायती राज अनुभाग-5 द्वारा निर्गत पत्र संख्या-24 ए0पी0सी0/33-2-2002, दिनांक 3 दिसम्बर, 2002 जो जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड आसपुर देवसरा में सम्पूर्ण रोजगार योजना के कार्यों में गड़बड़ी तथा नियमों के विपरीत प्राप्त तथ्यों के आधार पर जांच किये जाने से सम्बन्धित था, पर जांच कब शुरू की गई और कौन-कौन दोषी पाये गये तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू सिंह कुशवाहा-

श्री देवेन्द्र नाथ पाण्डेय, प्रमुख क्षेत्र पंचायत, आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़ के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की शासन द्वारा गठित टास्क फोर्स द्वारा दिनांक 09-10-02 को जांच प्रारम्भ की गई। टास्क फोर्स की जांच आख्या के आधार पर श्री पाण्डेय का शासन के पत्र संख्या-24 ए0पी0सी0/33-2-02, दिनांक 3-12-2002 द्वारा स्पष्टीकरण मांगा गया था, जिसके विरुद्ध श्री पाण्डेय द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच लखनऊ में रिट याचिका सं0 736 (एम0बी0)/2002 देवेन्द्र नाथ पाण्डेय बनाम राज्य सरकार व अन्य योजित की गई थी। उक्त रिट याचिका में मा0 उच्च न्यायालय ने दिनांक 07-01-2003 को यह आदेश पारित किये थे कि जब तक विस्तृत जांच नहीं हो जाती तब तक कोई दण्डात्मक कार्यवाही नहीं की जायेगी। शासन ने दिनांक 07-03-2003 द्वारा शिकायतों की अपर जिला मजिस्ट्रेट से जांच कराकर जांच आख्या उपलब्ध कराने हेतु जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ को निर्देश दिये गये थे।

प्रकरण में दिनांक 15-2-2004 को प्राप्त जांच आख्यानुसार पूर्व की कार्य योजना में खण्ड विकास अधिकारी एवं प्रमुख क्षेत्र पंचायत, आसपुर देवसरा के बीच सहमति न होने के कारण हुई प्रक्रियात्मक त्रुटि, जिसका कार्यान्वयन नहीं हुआ के लिये किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की आवश्यकता नहीं पाई गई।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के राष्ट्रीयकृत मार्गों पर निजी बसों को परमिट देने की व्यवस्था

104-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि राष्ट्रीयकृत मार्गों पर भी निजी बसों को परमिट देने की व्यवस्था लागू की जायेगी ? यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम अचल राजभर-

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-104 के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत मार्गों पर राष्ट्रीयकरण की योजना के प्राविधानों के अनुरूप ही परमिट निर्गत किये जा सकते हैं। राष्ट्रीयकरण की योजना में उपान्तरण कर निजी संचालकों को परमिट दिया जा सकता है। 475 राष्ट्रीयकृत मार्गों पर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रचालन को अनुपूरित करने के लिये निजी प्रचालकों को मंजिली गाड़ियां चलाने की अनुज्ञा प्रदान किये जाने हेतु मार्गों की राष्ट्रीयकरण की योजनाओं में उपान्तरण किये जाने हेतु अधिसूचना संख्या-1225/30-2-07-1(2)/07, दिनांक 12-12-2007 द्वारा आपत्तियां मांगी गई थीं। प्राप्त आपत्तियों पर श्रवणाधिकारी के स्तर पर सुनवाई की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के प्रतापपुर विधान सभा क्षेत्र में पिछले एक वर्ष में किसानों को निजी नलकूप हेतु दिये गये विद्युत कनेक्शन

105-श्री जोखूलाल यादव-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2007-2008 में जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के अन्तर्गत कितने किसानों को निजी नलकूपों हेतु छूट पर विद्युत कनेक्शन दिये गये ? सरकार शेष आवेदकों को कब तक विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करा देगी ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के अन्तर्गत वर्ष 2007-08 में प्राप्त लक्ष्यों के सापेक्ष 20 किसानों को सामान्य योजना के अन्तर्गत विद्युत संयोजन निर्गत किये जा चुके हैं।

सामान्य योजना के अन्तर्गत भविष्य में लक्ष्य की सीमा तक शेष कनेक्शन भी स्वीकृत कर दिये जायेंगे।

प्रदेश में स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत पिछले वित्तीय वर्ष में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष व्यय की गई धनराशि

106-डा0 अजय तोमर-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2006-2007 व वर्ष 2007-2008 में प्रदेश में स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत कितना धन अवमुक्त किया गया ? अवमुक्त किये गये धन में से अब तक कितने धन का उपयोग किया गया है ?

श्री बाबू सिंह कुशवाहा-

प्रदेश में स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2006-07 में रु0 24874.44 लाख तथा वर्ष 2007-08 में रु0 19818.28 लाख अवमुक्त किया गया है। अतः कुल रु0 44692.72 लाख अवमुक्त किया गया है।

अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष रु0 32084.56 लाख का उपयोग किया गया।

जनपद सीतापुर में प्रेस क्लब की स्थापना

107-श्री अनूप कुमार गुप्ता-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे जनपद सीतापुर में प्रेस क्लब के लिये पांच लाख रुपये की धनराशि वर्ष 2006 में स्वीकृत की गई थी ? यदि हां, तो प्रेस क्लब की स्थापना अब तक न किये जाने का क्या कारण है ? उक्त प्रेस क्लब का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

जी हां।

भूमि विवाद के कारण सीतापुर में प्रेस क्लब के भवन के निर्माण का कार्य सम्पादित नहीं कराया जा सका।

भूमि विवाद निर्णीत होने तक प्रेस क्लब का निर्माण कराया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद सीतापुर के बुनकरों को प्रशिक्षण व अनुदान देकर उनके जीवन स्तर में सुधार की कार्य योजना

108-श्री अनूप कुमार गुप्ता-

क्या हथकरघा वस्त्रोद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर में बुनकरों को प्रशिक्षण व अनुदान देकर उनका जीवन स्तर सुधारने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगदीश नारायण राय-

जी हां।

क्लस्टर विकास योजनान्तर्गत तृतीय फेस हेतु जनपद सीतापुर में प्रशिक्षण व अनुदान देकर बुनकरों को लाभान्वित कराने हेतु निदेशालय के पत्र संख्या-2205/ह0क0/एकी0हथ0वि0 यो0/क्लस्टर/2007-08 दिनांक 27-12-07 द्वारा रु0 41.05 लाख का प्रस्ताव विकास आयुक्त (हथकरघा) को स्वीकृति प्रदान करने के लिये भेज दिया गया है, जिसमें बुनाई प्रशिक्षण मद हेतु 20 लाभार्थियों को 60 दिन, रंगाई प्रशिक्षण हेतु 20 लाभार्थियों को 15 दिन एवं डिजाइन प्रशिक्षण हेतु 40 अभ्यर्थियों को 15 दिन की अवधि का प्रशिक्षण दिया जायेगा।

उपरोक्त प्रशिक्षण भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय के क्लस्टर योजना की गाइड लाइन्स के अनुसार बुनकर सेवा केन्द्र, चौकाघाट, वाराणसी द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। इस प्रशिक्षण में बुनकरों को प्रशिक्षण भत्ता, मास्टर ट्रेनर का भत्ता, कच्चा ाल, सूत, रंग, रसायन, मास्टर ट्रेनर रिफ्रेशर कोर्स, वारपिंग ड्रम, लूम अटैचमेंट तथा किराये पर शेड, बिजली तथा पानी एवं अन्य प्रशासनिक व्यय सम्मिलित हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर के विकास खण्ड उस्का बाजार के ग्राम पंचायत मोगलहा में व्यय की गई धनराशि

109-श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-सिद्धार्थनगर के विकास खण्ड-उस्का बाजार के ग्राम पंचायत-मोगलहा द्वारा पिछले 3 वर्षों (2005-2006, 2006-2007 एवं 2007-2008) में व्यय की गई सरकारी धनराशि का विवरण एवं कराये गये कार्यों का भौतिक सत्यापन करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू सिंह कुशवाहा-

जी हां।

इस निमित्त निदेशक पंचायती राज को 03 माह का समय दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला पंचायत सिद्धार्थनगर कार्यदायी संस्था द्वारा विकास खण्ड उस्का बाजार में कराये गये कार्य में व्यय की गई धनराशि

110-श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थ नगर में जिला पंचायत सिद्धार्थनगर कार्यदायी संस्था द्वारा विकास खण्ड उस्का बाजार में पिछले 3 वर्षों (2005-2006, 2006-2007 एवं 2007-2008) में कौन-कौन कार्य कराया गया और उन कार्यों पर कितनी-कितनी धनराशि व्यय की गई क्या यह सत्य है कि उक्त कार्य मानक के अनुरूप नहीं है ? क्या मंत्री जी उन कार्यों का टी0ए0सी0 से सत्यापन करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू सिंह कुशवाहा-

जिला पंचायत, सिद्धार्थनगर कार्यदायी संस्था द्वारा विकास खण्ड उस्का बाजार में वर्ष 2005-06 में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनान्तर्गत 13 कार्य वर्ष 2006-07 में 25 कार्य कराये गये हैं। उक्त कार्यों पर वर्षवार व्यय की गई धनराशि का विवरण संलग्नक "1", "2" संलग्न है।

वर्ष 2007-08 में कोई कार्य नहीं कराया गया है। समस्त कार्य मानक के अनुरूप कराये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

(संलग्नक के लिये देखिये नत्थी "घ" आगे पृष्ठ 239-242 पर)

जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र बांसी को विद्युत कटौती से मुक्त करने की मांग

111-श्री लालजी यादव-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर की विधान सभा क्षेत्र बांसी में बिजली की कटौती होने से किसानों के सामने गम्भीर संकट पैदा हो गया है तथा शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों का पठन-पाठन भी प्रभावित हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में नियमित रूप से बिजली आपूर्ति करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

प्रदेश में घोषित विद्युत आपूर्ति कार्यक्रम के अनुसार विद्युत आपूर्ति कराई जाती है। परन्तु स्थानीय व्यवधान एवं प्रणाली की सुरक्षा के दृष्टिगत कभी-कभी विद्युत कटौती करना अपरिहार्य हो जाता है।

विद्युत उपलब्धता के आधार पर निर्धारित रोस्टर के अनुसार विद्युत आपूर्ति करने का हर सम्भव प्रयास किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद उन्नाव के ब्लाक सिकन्दरपुर के ग्राम कन्नीपुर शिवपुरी के टूटे बिजली के तार व खम्भों को लगाने के सम्बन्ध में पत्र

112-श्री सुन्दर लाल लोधी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के ब्लाक सिकन्दरपुर कर्ण के ग्राम कन्नीपुर शिवपुरी जो पूर्व से अम्बेडकर ग्राम घोषित है, के सैकड़ों ग्रामवासियों ने ग्राम के टूटे बिजली के तारों का खम्भों के लगाने के सम्बन्ध में दिनांक 11-9-07 को तहसील दिवस में सदर उन्नाव के अधिकारियों को प्रार्थना-पत्र दिया था ? यदि हां, तो क्या उक्त समस्या का निराकरण कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वर्ष 2000 से 2008 तक उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को हुआ राजस्व घाटा

113-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2000 से जनवरी, 2008 तक उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को कितना राजस्व घाटा हुआ है ? यह घाटा किन सरकारी विभागों/उपक्रमों की लापरवाही के कारण हुआ है तथा इस घाटे को रोकने हेतु कोई कार्य योजना बनी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

वर्ष 2000 से (14-1-2000 से) 31 मार्च, 2007) तक के उपलब्ध लेखों के अनुसार उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 का कुल राजस्व घाटा रु0 7311.93 करोड़ का हुआ है।

इस घाटे के प्रमुख कारण निम्नवत् हैं :-

1. विद्युत आपूर्ति के मूल्य के बराबर विद्युत की विक्रय दर प्राप्त न हो पाना।
2. प्रदेश में व्यापक विद्युतीकरण कार्यक्रमों के कारण बढ़ी हुई मांग के कारण विद्युत की मांग बढ़ गई है जिसके कारण बढ़ी हुई दरों पर विद्युत क्रय करना पड़ रहा है परन्तु उसके सापेक्ष विद्युत के विक्रय दर में बढ़ोत्तरी नहीं हो पा रही है।
3. ग्रामीण उपभोक्ताओं को विशिष्ट घटी हुई दरों पर उपलब्ध कराई जा रही है।
4. क्रय की गई ऊर्जा को उपभोक्ता तक पहुंचाने तक में लाइन हानियों का अधिक होना।

घाटे को रोकने के लिये निम्नलिखित कार्यवाही की जा रही है :-

1. लाइन हानियों में कमी लाने के उद्देश्य से विद्युत फीडरों पर मीटर लगाये जाने का कार्य पूरा किया जा रहा है।
2. प्रदेश में ए0बी0सी0 कन्डक्टर लगाये जा रहे हैं जिससे विद्युत चोरी एवं कटिया कनेक्शनों में कमी आ सके।
3. कटिया कनेक्शनों को सामान्य संयोजन में बदलने हेतु प्राथमिक भुगतान रु0 250/- मात्र ही लिये जाने की योजना चालू की गई है।
4. लगभग 8600 गांवों में राजस्व वसूली हेतु ग्रामीण फ्रेन्चाइजी नियुक्त किये गये हैं।
5. विद्युत चोरी के रोकथाम के लिये जांच/छापा दलों में वृद्धि की गई है।
6. निगम द्वारा हेल्पलाइन चालू की गई है जिस पर विद्युत चोरी सम्बन्धी सूचनायें एवं उपभोक्ता अपनी शिकायतें भेज सकते हैं। हेल्पलाइन का नम्बर 0522-2287749, 287747, 2287092, 2287831 है। विद्युत चोरी एवं उपभोक्ता सम्बन्धी शिकायतें ई-मेल पर भी भेजी जा सकती हैं।
7. सभी नगर निगमों एवं नगर पालिकाओं को स्ट्रीट लाइनों पर टाइमर स्विच लगाने की सलाह दी गई है जिससे विद्युत की बरबादी बचाई जा सके।
8. आइस फैक्ट्री एवं कोल्ड स्टोरेज में डबल मीटरिंग की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर के कल्यानपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विद्युत आपूर्ति

114-श्रीमती प्रेमलता कटियार-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कल्यानपुर विधान सभा क्षेत्र के कानपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में आने वाले गांवों में हाइडिल द्वारा विद्युत आपूर्ति होने से नागरिकों को

समय पर बिजली न मिलने से कठिनाई हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार क्षेत्रीय जनता की कठिनाई को देखते हुए केस्को द्वारा विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

कल्यानपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले गांवों का विद्युत आपूर्ति आदेशित विद्युत आपूर्ति कार्यक्रम के अनुसार किये जाने का हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है।

कानपुर विद्युत आपूर्ति प्रशासन (केसा) के अन्तर्गत केसा जोन का क्षेत्र नवगठित केस्को कम्पनी को हस्तान्तरित किया गया था। अतः केस्को कम्पनी द्वारा तत्कालीन केसा जोन क्षेत्र के अन्तर्गत सम्मिलित सभी क्षेत्रों को ही विद्युत आपूर्ति किये जाने का प्राविधान है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गोण्डा के मनकापुर विधान सभा क्षेत्र में विद्युत सम्बन्धी कार्यों में की गई अनियमितता की जांच

115-श्री राम विशुन आजाद-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि विधान सभा क्षेत्र मनकापुर जनपद गोण्डा में विद्युत सम्बन्धी कार्यों में की गई अनियमितताओं की जांच कराये जाने तथा दोषी अभियन्ताओं को दण्डित करने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र क्रमांक-कम्प्यूटर सं0 सी-10095101, पत्र सं0-सी0 एम0-विधायक कोष्टक/एम/ 95181/2004 पर प्रमुख सचिव, ऊर्जा को दिनांक 11-2-2004 को जांच कराने हेतु प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

अधीक्षण अभियन्ता, गोण्डा द्वारा जांच हेतु समिति गठित कर दी गई है, जांच आख्या प्राप्त होने पर कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

116-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

[2सरे सोमवार के अता0प्र0सं0-126 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद गोण्डा के मनकापुर विधान सभा क्षेत्र में विद्युतीकरण हेतु चयनित गांव

117-श्री राम विशुन आजाद-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में वर्ष 2001-2002 और 2002-2003 में जिला योजना के अन्तर्गत कितने गांव विद्युतीकरण हेतु

चयनित किये गये ? क्या चयनित सभी गांवों का विद्युतीकरण करा दिया गया है ? क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त चयनित ग्रामों को राजीव गांधी विद्युत योजना में भी चयनित दिखाया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त अनियमितता की जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जनपद गोण्डा में वर्ष 2001-2002 और 2002-03 में जिला योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण हेतु किसी ग्राम का चयन नहीं किया गया था।

उपरोक्तानुसार।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गोण्डा में सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत क्षेत्र पंचायतों को आवंटित धन तथा व्यय

118-श्री राम विशुन आजाद-

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा में सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2004-05, 2005-06 एवं 2006-07 में किन-किन क्षेत्र पंचायतों में कितना धन आवंटन किया गया और कितना व्यय किया गया ? कितने कार्य पूरे कराये गये और कितने अधूरे पड़े हैं ? अधूरे कार्यों को कब तक पूरा करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू सिंह कुशवाहा-

वर्ष 2004-05, 2005-06 एवं 2006-07 में जनपद गोण्डा की समस्त क्षेत्र पंचायतों में लक्ष्य के अनुसार 42523 व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण हेतु मु0 63164500.00 रुपये की धनराशि आवंटित करके 38549 व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण कराकर मु0 57203500.00 रुपये का उपभोग/व्यय किया गया तथा 3974 व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण कार्य निर्माणाधीन/प्रगति पर है, जो 31 मार्च, 2008 तक पूर्ण करा लिये जायेंगे।

इसी प्रकार वर्ष 2004-05, 2005-06 एवं 2006-07 में समस्त क्षेत्र पंचायतों में लक्ष्य के अनुसार 836 स्कूल शौचालयों के निर्माण हेतु मु0 16056800.00 रुपये की धनराशि आवंटित करके 826 स्कूल शौचालयों का निर्माण कराकर मु0 15856800.00 रुपये का व्यय/उपभोग कर लिया गया है तथा 10 स्कूल शौचालयों का निर्माण कार्य निर्माणाधीन/प्रगति पर है जो 31 मार्च, 2008 तक पूर्ण करा लिये जायेंगे।

जनपद गोण्डा में पंचायती राज विभाग की ग्यारहवें तथा बारहवें वित्त अयोग द्वारा मदवार आवंटित धनराशि

119-श्री राम विशुन आजाद-

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा में पंचायती राज विभाग को वर्ष 2005-06 व 2006-07 में ग्यारहवें तथा बारहवें वित्त आयोग से किन-किन मदों से कितनी-कितनी धनराशि का आवंटन हुआ ? उक्त धनराशि से अब तक कितने कार्य पूर्ण कराये गये तथा कितने कार्य अपूर्ण हैं ?

श्री बाबू सिंह कुशवाहा-

जनपद गोण्डा में बारहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत वर्ष 2005-06 व 2006-07 में क्रमशः धनराशि रुपये 310.74 लाख व रु0 014.54 लाख नाली खड़न्जा निर्माण, स्वच्छता कार्यक्रम लेखों का रख-रखाव पेयजल सड़क लेपन तथा पुलिया निर्माण हेतु आवंटित किया गया।

ग्राम पंचायतों द्वारा समस्त कार्य पूर्ण करा लिये गये हैं तथा जिला पंचायत गोण्डा में वर्ष 2005-06 में 11 कार्य पूर्ण तथा 02 कार्य अपूर्ण है जो प्रगति पर है। वर्ष 2006-07 में 04 कार्य पूर्ण है तथा 13 कार्य अपूर्ण हैं, जो प्रगति पर है।

गोरखपुर के श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण में न्यायाधिकारी/न्यायाधीश के पद रिक्त होने से लम्बित मुकदमें तथा रिक्त पदों को भरे जाने हेतु शासन की नीति

120-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर के श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण में जुलाई, 2004 से किसी न्यायाधिकारी/न्यायाधीश की नियुक्ति न होने के कारण कितने मुकदमें लम्बित हैं ? रिक्त पदों को भरे जाने के सन्दर्भ में शासन ने क्या नीति निर्धारित की है ?

श्री बादशाह सिंह-

दिनांक 1-1-2008 की स्थिति के अनुसार औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालय गोरखपुर में लम्बित वादों की संख्या निम्नवत् है :-

(1) औद्योगिक न्यायाधिकरण (6) गोरखपुर-245

(2) श्रम न्यायालय, गोरखपुर-2380

शासन की विज्ञप्ति संख्या क्रमशः-1267/36-2-07-10/06, 1272/36-2-07-10/06, दिनांक 6-9-07 द्वारा न्यायमूर्ति श्री मुक्तेश्वर प्रसाद (सेवानिवृत्त) की नियुक्ति औद्योगिक न्यायाधिकरण (6) गोरखपुर में पीठासीन अधिकारी के पद पर एवं श्री सुबोध कुमार भट्ट, जिला जज (सेवानिवृत्त) की नियुक्ति श्रम न्यायालय, गोरखपुर में पीठासीन अधिकारी के पद पर की गई है। लेकिन अभी तक संबंधित दोनों पीठासीन अधिकारियों द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है।

श्रम न्यायालयों एवं औद्योगिक न्यायाधिकरणों में पीठासीन अधिकारी के पद पर सेवानिवृत्त न्यायाधीशों, भारतीय प्रशासनिक सेवा, उच्च न्यायिक सेवा (अधिशासी शाखा), राज्य सिविल सेवा के सेवानिवृत्त एवं राज्य श्रम सेवा के कार्यरत/सेवानिवृत्त अधिकारियों से तैयार किये गये पैनल से नियुक्ति की जाती है। पीठासीन अधिकारी के पद पर नियुक्ति तीन वर्ष के लिये या नियुक्त व्यक्ति के 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी कम हो, की जाती है।

121-श्री लल्लू सिंह-

[2सरे सोमवार के अता0प्र0सं0-127 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

122-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

[दिनांक 27-2-08 के अता0प्र0सं0-54 द्वारा उत्तरित]

जनपद सोनभद्र में स्वीकृत खनन पट्टों को भ्रामक सूचना दिये जाने की जांच विषयक प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही

123-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या भूतत्व एवं खनिकर्म मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री दशरथ प्रसाद चौधरी तथा श्री समरजीत निषाद जिला सोनभद्र का संयुक्त प्रार्थना-पत्र जो जनपद सोनभद्र के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा 41 स्वीकृत खनन पट्टों को नियम-9 (क) में बताये जाने, उच्चाधिकारियों को भ्रामक सूचना दिये जाने और गलत तथ्य बताये जाने की जांच कराकर कार्यवाही किये जाने विषयक था, सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म को माह सितम्बर, 2007 में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू सिंह कुशवाहा-

जी हां।

प्राप्त पत्र पर सम्यक् विचारोपरान्त कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं पाई गई।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सोनभद्र के ग्राम पटवध में बालू/मौरंग खनन पट्टा नवीनीकरण किये जाने सम्बन्धी मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन कराये जाने सम्बन्धी जानकारी

124-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या भूतत्व एवं खनिकर्म मंत्री बताने की कृपा करेंगे जनपद सोनभद्र के ग्राम पटवध के आराजी सं0 1910 मि0 (लाट सं0-2) के बालू/मौरंग खनन पट्टा नवीनीकरण किये जाने से सम्बन्धित मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका सं0-41054/06 में पारित आदेश, दिनांक 2-8-06 के अनुपालन के क्रम में जिला अधिकारी, सोनभद्र के पत्र सं0-115/खनिज/खनन पट्टा/ नवीनीकरण 07/03/04 दिनांक 31-1-2007 एवं पत्र संख्या-174/ खनिज/खनन पट्टा

नवीनीकरण 7-3-04 दिनांक 13-2-2007 द्वारा नवीनीकरण किये जाने की संस्तुति करते हुए सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म को प्रेषित किया है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू सिंह कुशवाहा-

जी हां।

विषयगत प्रकरण में मूल खनन पट्टा उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली, 1963 के नियम 9 (क) के अन्तर्गत स्वीकृत किया गया था, जिसे मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अल्ट्रावायरस घोषित किये जाने के फलस्वरूप उक्त नियम 9 (क) को नियमावली, 1963 से 26वें संशोधन द्वारा निकाल दिया गया है। अतः जिलाधिकारी सोनभद्र के पत्र दिनांक 13-2-07 द्वारा उपलब्ध कराई गई प्रश्नगत पट्टे की नवीनीकरण विषयक संस्तुति औचित्यपूर्ण नहीं पाई गई।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड नकहा फूलबेहड़ तथा बिजुआ में पेयजल की आपूर्ति

125-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड नकहा फूलबेहड़ तथा बिजुआ में पेयजल आपूर्ति हेतु खराब हैण्डपम्पों को कब तक ठीक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू सिंह कुशवाहा-

जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड नकहा फूल बेहड़ तथा बिजुआ में सामान्य रूप से खराब हैण्डपम्पों को ग्राम पंचायतों द्वारा एक सप्ताह में ठीक करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलरामपुर के रेहरा बाजार के तार व पोल बदलने के कार्य को पूर्ण कराये जाने की मांग

126-श्री आरिफ अनवर हाशमी

विधान सभा के द्वितीय सत्र 2007 के द्वितीय शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 41 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिये गये उत्तर में कहा गया था कि जनपद बलरामपुर के रेहरा बाजार के तार एवं पोल बदलने हेतु रु0 12.21 लाख का प्राक्कलन बनाया गया है तथा यह कार्य प्रणाली सुधार के अन्तर्गत दिनांक 31 दिसम्बर, 2007 तक पूरा करा दिया जायेगा ? क्या यह सही है कि उक्त कार्य अभी शुरू ही नहीं किया गया है ? यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ? उक्त कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

जी हां।

टूटे खम्भों एवं जर्जर तारों को बदलने का प्राक्कलन पूर्व में स्वीकृत किया गया था, परन्तु एल0 टी0 के जर्जर तारों के स्थान पर एरियल बंच कन्डक्टर लगाने के निर्णय के कारण प्राक्कलन को संशोधित किया गया है, जिसकी स्वीकृत करने के पश्चात् निविदा आमंत्रित की प्रक्रिया पूर्ण कर कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

कार्य जून, 2008 तक पूर्ण करा दिया जायेगा।

प्रदेश में कुटीर/लघु उद्योगों को प्रोत्साहन हेतु सरकार द्वारा किये जा रहे कार्य

127-डा0 अनिल चौधरी-

क्या लघु उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुटीर उद्योगों/लघु उद्योगों के प्रोत्साहन हेतु सरकार द्वारा क्या कार्य किये जा रहे हैं ? प्रदेश में शासन द्वारा जिला व विकास खण्ड स्तर पर स्थापित विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों की वर्तमान में क्या संख्या है ? क्या इन केन्द्रों में से बन्द केन्द्रों को पुनर्जीवित करने की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्रदेव-

प्रदेश में कुटीर उद्योगों/लघु उद्योगों के प्रोत्साहन हेतु प्रदेश के प्रत्येक जिले में स्थित जिला उद्योग केन्द्रों में उद्योग स्थापित करने वाले उद्यमियों द्वारा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के प्राविधिानों के अन्तर्गत ज्ञापन दाखिल किये जाने की व्यवस्था है, जिसके उपरान्त उद्यमियों को उद्यम की स्थापना हेतु अपेक्षित सुविधायें उपलब्ध करायी जाती हैं। इसके अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष के लिये 33,000 लघु उद्यम की स्थापना का लक्ष्य है, जिसके सापेक्ष अभी तक 23,248 उद्यम स्थापित हो चुके हैं।

प्रदेश में शासन द्वारा जिला व विकास खण्ड स्तर पर स्थापित औद्योगिक आस्थानों की संख्या-80 तथा मिनी औद्योगिक आस्थानों की संख्या-168 है।

जी हां।

रिक्त मिनी औद्योगिक आस्थानों की जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा सार्वजनिक तौर पर नीलामी की व्यवस्था है तथा रिक्त भूखण्डों को निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों/अस्पताल/नर्सिंग होम/हैल्थ क्लब एवं व्यापारिक/औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु एकमुश्त में आवंटन करने/नीलामी के आधार पर बेचे जाने की कार्ययोजना है।

जनपद गोण्डा के दक्षिण गोण्डा वन प्रभाग के ग्राम पिपरा ग्रान्ट में उत्पादन को पुनः प्रारम्भ कराये जाने की मांग

128-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के दक्षिण गोण्डा वन प्रभाग के ग्राम पिपरा ग्रान्ट में रेशम कीट पालन कर रेशम का उत्पादन किया जा रहा था ? क्या उसे बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इसे पुनः शुरू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगदीश नारायण राय-

जी हां।

जी नहीं।

जनपद गोण्डा के दक्षिण गोण्डा वन प्रभाग के ग्राम पिपरा ग्रान्ट में रेशम कीटपालन एवं कोया उत्पादन का कार्य पूर्ववत निरन्तर संचालित किया जा रहा है। उक्त ग्राम के 7.41 एकड़ भूभाग पर राजकीय रेशम फार्म स्थापित है। समीपवर्ती इच्छुक कृषकों द्वारा प्रत्येक कीटनाशक फसल में कीटपालन कर रेशम कोये का उत्पादन किया जा रहा है। क्षेत्र के लाभार्थियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2005-06 में 786.800 कि0ग्रा0 वित्तीय वर्ष 2007-08 में अब तक 632.00 कि0ग्रा0 कोया उत्पादन किया जा चुका है।

वर्ष 2007-08 में इस क्षेत्र में 15 कृषकों को कैटालिटिक विकास योजना के अन्तर्गत कीटपालन गृह निर्माण हेतु रु0 10000.00 प्रति कीटपालन गृह की दर से वित्तीय सहायता भी प्रदत्त कराई गई है। इस प्रकार इस क्षेत्र में विभाग द्वारा रेशम के विकास का कार्य निरन्तर किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के वन प्रभागों में दुर्लभ जाति के जानवरों को शिकारियों से बचाने के लिये प्रतिवर्ष व्यय की जाने वाली धनराशि

129-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या वन एवं जन्तु उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के वन प्रभागों में दुर्लभ जाति के जानवर बाघ, तेन्दुआ, गुलदार, हिरन बारासिंहा, मोर आदि को शिकारियों से बचाने के लिये सरकार प्रति वर्ष कितना धन खर्च करती है ? विगत 6 माह में वन्य जीवों का अवैध शिकार करने वाले कितने व्यक्तियों पर कार्यवाही की गई ? क्या सरकार वन्य जीवों के संरक्षण हेतु कोई नई दूरगामी योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फतेह बहादुर-

प्रदेश में स्थापित राष्ट्रीय पार्क एवं 24 वन्य जीव बिहारों, प्रोजेक्ट टाइगर एवं प्रोजेक्ट एलीफैन्ट क्षेत्र में वास कर रहे विभिन्न प्रजाति के वन्य जीवों के संरक्षण, संवर्धन हेतु निम्नलिखित योजनाओं के अन्तर्गत विगत तीन वर्षों में उपलब्ध कराई गई धनराशि का का विवरण निम्नवत् है :-

धनराशि रु0 लाख में

योजना का नाम	2004-05	2005-06	2006-07
1-प्रोजेक्ट टाइगर	265.62	242.52	309.73
2-राष्ट्रीय पार्क एवं वन्य जीव विहारों का विकास	292.51	346.78	333.81
3-प्रोजेक्ट एलीफैन्ट	11.50	--	6.20
योग :	**569.63**	**589.30**	**649.74**

उक्त के अतिरिक्त अन्य श्रोतों से प्राप्त धनराशि से भी आंशिक सहायता मिलती रहती है।

विगत 6 माह में विभिन्न वन्य जीवों के अवैध शिकार आदि के मामलों 52 व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की गई।

प्रदेश में वन्यजीवों के संरक्षण किये जाने की दिशा में प्रोजेक्ट टाइगर, राष्ट्रीय पार्क एवं वन्य जीवविहारों का विकास व प्रोजेक्ट एलीफैन्ट दूरगामी योजना का ही भाग है।

130-डा0 धर्मपाल सिंह-

[2सरे सोम0 के अता0प्र0सं0-124 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री श्यामदेव राय चौधरी-

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आज नत्थी "ख" में मेरा तारांकित प्रश्न संख्या-1 लगा था। उसका 15वें सोमवार के लिये स्थानान्तरित कर दिया गया है। मान्यवर, यह सरकार महापुरुषों के स्मारक बनाने में और उनको संरक्षित करने में रुचि दिखा रही है। इसमें किसी को एतराज भी नहीं हो सकता है। मान्यवर, स्वतंत्रता संग्राम की अप्रतिम योद्धा जिनका जन्म वाराणसी में हुआ था, महारानी लक्ष्मीबाई जी, उनका स्मारक बनाने के संबंध में मैंने यह प्रश्न लगाया था। यह लगभग दो महीने पहले दिया था। मुझे उसका उत्तर कोई सकारात्मक या नकारात्मक मिलने के बजाय उसे 15वें सोमवार के लिये स्थानान्तरित कर दिया गया है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब क्या 15वां सोमवार आयेगा। मान्यवर, उस अप्रतिम योद्धा और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का वाराणसी में स्मारक बने यह हम चाहते हैं। जब सरकार दूसरे महापुरुषों का स्मारक बनवा रही है तो क्या महारानी लक्ष्मी बाई के प्रति संवेदनशीलता प्रकट करते हुए स्मारक बनाने के प्रति रुचि प्रदर्शित करेगी।

श्री अध्यक्ष-

यह किन परिस्थितियों में स्थानान्तरित हुआ है, चौधरी साहब यह हम दिखवा लेते हैं।

*श्री राम विशुन आजाद-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जो हमारा आज प्रश्न था। मंत्री जी ने उसका गलत उत्तर दिया है। जो फसल का नुकसान होता है वह कैसे पता चले किसके द्वारा हुआ है। यह कह दिया कि हाथी का पांव भारी होता है। नीलगाय, जंगली गाय और सुअर किन जानवरों से किसानों की फसलों को नुकसान होता है यह उनके खुर से उसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस जानवर ने नुकसान किया है। मान्यवर, मैं आपको सूचना दे रहा हूं कि नियम 49 के अन्तर्गत इस

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पर चर्चा करा ली जाय। यह पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों का मामला है। सरकार इस तरह से हंसी उड़ाकर यह कर दे कि यहां पर हाथी की सरकार है और हाथी ही सबसे ज्यादा है तो हाथी ही पूरे प्रदेश की जनता के किसानों की फसल को चरेंगे। मैं आपके माध्यम से इस सूचना दे रहा हूं नियम 49 के अन्तर्गत आप इस सूचना को स्वीकार कीजिये, और इस पर एक घंटे की चर्चा कराई जाये तभी पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों का भला हो सकता है और उत्तर प्रदेश के किसानों को क्षतिपूर्ति दी जा सकती है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठें।

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 29 फरवरी, 2008 को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 6 सूचनायें प्राप्त हुई। प्राप्त सूचनाओं में से निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गईं। पहली सूचना श्री राम प्रकाश कुशवाहा की विधान सभा क्षेत्र घाटमपुर जनपद कानपुर नगर में 16 घण्टे विद्युत आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में, दूसरी सूचना श्री सुरेश्वर सिंह की जनपद बहराइच के कोतवाली नानपारा अन्तर्गत ग्राम धनौली समोखन में भगवान शिव का अरघा तोड़े जाने की उच्चस्तरीय जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही कराने के सम्बन्ध में, तीसरी सूचना श्री महेश चन्द्र गुप्ता की जनपद बदायूँ से बरेली मार्ग पर रामगंगा से बरेली तक के क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, चौथी सूचना चौ0 सत्यपाल सिंह अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र खैर, विकास खण्ड टप्पल में पेयजल समस्या से ग्रस्त गांवों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति कराने के सम्बन्ध में, पांचवीं सूचना श्री पूरन प्रकाश जनपद मथुरा के निर्वाचन क्षेत्र गोवर्धन में सिंचाई हेतु लालपुर फीडर के निर्माण हेतु विचाराधीन परियोजना को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है। माननीय सदस्य का नाम जिनकी सूचना अस्वीकार की गई श्री आलोक कुमार शाक्य हैं।

(स्वीकार की गई सूचनायें पढ़ी हुई मानी गईं।)

विधान सभा क्षेत्र घाटमपुर जनपद कानपुर नगर में 16 घंटे विद्युत आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम प्रकाश कुशवाहा-

[महोदय, अवगत कराना है कि बुन्देलखण्ड से सटी हुई जनपद कानपुर नगर की विधान सभा घाटमपुर में भी चार वर्षों से सूखा पड़ रहा है। सम्पूर्ण क्षेत्र कृषि प्रधान है। भौगोलिक

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

परिस्थिति तथा अवर्षण के कारण कृषक वर्ग सिंचाई के लिये सिर्फ नलकूपों पर आश्रित है। विधान सभा क्षेत्र घाटमपुर में मात्र दो-तीन घंटे विद्युत आपूर्ति होने से सिंचाई नहीं हो पा रही है। फलतः रबी की फसल सूखने लगी है। विद्युत आपूर्ति न होने से परीक्षार्थी भी अध्ययन में कष्ट उठा रहे हैं। फलस्वरूप किसानों के साथ विद्यार्थियों का भी भविष्य चौपट होने की सम्भावना है। विधान सभा क्षेत्र घाटमपुर में समुचित मात्रा में विद्युत आपूर्ति न होने से भयंकर जनाक्रोश व्याप्त है।

अतएव इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए विधान सभा क्षेत्र घाटमपुर जनपद कानपुर नगर के लिये 16 घण्टे विद्युत आपूर्ति की मांग करता हूं।]

बहराइच की कोतवाली नानपारा के ग्राम धनौली समोखन में भगवान शिव का अरघा तोड़े जाने की जांच कराकर दोषीजनों के विरुद्ध कार्यवाही कराने विषयक नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश्वर सिंह-

[महोदय, दिनांक 20 जनवरी, 2008 को सायं 4.00 बजे मोहनलाल पुत्र पुत्तीलाल (अनु0 जाति) निवासी धनौली समोखन, थाना कोतवाली नानपारा के घर के सामने भगवान शिव का अरघा जो विगत कई वर्षों से स्थापित है, को धार्मिक उन्माद फैलाकर अब्दुल हलीम निवासी धनौली, रियासत, सहादत अली निवासी धर्मपुर ने चालीस पचास अन्य ताजियादारों को उकसाकर तोड़वा दिया साथ ही मोहन दलित एवं अन्य हिन्दुओं को नंगी तलवार लेकर दौड़ाया। स्थल पर लगी फूल पत्तियों को काट दिया अथवा उखाड़ दिया गया जिसमें मु0अ0सं0 39/08 धारा 153ए, 295 आई0पी0सी0 3 (1)/एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट व 7 क्रिमनल लॉ एमेन्डमेंट ऐक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत है।

इतने संवेदनशील मुद्दे पर अभी तक सभी मुल्जिमानों के विरुद्ध समुचित एवं प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई, जिससे क्षेत्र में आम नागरिक एवं जन-मानस में आक्रोश व्याप्त है।

जनहित, न्यायहित एवं समाज हित में परम आवश्यक है कि सम्पूर्ण प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी लोगों के विरुद्ध समुचित एवं प्रभावी कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर कराने के निर्देश दिये जायें जिससे कि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति न हो।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए अविलम्ब कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद बदायूं से बरेली मार्ग पर रामगंगा से बरेली तक के क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री महेश चन्द्र गुप्ता

[महोदय, बरेली से मथुरा प्रमुख राजमार्ग है। बदायूं से बरेली मार्ग पर रामगंगा से बरेली तक लगभग 6 कि0मी0 सड़क इतनी क्षतिग्रस्त हो गई है कि इस पर चलना कठिन हो गया है। इस मार्ग में बड़े-बड़े गड्ढे हो जाने के कारण ट्रक एवं अन्य भारी वाहन गड्ढों में फंस जाते हैं

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जिसके कारण जाम लग जाता है। इस मार्ग में यह नहीं पता चल पा रहा है कि सड़क में गड्ढे है। अथवा गड्ढे में सड़क है। मार्ग के क्षतिग्रस्त होने के कारण ट्रक, ट्रैक्टर-ट्राली फंस जाती है और पलट भी जाती है जिसके कारण दुर्घटनायें होती हैं जनहित में इस मार्ग का निर्माण अति आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए रामगंगा से बरेली तक के मार्ग का निर्माण अविलम्ब कराये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र खैर के विकास खण्ड टप्पल में पेयजल समस्या से ग्रस्त गांवों को शुद्ध पेयजलापूर्ति कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

चौ0 सत्यपाल सिंह-

[विधान सभा क्षेत्र खैर के वि0खं0 टप्पल जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत आने वाले गांव गम्भीर पेयजल समस्या से जूझ रहे हैं। इन ग्रामों में पानी खारा होने के कारण पीने के योग्य नहीं है। साथ ही पानी में फ्लोराइड, आर्सनिक, मैगनीशियम, कापर, आयरन इत्यादि की मात्रा भी पेयजल के मानकों से अधिक है ग्रामीणों को तीन कि0मी0 की दूरी तक से पेयजल की व्यवस्था करनी पड़ रही है विशेष रूप से प्रभावित विकास खण्ड टप्पल के आदमपुर, मालव, पखौदना, जैदपुरा, घंघौली, ऊंटासानी, सालपुर, राघवगढ़ी, पीडीरिया, दरियापुर, कल्याणपुर, करनपुर, जडाना, नगलिया, भरतपुर, बझेडा, नगलिया, हरसुख, जडतौली, मादक, बीघागढ़ी आदि गांव हैं।

उपरोक्त गांव में विशेषकर कार्ययोजना बनाकर जनस्वास्थ्य के मद्देनजर अत्यन्त जरूरी है। साथ ही टप्पल ब्लाक के जडतौली, सालपुर, बाजौता, गांवों की पेयजल योजना निष्प्रभावी हो चुकी है। इनकी लाइनों का अनुरक्षण भी प्राथमिकता पर किया जाना जरूरी है। पीने की पानी सप्लाई की पाइप लाइने नष्ट हो चुकी हैं या डाली भी नहीं गई है।

अतएव इस अविलम्बनीय महत्व के प्रश्न को आपके माध्यम से सदन में प्रस्तुत कर जनपद अलीगढ़ की विकास खण्ड टप्पल के पेयजल समस्या से ग्रस्त गांवों में शुद्ध पेय जल की आपूर्ति कराने की मांग करता हूं।]

जनपद मथुरा के निर्वाचन क्षेत्र गोवर्धन में सिंचाई के लिए लालपुर फीडर के निर्माण हेतु विचाराधीन परियोजना को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री पूरन प्रकाश-

[जनपद मथुरा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र गोवर्धन सुरक्षित हैं एवं कृषि प्रधान क्षेत्र है सिंचाई के पानी अभाव में क्षेत्र के 25 गांव प्रभावित हैं गोवर्धन क्षेत्र में सिंचाई का एक मात्र साधन

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सब डिवीजन लोवर आगरा कैनाल मथुरा है। क्षेत्र में लालपुर माइनर के माध्यम से आगरा नहर के कि0मी0 0131.670 बाये किनारे से अडींग रजबहा के कि0मी0 23.058 पर जल उपलब्धता हेतु लालपुर फीडर के निर्माण की परियोजना जिसकी की अनुमानित लागत रुपये 48.75 लाख है, विभाग में काफी दिनों विचाराधीन है। जिसमें कि मा0 सिंचाई मंत्री ने अतारांकित प्रश्न संख्या-42 के प्रथम सत्र 2008 के तीसरे बुधवार के जवाब में स्वीकार किया है क्या तुरन्त धनराशि मुक्त कर किसान हित में अच्छा होगा।

अतः इस सम्बन्ध में सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्यवाही की मांग करता हूं।]

औचित्य के प्रश्न की सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

अब मैं नियम 300 की सूचनायें ले रहा हूं।

पहली सूचना श्री प्रमोद तिवारी की उत्तर प्रदेश विधान सभा के पार्टी कार्यालयों, माननीय सदस्यों के वाहनों की पार्किंग, विधान सभा सचिवालय के समिति कक्षों एवं कार्यालयों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए विधान सभा का परिसर बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में है, सुनी जायेगी, दूसरी सूचना श्री अनूप कुमार गुप्ता की विधान सभा के वर्तमान सत्र के अधिवेशन काल में जिलाधिकारी, सीतापुर द्वारा दिनांक 28 फरवरी, 2008 को निर्धारित सदन का उपवेशन भी था, मिश्रिख में लगने वाले फाल्गुन मेला सम्बन्धी बैठक बुलाये जाने के सम्बन्ध में है, सुनी जायेगी। निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं नहीं सुनी जायेंगी, श्री जावेद अंसारी, श्री आर0 के0 चौधरी एवं श्री श्याम देव राय चौधरी।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के पार्टी कार्यालयों, मा0 सदस्यों की वाहन पार्किंग, विधान सभा सचिवालय के समिति कक्षों एवं कार्यालयों की संख्या के दृष्टिगत विधान सभा का परिसर बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष जी, यह सदन उत्तर प्रदेश का भारत वर्ष का सबसे बड़ा सदन है, सबसे बड़ी विधान सभा है। आबादी के दृष्टिकोण से भी, संख्या के दृष्टिकोण से भी, इतिहास के दृष्टिकोण से भी और अपनी महत्वपूर्ण परम्पराओं के बूते पर भी। लेकिन जब से इसकी स्थापना हुई तब से अब तक गंगा में बहुत पानी बह गया, तमाम दृश्य बदल गये, तमाम स्थितियां बदल गयीं। आज हम यह महसूस करते हैं और मैं समझता हूं आप भी महसूस करते होंगे कि आज की आवश्यकताओं के अनुरूप यह विधान भवन छोटा पड़ने लगा है। मान्यवर, विधान भवन या विधान सभा परिसर का मतलब सिर्फ यह सदन से नहीं है, या इस मंडप से नहीं है। विधान सभा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

परिसर की परिभाषा मान्यवर, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली में दी हुई है। सदन का तात्पर्य विधान सभा से है अध्याय-1 के 3 (म) में है। अध्याय 1 के 3(य) में है-- "सदन के परिसर" का तात्पर्य मुख्य विधान भवन स्थित विधान सभा मण्डप जहां हम खड़े हैं, जहां हम आप बैठे हैं, इसकी दोनों दीर्घाएं, दोनों लाबी, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के विधान सभा सचिवालय के नियंत्रण अथवा अध्यासन के सभी कक्ष, यह बहुत महत्वपूर्ण है विधान पुस्तकालय, विभिन्न राजनैतिक दलों को आवंटित कक्ष, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टण्डन हाल, उससे सम्बद्ध जलपान गृह, उनके सामने के समस्त बरामदे तथा उपर्युक्त कक्षों और बरामदों में जाने वाली सीढ़ियों से है, तथा उन स्थानों से भी है जिन्हें अध्यक्ष समय-समय पर इस हेतु निर्दिष्ट करें, तो आपने देखा होगा कि परिसर का तात्पर्य जो है उसकी आवश्यकताओं के अनुसार अगर आप देखें तो मैं जब स्वयं 1980 में पहली बार निर्वाचित होकर आया था तो इस विधान सभा में मंत्रि-परिषद् के सदस्यों की संख्या सीमित होती थी, और उनके अलावा सिर्फ दो या चार कारें ही आती थीं। आज अच्छी बात है कि विधान सभा में कार से आने वाले सदस्यों की संख्या में बहुत वृद्धि हो गयी है, बहुत से अधिकारियों की कारों में वृद्धि हो गयी है, उन्हें कारें मिल गयी हैं। इसके अलावा मान्यवर, तब मुख्य राजनीतिक दल दो या तीन थे आज राजनीतिक दलों की संख्या कई गुना बढ़ गयी है। विधान सभा में अब कई दल समाप्त भी हो गये हैं, अब यहां उनका अस्तित्व नहीं रहा और कई दल अस्तित्व में भी आ गये हैं और उनकी संख्या भी बढ़ गई है। कुल मिलाकर हम देखें तो मेरा स्पष्ट मत है कि अगर आप पौने 11 बजे या साढ़े 10 बजे के बाद विधान भवन के किसी गेट पर खड़े हो जायं, तो जो सम्मानित सदस्य आते हैं, सुरक्षा के कारणों से और जो अन्य कारण हैं, उनकी वजह से सम्मानित सदन के सदस्यों को यहा तक पहुंचने में बहुत ही असुविधा का सामना करना पड़ता है। दारुलशफा से जो सदस्य आते हैं उन्हें सड़क पारकर आना पड़ता है। वह भी मान्यवर, असुरक्षित है और एक व्यस्त मार्ग को पार कर के आना पड़ता है। कुल मिलाकर आप देखें तो आज बहुत से राजनैतिक दलों को ऐसे कक्ष आवंटित हैं जो उसकी आवश्यकता के अनुरूप छोटे पड़ गये हैं। आज आपके पास कोई ऐसा कक्ष नहीं है, कि अगर किसी दूसरे प्रदेश का कोई प्रतिनिधिमण्डल आये तो उसके साथ बैठकर वहां वार्ता की जा सके। मान्यवर, हम बहुत से प्रदेशों में जाते हैं, वहां की विधान सभा, जहां के सदन के सदस्यों की संख्या बहुत कम है, पर हमसे अधिक स्थान उनके पास है और यहां एक बात और मैंने देखी कि यही एक मात्र विधान सभा सचिवालय ऐसा है, जहां कई सरकारी कार्यालय भी स्थित हैं। उनकी वजह से उनकी भी भीड़ रहती है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी यह ठीक नहीं है क्योंकि उनमें भी आवागमन होता रहता है। मेरा आशय सिर्फ यही है कि इस संदर्भ में पहले भी एक प्रश्न उठ चुका है। अब इसकी सीमा को बढ़ाये जाने के प्रस्ताव की मैं आवश्यकता महसूस करता हूं। मान्यवर, कुछ कक्ष इसमें और शामिल किये जायें, खासतौर से पार्किंग की व्यवस्था पर पूरा ध्यान दें। जो सम्मानित सदन में सदस्य कार लेकर आते हैं, या अपने दुपहिया वाहन से आते

हों, उनको पूरी सुरक्षा के साथ पार्क किया जाय और वहां से विधान सभा मण्डप तक पहुंचने में सदस्यों को किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े, इसके लिये आवश्यक है कि इस विधान सभा के चारों तरफ बहुत से ऐसे भवन हैं, जो अधिग्रहीत किये जा सकते हैं। उन्हें इसमें शामिल किया जा सकता है, उन्हें हम बातचीत करके प्राप्त कर सकते हैं और पार्किंग वहां बन सकती है, वहां एक सुसज्जित विज्ञान भवन की तर्ज पर एक ऐसा हाल भी बन सकता है, जहां हम अपने कार्यक्रम कर सकते हैं। कुल मिलाकर देखें तो आज मैं महसूस करता हूं कि आपके अधीन, मेरा तात्पर्य सरकार के अधीन से नहीं है, आपके अधीन जो परिसर है, वहां पर आपके पास व्यवस्था कम है, इसमें आप शासन को, विपक्ष को, सभी को बुलाकर इसको विस्तारित करने का प्रबन्ध करें और कुछ ऐसा प्रबन्ध करें कि माननीय सदस्यों को पार्किंग में असुविधा न हो और जिस समय वह 11.00 बजे आयें तो वह सुविधापूर्वक ढंग से यहां पर प्रवेश कर सकें। इसलिये मैं इस औचित्य के प्रश्न को उठाते हुए आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, इस बात का, जहां तक माननीय तिवारी जी ने सवाल उठाया है इस बात की व्यवस्था की जायेगी कि सदस्यों को आने जाने में किसी तरह की असुविधा न होने पावे और जैसा आप स्वयं अवगत होंगे कि दलीय नेताओं की बैठक में भी सुरक्षा के सम्बन्ध में बातचीत होती है और स्वयं अगर आप इस सम्बन्ध में चाहें तो बैठक बुला लें और उसके अनुसार जो आवश्यकता होगी उसके अनुसार कार्रवाई की जायेगी। यह नियम-300 में नहीं आता है, इसलिये मान्यवर, इसे अग्राह्य करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

यह नियम-300 में नहीं आता है, इसलिये मैं इसे अग्राह्य करता हूं और दलीय नेताओं की एक बैठक बुलाकर इस पर विचार कर लिया जायेगा।

विधान सभा के वर्तमान सत्र के अधिवेशनकाल में जिलाधिकारी सीतापुर द्वारा दिनांक 28 फरवरी, 2008 को सदन का उपवेशन होने के बावजूद मिश्रिख में लगने वाले फाल्गुन मेला सम्बन्धी बैठक बुलाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री अनूप कुमार गुप्ता-

श्रीमन्, आप द्वारा अभी परसों ही एक व्यवस्था दी गई थी जब सदन चलेगा तो उस अवधि में किसी प्रकार की कोई बैठक जिलों में जिलाधिकारी नहीं रखेंगे। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि या तो मा0 मंत्री जी का आदेश जिलाधिकारियों तक पहुंचा नहीं है और अगर पहुंचा है तो वह लोग मानते नहीं हैं। मान्यवर, जब हमारे सम्मानित अध्यक्ष की पीठ से

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

निर्देश हो जाय उसके बाद भी सरकार अधिकारियों को निर्देश न दे पाये तो इससे पूरे सदन की गरिमा गिरती है। मान्यवर, होली परिक्रमा का मेला हमारे यहां का बहुत प्रतिष्ठित मेला है और वर्षों से चला आ रहा है इसमें 15 कोस पैदल परिक्रमा चलती है। उसकी अहम बैठक सदन की अवधि में रखी गयी, मैंने एस0डी0एम0 साहब से भी कहा था कि इसको रोक दीजिए, सदन चल रहा है इसके बाद मैं आ जाऊंगा लेकिन उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी महोदय के आदेश हैं मैं बैठक करूंगा। मान्यवर, आज के अखबार में भी है, इसमें देख लीजिए, लिखा है कि चीनी मिलों से वसूल करके डी0 एम0 मेला करायेंगे। मान्यवर, यदि मैं वहां पर होता तो मैं अपनी आपत्ति जरूर दर्ज कराता कि आप जबरदस्ती पैसा ले करके कैसे करेंगे। इसके साथ-साथ वर्षों से जिनके पुरखे वहां पर दुकानें लगाते थे आज उनके पोते आते हैं। मान्यवर, उनके परमिट को निरस्त करने का काम किया गया है और वहां पर बोली लगवाने का काम किया गया है तो मान्यवर, यह मेला खत्म करने की साजिश है। मान्यवर, वहां पर भोजपुरी, अवधी गीत संगीत के कार्यक्रम होते थे, उसमें भी कटौती की गई है।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मा0 अध्यक्ष जी, यह नियम-300 में तो आता नहीं है। मान्यवर, मेला अगर होगा और मेला के सम्बन्ध में कानून व्यवस्था की बैठक बुलाने का काम होता है तो उसमें विधायक सदस्य नहीं हैं।

श्री अनूप कुमार गुप्ता-

मान्यवर, मेरे पास एजेण्डा आया है।

श्री लालजी वर्मा-

आप पूरी बात सुन लें। मान्यवर, कानून व्यवस्था की बैठक जब होगी, होली का मेला होना है मिश्रिख में और मान्यवर, उसके सम्बन्ध में जब बैठक होगी तो मान्यवर, उसमें मा0 विधायक, कोई सदस्य नहीं होते हैं। मान्यवर, जो स्पष्ट निर्देश यहां से गया है, जिसके लिये अभी 28 तारीख को शासनादेश जारी हुआ। उसमें इस बात का निर्देश दिया गया है कि जिन समितियों में संसद अथवा राज्य विधान मण्डल के सदस्य सम्बन्धित हों, उनकी बैठक सदन चलने के समय नहीं होगी। अब मेला हो रहा है मान लिया मिश्रिख के विधायक को सूचनार्थ अगर डी0एम0 ने भेज दिया तो इसमें कुछ गलत नहीं है। और यह सतत प्रक्रिया है कोई एक दिन बैठक हो करके वह समाप्त नहीं होगी। कानून व्यवस्था की बैठक होती रहती है लेकिन अगर इस दिशा में रोक लगा देंगे तब तो कानून व्यवस्था की स्थिति में भी दिक्कत आयेगी। इसलिये मान्यवर, अगर मेला आयोजन के सम्बन्ध में कानून व्यवस्था बनाये रखने के सम्बन्ध में कोई बैठक होगी अगर उसको भी यहां से निर्देशित करेंगे कि इस तरह की बैठक न बुलायी जाय तो निश्चित रूप से इसमें कानून व्यवस्था की स्थिति में दिक्कत आयेगी। मैं इस बात को पुनः

सुनिश्चित कर रहा हूं कि उन समितियों में जिनमें मा0 विधायक सदस्य की हैसियत से उपस्थित होते हैं, ऐसी कोई भी बैठक सदन चलने के समय नहीं आयोजित की जायेगी। 28 जनवरी को पुनः सबको निर्देश भेजे गये हैं। मैं आपको पुनः आश्वस्त करता हूं कि उस निर्देश में स्पष्ट है कि तीन दिन बीच में छुट्टी नहीं है तो इस तरह की कोई बैठक नहीं बुलायी जा सकती है और इस बात को पुनः सुनिश्चित कर रहा हूं कि इस तरह की कोई बैठक नहीं होगी। जहां तक कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में बात है तो इसमें अगर रोक लगायेंगे तो इससे दिक्कत आयेगी। मान्यवर, कानून व्यवस्था का बनाये रखने में हम सब लोगों भी चाहते है और इसमें किसी प्रकार से अनुचित नहीं होगा मा0 विधायक उस क्षेत्र के हैं अगर इस मेला के सम्बन्ध में उनको भी एजेण्डा भेजा गया तो उसमें कुछ भी अनुचित नहीं है। उस मीटिंग में वह कोई सदस्य की हैसियत से नहीं हैं, उनके सुझाव आमंत्रित करने की दृष्टि से रहा होगा। मान्यवर, अभी मेले का समय है और कई बैठकें होंगीं। इसमें इस तरह की स्थिति से कोई औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है, इसलिये मैं आपसे चाहूंगा कि इसे अग्राह्य करने की कृपा करें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

अध्यक्ष जी, इसे संसदीय कार्य मंत्री जी अभी से इंकार न करें। जितनी भी प्रदर्शनियां और मेले होते हैं स्थानीय माननीय विधायक उसके सदस्य होते हैं। यह अब से नहीं बहुत पहले से है। अभी आप इंकार न करें इसे, और इसमें शर्मिन्दा भी न हों। अधिकारी अगर बात नहीं मानते हैं तो बहुत जमाने से नहीं मानते हैं कोई अभी 9 महीने से आपकी बात नहीं मानते हों, ऐसा नहीं है। मान्यवर, इसे आप दिखवालें, उनकी आदत बन गयी है हठधर्मी की, उनकी आदत बन गयी है न मानने की। इसमें अकेले आप ही दोषी नहीं हैं बहुत से लोग दोषी हैं, अधिकारियों का तो मामला ही कुछ अजीब है, आप उनके अधिकार को चैलेन्ज नहीं कर सकते। लेकिन आप उनकी वकालत न करिये बस इतनी सी आपसे दरख्वास्त है कि आप उनकी वकालत न करिये, कम से कम उन्हें यही डर रहे कि सदन में ही उनके वकील नहीं मिलते हैं। माननीय विधायक इसके सदस्य होते हैं, जितनी प्रदर्शनियां या मेले लगते हैं बाकायदा एजेण्डा आया है माननीय सदस्य को, जब वह सदन में कह रहे हैं तो उनकी बात का ज्यादा भरोसा कीजिए एक तनखैया पर ज्यादा भरोसा मत कीजिए, आप इसे दिखवा लीजिए। अगर ऐसा है तो इससे आपके वकार को थोड़ा धक्का लगता है। आप अपना इकबाल बुलन्द कीजिए।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, एक स्पष्ट निर्देश गया है उसका मैं पुनः इसको कह रहा हूं कि जो भी अधिकारी पालन नहीं करेगा, निश्चित रूप से कार्यवाही होगी।

(श्री अध्यक्ष द्वारा मद संख्या 3 पुकारे जाने पर)

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

चौधरी साहब, आपकी सूचना अग्राह्य हो चुकी है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

अन्त में अग्राह्य तो सारी सूचनायें होती हैं।

श्री अध्यक्ष-

जब अग्राह्य होना है, तो आप शुरू ही क्यों करें ?

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

मान्यवर, एक मिनट में अपनी बात रख दूंगा।

श्री अध्यक्ष-

आपको सुनूंगा तो फिर श्री आर0 के0 चौधरी साहब की सूचना है जिसमें एक दलित छात्रा के अपहरण की बात है, फिर श्री जावेद अंसारी जी का मामला आ जायेगा, उनको भी सुनना पड़ेगा।

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन की राजस्व वसूली में वृद्धि के लिए ग्रामीण क्षेत्र के विद्युत उपभोक्ताओं के बकाये हेतु बिजली बकायों पर अधिभार और उस पर लगने वाले ब्याज पर शत प्रतिशत माफी योजना को प्रभावी ढंग से लागू किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, सरकारी विभागों का जनता पर काफी बकाया रहता है और इसी बकाये की वसूली को कामयाब बनाने के लिये और उन्हें प्रेरित करने के लिये जल संस्थान या अन्य विभाग भी समय-समय पर एकमुश्त समाधान योजना लागू करते हैं। तो मेरी तो सिर्फ इतनी मांग है कि ऊर्जा विभाग माननीय मंत्री जी के अधीन है वह काफी संवेदनशील व्यक्ति हैं और उनका प्रयास जारी है उस विभाग को पटरी पर लाने के लिये। उसमें राजस्व भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। जो उन पर बकाया है उसके लिये एकमुश्त समाधान योजना लागू है, लागू की जाती रही है। मेरा सिर्फ आपके माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्री जी से इतना निवेदन है कि जो शहरी उपभोक्ता हैं, घरेलू उपभोक्ता हैं उनके ऊपर सैकड़ों करोड़ रुपया बकाया है। क्या उनको एक अवसर देंगे एकमुश्त समाधान योजना का लाभ उठाने का। मैं सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय ऊर्जा मंत्री जी इस पर संवेदनशीलता के साथ विचार कर लें और घरेलू पंखा वाले जो शहरी उपभोक्ता हैं, उनके बकाये की वसूली के लिये एकमुश्त समाधान लागू करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय ऊर्जा मंत्री जी इसको दिखवा लेंगे। जावेद अंसारी जी आपका वर्ष 2006-07 के हैण्डपम्पों का मामला है। इसमें आप मंत्री जी से बात कर लीजिएगा।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

मान्यवर, मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष-

यह सूचना अग्राह्य कर चुके हैं।

ऊर्जा मंत्री (श्री रामवीर उपाध्याय)-

ग्रामीण क्षेत्र में किसानों की स्थिति को देखते हुए एकमुश्त योजना लागू की गई। शहरी क्षेत्र में ऐसा सम्भव नहीं है।

गोरखपुर के थाना शाहपुर के अन्तर्गत मौर्या हास्टल से दलित छात्रा के अपहरण विषयक सूचना पर अब तक कोई कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

श्री आर0 के0 चौधरी की सूचना अग्राह्य कर चुका है फिर भी दो मिनट में अपनी बात रख दें।

श्री आर0 के0 चौधरी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने नियम-300 की सूचना पर बोलने का मौका दिया। मैंने इसी सदन में 19 फरवरी को अपनी सूचना दिया था नियम-301 के अन्तर्गत। मैंने अनुरोध किया था कि गोरखपुर में 15 वर्षीय नाबालिग दलित छात्रा कु0 बिन्दु राज का जो इन्फारमेशन एण्ड टेक्नालाजी की छात्रा है का गोरखपुर के पालीटेक्निक के सामने मौर्या हास्टल से उसका दो लोगों ने अपहरण कर लिया उसके पिता दौड़ते रहे थानेदार से मिले पुलिस कप्तान से मिले लेकिन उसकी एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं की गई। इस सम्बन्ध में हमने इस सदन को नियम-301 के अन्तर्गत सूचना दिया था उसका आपने संज्ञान लिया और सूचना ग्राह्य करके शासन को निर्देश दिया इसके बाद भी अभियुक्तों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया न ही नाबालिग लड़की बरामद हुई है। यह गम्भीर मामला है इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, अवगत कराना है कि कु0 बिन्दू राज पुत्री श्री मिश्री लाल लखीमपुर की रहने वाली है। वह गोरखपुर में इन्फारमेशन एण्ड टेक्नालोजी के डिप्लोमा में अपनी पढ़ाई के लिए मौर्या हास्टल में रहती थी।

इस सम्बन्ध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर द्वारा अवगत कराया गया कि प्रश्नगत प्रकरण को मु0अ0सं0-303/2008 थाना शाहपुर पर अन्तर्गत धारा 363/366 भा0दं0वि0 में पंजीकृत कर दिया गया है जिसकी विवेचना की जा रही है। अवगत कराना है कि कु0 बिन्दू राज पुत्री श्री मिश्री लाल जो पालीटेक्निक की द्वितीय वर्ष की छात्रा थी और मौर्या छात्रावास थाना शाहपुर गोरखपुर में रहती थी को विक्रम नाम व्यक्ति दिनांक 28-1-08 को बहला फुसला कर भगा ले गया है। विवेचना के मध्य पूछतांछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि कु0 बिन्दू राज छात्रावास के वार्डेन से अपनी मौसी के यहां जाना बताकर चली गई थी। कालान्तर में उसके पिता

द्वारा पूछतांछ करने पर यह ज्ञात हुआ कि लखीमपुर खीरी जनपद के विक्रम राज द्वारा लड़की को बहला फुसलाकर भगाया गया है।

मान्यवर, इसमें यह भी अवगत कराना है कि दोनों परिवारों में आपस में मेल जोल था लेकिन इसके बाद भी कार्यवाही की जा रही है और बरामदगी का प्रयास किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2008

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

माननीय अध्यक्ष, मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-153 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि :-

उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2008 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2008 को पारित किया गया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और दिनांक 20 फरवरी, 2008 को विधान परिषद् सचिवालय में प्राप्त हुआ था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 28 फरवरी, 2008 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 2008

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

माननीय अध्यक्ष, मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-153 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि :-

उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 2008 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2008 को पारित किया गया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और दिनांक 20 फरवरी, 2008 को विधान परिषद् सचिवालय में प्राप्त हुआ था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 28 फरवरी, 2008 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2008

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

माननीय अध्यक्ष, मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि :-

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2008 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2008 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 28 फरवरी, 2008 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2008

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-153 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि :-

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2008, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2008 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 28 फरवरी, 2008 को वापस प्राप्त हो गया।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-5 में कुछ नहीं है।

जनपद हाथरस (महामायानगर) के बाईपास का निर्माण कराये जाने विषयक श्री देवेन्द्र अग्रवाल निवासीगण जनपद हाथरस (महामायानगर) आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

डा0 अनिल चौधरी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद हाथरस (महामायानगर) के बाईपास का निर्माण कराये जाने विषयक श्री देवेन्द्र अग्रवाल तथा श्री विनोद ठाकुर निवासीगण जनपद हाथरस (महामायानगर) द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-7, मद संख्या-8 तथा मद संख्या-9 में कुछ नहीं है।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 29 फरवरी, 2008 को नियम-56 के अन्तर्गत कुल 18 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनाएं चयनित की गयीं। प्रथम 2 सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है। पहली सूचना श्री प्रमोद तिवारी, लालजी टण्डन की प्रदेश में पालीथीन के प्रयोग से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना डा0 धर्मपाल सिंह की आगरा में ऐतिहासिक स्मारक ताजमहल पर विदेशी पर्यटकों के साथ लगातार हो रही लूट, चोरी एवं अभद्रता पर रोक लगाने एवं ताजमहल की सुरक्षा करने के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना श्री आर0 के0 चौधरी की लखनऊ में पुलिस की साजिश से चांदसराय निवासी संतोष वर्मा के अपहरण एवं हत्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना श्री जोखू लाल यादव की इलाहाबाद के प्रतापपुर क्षेत्रान्तर्गत धरना नदी के जल भराव से हजारों एकड़ भूमि के निरन्तर ऊसर होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं चयनित नहीं हुईं, अतः अस्वीकृत हुईं :-

1-श्री श्यामदेव राय चौधरी, 2-श्री कुबेर सिंह, 3-चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी, डा0 अजय तोमर, 4-श्री इमरान मसूद, 5-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद, 6-श्री सुरेश्वर सिंह, 7-श्री मदन चौहान, 8-श्री राम बिशुन आजाद, 9-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल, 10-श्री प्रदीप जैन आदित्य,

---

† छापी नहीं गई।

11-श्री अनूप कुमार गुप्ता, 12-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, 13-श्री दीनानाथ कुशवाहा तथा 14-श्री अनुग्रह नारायण सिंह।

* श्री प्रदीप जैन आदित्य-

मान्यवर, मैंने कल 300 में झांसी की वीरांगना लक्ष्मीबाई के बारे में एक सूचना दी थी। आपने कहा था कि कल सुन लेंगे।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, आपने कहा था, सुन लीजिये दो मिनट।

श्री अध्यक्ष-

चलिये बाद में सुन लेंगे।

(श्री राम बिशुन आजाद और श्री कुशवाहा द्वारा खड़े होकर बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

अभी एक उनका था एक बच्चे का अपहरण हो गया था उस सम्बन्ध में। प्रदीप जी का अग्राह्य हो गया, कुशवाहा जी का अग्राह्य हो गया। जब सबका अग्राह्य हो गया है तो आप लोग फिर उठा रहे हैं। चलिये बाद में दे दीजियेगा।

श्री राम बिशुन आजाद-

सोम0 को ले लीजियेगा।

श्री अध्यक्ष-

चलिये, ठीक है, बैठिये। माननीय टण्डन जी आप बोलिये।

*श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, सारे प्रदेश में इस समय जो पालीथीन है उससे भयानक समस्या सामने आ रही है क्योंकि इसका अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है। यद्यपि इसी सदन में इसके लिये एक कानून पास किया गया था कि एक निश्चित मोटाई की जो पालीथीन है, वह इस्तेमाल नहीं की जायेगी। इसको जो इस्तेमाल करेगा उसके ऊपर कानूनी कार्यवाही होगी लेकिन इस कानून के पास होने के बाद भी आज वास्तविकता यह है कि बड़े शहरों की सीवर व्यवस्था पूरी की पूरी ध्वस्त हो रही है, सारी पालीथीन उसके अन्दर जहां पंचर हो गया करके उसमें यह पोलीथीन भर जा रही है जिससे वह ब्लाक हो रही है और घरों में गंदा पानी घुस रहा है। नदियों में पानी में पालीथीन बहाई जा रही है। वहां पर वह जमकर आईलैंड से बनने जा रहे हैं जो बोल नहीं सकते हैं ऐसे पशु विशेष तौर से गाय उस पालीथीन को कूड़े में खा के मर रही हैं। एक बार हमने आन्दोलन चलाया था

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और उसका आपरेशन कराया था। ऐसा दर्दनाक दृश्य था। पशुओं पर क्रूरता का भी कानून है वो इतनी क्रूरता उन्हें यह प्लास्टिक खाकर हो रही है कि कई-कई डाक्टर्स पकड़कर खींच कर उसके पेट से पालीथीन निकाल रहे हैं। 40-30 किलो वजन निकल रहा है। यह आज ऐसा पदार्थ पैदा हो गया है जो न जलाने से नष्ट हो रहा है, न पानी से न जमीन में डालने से नष्ट होता है। किसी प्रकार से यह नष्ट नहीं होता है। तो ऐसी बीमारी जो एक दूसरे से संक्रमण कर जाती है किसी को मवाद है किसी की ड्रेसिंग का मटीरियल है वह इन पोलीथीन के थैले में डालकर कूड़े में डाल दिया जाता है अब उससे एक दूसरे से संक्रमित हो रहा है। यह स्वास्थ्य से भी सम्बन्धित है और पर्यावरण से भी और सफाई व्यवस्था से भी सम्बन्धित है तो इसके ऊपर मैं आपके संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूं कि कानून पास है, इसमें कठोरता से कार्यवाही की जाए। मंत्री जी आश्वस्त करें यह पोलीथीन जैसी महामारी से बचने के लिए मंत्री जी क्या करने वाले हैं ?

श्री प्रमोद तिवारी-

पालीथीन का अन्धाधुन्ध प्रयोग, कानून का पालन न करना अपने आप में भयंकर समस्या को जन्म दे रहा है।

श्री अध्यक्ष-

चौधरी साहब आप पैर पर पैर चढ़ाए बैठे हैं इसको ठीक कर लीजिए।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, गायों को कुछ खाने को नहीं मिल रहा है इसलिए जो मिलता है उसको वह खा लेती है खाने के बाद जब यह आतों में जाता है तो चिपक जाता है जिसकी वजह से सैकड़ों की संख्या में गाय मर रही हैं। इसके जो दुखद परिणाम सामने आ रहे हैं उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है जब यह जमीन में गाड़ दी जाती है तो जो पानी ऊपर से बरसता है वह पानी नीचे नहीं जा पा रहा है। जिससे ग्राउन्ड वाटर रिचार्जिंग नहीं हो पा रही है पानी बरसता है तो पानी जमीन के अन्दर तो जाती है लेकिन जहां प्लास्टिक पड़ी रहती है वह जमीन के अन्दर पानी नहीं जा पाता है। नतीजे के तौर पर पानी नीचे नहीं पहुंच रहा है वहां वाटर रिचार्जिंग नहीं हो रही है और इसी की वजह से मान्यवर, शहरों में जहां पालीथीन का प्रयोग हो रहा है वहां पर ग्राउन्ड लेबल बहुत तेजी के साथ बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि बहुत खतरनाक ढंग से नीचे जा रहा है अगर हमने इस पर ध्यान नहीं दिया तो कुछ दिनों बाद यह जो मार्क टू हैण्डपम्प लगते हैं यह भी असफल हो जायेंगे। बोरिंग बहुत जगह असफल हो चुकी है। बोरिंग जमीन के नीचे न लगाकर और सतह पर लगाना पड़ रहा है। इसके भयानक परिणाम सामने आ रहे हैं। जब एक कानून बना हुआ है, विधान सभा में हमने पारित कर रखा है तो उसका परिपालन क्यों नहीं हो रहा है। कहीं न कहीं जो इसको पालन कराने वाली एजेन्सी हैं और जो इसको बनाने वाले हैं इनकी मिलीभगत खुलकर सामने आ रही है। वरना सारी चीजों को देखते हुए ही यह निर्णय लिया

गया था कि एक खास मोटाई से ज्यादा यह नहीं बनेंगे वह नष्ट किये जा सकते थे। इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम यह हो रहा है कि कागज की इंडस्ट्री पूरी तरह से समाप्त हो रही है जो पहले खासतौर से मान्यवर, धान से जो कागज बनता था तो पैकेटिंग के काम आता था वह इंडस्ट्री पूरी तरह तबाह होती चली आ रही है। मैं समझता हूं यह एक सामाजिक जहर है इस जहर को नहीं रोका गया, कड़ाई के साथ नहीं रोका गया तो हजारों जानवर मरेंगे, ग्राउन्ड रिचार्ज रुकेगा और जो यह पहली बरसात के साथ बाढ़ आती है उसका मुख्य कारण यही है मान्यवर, मैं इस बार देख रहा था संगम पर हजारों की तादाद में पालीथीन बैग गंगा और यमुना में तैर रहे हैं। उसका मुख्य कारण यह है लोग लाते हैं और डाल देते हैं गंगा जी में और वह कहीं पानी में डाला जाए तो महीनों पानी में पड़ा रहता है सड़ता नहीं है ऊपर बहता रहता है यह पाल्युशन के लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा हो गया है। मान्यवर, इसमें वाटर रिचार्ज के दृष्टिकोण से स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बाढ़ के दृष्टिकोण से इन चार मुख्य कारणों से जो नियम बना हुआ है उसका पालन होना चाहिए और पालीथीन बैग का जो गलत ढंग से प्रयोग हो रहा है उसको रोकने के लिए सरकार को दृढ़ता से कदम बढ़ाना चाहिए। अन्यथा जो इसके दुष्परिणाम होंगे वह मैं कहूंगा कि सरकारी एजेंसी और जो इसको बनाते हैं उनकी मिली भगत का दुष्परिणाम पूरे समाज को भुगतना पड़ रहा है। यह अविलम्बनीय भी है लोकमहत्व का भी है इसकी ग्राह्यता पर बल देते हुए मैं आग्रह करता हूं कि सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करायें।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, यह गम्भीर प्रश्न है मान्यवर, सरकार सुनिश्चित करेगी जो नियम हमने बताया है उसका पालन हो। जिससे कि पालीथीन से जो जनहित का नुकसान हो रहा है वह न होने पावे। इसके लिए पूरी तरह से नियम कानून का पालन कराने का काम किया जाएगा। मान्यवर, इसे नियम-56 के अन्तर्गत अग्राह्य कर दें।

श्री अध्यक्ष-

मैंने इस सूचना पर मा0 लालजी टण्डन, मा0 प्रमोद तिवारी और मा0 संसदीय कार्य मंत्री को सुना। यह सूचना नियम-56 में नहीं आती है, अतः मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

अगली सूचना मा0 धर्मपाल सिंह की है।

* डा0 धर्मपाल सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, आगरा में ताजमहल देखने पूरे देश और विदेश से लाखों पर्यटक प्रतिदिन आते हैं। ताजमहल परिसर में पिछले 15 दिनों से पर्यटकों के साथ लूट अभद्रता और चोरी की घटनाएं की जा रही हैं। मैं डेटवाइज उन पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हूं। 14 फरवरी, 2008 को फ्रांस की महिला रेकिसनेरी का पर्स चोरी कर लिया गया, 15 फरवरी, 2008 को स्काटलैण्ड की ग्रिन के 16 हजार रुपये चोरी कर लिये गये, 16 फरवरी, 2008 को पीटर जेहेंस के 18 हजार रुपये चोरी कर लिये गए एवं 26 हजार डालर, 21 फरवरी, 2008 को यू0 के0 की जेनिस के साथ अभद्रता हुई। मान्यवर, लेकिन इन घटनाओं पर कोई कार्यवाही वहां के प्रशासन द्वारा नहीं की गई तो 23 फरवरी, 2008 को कनाडा की महिला हर्टेन अपने 6 वर्षीय पुत्र के साथ ताजमहल देखने आयी थी, उसका पर्स छीनकर वहां के लड़के भाग गये। मान्यवर, ताजमहल की सुरक्षा के व्यापक इन्तजाम है। ताजमहल परिसर का पूरा परिसर सी0आई0एस0एफ0 की सुरक्षा में है, उसके बाद 50 मी0 पर सी0आई0एस0एफ0 ने बाहर एक चौकी बना रखी है और तीसरे स्तर पर पुलिस ने एक चौकी बना रखी है। मान्यवर, अगर कोई आदमी उस महिला का ताज परिसर से पर्स छीनकर भाग जाता है, मान्यवर, पुलिस ने और बहादुरी दिखाई, दो दिन बाद उस महिला का पर्स झाड़ियों में बरामद दिखा दिया, उसके पैसे पुलिस फण्ड से लौटा दिए लेकिन छीनने वाले का आज तक पता नहीं लगा।

मा0 अध्यक्ष जी, ताजमहल को कई आतंकवादी संगठनों ने उड़ाने की धमकी दे रखी है। सरकार भी जानती है और भारत सरकार भी जानती है। अगर वहां ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो ताजमहल की सुरक्षा पर भी प्रश्नचिन्ह लगता है। आखिर कैसे होगी ताज महल की सुरक्षा ? जब तीन स्तरीय सुरक्षा के बाद एक आदमी एक महिला का बैग छीनकर भाग जाता है, तीन चौकियों से गुजर जाता है, लेकिन वह पकड़ा नहीं जाता, मान्यवर, इस समय आगरा में अपहरण हो रहे हैं, आगरा की जो सेचुएशन है उसके किनारे तीन प्रदेश लगते हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा। वहां पता नहीं क्या हुआ, उन प्रदेशों के गैंग आ गए हैं। उन्होंने अपनी एक बी-कम्पनी बना ली है। आगरा में प्रत्येक दिन किसी न किसी व्यापारी या कर्मचारी का अपहरण हो रहा है कल की मान्यवर, घटना है, कल फतेहपुर सीकरी में भी एक महिला का पर्स चोरी चला गया। साथ ही कल डी0आई0जी0 विभाग के पास एक घटना है। मान्यवर, आगरा एक पर्यटक शहर है, अगर आगरा में ऐसी घटनाओं पर रोक नहीं लगी, ताजमहल की सुरक्षा की दोबारा सरकार ने जांच नहीं की। उसकी व्यापक समीक्षा नहीं की तो निश्चित रूप से आगरा के बाशिंदे, आगरा की जनता ताजमहल की सुरक्षा और वहां आने वाले पर्यटकों के बारे में चिन्तित हैं। मान्यवर, जब हम लोग किसी और शहर में जाते हैं, जब वहां लोग पूछते हैं कि आप आगरा से हैं तो निश्चित रूप से जो ऐसे पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों के साथ अभ्रदता हो रही है, उनकी घटनाएं सुनकर हम लोगों का सर शर्म से झुक जाता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि ताज महल की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, निश्चित रूप से जो वहां ऐसी घटनाएं हो रही हैं, उसकी दोबारा से समीक्षा की जाए। मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं, धन्यवाद।

डा0 राजेन्द्र सिंह-

मान्यवर, ताज महल परिसर में जो भी चोरी की घटनाएं होती हैं और जब भी पुलिस अन्दर जाती है। तो सी0आई0एस0एफ0 वाले पुलिस वालों का किसी भी तरह का सहयोग नहीं करते हैं और इस तरह से वह किसी भी घटना को खोलने में लोकल पुलिस का बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रहे हैं। इसको आर्डिनेशन के बारे में मैं कहना चाहता था कि यह जो सी0आई0एस0एफ0 अन्दर है और बाहर जो लोकल पुलिस है इनमें जो कोआर्डिनेशन की कमी है, उसके बारे में मा0 मंत्री महोदय ध्यान दें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, ताज महल राष्ट्रीय धरोहर है और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और सरकार की प्राथमिकता है, ताजमहल की सुरक्षा का और साथ ही साथ पर्यटकों की सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की जाए। मान्यवर, निश्चित तौर पर हम इस बात को आश्वस्त करते हैं कि वहां पर जो भी कोई घटनाएं संज्ञान में आ रही हैं उसकी रोकथाम के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गयी है और कोई भी कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होने की कोई महत्वपूर्ण सूचना नहीं प्राप्त हुयी है। जो भी घटनाएं हैं उस पर तत्परता से कार्यवाही की जा रही है और जो भी व्यक्ति या गिरोह इसमें सम्मिलित होगा उनके खिलाफ अवश्य कार्यवाही की जाएगी। मान्यवर, जहां तक कार्य-स्थगन का सवाल है यह नियम-56 में नहीं आता है अतः अनुरोध है कि इसको अग्राह्य कर दिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी इसको भी देख लें कि जो पर्यटकों के साथ आये दिन घटनाएं हो रही हैं जिनका उल्लेख अभी माननीय सदस्य ने भी किया है उनके सम्मान के लिए कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाये।

श्री लालजी वर्मा-

जी मान्यवर, निश्चित रूप से कड़ी से कड़ी कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

मैंने श्री धर्मपाल सिंह जी को सुना संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना। यह नियम-56 में नहीं आती है अतः इस सूचना को. अग्राह्य किया जाता है।

श्री आर0 के0 चौधरी-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे मेरी नियम 56 की सूचना पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि राजधानी लखनऊ में थाना गोसाईगंज में पुलिस ने एक हत्या के मामले में हत्या के पहले 55 हजार रुपये की रिश्वत ली, हत्या के बाद 2 लाख रुपये रिश्वत ली। जब हत्या और पुलिस के रिश्वत लेने के सम्बन्धों का खुलासा हो गया

तो थाना गोसाईगंज की पुलिस और बिचौलिया सिपाही उदयवीर सिंह गायब हो गया। वह नहर में कूद गया। उसके नहर में कूद जाने के बाद तबसे आज तक उसे पुलिस तलाश कर रही है। नहर में जाल डलवा रही है और उसे तलाश रही है लेकिन वह आज तक जिंदा या मुर्दा नहीं मिला। मान्यवर, ऐसी तलाश जिसमें नहर बंद तक नहीं किया गया। अखबारों में आ रहा है। यह बड़ी घटना है। इस समय उत्तर प्रदेश की पुलिस रिश्वत लेने में इतना तेजी पकड़े है। जहां एक तरफ सरकार कहती है कि कानून का राज है वहीं पुलिस साबित करने में लगी है कि कानून का राज नहीं बल्कि रिश्वत का राज है। मान्यवर, घटना लखनऊ में दिनांक 03 जनवरी, 2008 की है। हमारा क्षेत्र जिसके अन्तर्गत थाना गोसाईगंज में संतोष कुमार वर्मा निवासी चांदसराय का अपहरण हो गया। 4 तारीख को जनवरी के महीने में उसे मुल्जिम फैजाबाद लेकर जाते हैं और वहां पर हत्या कर दी। लेकिन जब हत्या और रिश्वत का खुलासा हुआ तो उच्चाधिकारियों ने उस सिपाही को तलाशना शुरू किया जिसने बिचौलिया का काम किया, जिसने अधिकारियों को पैसा पहुंचाने के लिए रिश्वत की रकम हत्यारों से लिया था तो वह नहर में कूद गया। तबसे पुलिस उसको लगातार तलाश रही है।

मान्यदर, हत्या का खुलासा हो जाने के बाद अभी कुछ की गिरफ्तारी हुयी है लेकिन पुलिस यह बताने में सक्षम नहीं है कि आखिर उदयवीर सिंह जो नहर में कूद गया था अब तक कहां है। जिन्दा है, मुर्दा है। मान्यवर, मेरा आरोप है कि उस सिपाही ने नहर में कूदने का नाटक किया है। पुलिस संतोष वर्मा की हत्या का सौदा कर चुकी है, पुलिस ने यह प्रमाण दे दिया है कि प्रदेश कानून का राज नहीं है, यहां पर रिश्वत का राज है। पुलिस उदयवीर को किस प्रकार तलाश रही है, नहर बंद नहीं किया गया। एक फर्जी नाटक है। ऐसी तलाश कर रही है पुलिस जैसे फैजाबाद में एक दलित छात्रा शशि पासी की हत्या हुई। लाश कुछ दिन बाद वहां स्थानीय जनता को गोमती नदी में मिल गयी, मल्लाहों को मिल गयी और मिली हुई लाश के हाथ से घड़ी निकालकर वहां की जनता ने पुलिस को दे दिया। मुकदमा 302 में तब्दील कर दिया गया। जनता को लाश मिल गयी लेकिन पुलिस को आज तक वही लाश नहीं मिली है। मान्यवर, हमारा सीधा आरोप है कि उत्तर प्रदेश में और खास तौर से लखनऊ राजधानी के हर थाने की पुलिस पैसा लेने में व्यस्त है और ऐसा पैसा लेती है रिश्वत में कि थाने में एफ0आई0आर0 लिखने का पैसा, एफ0आई0आर0 न लिखने का पैसा, किसी मुल्जिम को पकड़ने का पैसा, किसी मुल्जिम को न पकड़ने का पैसा, किसी मुल्जिम को पकड़कर मारने का पैसा और किसी को विपक्षी से उसे न मारने का पैसा। इसी प्रकार से पैसा लेने की गरज से बाराबंकी में लोनी कटरा में राम तीरथ नाम का व्यक्ति पकड़ा गया, कोई केस नहीं है लेकिन कई दिन तक उसे खम्भे के सहारे खड़ा करके पट्टे से लगातार जकड़कर मारा गया। एस0 ओ0 ने पट्टे से मारा। उसके बाद पैसा 107/116/151 में चालान कर दिया। मान्यवर, सिद्धार्थनगर में थाना जोगिया उदयपुर है जिसमें

योगेन्द्र पासवान पुत्र दयाराम दस दिन से थाने में बंद है पैसे की मांग हो रही है। पैसा मिल जायेगा तो छूट जायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

आप जो नोटिस है उस पर बोलें। ग्राह्यता पर बोलें।

श्री आर0 के0 चौधरी-

मान्यवर, पुलिस रिश्वत लेने की दोषी है और खास तौर से संतोष वर्मा की घटना में हत्या कराने की दोषी है। पुलिस, हत्या की सौदागर है, मैं अनुरोध करूंगा कि इसकी उच्च स्तरीय जांच करायी जाय, दोषी पुलिस अधिकारी को सजा दी जाय। यह अविलम्बनीय लोक महत्व का मामला है इस पर चर्चा करायी जाय।

श्री लालजी वर्मा-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ से आख्या के अनुसार दिनांक 5-1-08 को थाना गोसाईगंज पर श्रीमती सुनीता वर्मा पत्नी संतोष वर्मा निवासिनी चांद सराय थाना गोसाईगंज लखनऊ ने थाना गोसाईगंज पर सूचना दी कि उसके पति संतोष वर्मा पुत्र श्री गोपीनाथ वर्मा दिनांक 3-1-08 को अपनी इण्डिका कार यू0 पी0-32 सीएफ 6898 से लखनऊ बुकिंग में गया था जो अभी तक वापस नहीं आये हैं। इस सूचना पर थाना गोसाईगंज में दिनांक 6-1-08 को लिखित सूचना डी0सी0आर0बी0 को अन्दर जनपद व गैर जनपद को दी गयी तथा पम्पलेट छपवाकर बटवाये गये जांच से ज्ञात हुआ कि संतोष कुमार वर्मा दिनांक 3-1-08 को पूर्व से बुकिंग को निरस्त कर लखनऊ से ही दूसरी बुकिंग लेकर गया था। तदोपरान्त प्रकरण को थाना गोमतीनगर स्थानान्तरित कर दिया गया। दिनांक 8-2-08 का अपर पुलिस अधीक्षक अपराध लखनऊ को मुखबिर द्वारा सूचना मिली की थाना गोसाईगंज अन्तर्गत ग्राम चांद सराय के निवासी संतोष वर्मा की हत्या उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी धर्मेन्द्र वर्मा से मिलकर करा दी है तथा हत्यारे इस समय कुकरैल बंधे वाले मोड़ के पास कोई घटना करने वाले हैं। जिस पर क्राइम ब्रांच की टीम द्वारा नाकाबंदी की गयी थोड़ी देर के बाद एक इण्डिका गाड़ी में सवार बदमाश बादशाहनगर की तरफ से आकर बंधे पर रहीमनगर की तरफ मुड़ने लगी। उक्त गाड़ी में सवार चार बदमाश धीरेन्द्र सिंह, राधेश्याम यादव, राहुल यादव व अर्जुन यादव को मौके पर ही पकड़ लिया उनके पास से दो अदद तमंचे एक बोर व 4 अदद जिन्दा कारतूस, एक अदद तमंचा 315 बोर, दो अदद जिन्दा कारतूस, एक अदद चाकू, एक अदद इण्डिका कार बरामद की गयी।

पकड़े गये बदमाशों से पूछताछ पर उन्होंने बताया कि दिनांक 3-1-08 को संतोष कुमार वर्मा की थाना क्षेत्र इनायतनगर जनपद फैजाबाद में हत्या कर दी गयी है। 3-1-08 को षड़यंत्र के अनुसार धीरेन्द्र मृतक संतोष को इण्डिका कार की बुकिंग के बहाने नाका स्थित धर्मशाले पर लाया

जहां पहले से मौजूद राहुल महेन्द्र यादव को साथ लेकर फैजाबाद के लिए निकल गये। इनायतनगर फैजाबाद क्षेत्र ग्राम खड़वडिया के पास सड़क के किनारे शौच के बहाने गाड़ी रोककर सायंकाल 8.00 बजे संतोष की गला दबाकर हत्या की गयी और मृतक के चेहरे को मिट्टी का तेल डालकर जला दिया गया। संतोष की इण्डिका कार भी लूट ली गयी। इसके पश्चात धर्मेन्द्र ने मृतक की पत्नी सुनीता से 52 हजार रुपये लेकर बदमाशों की हत्या के लिए दिये गये श्रीमती सुनीता वर्मा को भी दिनांक 9-2-08 को पुलिस द्वारा पकड़ कर पूछताछ की गयी। इस घटना के सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0-66/08 धारा 302/201/120बी भा0दं0वि0 होकर विवेचनाधीन है। मान्यवर, एक घटना है, इसका लोक महत्व नहीं है, अविलम्बनीय नहीं है और कार्य-स्थगन के अन्तर्गत नहीं आती है। इसमें पुलिस पूरी कार्यवाही कर रही है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इसको अग्राह्य करने की कृपा करें।

श्री आर0 के0 चौधरी-

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण चाहूंगा, मान्यवर, उदयवीर सिपाही, जिसने पैसा लिया है, बिचौलियेपन का कार्य किया है। मान्यवर, अब तक वह कहां है ? यह स्पष्ट हो जाये।

श्री अध्यक्ष-

मैंने आर0 के0 चौधरी जी को सुना, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, यह सूचना नियम-56 में नहीं आती है, इसलिए मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

श्री जोखू लाल यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, कार्य-स्थगन के प्रस्ताव पर उसकी ग्राह्यता पर जो बोलने का अवसर दिया इसके लिए हम आपके आभारी हैं। माननीय अध्यक्ष जी, यह समस्या मेरे विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर जनपद इलाहाबाद की है। हजारों किसानों की ज्वलन्त समस्या है और इसका कारण भी है। एक तरफ तो हम जलमग्न की बात करते हैं, हजारों एकड़ जमीन जो कृषि योग्य है, वह जल से डूब जाती है जिसकी वजह से ऊसर में तब्दील होती चली जा रही है। यह लोक महत्व का इसलिए है मान्यवर, कि हमारे क्षेत्र के 52 गांव के किसान प्रभावित होते हैं और लाखों की आबादी उससे प्रभावित होती है और उनकी खेती नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से पूरे के पूरे किसान उस इलाके से खेती न कर पाने के कारण भुखमरी की कगार पर आ जाते हैं। मान्यवर, हजारों एकड़ जमीन किसानों की ऊसर में तब्दील होती चली जा रही है और लाखों की आबादी और 52 गांव के किसान खेती नहीं कर पाते हैं, इसलिए यह लोकमहत्व का विषय है। दूसरी बात हम यह कहना चाहते हैं कि इसकी तात्कालिकता इसलिए है कि मान्यवर, हमारी विधान सभा की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, प्रतापपुर विधान सभा, प्रतापगढ़ जनपद से सटी हुई विधान सभा है। समीपवर्ती जिला प्रतापगढ़ की तमाम नहरों का पानी टेल प्वाइण्ट ले आके हमारे इलाके की एक मैलहन झील है, उससे जोड़ दी जाती है, तो मान्यवर, ऐसी कोई बड़ी बरसात विगत वर्षों से नहीं हो रही है कि जिसकी वजह से यह पूरा का पूरा क्षेत्र डूब जाता है, जलमग्न हो जा रहा

है बार-बार। बल्कि उन नहरों का टेल प्वाइण्ट ले आकर के मैलहन झील में जो पानी छोड़ दिया जाता है तो वह नहर का पानी और प्लस जब बरसात होती है तो उसका पानी जो है वहां एक बरना गांव है, उससे एक नाला निकलता है जो बरना नाले से होकर आगे की तरफ बढ़ता है।

चूंकि मान्यवर, बरना नाले की सफाई हो नहीं पाती जिसके कारण बरसात का पानी और नहरों के टेल का पानी पूरा का पूरा उस इलाके के 52 गांवों में फैल जाता है और पानी फैल जाने के कारण वह पूरी की पूरी जमीन जो कृषि योग्य है खेती योग्य नहीं रह जाती है और धीरे-धीरे वह ऊसर में तब्दील होती जा रही है। इसकी तात्कालिकता इसलिए भी है मान्यवर, कि फरवरी से लेकर जून के महीने तक ही ऐसा समय मिलता है जब उस नाले की सफाई कराई जा सकती है, नहीं तो मान्यवर, फिर उसके बाद बरसात आ जाती है और फिर उन्हीं घटनाओं की पुनरावृत्ति होते हुए फिर वह पूरे के पूरे 52 गांव प्रभावित हो जाते हैं। हम विधायक होते हुए भी हम इसमें विधायक निधि से पैसा दे नहीं सकते। हमने पत्र लिखा था और नियमों के तहत मुझे यह कहा गया कि मिट्टी का कार्य आप अपनी विधायक निधि से नहीं करा सकते हैं। मान्यवर, परिस्थितियां हैं 15-20 लाख रुपये का खर्च है या तो हमें अनुमति मिल जाये या फिर सरकार कोई एक कार्ययोजना बना ले जो हमारी विधायक निधि से ही चाहे कटौती कर ले, लेकिन उन 52 गांवों की जो हजारों हजार एकड़ जमीन जो डूब जाती है, कृषि योग्य भूमि जो ऊसर में तब्दील होती चली जा रही है। हमारे क्षेत्र के किसानों की उसको ऊसर होने से बचाया जाये। कभी-कभी मान्यवर, सरकार की तरफ से यह प्रस्ताव आता है कि बरना नदी यद्यपि वहां बरना नदी कोई नहीं है लेकिन स्थानीय भाषा में उसका लोग बरना नदी कहते हैं तो सरकार की तरफ से या प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से यह जवाब आ जाता है कि यह प्राकृतिक नदी है उसमें काम करना मुश्किल है। मान्यवर, वह प्राकृतिक नदी नहीं है, बरना नदी नहीं है, लेकिन स्थानीय लोग अपनी भाषा में उसे बरना नदी कहते हैं। जैसे मान्यवर, किसी गांव में किसी लड़के का नाम कलेक्टर रख दिया गया तो वह कोई कलेक्टर नहीं है कलेक्टर तो उसका नाम है। कलेक्टर पाण्डेय जी के नाम से यहां पर एक विधायक भी है। तो वह मान्यवर, कलेक्टर नहीं है माननीय विधायक हैं। कलेक्टर नाम है। उस नदी को बरना नदी कहा जाता है सचमुच में वह बरना नाला है। मैं मांग करता हूं कि सदन की सम्पूर्ण कार्यवाही को रोककर इस पर चर्चा करायी जाये।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, वित्तीय स्थिति के अनुसार उस पर कार्यवाही की जायेगी। यह नियम-56 के अन्तर्गत सूचना नहीं आती है। कृपया इसे अग्राह्य करने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष-

मैंने श्री जोखू लाल यादव जी को और माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुना मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

मान्यवर, मेरी महत्वपूर्ण सूचना है। सड़क दुर्घटना में तमाम लोग मर रहे हैं। यह लोगों की जानमाल से सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष-

यह चिन्ता का विषय है कि पूरे प्रदेश में यह घटनायें हो रही हैं। एक टैम्पो से एक्सीडेंट हो गया। मैं बहुत से माननीय सदस्यों की सूचनाओं को अग्राह्य कर चुका हूं। अगर आपको मौका दूंगा तो वह नजीर बन जायेगी। आप थोड़ा विस्तृत स्वरूप बनाकर उसको दे दें और उस एक्सीडेंट का जिक्र कर दें। प्रदीप जैन जी की है, कुबेर सिंह जी की है अन्य माननीय सदस्यों की भी है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

मान्यवर, वाराणसी शहर में ट्रामा सेन्टर न होने के कारण यह मृत्यु हो गयी है।

मान्यवर, वाराणसी में 27 फरवरी की शाम की और 28 फरवरी के सुबह की यह घटना है। उसमें बी0एच0यू0 में आई0टी0 का छात्र था वह अपने मां बाप का इकलौता पुत्र था वह लौट रहा था उसकी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गयी है। दूसरे चार अन्य लोग भी थे जिनकी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गयी। वह एक घर का अकेला चिराग उसमें बुझ गया। उसका उज्जवल भविष्य था। मैंने अपनी सूचना में उनके नाम भी दिये हैं और स्थान भी दिया है। इसको उठाने के पीछे मंशा यह है कि जिन स्थानों पर, चाहे उसमें सड़क हो या नेशनल हाईवे हो, ट्रामा सेन्टर की सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं, वहां लोगों को ऐसी घटनाओं में चिकित्सकीय सुविधायें नहीं मिल पा रही हैं। मान्यवर, ऐसी घटनाओं में जब घायल व्यक्ति के परिजन उन्हें किसी अस्पताल में ले जाते हैं तो अस्पताल वाले कहते हैं कि यह पुलिस केस है हम इसमें चिकित्सा नहीं करेंगे। आप इसे सरकारी अस्पताल ले जाइये। सरकारी अस्पताल जब ले जाते हैं तो या जाते-जाते रास्ते में ही मृत्यु हो जाती है या जब वहां पहुंचते हैं तो डाक्टर नहीं मिलता या आवश्यक दवायें नहीं मिल पाती हैं उस कारण से भी मृत्यु हो जाती है। मान्यवर, इन घटनाओं के पीछे जो रेश ड्राइविंग बढ़ रही है वह भी एक कारण है। इसके अलावा कई बार लोग नशे की हालत में ड्राइविंग कर रहे हैं। इसमें कोई उपाय राज्य सरकार को करना चाहिए ताकि यह जो इस तरह की घटनायें बढ़ रही हैं उन पर अंकुश लग सके। मान्यवर, यह केवल वाराणसी की बात नहीं है, सभी जगहों की बात है, आप समाचार-पत्रों को उठाकर देख लीजिये। मान्यवर, प्रदेश का कोई जिला ऐसा नहीं है जहां सड़क दुर्घटना में होने वाले मृत्यु की संख्या-5-6-7-8-9-10-डेली न हो, प्रतिदिन न हो और उसका पीछे यह अनुभव में आता है कि ट्रामा सेन्टर का न होना एक बहुत बड़ा कारण है कि लोग काल के गाल में चले जा रहे हैं। इसी क्रम में उल्लेख करना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री माननीय कल्याण सिंह जी की दुर्घटना होने से बचे। अभी कल की ही बात है तो इस

प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं इसको उठाने के पीछे माननीय सदन का समय नष्ट करना नहीं है। बल्कि सरकार की संवेदनशीलता और जो दायित्व है उसके पूरा करने की दिशा में ध्यान आकृष्ट करना है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इस प्रकार की घटनाओं में जो दुर्घटनाग्रस्त होते हैं उनको तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो जाय। जो ट्रेफिक रेग्युलेशन है उसको रेग्युलेट करने की कोई विधि उत्पन्न की जाय, प्रक्रिया अपनाई जाय और ऐसी व्यवस्था किया जाय। यह घटना तत्कालिक है, अविलम्बनीय है, सुनिश्चित घटना है इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि इस दुखद घटना पर सदन की सभी कार्य रोककर चर्चा कराने की अनुमति देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, इस सूचना को अग्राह्य कर चुका हूं। सदन में माननीय चौधरी साहब ने आये दिन प्रदेश में जो दुर्घटनाओं के कारण हत्यायें हो रही हैं इसका संज्ञान ले लीजिए।

श्री लालजी वर्मा-

ठीक है, मान्यवर।

* श्री दीनानाथ कुशवाहा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का एक हृदय विदारक घटना की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आशीष कुमार मौर्य निवासी श्याम बिहार कालोनी द्वितीय फैजुल्लागंज थाना मड़ियांव, जनपद लखनऊ की 6-2-2008 को रात्रि में अपहरण करके हत्या कर दी गयी और हत्या कर लाश को फैजुल्लागंज में चन्द्रसेन मौर्य के अमरूद के बाग में फेंक दिया गया। 7 फरवरी को परिजनों को इसकी जानकारी हुई। लाश का पोस्टमार्टम हुआ और पोस्टमार्टम के बाद एक लिखित प्रार्थना-पत्र एफ0आई0आर0 करने के लिए इनके परिजन छोटे लाल मौर्य पुत्र पंचम मौर्य ने दिया लेकिन अज्ञात में एफ0आई0आर0 दर्ज किया गया। इस घटना पर असरदार लोगों के कारण पर्दा डालने का काम किया जा रहा है। 9 तारीख को उनको थाने में बुलाया गया उनका बयान भी लिया गया और घटना में जो लोग शामिल हैं उनके नाम आलोक थापर पहाड़ी, मोनू सेक्टर अलीगंज, लखनऊ, मनोज, मोनू का चाचा, पप्पू बालू अड्डा वीरू पुत्र नन्हें शामिल थे। मान्यवर, यह अत्यन्त गम्भीर और हृदय विदारक घटना है, लोकमहत्व की है इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करा लें।

श्री अध्यक्ष-

इसकी मैं सूचना अग्राह्य कर चुका हूं।

श्री प्रदीप जैन "आदित्य"-

मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश का सम्मान इसलिए भी है कि यह वीरांगना लक्ष्मी बाई की जन्म स्थली भी है और कर्मस्थली भी है। आज लेकिन इतनी बड़ी विडम्बना है कि जहां पूरे प्रदेश

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में और पूरे देश में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवारजनों को सम्मानित किया जा रहा है। वहीं वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के परपौत्र श्री अरुण राव जी, जो इन्दौर में अज्ञातवास में रह रहे हैं जिन्हें प्रदेश की तरफ से कोई राजकीय सम्मान नहीं मिला। हम आपसे कहना चाहते हैं कि वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के परिवार के लोग जो आज इन्दौर में रह रहे हैं, उन्होंने सरकारी पेंशन भी नहीं ली। लेकिन वह यह चाहते हैं कि उन्हें कम से कम सम्मान तो मिले और हम लोगों ने झांसी में जब एक कार्यक्रम में उन्हें आमंत्रित किया था तो वह बिलख-बिलख कर रोने लगे और कहने लगे कि वह वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई, जिनके नाम से सारे संसार में आज हिन्दुस्तान की शान है, उनको कभी भी प्रदेश सरकार ने नहीं पूछा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 23 वर्ष की उम्र में वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई ने सारे संसार में अपना नाम अमर किया और वह पहली एक ऐसी दीपशिखा थी स्वतंत्रता संग्राम की कि जिनको मुखाग्नि देने का काम एक मुसलमान ने किया था जिसका नाम गुल मोहम्मद पठान था। मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं कि कार्य-स्थगन में मैं 5-6 दिन से लगातार प्रयास कर रहा था। क्षेत्र की जनता यह चाहती है कि इस सरकार ने वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के चरित्र को कलंकित करने वाली पुस्तक पर रोक लगाई है तो उनके मन में यह भी भाव है कि आजादी की 150वीं वर्षगांठ में जो उनके वंशज हैं, अरुण राव जो इन्दौर में रह रहे हैं उनको भी प्रदेश सरकार इस वर्ष में सम्मानित करे। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि झांसी में हजारों पर्यटक प्रतिदिन आते हैं, खजुराहो देखने चले जाते हैं, आस-पास के क्षेत्र में चले जाते हैं लेकिन झांसी के अन्दर रानी की तलवार नहीं है हम चाहते हैं कि इसमें आप एक व्यवस्था और कर दें कि जिस रानी से उत्तर प्रदेश का नाम है, उस वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की तलवार जो नगर पालिका ग्वालियर के म्यूजियम में पड़ी धूल खा रही है, ग्वालियर से जिसका कोई वास्ता नहीं है वहां से वह तलवार मंगा ली जाय और इसी तरह से रानी का ध्वज राजपूताना रेजीमेंट के पास था और 1982 में चोरी चला गया था जिसकी सी0बी0आई0 ने जांच भी की। उत्तर प्रदेश की सरकार ने जिस तरह पुस्तक पर रोक लगाने की पहल की उसी प्रकार हम यह चाहते हैं कि इस मामले भी यह सरकार पहल करें इससे उत्तर प्रदेश का सम्मान बढ़ेगा और आपका भी सम्मान बढ़ेगा।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है जैन साहब।

(श्री कुबेर सिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप फिर सूचना दे दीजियेगा। मैं ले लूंगा, आपकी सूचना को मैंने पढ़ा था।

श्री कुबेर सिंह-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

अच्छा बताइये, व्यवस्था क्या है।

नियम-301 के अन्तर्गत सूचना दिये जाने से सम्बन्धित व्यवस्था का प्रश्न

श्री कुबेर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, उस सूचना पर तो मैं मान्यवर, आपकी अनुमति के बिना बोल ही नहीं सकता हूं। अनुशासन में रहना ही ठीक है। विषय यह है माननीय अध्यक्ष जी कि हम अपने बड़ों से जो वरिष्ठ सदस्य हैं, इनसे सीखते हैं। चूंकि यह अधिक बोलते हैं तो उससे हम सीखते हैं और हमें बोलना भी चाहिए। परन्तु मेरा कहना यह है कि नियम-300 में ऐसी कोई बाध्यता बताते हैं, मैंने आज अपना एक सवाल 300 में लगाना चाहा, तो मेरे से यह बाध्यता बताई लोगों ने कि 300 में हफ्ते में इस नियम में एक ही बार लगता है। यह गलत सूचना है या सही है इसकी मुझे जानकारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

यह नियम-301 के लिये है कि किसी मा0 सदस्य की हफ्ते में एक बार ही स्वीकृत हो सकेगी।

* श्री कुबेर सिंह-

मुझे 300 में बताया। तो मुझसे भूल हो गयी, मैं अपने शब्दों को वापस ले लेता हूं। चूंकि मेरे बड़े भाई माननीय प्रमोद तिवारी जी आज भी बोले, मेरे साथ परसों 300 में भी बोले तो मैंने सोचा कि शायद मेरे लिये ही ऐसा हो। दूसरा विषय यह था कि एक नियम-56 में लगाया था वह नहीं सुना गया, वह तो आपका अधिकार है। उस पर कृपा नहीं हुयी। वैसे कृपा आपकी बहुत रहती है। परन्तु वह प्रकरण इस तरह का है कि शायद आज तक इस सदन में नहीं आया है तो उसे कल जरूर ले लें।

श्री अध्यक्ष-

कल तो नहीं, परसों सोमवार को आप दे दीजियेगा। मैं जरूर ले लूंगा।

(मद संख्या-11 पुकारे जाने पर)

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (क्रमागत)

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

माननीय अध्यक्ष जी, एक मसला था उस पर आपका संरक्षण चाहूंगा। किसानों से जुड़ी एक समस्या थी जिसे मैंने आज दिया था, पहले भी तीन बार दे चुका हूं। आपने अग्राह्य कर दी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

थी। आज आप इसे सुन लें, वरिष्ठ सदस्यों को तो आप दे ही देते हैं मौका, कभी-कभी नये सदस्यों को भी मौका दे दिया करें।

श्री अध्यक्ष-

सबसे ज्यादा नये सदस्यों को ही मौका दिया जाता है।

अब मैंने मद सं0-11 ले लिया है।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

मान्यवर, मेरे ऊपर भी थोड़ी सी कृपा हो जाए। किसानों से जुड़ा मामला है। मा0 ऊर्जा मंत्री जी बैठे हैं, सदन के संज्ञान में आ जायेगा जो किसानों को कुछ भला हो जायेगा। मान्यवर, इतनी देर में तो मैं अपनी बात कह लेता। मान्यवर, अनुरोध है कि 2 मिनट की अनुमति दे दें। मैं चार-पांच बार लिख करके दे चुका हूं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, निरस्त हो गई तो निरस्त हो गई।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

मान्यवर, इतना मौका आप देते हैं तो थोड़ा सा मौका नये सदस्यों को भी दे दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

चलिए अच्छा दो मिनट में कह लीजिए।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया धन्यवाद। मैं मा0 मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर पांच-छः विद्युत सब-स्टेशन 33 के0वी0ए0 के हैं, मा0 मंत्री जी चाहें तो नाम नोट कर लें, इसे मैंने सूचना में लिख करके दिया भी है। मा0 मंत्री जी 10-12 घण्टे विद्युत आपूर्ति देने की बात कर रहे थे, वह दे भी रहे हैं लेकिन मेरे क्षेत्र के किसानों को तीन से चार घण्टे से अधिक विद्युत नहीं मिल पाती है। मान्यवर, हमारे यहां विद्युत के अलावा सिंचाई का कोई भी दूसरा साधन नहीं है, न नहरें हैं, न पानी का कोई दूसरा साधन है और इस बार तो इन्द्रदेवता भी नाराज हैं, बारिश भी नहीं हुई। बिनौली विद्युत उपकेन्द्र है, तितरौदा विद्युत उपकेन्द्र है, बिनौली विद्युत उपकेन्द्र है, सन्तनगर विद्युत उपकेन्द्र है, कान्हड़, गैडबरा एवं टीकरी विद्युत उपकेन्द्र है। तीनों, चारों, पांचों जो विद्युत उपकेन्द्र हैं, मा0 अध्यक्ष जी वह भारित हैं, मशीनें 30-30, 40-40 साल पहले लगाने का काम हुआ था, उन्हीं मशीनों से हम आज तक काम चला रहे हैं। मा0 मंत्री जी, इन मशीनों की खाली विद्युत कैपेसिटी बढ़ाने का काम है, चेन्ज करवाने का काम है, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि मा0 मंत्री जी कृपा

कर देंगे तो किसानों का भला हो जायेगा। गन्ने की फसल तो खराब हो ही गई है थोड़ा जल्दी काम हो जायेगा, तो गेहूं की फसल ठीक हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी देख लें, विद्युत अन्य जगह से कुछ कम जा रही है और जो विद्युत उपकेन्द्रों का जिक्र किया है जहां से विद्युत आपूर्ति बाधित हो रही है, उन्हें दिखवा लें।

ऊर्जा मंत्री (श्री रामवीर उपाध्याय)-

ठीक है, दिखवा लेंगे।

श्री प्रदीप जैन 'आदित्य'-

मान्यवर, रानी लक्ष्मीबाई को सम्मान देने के मामले को भी देख लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

सम्मान देने के लिए सरकार के पास बैठ करके बात कर लीजिए, सम्मान हो जायेगा। हम तो चाहते हैं कि ऐसे परिवारों को सम्मान मिले। कोई जरूरी है कि सारे आश्वासन सदन में ही हो जाएं।

वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान अनुदान संख्या-73 शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)

* उच्च शिक्षा मंत्री (श्री राकेशधर त्रिपाठी)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान सं0-73-शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,68,88,45,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

मा0 अध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं अपने विभाग की ओर से और अपने साथी सदस्यों की ओर से विशेष रूप से आपके प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं। बजट की चर्चा बाद में होगी, एक दिन आपकी अनुपस्थिति में भी हमने चर्चा की थी। आपकी सरलता के कारण, आपके द्वारा सभी को बोलने का मौका देने के कारण और शायद यह कहें कि पिछले काफी अर्से के बाद यह विधान सभा जो 08 फरवरी से आहूत की गई है और 13 फरवरी को जो आपने अपने अनुभव का अपनी सरलता का, अपनी विद्वता का परिचय दिया, उसकी वजह से आज भी विधान सभा निरन्तर रूप से अच्छी तरह से चल रही है। तमाम सदस्यों को कहने का मौका मिला, अपनी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

समस्याओं को रखने का मौका मिला और नये सदस्यों के भाषण जो पुराने भाषण माफियाओं के द्वारा हाईजैक कर लिये जाया करते थे, बेचारे मौका पाये, अगर आप न उदारता करते तो बेचारे मौका भी नहीं पाते। इसमें दो राय नहीं है और लोगों को ऐसा नहीं लगता, तमाम ऐसे पुराने सदस्य हैं दोनों पक्षों में, बहुत से विधान सभा अध्यक्षों को अध्यक्ष जी हमने देखा है, सुना है और उनका निर्देश प्राप्त किया है लेकिन इसमें दो राय नहीं कि आपके धैर्य के कारण यह बजट सत्र और बहन कुमारी मायावती के निर्देशन में, जिन्होंने हम सभी को निर्देशित किया है, शायद अन्तिम दिन तक चलेगा। इतनी लम्बी विधान सभा इसके पहले किसी बजट सत्र की चली नहीं होगी। इसलिए मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। यहां जो हमारे मा0 सदस्य हैं, आज इस बजट के माध्यम से उनकी राय, सलाह भी चाहते हैं कि उच्च शिक्षा में किस तरह से गुणवत्ता लायी जा सके, किस तरह से शिक्षा की और व्यवस्था की जा सके, इस पर व्यापक चर्चा इस सम्मानित सदन में होने जा रही है। मा0 अध्यक्ष जी, माननीया मुख्य मंत्री जी द्वारा और लालजी वर्मा के द्वारा रखा गया वित्त का बजट में 12, 16 और 18 प्रतिशत तक बढ़ा है। उच्च शिक्षा का भी बजट पिछले वर्षों की तुलना में 12 प्रतिशत अधिक बढ़ाया गया है जिससे शिक्षा की व्यवस्था हो सके। अध्यक्ष जी, सत्र नियमित करने के लिए जो हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता है, हम लोगों ने जून से पहले कुलपतियों का सम्मेलन किया और उस सम्मेलन में इस बात पर विचार किया गया है कि जुलाई से जब कक्षायें प्रारम्भ हो तो उसके बाद सत्र नियमित कैसे किया जा सके ? उस सम्मेलन में यह तय किया गया कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों का कलेण्डर बनना चाहिए कि कितने दिनों तक प्रवेश चलेगा, कितने दिनों तक पढ़ाई चलेगी और कितने दिनों की पढ़ाई के बाद परीक्षा व्यवस्थित तरीके से की जायेगी ? अध्यक्ष जी इस सम्मानित सदन को बताते हुए विश्वास दिलाना चाहता हूं आज जब 29 तारीख है, आज की तारीख तक सत्र नियमित करने के लिए सभी विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में कलेण्डर निकाली गयी। 180 दिन उनके पठन-पाठन का होता है। उसको बढ़ाया गया और आज अगर यह कहें कि उसी सम्मेलन से तय किया गया था कि समय पर किसी भी तरह से पठन-पाठन के साथ विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में अमन चैन कायम करेंगे और शायद अंतिम दौर है सत्र नियमितीकरण का। प्राथमिकता इसलिए है कि सत्र नियमित नहीं कर पायेंगे महीने दो महीने विलम्ब हुआ तो हमारे यहां का पास लड़का किसी अन्य प्रदेश में आवेदन नहीं कर पाता है और दूसरे जो गरीब माता-पिता अपनी गाढ़ी कमाई से किसी तरह से पढ़ाने का काम करते हैं, दो महीने बढ़ गया तो 4-6 हजार रुपये का अतिरिक्त व्यय बढ़ जाता है। हमने सुनिश्चित किया है और इस सम्मानित सदन में घोषणा भी कर रहे हैं कि मार्च के पहले हफ्ते से विश्वविद्यालय की परीक्षायें शुरू करा देंगे और एक दिन भी नहीं बढ़ेगी। परीक्षा कराने के उपरान्त और 5 फरवरी को कुलपतियों के सम्मेलन में तय किया गया है कि परीक्षायें समय से हो जाएं। कभी-कभी इनका रिजल्ट समय से नहीं निकल पाता है। हमारा प्रयास है और हमने तय किया है कि जैसे भी हो परीक्षाफल भी

समय से आना चाहिए। इसी बीच मा0 अध्यक्ष जी अनुरोध करूं हम किसी को इंगित नहीं करना चाहते, हमारे विद्यार्थियों में एक खराब प्रवृत्ति पनपती चली गयी है। हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट और बी0ए0, एमए0 तक नकल की प्रवृत्ति बढ़ गयी है जो छात्र नकल से पास करके आता है बड़े-बड़े प्रतियोगी परीक्षाओं में जाता है बी0ए0, एम0 ए0 के इन्ट्रेन्स में परीक्षा देता है तो वह फेल हो जाता है। हमारा प्रयास है कि किसी भी कीमत पर गुणवत्ता लायेंगे। हम नकलविहीन परीक्षा कराना चाहते हैं, विद्यार्थी अपनी योग्यता और मेरिट पर निकल कर आयेगा। पिछले दिनों परम्परा थी कि बाहर के लड़के कापी लिख देते थे, कहीं-कहीं यह भी सुना गया कि कर्मचारी, शिक्षक और प्रधानाचार्य इसमें सम्मिलित रहे हैं। हमने सुनिश्चित किया है और मुख्य मंत्री जी के स्तर पर उच्च स्तरीय बैठक कराकर तय किया है कि जो परीक्षा शुरू की जायेगी उसमें विश्वविद्यालय के लोग लगेंगे, कुलपति लगेंगे, हमारे जिले के प्रशासन के लोग लगेंगे ताकि नकल विहीन परीक्षा हो और अच्छी गुणवत्ता के लड़के निकलकर आये।

इस सत्र नियमन का अन्तिम दिन होने के साथ-साथ हमारा पूरा प्रयास है जो कुलपतियों की बैठक में तय किया कि 30 जून के पहले सारा रिजल्ट सारी यूनीवर्सिटी, सारे डिग्री कालेज घोषित कर दें चाहें जैसे घोषित करें। हमारी प्रतिबद्धता है। दूसरा अध्यक्ष महोदय, हमारे लिए सौभाग्य है कि पिछले दिनों यूनीवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में आते नहीं थे हमने जाकर उनसे आग्रह किया हम शिक्षा का विस्तार करना चाहते हैं, शिक्षा के प्रतिशत को बढ़ाना चाहते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के चेयरमैन को पहली अगस्त को यहां हमने निमंत्रित किया इसमें प्रधानाचार्यों के साथ उनकी बैठक कराई, कुलपतियों के साथ उनकी बैठक कराई उससे यह लाभ मिला कि यूनीवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन ने कहा विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों को बढ़ाने के लिए शिक्षा का प्रतिशत बढ़ाने के लिए हमारी हर तरह की सुविधा उत्तर प्रदेश सरकार को है। सरकार जो देने के लिए प्रतिबद्ध भी है। जहां तक हमने विद्यार्थी जीवन से कहा सबको प्रवेश मिलना चाहिए। जुलाई, अगस्त में हर साल यह समस्या होती थी लड़के-लड़कियों को प्रवेश नहीं मिलता था अध्यक्ष जी यह सच है कि सब विद्यार्थियों को महाविद्यालयों में विश्वविद्यालयों में प्रवेश भी सम्भव नहीं था इसलिए हमारी सरकार ने तय किया कि चाहे सान्ध्यकालीन कक्षाएं हों, चाहे दो पाली में चलवाएं, चाहें एक्स्ट्रा कक्षाएं चलाकर इनको प्रवेश दिया जाय चाहे जैसे हो लेकिन अगस्त सितम्बर तक सारे प्रवेश सुनिश्चित करें मान्यवर, कहीं भी प्रवेश की समस्या नहीं रही कोई भी छात्र जिसने चाहा उसे प्रवेश मिला। अध्यक्ष जी शिक्षा के विस्तारीकरण में यह सच है कि पिछले दिनों और अभी भी जो भारत सरकार के आंकड़े हैं उसमें अभी हमारे प्रदेश की शिक्षा का अनुपात कम है हमारा प्रयास है कि जितने अधिक से अधिक महाविद्यालय खुल सकें चाहे ग्रामीण अंचल में तहसील स्तर में हों सब जगहों पर अधिक से अधिक शिक्षा मुहैया कराई जा सके ताकि उच्च शिक्षा का स्तर बढ़ सके। अध्यक्ष जी हम लोगों ने विद्यार्थी जीवन से कहा रोजगार परक शिक्षा होनी चाहिए एम0ए0, बी0ए0 पास करने के बाद छात्र

किसी रोजगार के लायक़ हो जाएं। हमें यह बताते हुए सदन को सूचित करते हुए यह हर्ष और गौरव की बात है कि पहली बार हमने यह नियम अभी बनाया कि मैनेजमेन्ट की शिक्षा जो बी0बी0ए0, एम0बी0ए0, बी0सी0ए0 आदि की शिक्षा इनकी संस्थाओं द्वारा दी जाती है उसे सारे ग्रामीण अंचलों में 51 महाविद्यालयों में देना चाहते हैं ताकि सस्ती फीस देकर एम0बी0ए0, एम0सी0ए0 की शिक्षा प्राप्त करके वह ग्रामीण अंचलों के लड़के शहरी लड़कों के बराबर अपनी शिक्षा लें और रोजगार परक शिक्षा उन्हें मिले ताकि बड़ी कम्पनियों में रोजगार प्राप्त कर सकें। अध्यक्ष जी हम इसकी फीस भी कम करना चाहते हैं यह शिकायत रहती है सदन में भी चर्चा चलती रहती है कि मनमानी फीस ली जा रही है हमने इसकी फीस भी तय कर दी है ताकि वहां मैनेजमेन्ट के प्रबन्ध कोर्स की शिक्षा कम दर पर की जा सके। पिछले दिनों एक नीति बनी पहली बार इस उच्च शिक्षा में 20 ऐसे महाविद्यालयों को चयनित किया जा रहा है। जिसमें 10 सरकार के रहेंगे। 10 अशासकीय रहेंगे 20 महाविद्यालय जिनमें हर तरह की शिक्षा दी जायेगी। कम्प्यूटर की शिक्षा, बी0सी0ए0, एम0बी0ए0 बायोटेक की शिक्षा, आई0टी0 की शिक्षा, जितनी फैकल्टी है इन 20 महाविद्यालयों में देना चाहते हैं पहली बार यह पायलट प्रोजक्ट बनाने जा रहे हैं यह जितना भी होगा संसाधनों के लिए हम इनको अलग से पोषित करेंगे।

इनको अलग से आधारभूत सुविधाओं को देंगे। इसके लिये 20 करोड़ का प्राविधान इसमें बजट में किया है ताकि इनको हम अलग से और ज्यादा सुसज्जित कर सकें। इसलिये कि यह 20 महाविद्यालय अगर हमारे उन तमाम छात्राओं को जिसमें हमारे महिला कालेजों को भी चयनित करवाया है। चयन प्रक्रिया बना दी है जो पुराने महाविद्यालय है जो ग्रान्ट के हैं जिनकी मेरिट अच्छी है, जिनके अध्यापक अच्छे हैं, जिनकी अटेन्डेन्स अच्छी है जिनके प्रबन्धकीय विवाद नहीं है उनको लेकर के चयनित करके और अगर इस सत्र में यह हमारा आदर्श महाविद्यालय ठीक से चल गया तो आगे आने वाले 5 सालों में बहिन मायावती की सरकार बरकरार रहेगी तो कम से कम 100 और 125 महाविद्यालय इसमें लिये जायेंगे ताकि कोई जनपद इससे बचने न पाय। माननीय अध्यक्ष जी, इसमें हमने कम्पनी के लोगों से (किसी सदस्य के टोकने पर) अभी पूछियेगा आप हमसे। आपको मौका मिलेगा। माननीय अध्यक्ष जी इसमें समय भी तय हैं। अभी एक नई जानकारी मिली कि जिन लोगों के यहां कामर्स के लोगों में ओपन यूनिवर्सिटी है बड़ी-बड़ी कम्पनियां मल्टीनेशनल के लोग आते हैं और उनके प्लेसमेंट के लिये, उनको नौकरी देने के लिये प्रयास कर रहे हैं। अभी हमने एक जगह जाना कि होटल मैनेजमेन्ट का कोर्स करके जो लड़के और लड़कियां निकले अपने डिग्री कालेज का, उनको तुरन्त सबको नौकरी मुहैया हो गयी। हमने पहली बार यह तय किया है कि इस प्रदेश में अभी फैशन डिजाइनिंग का कोर्स जिसकी मांग भी है और इस प्रदेश में जिन लोगों ने किया है उनको नौकरी उपलब्ध हो गई है। माननीय अध्यक्ष जी अभी पिछले दिनों ज्ञान कमीशन की तरफ से पूरे भारत सरकार ने तय किया और कहा गया कि शिक्षा की दर बढ़ाना चाहिए। हम अगर यह बतायें कि भारत सरकार में उच्च शिक्षा का दर

9.97 प्रतिशत है और हमारे उत्तर प्रदेश का उच्च शिक्षा का दर 8.13 प्रतिशत है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारा प्रयास है कि आने वाले दिनों में इस उच्च शिक्षा के अनुपात को बढ़ायेंगे और इसी को देखते हुए निजी विश्वविद्यालय को खोलने के लिये चलाने के नया कानून बनाया है और निजी विश्वविद्यालय के द्वारा तमाम ऐसे विषयों को, तमाम ऐसी फैकल्टी को तमाम ऐसे सब्जेक्ट्स को जो हमारे नियमित विश्वविद्यालय में नहीं है वे लिये जायेंगे ताकि उससे शिक्षा को बढ़ावा हो सके और इनका अनुपात भी हम भारत की शिक्षा के बराबर ला सकें। मान्यवर, इसमें कहने में कोई दो राय नहीं है कि अभी भी हमारा प्रदेश उच्च शिक्षा में अन्य प्रदेशों की तुलना में 12वें या 14वें नम्बर पर है। हो सकता है कि और भी पीछे हो लेकिन जितना इसको बढ़ाया जा सके, जितना इसको अच्छा किया जा सके तब उच्च शिक्षा का हमारा अनुपात अन्य प्रदेशों की तरह जा सकेगा। काफी दिनों से यह मांग भी रही है और यह प्रयास भी रहा है कि विश्वविद्यालय कम है निजी विश्वविद्यालय खुलने चाहिए इसीलिये निजी विश्वविद्यालयों के लिये एक नया माडल कोड बनाया गया है। पहली बार इस विधान सभा में उसका कानून बनने जा रहा है जो निजी क्षेत्र में विश्वविद्यालय खोलना चाहते हैं वे खोल सकते हैं माननीय अध्यक्ष जी जो इलाके अधिक पिछड़े हैं नक्सलवाद से प्रभावित है, जिन इलाकों में महाविद्यालय नहीं है उन इलाकों को लेने के लिये हमारी प्राथमिकता है। (श्री प्रमोद तिवारी जी के कुछ कहने पर) अभी हमने कहा था कि भाषण माफिया नहीं है, वो आ जायेंगे तो हाईजैक कर लेंगे नये लोगों को बोलने नहीं देंगे। प्रमोद तिवारी जी आ गये। आज आपको बोलना नहीं है। नये लोगों को बोलने दीजिये। बोलते-बोलते तो आप बुढ़ा गये हैं। आपको तो केवल आर्शीवाद देना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए।

(इस समय 1 बजकर 55 मिनट पर अधिष्ठाता श्री त्रिभुवन दत्त पीठासीन हुए)

श्री महबूब अली-

अरे आपके बराबर हैं।

श्री राकेशधर त्रिपाठी-

अरे हमसे तो काफी सीनियर हैं।

श्री महबूब अली-

हाउस में सीनियर हैं, उम्र में तो बराबर हैं।

श्री राकेशधर त्रिपाठी-

माननीय अधिष्ठाता जी, हमारे प्रदेश में 70 जनपद हैं और प्रदेश के 70 जनपदों में अभी तक 11 राजकीय महाविद्यालय नहीं रहा है इसको हम किसी राजनैतिक दुर्भावना से नहीं लेकिन इतना जरूर कहना चाहते हैं अधिष्ठाता महोदय 70 जिलों में 11 जनपद ऐसे रहे हैं जहां एक भी राजकीय महाविद्यालय नहीं रहे हैं। हमने एक दिन यही बात सदन में कही थी एक

राजकीय महाविद्यालय बनने में 3 करोड़ 20 लाख रुपया लगता है। हमने प्राविधान कर दिया है। 11 जनपद जो बचे हुए थे आज की तारीख में 70 जनपदों में एक-एक राजकीय महाविद्यालय बनाने का प्राविधान कर दिया है।

(मेजें थपथपाई गईं)

मान्यवर, पूर्ववर्ती सरकार में एक महाविद्यालय ऐसा बना जो 103 करोड़ में बनकर तैयार हुआ। हमने यह कहा था और आज भी कह रहे हैं 103 करोड़ में अगर हम 3 करोड़ 20 लाख बांटते तो 34 राजकीय महाविद्यालय हमारे बनकर तैयार हो जाते। यह जो महाविद्यालय बनकर तैयार होते तो हमारे जो नये जनपद हैं बिजनौर, लखीमपुर, जौनपुर, आजमगढ़ जैसे, जहां राजकीय महाविद्यालय नहीं रहे हैं माननीय अधिष्ठाता महोदय हमने यह भी कहा है कि असेवित योजना में हम उन तमाम जनपदों के महाविद्यालयों को लेने जा रहे हैं। तिवारी जी आप कहां जा रहे हैं सुनते जाइए आपके काम की बात है।

श्री प्रमोद तिवारी-

अध्यक्ष जी ने बुलाया है।

श्री राकेशधर त्रिपाठी-

एक मिनट सुन लें असेवित महाविद्यालय खोलने की योजना रही है। लेकिन अगर हम एक संकाय खोल देते थे बी0ए0 का तो हम कामर्स का नहीं खोलते थे, साइंस का नहीं खोलते थे। अब हमने यह सुनिश्चित किया है कि जहां बी0ए0 का संकाय खोलेंगे वहां कामर्स और साइंस का संकाय भी खोलेंगे इसकी शिक्षा भी वहां दी जाएगी। मान्यवर, पिछले दिनों जवाब में कहा गया था कि तमाम स्नातकोत्तर विद्यालय हैं, हमारी विडम्बना है कई ऐसे केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं और केन्द्रीय विश्वविद्यालय बन जाने के बाद यह एम0ए0 में दाखिल किसी डिग्री कालेज, किसी महाविद्यालय को देते नहीं हैं सारे लोग जानकार हैं हमारा प्रयास है कि स्नातकोत्तर की कक्षाओं के चलाने के लिए महाविद्यालयों को प्राथमिकता दें ताकि जहां केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं वहां के लड़के स्नातकोत्तर की शिक्षा ग्रहण करने से वंचित न रहें। इसके लिए हमने प्राविधान किया है मान्यवर, पहले जो असेवित महाविद्यालयों के लिए धन का आवंटन होता था यह कई किश्तों में होता था। उसके प्राविधान को हमने बदला है एक तो यह साइंस जहां पढ़ाई जाती है उनको ज्यादा सामान खरीदना पड़ता है। उनको ज्यादा धनराशि दे रहे हैं ताकि वह भवन भी खोलें और सामान भी खरीदें। यह पैसा तीन किश्तों में मिलना था इसको घटाकर हमने दो किश्तों में कर दिया है अब दो किश्तों में पैसा दिया जाएगा ताकि भवन बनाना चाहें तो भवन भी बना लें और महाविद्यालय सुचारु रूप से चल सकें। माननीय अधिष्ठाता महोदय, एक बात बार-बार आती है अध्यापकों की कमी है तो इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी चयन प्रक्रिया पर माननीय उच्च न्यायालय से और माननीय उच्चतम न्यायालय से रोक है फिर भी शिक्षा विभाग के जो अधिकार में है उस अधिकार

के अन्तर्गत हम शिक्षकों का चयन करने जा रहे हैं। एक संशोधन किया है। अधिष्ठाता महोदय, अब तक उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग से जो अध्यापकों का चयन होता था वह इण्टरव्यू के माध्यम से होता था अब हमने यह सुनिश्चित किया है कि पहले लिखित परीक्षा होगी तब इण्टरव्यू होगा ताकि पारदर्शिता इसमें आ सके। बेईमानी न हो सके। मान्यवर, पहले इण्टरव्यू और वायवा में अधिकतम नम्बर पहले दे दिये जाते थे जिसकी वजह से ऐसे-ऐसे लोग आते थे कि 40-50 मिनट तक ब्लैक बोर्ड के सामने खड़े नहीं हो पाते थे। इसलिए हमने चयन प्रक्रिया को बदला है अब पहले लिखित परीक्षा होगी।

* डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

यह जो आप लिखित परीक्षायें करायेंगे सब अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में उपस्थित होने का मौका देंगे या इसमें भी कोई नार्म्स बनायेंगे ?

श्री राकेशधर त्रिपाठी-

अधिष्ठाता महोदय, मा0 अग्रवाल साहब का सवाल ठीक है लेकिन जरा सा इसमें संशोधन हम देंगे, थर्ड डिवीजनल यदि अप्लाई करेगा तो हम उसको लिखित परीक्षा के लिए नहीं बुलायेंगे। हम मेरिट बनवायेंगे उस मेरिट में सेकेन्ड क्लास वाला, पी0एच0डी0 वाला, नेट वाला और जो हम अपना स्टेट इन्ट्रेंस करायेंगे उसको बुलायेंगे। अग्रवाल साहब, कितने ऐसे लड़के हैं जो पी0एच0डी0 हैं ? हम मान गए आपकी बात, हम परीक्षण करवा देंगे।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

जो 55 परसेन्ट के नीचे वाले आयेंगे, उन्हें आमंत्रित करेंगे या नहीं ?

श्री राकेशधर त्रिपाठी-

करा देंगे। हम आपकी सलाह से सहमत है, अधिष्ठाता महोदय, हम तो चाहते हैं कि इसकी पारदर्शिता बढ़े, जो सलाह है, हम परीक्षण करा लेंगे और हम इस पर आपकी राय भी चाहते हैं। अभी तो नियम बनाये जा रहे हैं और जो विज्ञापन दे रहे हैं आप लोगों ने ही उठाया था। उस विज्ञापन में कहा गया है कि इनकी परीक्षा करायेंगे। मा0 अधिष्ठाता महोदय, अभी तमाम विद्यालय, महाविद्यालयों में कमी रही, इस बार हमने अलग से 10 करोड़ रुपये का प्राविधान करवाया है और इसमें महाविद्यालयों की जो भी आधारभूत सुविधाएं हैं उनको हम पूरा करायेंगे। अभी हमने कहा कि हम सारे विश्वविद्यालयों को कम्प्यूटराइज्ड करा रहे हैं, सारे डिग्री कालेज में कम्प्यूटर दे रहे हैं, आन लाइन एजुकेशन की व्यवस्था हम पहली बार इस उत्तर प्रदेश में शुरू कर रहे हैं, अभी हमने राजर्षि टण्डन में शुरू किया है। अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से हम जानकारी देना चाहते हैं अगला हमारा जून का जो भी परीक्षाफल आयेगा, वह आन लाइन पर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रहेगा, कोई भी लड़का इण्टरनेट पर कहीं भी बैठकर अपना रिजल्ट देख सकता है। यूनीवर्सिटी उसको बाद में जाना पड़ेगा। यह व्यवस्था हमने सुनिश्चित करा दिया है। महाविद्यालयों को ऑन लाइन एजुकेशन देने के लिए आज हम तमाम प्रदेशों से पीछे हैं। हम आज अगर किसी एक बड़े विद्वान, प्राध्यापक की शिक्षा है या उसका भाषण है उसका लेक्चर करायेंगे ताकि उसका लाभ अगर लखनऊ यूनीवर्सिटी में वह लेक्चर दे रहा है गोरखपुर विश्वविद्यालय में वह भाषण दे रहा है, उस प्रोफेसर के भाषण का ज्ञान पूरे प्रदेश के महाविद्यालयों को मिले, इसलिए ऑन लाइन शिक्षा का प्रावधान हम करने जा रहे हैं ताकि वहीं बैठे-बैठे वह इसका ज्ञान प्राप्त कर सके। माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी हमने चर्चा की, तमाम महाविद्यालय बनते थे, खुलते हैं और इसमें कहने में संकोच नहीं है कि लड़कों के लिए तो शौचालय बनता था, लेकिन महिला छात्राओं के लिए न तो कामन रूम बनता था और न शौचालय बनता था, हमने सुनिश्चित करा दिया कि जब तक यह तैयारी नहीं होगी, हम महाविद्यालय को मान्यता नहीं देने वाले हैं, वे इसको पूरा करायें, हम उनको पैसा देते हैं, हमने तय किया है।

मा0 अधिष्ठाता महोदय, जितने हमारे पुराने लाइब्रेरी, पुस्तकालय हैं, यह हमारी निधि हैं, इनमें ऐसे-ऐसे ग्रंथ हैं जिनको बचा करके रखना हमारा दायित्व है इसलिए हम अधिकतर पुस्तकालयों को कम्प्यूटराइज्ड करने जा रहे हैं, इनको हम डिस्टलाइज करने जा रहे हैं, इनको हम पूरा का पूरा जैसे भी सुरक्षित और संरक्षित हो सकेगा, इसको हम करने जा रहे हैं। इसलिए कि आने वाले दिनों में इसकी आवश्यकता इस प्रदेश को और देश को पड़ती रहेगी। मा0 अधिष्ठाता महोदय, दो-तीन और महत्वपूर्ण बिन्दु हैं, अभी कुछ दिनों पहले एक चर्चा भी चली, हम कह देना चाहते हैं, हम सारी कमियों को दूर नहीं कर पायेंगे लेकिन इतना ज़रूर है कि जिन विश्वविद्यालयों में बड़े-बड़े लोगों के खिलाफ जांच की कार्यवाही हुई, हम लोगों ने जांच की कार्यवाही करायी। अधिष्ठाता महोदय, कहने में शर्म और संकोच भी है कि जिस कुलपति को हम बहुत बड़ा अध्यापक, विद्वान और कुल का अगुवा मानते हैं, कई कुलपतियों के खिलाफ हमने एफ0आई0आर0 दर्ज करवाने का काम किया है और उसको हटवाने का काम किया है। हम भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं देना चाहते। जिन विश्वविद्यालयों में चाहे कुल सचिव हों, चाहे उसके परीक्षा नियंत्रक हों, सब के खिलाफ कार्यवाई की गई। इनमें फैजाबाद है, पूर्वांचल का गोरखपुर है, पूर्वांचल है, आगरा विश्वविद्यालय है, तमाम विश्वविद्यालय के कुलपतियों के खिलाफ कार्यवाही की गई है, इसलिए कि आने वाले दिनों में इन पर पकड़ टीक रहे, भ्रष्टाचार पर रोक लग सके। जो छात्रों को, अध्यापकों को विश्वविद्यालयों में आने जाने में असुविधा होती है, उस पर रोक लग सके। इसलिए एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गयी।

मान्यवर, हम आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहते हैं कि सदन के दोनों पक्षों के सदस्यों की चिन्ता है कि बहुत से स्ववित्त पोषित महाविद्यालय और बहुत से निजी

महाविद्यालय मनमानी फीस लेने का काम करते हैं। मान्यवर, हमने एक कमेटी बना दी है और हमारा प्रयास है कि जुलाई के पहले उस कमेटी की रिपोर्ट आ जाये ताकि अगली जुलाई से फीस नियंत्रित ली जा सके और जो भी ज्यादा फीस लेगा उसके खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज कराकर कार्यवाही की जाएगी। मान्यवर, अभी पिछले दिनों बी0एड0 की काउंसिलिंग के बाद तमाम जगह शुल्क लेने की शिकायतें आयीं और बताते हुए आपसे निवेदन कर रहे हैं कि हमने निर्देश दिया जिलाधिकारियों, हमारे तमाम अपर जिलाधिकारियों ने छापा डाला और उन लोगों से लिखित लिया कि कितनी फीस ली जा रही है और जहां पर ज्यादा लिया वहां पर उनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है और सदन के माननीय सदस्यों से आग्रह है कि अगर कहीं पर अतिरिक्त शुल्क लिया जा रहा है तो अगर आप शिकायत करेंगे तो उस पर बिल्कुल प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। मान्यवर, हमारी इच्छा है और हमारा प्रयास है कि उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों की फीस एक समान न हो सके तो कम से कम एक विश्वविद्यालय के जितने महाविद्यालय हैं उनकी फीस तो एक समान होनी चाहिए। इस पर हमारा परीक्षण चल रहा है और जुलाई के पहले इस कमेटी की रिपोर्ट भी आ जाएगी जिसमें कई कुलपति हमारे इसके सदस्य हैं, 1-2 कुलपति रिटायर भी हो गये हैं तो उनकी जगह नए कुलपति आये हैं। इसलिए इसको भी हम काफी शीघ्रता से पूरा करना चाहते हैं।

मान्यवर, एक नया काम उच्च शिक्षा के द्वारा हम शुरू करने जा रहे हैं अभी तक माध्यमिक और बेसिक शिक्षा के अध्यापकों का 5 सितम्बर को शिक्षक दिवस के दिन सम्मान होता रहा है। पिछले दिनों हमने माननीय मुख्य मंत्री सुश्री बहन कुमारी मायावती जी से आग्रह किया था तो उन्होंने समय दिया और यह कहा कि बिल्कुल उच्च शिक्षा में भी अच्छे अध्यापकों का सम्मान किया जाना चाहिए। जिसका बजट में हमने कई लाख का प्राविधान भी कर दिया है। यह पहली बार उच्च शिक्षा में शुरू किया जा रहा है। जिन अध्यापकों का योगदान है चाहे वह डिग्री कालेज के हों चाहे वह विश्वविद्यालय के हों एक समिति बनेगी एक चयन प्रक्रिया से निर्धारित करके उन अध्यापकों का हम 5 सितम्बर को सम्मान करेंगे और अन्तिम बिन्दु मान्यवर, हमने अभी तय किया है और यू0जी0सी0 से भी पत्राचार चल रहा है कि एक महिला विश्वविद्यालय का प्रस्ताव इस उत्तर प्रदेश के लिए है और दूसरा यूनिवर्सिटी आफ एक्सलेंस की शुरूआत करने का भी प्रस्ताव है। मान्यवर, चूंकि तथ्य बहुत हैं। 8 महीने का अनुभव बहुत है। बजट और तमाम प्रश्नों के द्वारा सवाल-जवाब होने हैं लेकिन आज का यह बजट रखने के पीछे यह मकसद भी है कि हम वेतन देने के साथ-साथ अपने सत्तापक्ष के और अपने विपक्ष के साथियों की सलाह भी जो उचित, न्यायसंगत हो जो शिक्षा में गुणवत्ता ला सके हम उसके लिए सत्ता और विपक्ष दोनों तरफ के सदस्यों का आमंत्रण करते हैं कि आप अपनी सलाह हमको दें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

* श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-73 शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना। माननीय अधिष्ठाता जी, अंभी हमारे विद्वान उच्च शिक्षा मंत्री जी ने बहुत ही विनम्रतापूर्वक उद्बोधन किया है और शिक्षा के क्षेत्र में भ्रष्टाचार को दूर करने की बात कही है। माननीय मंत्री जी हम लोगों के साथी रहे हैं, उनकी विद्वाता और सद्व्यवहार के बारे में हमें कोई शक नहीं है, किन्तु आज भ्रष्टाचार दूर करने की बात सदन में कही है तो मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, लेकिन बधाई भी देना चाहता हूं, कल उच्च सदन में उनके विरोध में उनके निजी सचिव पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया और मा0 सदस्य ने वहां पर यहां तक कहा कि मेरी बात गलत हो, सी0बी0आई0 की आज जांच करा लीजिये, मैं इसी सदन में गोली मार दूंगा। यह बहुत बड़ी बात है इसलिए मैं बधाई देना चाहता हूं। मैं सुबह से देख रहा था वह अपनी सीट पर नहीं थे, वह योग्य व्यक्ति हैं, उन्होंने साहस किया, उन्होंने बड़ी ही विद्ववतापूर्ण भाषण हिम्मत के साथ दिया और मैं उनकी तारीफ करूंगा, मैंने कहीं पढ़ा था कि 'जिसमें लौ है वह विरोधों में और चमकेगा, किसी दिये को ऊपर उछाल कर देखो'। माननीय मंत्री जी आपने जो बजट पेश किया है उसमें स्वयं स्वीकार किया है कि अनेक महाविद्यालय, अनेक राजकीय महाविद्यालय ऐसे हैं जहां पर किसी के पास भूमि नहीं है, जो किराये के मकानों पर चल रहे हैं।

आज उत्तर प्रदेश में छात्र और छात्राओं की बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में अधिक से अधिक राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना की जाय। माननीय मंत्री जी, मेरे विधान सभा क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय है। मैं अपने नेता अटल बिहारी बाजपेयी जी, जब वह प्रधान मंत्री बने थे, सबसे पहले उन्होंने लखनऊ में कन्याओं के लिए यहां पर तीन महाविद्यलय की स्थापना की। एक अलीगंज में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस जी के नाम पर, एक मेरे विधान सभा क्षेत्र में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर राजकीय कन्या महाविद्यालय और एक राजा बिजली पासी के नाम कन्या महाविद्यालय की स्थापना की। मेरा अपने महाविद्यालय में आना जाना होता है। माननीय मंत्री जी, इसके पहले जो सरकार थी उसमें भी बार-बार इस सदन में मैंने अनुरोध किया था और उन्होंने यह स्वीकार किया कि वहां पहले बी0ए0 की कक्षाएं चलती है, बाद में बी0एस0सी0, बी0काम0 की कक्षाएं प्रारम्भ की गयी, लेकिन मैंने कई बार आपकी उपस्थिति में प्रश्न भी लगाया था कि क्या आप पोस्ट ग्रेज्युएट और एल0एल0बी0 की कक्षाएं प्रारम्भ करा देंगे। आपने पोस्ट ग्रेजुएट कक्षाओं के लिए कहा कि प्रक्रिया चल रही है। लेकिन एक साल बीत गया क्या प्रक्रिया चल रही है न इसका मुझे पता चल पाया

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और न ही इसकी झलक महाविद्यालय में दिखायी पड़ी। आपने एल0एल0बी0 के लिए साफ इंकार कर दिया। बी0एस0सी0 की कक्षाएं खोल दी लेकिन वहां पर फिजिक्स, केमेस्ट्री, जूलोजी, बायोलोजी के लिए कोई प्रयोगशाला नहीं है, कोई धन आवंटन नहीं है और जब प्रयोगशाला ही नहीं है तो वहां पर कन्याओं को शिक्षा कैसे दी जाये ?

श्री अधिष्ठाता-

संक्षेप में श्रीवास्तव जी आप अपनी बातों को रखें।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

संक्षेप में कैसे रखूं, माननीय अधिष्ठाता जी मैंने कटौती का प्रस्ताव रखा हुआ है, इसलिए यह आप कैसे कह रहे हैं ? मुझे तो अभी बहुत कुछ कहना है।

माननीय अधिष्ठाता जी मैंने लाइब्रेरी का अवलोकन किया है।

श्री राकेशधर त्रिपाठी-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह कटौती का प्रस्ताव रखें अकेले लखनऊ इनकी अगर पूरा प्रदेश विधान सभा का है, तो पूरा कैसे हो पायेगा ?

श्री अधिष्ठाता-

नहीं, पूरी बातें संक्षेप में कहें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

माननीय मंत्री जी, यह तो जिम्मेदारी देने वालों की बात है, मुझे जिम्मेदारी दी है। लाइब्रेरी को मैंने देखा। आपने महाविद्यालयों में लाइब्रेरी की समुचित व्यवस्था नहीं की है आखिर वह कन्यायें, वह छात्र मैं उदाहरण के तौर पर लखनऊ की बात करता हूं, अमीनाबाद इण्टर कालेज, जब डिग्री कालेज बन गया, कोई व्यवस्था नहीं है। छात्र कैसे पढ़ेंगे ? गरीब छात्रों को शिक्षा देने का आपका वायदा है। उनके अध्ययन का वहां पर कोई इन्तजाम नहीं किया गया है। लाइब्रेरी बनवायें। खेल के लिए कोई मैदान नहीं है। शिक्षा के साथ में एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी आवश्यक है, खेल के लिए कोई मैदान नहीं है। आप स्वयं लखनऊ के बारे में बहुत परिचित हैं जाकर के देख लें। मैं महिला विद्यालय की बात करता हूं। वहां पर खेल का कहां मैदान है। अमीनाबाद इण्टर कालेज को आपने महाविद्यालय बना दिया वहां पर कहां खेल का मैदान है। कहीं पर आपने खेल के मैदानों की व्यवस्था नहीं की। मान्यवर, मैंने इसी सदन में कहा था कि जहां पर कन्या महाविद्यालय बने हुए हैं वहां पर छात्रावास की भी आवश्यकता है लेकिन महाविद्यालय जो कन्याओं के लिए खुले हुए हैं वहां दूर-दूर से कन्यायें आती हैं और उनके रहने की, खाने की, सुरक्षा की, इन सबकी व्यवस्था होनी चाहिए। इसलिए कन्या महाविद्यालयों में छात्रावास की अति आवश्यकता है, इस पर भी आप ध्यान दें। मान्यवर, आपने स्वयं स्वीकार किया है कि महाविद्यालयों में कॉमन हाल नहीं है, यह सच्चाई है, आप कॉमन हाल बनवाइये और एक बात आपने बड़ी ईमानदारी से कह दिया, इसलिए मैं आपकी प्रंशसा करता हूं कि महाविद्यालयों में

कन्याओं के लिए शौचालय तक की व्यवस्था नहीं है। मैं इसलिए यह कह रहा हूं कि महिला विद्यालय में कामर्स ब्लाक बनवाने के लिए मैंने अपनी विधायक निधि से पैसा दिया। मैंने वहां पर शौचालय और लाइब्रेरी बनवाने के लिए डिग्री सेक्शन में मैंने दो लाख रुपये वहां पर दिया, तब वहां पर व्यवस्था हो पाई। आज अशासकीय जो विद्यालय हैं, जो राजकीय विद्यालय नहीं हैं, उनकी बहुत दुर्दशा है, इतनी दुर्दशा है कि एक-एक कमरे में सौ-सौ लड़कियां वहां पर बैठती हैं और उनको पढ़ाने वाला एक शिक्षक। इस तरह की व्यवस्था को आप ठीक करने का प्रयास करें। इसको नियंत्रित करें कि जो वहां पर छात्रायें या छात्र पढ़ते हैं उनके लिए कमरे में बैठ करके अध्ययन करने की कम से कम समुचित व्यवस्था तो हो, उनका अध्ययन में मन तो लगे। माननीय मंत्री जी पेयजल की व्यवस्था नहीं है मैंने स्वयं अपनी विधायक निधि से अपने क्षेत्र के महाविद्यालय में राजाजीपुरम् में पेयजल की व्यवस्था कराई है। भवनों का निर्माण एक अत्यन्त आवश्यकता है। आप पोस्ट ग्रेजुएशन खोलते चले जा रहे हैं, ग्रेजुएशन के विषय बढ़ाते चले जा रहे हैं, आपने वायदा किया है मैनेजमेन्ट के कोर्स आप बढ़ाते चले जा रहे हैं, लेकिन मान्यवर, यह भी तो देखें कि जिनको आप बी0बी0ए0, एम0बी0ए0 या अन्य मैनजमेन्ट के कोर्स के लिए आप सुविधा दे रहे हैं वहां पर बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था तो है या नहीं है। पहले इसको आप वेरीफाई कर लें तब आप उनको यह मान्यता दें। माननीय मंत्री जी मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं ये अशासकीय महाविद्यालय जो हैं मेरी जानकारी में हैं, अशासकीय विद्यालयों में लगभग पांच वर्ष से नियमित वहां पर प्राचार्य नहीं है। अभाव है और प्राचार्य न होने के कारण वहां के जो प्रबन्धक हैं वह मनमाने ढंग से जिस टीचर को चाहते हैं उसको प्राचार्य बना करके काम लेते हैं।

मान्यवर, चाहे उसको एडमिनिस्ट्रेशन की तमीज हो या न हो। पूरे महाविद्यालयों में इस स्थिति के चलते अव्यवस्था फैल रही है। बच्चे बाहर घूमते रहते हैं और कोई अनुशासन नहीं रहता है। मान्यवर, लखनऊ स्थित महिला महाविद्यालय भारत का सबसे पुराना महाविद्यालय है आप जरा वहां की हालत जाकर देख लीजिये। वहां के प्रबन्धक ने आयोग से चयनित प्रिंसिपल को जबरदस्ती घुसने नहीं दिया। मान्यवर, 25 अंगरक्षक स्कूल के गेट के बाहर और अन्दर लगा रखे हैं ताकि वह चयनित महिला अंदर न आ सके। वे हाईकोर्ट का आदेश लेकर घूम रही है वे अपने कमरे में नहीं बैठ पा रही है। प्रबन्धक ने मनमाने ढंग से डिग्री सेक्शन की एक टीचर को प्राचार्य के रूप में ज्वाइन करा दिया है ताकि उनके हिसाब से काम चलता रहे। यह उनकी मंशा है। मान्यवर, इसी प्रकार से यह भी बताना चाहता हूं कि आज अशासकीय महाविद्यालयों में तमाम ऐसे विषयों के ऊपर जिनमें उनको मान्यता नहीं प्राप्त हुई है, मान्यता न होने के बाद भी वह विषय पढ़ा रहे हैं। उन्होंने शिक्षक पांच हजार रु0 में रख लिये हैं और उनसे कई क्लासेस पढ़वाते हैं, साइंस की पोस्ट ग्रेजुएट की क्लासेस पढ़वा रहे हैं। इस तरह से एक शिक्षक वहां चार-चार विषय को पढ़ा रहा है। दूसरी ओर जो क्वालीफाइड टीचर वहां नियुक्त थे उनको प्रबन्धतंत्र ने हटा दिया है सिर्फ इसलिए कि पांच हजार रु0 में उनको टीचर मिल रहे हैं। मान्यवर, इसको लेकर वहां पर शिक्षक भी आन्दोलित हैं और बच्चे भी आन्दोलित हैं। लेकिन उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है प्रेक्टिकल नहीं हो पाते हैं। मैं महिला विद्यालय की बांटनी सेक्शन की बात बता रहा हूं। एक

शिक्षक कितना पढ़ा पायेगा आपने कहा है कि हम सत्र नियमित करेंगे। लेकिन यह भी तो देखें कि क्या बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। मान्यवर, आप भी हम लोगों के साथ सत्ता में रहे हैं। हम लोगों ने नकल रोकने के लिये कानून बनाया था कि नकल रोकी जाये। लेकिन जब बच्चों को पढ़ाया नहीं जायेगा तो होगा क्या ? मान्यवर, बड़ी रोचक बात है। मेरे पास एक बच्चा बी0एस0सी0 की मार्कशीट अटेस्ट कराने के लिये आया। मैंने उससे पूछा कि इतने अच्छे मार्क्स इसमें हैं यह जो आजकल शिक्षा की पद्धति चल रही है नकल वाली पद्धति उस शिक्षा पद्धति को देखकर यह नहीं कहा जा सकता कि वह सही नहीं है। उसने बड़ा ही शर्मनाक जवाब दिया जो उच्च शिक्षा के लिये घातक है। उसने कहा कि विधायक जी आज तो वह शिक्षक मौजूद हैं जो नुकसान करा दिये हैं इसलिए अच्छे मार्क्स आ गये हैं। लेकिन जब यह शिक्षक रिटायर हो जायेंगे या इनकी मृत्यु हो जायेगी और इनके स्थान पर हम लोग शिक्षक बनेंगे तो हम लोग तो छात्रों को नकल भी नहीं करा पायेंगे। यह है उच्च शिक्षा का हाल। मान्यवर, आज सेल्फ फाइनेन्स कोर्सों की बाढ़ सी आ गयी है। यह कोर्स आज हर यूनिवर्सिटी में चल रहे हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में चल रहे हैं और दूसरी महाविद्यालयों में पढ़ाये जा रहे हैं। उसमें अंधाधुंध ढंग से फीस लेकर के बी0एस0सी0, एम0एस0सी0 की क्लासेस हो रही है। उनके यहां समानान्तर रूप से रेगुलर कोर्सेस भी उसी के चल रहे हैं और सेल्फ फाइनेन्स के कोर्स अलग से चल रहे हैं सेल्फ फाइनेन्स कोर्सों की फीस बहुत ज्यादा है हजारों में है रेगुलर कोर्स की फीस कम है। जबकि पाठ्यक्रम दोनों के एक ही हैं। मजबूरी में वह बच्चे पढ़ रहे हैं सेल्फ फाइनेन्स में। वह आखिर कहां पर जायें ? हर जगह एडमिशन के लिए लम्बी लाइनें लगी हुई हैं। वे बच्चे अपने अभिभावकों पर दबाव डालकर उनको प्रभावित कर सेल्फ फाइनेन्स कोर्सों में एडमिशन की फीस ले लेते हैं। इस तरह से उनके अभिभावकों का भी शोषण हो रहा है। मान्यवर, छात्र-छात्राओं का शोषण हो रहा है और जो शिक्षिकाएं शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनका भी शोषण हो रहा है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पहले से आपकी जानकारी में होगा, आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पढ़े हुए छात्र हैं पहले टिटोरियल का सिस्टम था हमारे जमाने में भी था। जब टिटोरियल का सिस्टम समाप्त कर दिया गया उसके कारण शिक्षक और छात्र का सम्बन्ध खत्म हो गया। उसकी जो नालेज बढ़नी चाहिए वह कम हो रही है। आज सेमिनार होते हैं और उस सेमिनार में बड़े-बड़े विद्वान लोग बुलाये जाते हैं और वह भाषण देकरके चले जाते हैं लेकिन अगर उस सेमिनार में जो छात्र हैं जो योग्य छात्र हैं उनका भी पार्टीसिपेशन हो तो मैं समझता हूं इससे योग्यता बढ़ेगी और जिस शिक्षा की गुणवत्ता की आप बात करते हैं उससे आप अपने उद्देश्यों में सफल होंगे। आपने कल भाषण दिया है मेरे पास वह भाषण आपका है कि गुणवत्ता शिक्षा में आवश्यक है। मैं भी मानता हूं आप भी मानते हैं कि ऐसी शिक्षा जिसमें गुणवत्ता न हो उससे समाज का भला होने वाला नहीं है। आपके जानकारी में होगा कोठारी कमीशन की रिपोर्ट, मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं मैं सर्वपल्ली राधाकृष्णनन जी के नेतृत्व में जो आयोग बना था उसकी जानकारी आपको है। उसमें अनेक अच्छे सुझाव दिये गये थे। यह सरकार उनके ऐसे शिक्षाविदों को अमली जामा पहनाये तभी उच्च शिक्षा का कल्याण हो सकता है। मैं माननीय मंत्री जी से एक बात और कहना चाहता हूं

बहुत पीड़ा के साथ। मैं अनेक महाविद्यालयों में गया। आपने वी0आर0एस0 की सुविधा कर दी है अनेक लोग वी0आर0एस0 ले लेते हैं, अनेक लोग रिटायर हो जाते हैं। मेरी जानकारी में है कि रिटायरमेन्ट के बाद दो-दो साल तक तीन-तीन साल तक उनका पेंशन, ग्रेच्युटी, फण्ड इन्श्योरेंश नहीं मिलता है, इसका उद्देश्य यही है कि जब व्यक्ति रिटायर हो जाय तो वह अपने को व्यवस्थित करने के लिए उसकी सहायता हो। मेरी जानकारी में है कि अनेक लोग मर गये और उनको ग्रेच्युटी और फण्ड उनको नहीं मिल पाया। शिक्षा के क्षेत्र में सोचने की जरूरत है। एक बात और कह रहा हूं कि जो शिक्षक हैं उन शिक्षकों के जो बच्चे पढ़ते हैं और वह बच्चे कम्पटीटिव इक्जामिनेशन में किसी कोर्स में बैठते हैं तो उन्हें वेटेज दिया जाता है। मैंने पढ़ा है कि उसके मार्क्स होते हैं और वह मार्क्स उसमें जोड़ दिया जाता है तो उनका परसेन्टेज बढ़ जाता है। मेरा आग्रह इसी प्रकार है कि अशासकीय महाविद्यालयों में भी ऐसा प्राविधान करें और अशासकीय महाविद्यालयों में जो शिक्षणेत्तर कर्मचारी हैं वह सहायता करते हैं अध्यापकों की उतनी ही मेहनत से वह पढ़ाते हैं जो शिक्षणेत्तर कर्मचारी हैं उनके बच्चों को भी वेटेज दिलाने की कृपा करें। माननीय अधिष्ठाता जी मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह कर रहा हूं। कोचिंग की भरमार है, विशेष रूप से लखनऊ में तो कोचिंग की भरमार है और वह कितनी फीस ले लें, कितनी भी लूटकर लें, उनको छूट है। आप कोचिंग पर प्रतिबन्ध लगाइये इससे शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी। मान्यवर, आज अनुशासनहीनता फैलती जा रही है, कल अगर आपने टेलीविजन देखा होगा, बार-बार दिखाया जा रहा था मेरठ कालेज के अन्दर किस तरह मार हो रही थी। लड़कियां-लड़कियों को मार रही थी, हाथ से मार रही थी, बाल खींच रही थी और इस तरह दुश्मन प्रहार करते हैं, उस तरह लात से मार रही थी। यह अनुशासनहीनता आज फैल रही है, ऐसी अनुशासनहीनता लखनऊ में भी है। मैंने आपको मेरठ का उदाहरण दिया, आप इस अनुशासनहीनता को ठीक करें। शिक्षण संस्थान आज व्यवसायिक हो रहे हैं, मैं पूरे प्रदेश की बात नहीं करता, लेकिन शिक्षण संस्थानों को शादी ब्याह और फंक्शन के लिये इस्तेमाल किया जा रहा है, इस पर आप प्रतिबन्ध लगाइये। शिक्षण संस्थानों में केवल शिक्षा का काम होना चाहिये और शादी ब्याह के लिये दिये जाने पर छूट नहीं मिलनी चाहिये। मान्यवर, एक बात अंत में और कहना चाहूंगा कि आपने कहा है कि आप गरीबों के हमदर्द है, आप गरीबों की भलाई करने वाले हैं तो उसी अनुसार फीस रखिये। जब मैं बी0एस0सी0 में पढ़ता था, जब मैं एम0एस0सी0 में पढ़ता था तो 16 रुपये महीने फीस देता था। इसी प्रकार जब "ला" में पढ़ता था तो 16 रुपये फीस थी। आज इतनी फीस बढ़ गयी है कि इस बात की कल्पना कोई नहीं कर सकता कि गांव से जो गरीब आयेगा। वह उस फीस को कैसे दे पायेगा, कैसे शिक्षा प्राप्त कर पायेगा ? इस फीस पर प्रतिबन्ध लगाने की आवश्यकता है। अंत में एक बात और कहना चाहूंगा कि वाइस चांसलर के एप्वाइंटमेंट का कोई क्राइटेरिया बनाइये। इधर देखा जा रहा है कि जो वाइस चांसलर बनाये जा रहे हैं, वह एक विशेष विचारधारा के लोग बनाये जा रहे हैं। आप बुद्धिजीवी है, इसलिये मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि इस पर रोक लगाये जाने की आवश्यकता है। माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय सुरेश कुमार श्रीवास्तव जी द्वारा उच्च शिक्षा विभाग के बजट पर रखे गये कटौती प्रस्ताव के समर्थन में अपनी बातें यहां रखने के लिये उपस्थित हुआ हूं। मान्यवर, राकेश धर त्रिपाठी जी स्वयं एक छात्र नेता रहे हैं, बहुत सक्रिय सामाजिक जीवन उन्होंने जिया है और छात्र समस्याओं से, शिक्षक समस्याओं से इनका सम्बन्ध रहा है। इसलिए हम सब मानकर चलते थे कि आप जब भी बजट लेकर आयेंगे तो कुछ ऐसी चीजें लेकर जिससे शिक्षा जगत की बेहतरी हो सके। इस दृष्टि से मुझे यह कहने में कोई एतराज नहीं है कि आपने यथासम्भव प्रयास किया है लेकिन बहुत चतुर भी हैं आप। एक छात्र नेता के पद से आप उभरकर आये हैं और बजट प्रस्तुत करते समय जो छात्रों से सम्बन्धित है जो सबसे महत्वपूर्ण विषय था, पूरे प्रदेश का छात्र जिसको आज टकटकी लगाकर देख रहा होगा कि माननीय शिक्षा मंत्री जी आज उन छात्रों के बारे में क्या कहने जा रहे हैं। आपने कुछ अजीब सी चुप्पी लगा ली, यह बात हम लोगों की समझ से परे हैं। हम मान सकते हैं कि छात्र संघों में कुछ समस्यायें आई होगी। छात्र संघों की इन समस्याओं के लिये लिंगदोह कमेटी का गठन हुआ था। लिंगदोह कमेटी ने जितनी कड़ी मान्यतायें बनाई है, अगर सिर्फ उनका ही अनुपालन कर लिया जाय तो छात्र संघों के चुनाव की जो गलत दिशा आई थी, उस पर बहुत कुछ नियंत्रण लगाया जा सकता था। पूरा एक सत्र बीत गया और छात्रसंघ का चुनाव नहीं हुआ। मैंने सदन में यह सवाल लगाया था कि क्या यह सरकार छात्रसंघों के चुनाव कराने पर विचार कर रही है, जवाब आया कि हां विचार कर रहे हैं। अब अगर इस बजट में भी सरकार इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपना विचार स्पष्ट नहीं करेगी तो स्वाभाविक रूप से बहुत बड़ी संख्या में छात्रों में आक्रोश बढ़ने जा रहा है। क्योंकि सिर्फ इस नाम पर कि सही प्रतिनिधि चुनकर नहीं आते हैं. अगर हम लोकतांत्रिक संस्थाओं का हनन करने लगेंगे तो शायद बहुत सारी लोकतांत्रिक संस्थाओं को समाप्त करना पड़ जायेगा। मैं किसी संस्था विशेष का नाम नहीं लेता, माननीय मंत्री जी से अपेक्षा करता हूं कि जब आप जवाब देने खड़े होंगे तो छात्रसंघों के चुनाव में, जो भी आपकी सोच होगी आप कह दीजिये नहीं करायेंगे, चलेगा। आप कह दें करवायेंगे इन शर्तों के अनुरूप करायेंगे, यह भी चलेगा लेकिन आप चुप्पी बनाये रखें यह नहीं चलेगा। अध्यक्ष महोदय, विश्वविद्यालय पर दबाव बहुत बढ़ रहा है, बहुत कुछ इससे भी बढ़ रहा है कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा से बच्चे अधिक पढ़ करके बाहर आ रहे हैं और वह सब बच्चे चाहते हैं कि उच्च शिक्षा में प्रवेश लें। एक बहुत बड़ा मध्यम वर्ग है जिसकी आय बढ़ी है और आय बढ़ने के साथ-साथ बहुत स्पष्ट रूप से यह मान्यता है कि परिवारों की जब आय बढ़ती है तो उसका पहले उपयोग संरक्षक अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए करते हैं जो यह कॉसेप्ट आया है इनकम एलास्टिसिटी का, "इनकम एलासिसिटी रिलेशन टू द एक्सपेंडीचर ऑन एजुकेशन"। शिक्षा में होने वाले व्यय का परिवार की आय से बढ़ने का सम्बन्ध, यह बहुत तेजी से बढ़ा है और इधर तो वस्तुतः यह सम्बन्ध इनकम एलास्टिसिटी ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक आई है। ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिक आय बढ़ने पर अपने बच्चों का अधिक से अधिक विद्यालय में भेजना चाहते हैं। आखिर कोई विश्वविद्यालय मान लीजिए गोरखपुर विश्वविद्यालय ही है। उन चार-पांच-छः जिलों का अकेला विश्वविद्यालय है कहां तक वह डिग्री कालेज की शिक्षा दे

सकता है, कहां तक वह बी0ए0, बी0एस0सी0 की पढ़ाई कर सकता है ? वैसे भी हम जानते हैं कि पढ़ाई होती कितनी है ? विश्वविद्यालय मुख्यतः परीक्षा लेने के केन्द्र बन चुके हैं। आप इसे स्वीकार करें या न करें। सच्चाई यही है कि पढ़ाई नहीं परीक्षा होती है। आप चूंकि छात्रजगत से आये हैं आपके अन्दर नयी सोच आनी चाहिए क्रान्तिकारी विचार आना चाहिए। किस प्रकार से इन सारी व्यवस्था में परिवर्तन कर दें कि वस्तुतः जो शिक्षा का उद्देश्य है वह हम दे सकें। मैं सुझाव दे रहा हूं विचार करना आपका काम है। वस्तुतः दक्षिण भारत में होता है, दक्षिण भारत में महाविद्यालयों का स्नातक स्तर की शिक्षा देने का दायित्व होता है, विश्वविद्यालय परीक्षा लेते हैं। विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर पढ़ाई होती है और शोध का कार्य होता है। मैं आपसे सिर्फ आग्रह करूंगा कि यह जो बहुत बड़ा दबाव पड़ा है उसके कारण सारी की सारी व्यवस्था चरमायी है। स्नातकोत्तर पढ़ाई बाधित हुई है और शोध तो शून्य के बराबर हुआ है। विश्वविद्यालय का मुख्य काम शोध है जे0एन0यू0 क्या करता है, बी0एच0यू0 क्या करता है हमें देखना पड़ेगा कि दिल्ली विश्वविद्यालय कैसे 80 हजार छात्रों को महाविद्यालयों के माध्यम से डिग्री देने का प्रयास करता है। अगर दिल्ली विश्वविद्यालय यह काम कर सकता है तो हमारे प्रदेश के विश्वविद्यालय यह काम क्यों नहीं कर सकते हैं ? अन्तिम बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। आपने महाविद्यालयों के स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम की चर्चा की। गोरखपुर विश्वविद्यालय में आपके अपने कार्यकाल में स्ववित्त पोषित कार्यक्रम लागू हुए और आपने स्वयं मेरे प्रश्न का जवाब दिया है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के 15 विभागों में 22 कोर्सेज ऐसे चलाये गये जिनकी स्वीकृति शासन से नहीं ली गई। उन 22 में से तीन ऐसे कार्यक्रम हैं जिनके लिए एकेडमिक कौंसिल से भी स्वीकृति नहीं ली गई। सुविधाएं नहीं दी गई, संसाधन नहीं दिये गये, टीचर्स नहीं दिये गये और इस प्रकार से बिना शासकीय स्वीकृति के आपके रहते हुए यह काम हुआ अगर यह प्रारम्भ हुआ था तो इन पर रोक लगनी चाहिए थी। जिस कुलपति ने यह कार्य किया उसे दण्डित किया जाना चाहिए था। इसे दण्ड नहीं मानता हूं कि उसे पद से हटा दिया गया क्योंकि उसने हजारों-हजार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है उसके लिए दण्ड यह होना चाहिए कि दोबारा कोई कुलपति छात्रों के भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ करने की हिम्मत न करने पाये। अन्त में मैं यह पूछना चाहूंगा कि आपको सुस्पष्ट करना चाहिए कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के 22 स्ववित्त पोषित कार्यक्रम को पुनः प्रारम्भ करने के लिए क्योंकि ढेर सारे बच्चों का भविष्य फंसा हुआ है, सरकार ने क्या कार्ययोजना तैयार की है ?

डा0 पी0के0 राय-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने उच्च शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण बजट के कटौती के सम्बन्ध में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं और मात्र 2 मिनट में अपनी बात मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के समक्ष रखना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने कहा कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश 12वीं या 14वीं स्थान पर है। हो सकता है कि इससे भी नीचे हो। मैं इस संदर्भ में मा0 मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि जो महाविद्यालय और विश्वविद्यालय हैं उनमें नियमित शिक्षकों की कमी धीरे-धीरे होती जा रही है और नियमित

शिक्षकों की चाहे वी0आर0एस0 लेने की वजह से, चाहे सेवानिवृत्ति हो जाने के वजह से उनके स्थान पर भर्ती नहीं हो रही है। इस संदर्भ में चिन्ता भारत सरकार ने भी की और भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय के माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा विभाग एवं यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन के द्वारा यह निर्देश जारी किया गया कि जो अधिवर्षता आयु है वह 62 वर्ष से 65 वर्ष कर दी जाए, पुनर्नियोजन कर दिया जाए। इस संदर्भ में एक पत्र यहां पर उत्तर प्रदेश शासन में विशेष सचिव सी0एम0 खन्ना द्वारा जारी किया गया था जिसमें यह विषय था कि अधिवर्षता आयु पूर्ण कर चुके शिक्षकों को 65 वर्ष की आयु सीमा तक पुनर्नियोजित किये जाने के सम्बन्ध में। यह पत्र 25 मई, 2006 का है जिसमें यह लिखा है कि उपर्युक्त विषय पर श्री सुदीप बनर्जी शिक्षा सचिव, भारत सरकार एवं उच्चतर शिक्षा विभाग, नई दिल्ली का 18 अप्रैल, 2006 का पत्र है और इसके साथ संलग्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मार्च, 2006 का पत्र संलग्न प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में योग्य शिक्षकों की अनुपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु कृपया भारत सरकार, यू0जी0सी0 के निर्देशानुसार अधिवर्षता आयु पूर्ण कर चुके शिक्षकों को 65 वर्ष की आयु सीमा तक पुनर्नियोजित किये जाने हेतु अविलम्ब कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा भारत सरकार को अवगत कराने का कष्ट करें। इस निर्देश के उपरान्त यहीं पर के0जी0एम0सी0 जो आज की तारीख में छत्रपति शाहू जी महराज मेडिकल विश्वविद्यालय के नाम से है। वहां पर यह अधिवर्षता आयु 65 वर्ष की आयु सीमा तक पुनर्नियोजित किये जाने के आदेश हुए और उसका पालन भी हो गया है।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया संक्षेप करें।

डा0 पी0 के0 राय-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, मैं संक्षेप में ही अपनी बात रख रहा हूं। मेरा आपसे यह निवेदन है कि इस गम्भीर विषय की ओर ध्यान आकृष्ट कराने के लिए कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं, एक रचनात्मक सुझाव दे रहा हूं। छत्रपति शाहू जी महराज मेडिकल विश्वविद्यालय में लागू हो गया है। मैं बाकी जगहों की बात नहीं करता, लखनऊ यूनिवर्सिटी में वर्ष 2007 में 9 सीनियर टीचर्स थे, वह सेवानिवृत्ति हो गये, इस वर्ष भी 12 वरिष्ठ अध्यापक सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। यह स्थिति प्रदेश में सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की हो गयी है। आपने अधियाचन किया हुआ है, उच्च शिक्षा आयोग के द्वारा भर्तियां नहीं हो रही है इससे निश्चित तौर पर शिक्षा का कार्य प्रभावित हो रहा है। मा0 मंत्री जी विद्वान है, उनकी यह चिन्ता भी है कि शिक्षा में गुणवत्ता लायी जाए और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा छात्रों को दी जाए। मान्यवर, यह विज्ञान का युग है। अधिष्ठाता महोदय, चूंकि आप बार-बार इशारा कर रहे हैं। इसलिए अन्तिम बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं अपने पिछड़े क्षेत्र के सम्बन्ध में आपके संज्ञान में लाकर आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कृपया इसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। सेवरही सीमावर्ती क्षेत्र है वहां पर एक महाविद्यालय है वह अशासकीय विद्यालय है वहां पर कला

संकाय की केवल मान्यता है। विज्ञान की मान्यता आपने अभी बजट प्रस्तुत किया है नीतिगत निर्णय लिया है कि विज्ञान की मान्यता सभी महाविद्यालयों को देने का कार्य वर्तमान सरकार करेगी। मेरा आपसे निवेदन है इसमें उस पिछड़े हुए इलाके के इस महाविद्यालय का प्रस्ताव आ जाना चाहिए। आप इस बात से अवगत हैं कि माध्यमिक शिक्षा में जितने निजी क्षेत्र के लोगों को प्रवेश हुआ है जितनी संख्या से छात्र और छात्राएं निकल रहे हैं उन छात्र-छात्राओं को डिग्री कालेजों में प्रवेश की बहुत बड़ी भारी समस्या है। जो एक सीलिंग निर्धारित कर दी है कि केवल एक ब्लाक में एक ही डिग्री कालेज रहेगा इसके ऊपर भी मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस पर विचार करने की आवश्यकता है। अगर कोई दूसरा डिग्री कालेज खासतौर से कन्याओं के लिए लड़कों के लिए मान भी सकते हैं क्योंकि वह दूसरी जगह जा सकते हैं लेकिन कन्याओं के लिए जो इण्टरमीडिएट तक शिक्षा किसी तरह से ग्रहण कर लेती है मैं तो उस इलाके से हूं जहां 60 हजार की आबादी नदी के उस पार रहती है उसमें बिहार का बार्डर पड़ता है अगर किसी तरह से आकर इण्टरमीडिएट तक शिक्षा ग्रहण कर लें तो उसके बाद उनकी पढ़ाई अवरुद्ध हो जाती है वह आगे की शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकती है। एक विद्यालय मेरे यहां खुला है इसको दिखवा लें एक डिग्री कालेज खुला है और आपकी सूची में भी है उसका स्परूप कहीं से भी डिग्री कालेज का नहीं दिखाई पड़ता है। प्रबन्धतंत्र के लोग अनुदान लेकर विद्यालय खोल रहे हैं हकीकत में वह केवल अनुदान लेने के लिए विद्यालय खोले जा रहे हैं। अगर वास्तव में विद्यालय खोले जा रहे हैं तो उन विद्यालयों में शिक्षण का कार्य भी हो रहा है कि नहीं इसके लिए मानीटरिंग की आवश्यकता है। इस विद्यालय का नाम है इन्दु देवी रामपति महाविद्यालय सेवरही, कुशीनगर। यह स्ववित्त पोषित अनुदानित महाविद्यालय है। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री योगेन्द्र सागर-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं सर्वप्रथम आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में मुझे बोलने का अवसर दिया। उच्च शिक्षा मंत्री द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है वह वास्तव में बड़ा ही सराहनीय है और हमारी सरकार उच्च शिक्षा के प्रति कितनी संवेदनशील है यह इस बात से प्रमाणित होता है कि हमारी सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में उच्च शिक्षा के बजट में 12 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की है। मा0 मंत्री जी ने जिन बिन्दुओं के ऊपर प्रकाश डाला है। उसमें उन्होंने अवगत कराया कि सरकार बनते ही जो विद्यालयों में शिक्षा को लेकर अव्यवस्था फैली हुई थी उसको दूर करने का प्रयास किये गये। शिक्षा सत्र किस प्रकार से नियमित हो सके इसके लिये आवश्यक निर्देश देने का काम किया गया है। पुस्तकालयों को किस तरह से सुरक्षित, संरक्षित और व्यवस्थित रखा जा सकता है उसके भी प्रयास किये गये हैं। इसी तरह से भ्रष्टाचार को रोकने के लिये महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं। तमाम दोषियों के विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज कराने की भी बात यहां पर रखी गई है। इसी के साथ ही साथ विद्यालयों में निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क न लिया जाय, इसके ऊपर भी पैनी

नजर रखी गई है। इसी के साथ शुल्क में समानता किस प्रकार से बरती जाय इसके भी प्रयास किये गये हैं। मान्यवर, प्रवक्ताओं को सम्मानित करने की व्यवस्था आज से पहले नहीं थी और हमारी सरकार ने बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है कि सम्मान के पात्र प्रवक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिये, उनको सम्मान देने के लिये इस बजट में प्राविधान रखा गया है। इसी के साथ-साथ शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने का और उसका स्तर बढ़ाने का प्रयास किया गया है। मान्यवर, इसके अलावा रोजगार पर भी शिक्षा देने का भी प्रयास किया जा रहा है जो कि एक अच्छा कदम है। इसके अतिरिक्त निजी महाविद्यालयों को बढ़ावा देने की बात भी इसमें रखी गई है। मान्यवर, जिन जनपदों में राजकीय महाविद्यालय नहीं हैं उन असेवित जनपदों में भी राजकीय महाविद्यालयों को संचालित करने का प्रस्ताव किया गया है। नियुक्तियों में पारदर्शिता बनाये रखने के लिये भी प्रयास किया गया है। मान्यवर, हर दृष्टि से उच्च शिक्षा का बजट बहुत ही सराहनीय है और मैं इस अच्छे बजट के लिये माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं, प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। धन्यवाद।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने उच्च शिक्षा के कटौती प्रस्ताव पर जो, श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव ने रखा है, उस पर अपनी बात कहने का मौका दिया, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आपने बहुत ही अच्छे ढंग से और कहना क्या चाहता हूं बल्कि आपको बधाई देना चाहता हूं कि बहुत अच्छी-अच्छी योजनाओं की बात आपने बजट में कही है। 180 दिनों के पठन-पाठन का कैलेण्डर लागू करने की बात आपने कही है। 30 जून तक सभी विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित सभी कालेजों का रिजल्ट घोषित करने की बात आपने कही है। असेवित विकास खण्डों में महाविद्यालय खोलने की बात थी। अभी तक एक ही सब्जेक्ट की सुविधा देने की बात थी। आपने कहा है कि सभी सब्जेक्ट्स को बढ़ायेंगे और प्रमोद तिवारी जी को इंगित करते हुए खासतौर से आपने यह बताया। आपने यह सारी जो बातें बताई हैं उससे आमूल चूल परिवर्तन शिक्षा के क्षेत्र में हो जायेगा। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आपने यह सोचा कि यह सारी चीजें सम्भव कैसे हो पायेंगी। असेवित ब्लाकों में महाविद्यालय खोलने की बात कही है। एक आर्ट का स्टूडेन्ट शिक्षा ग्रहण कर पायेगा लेकिन क्या वहां केवल आर्ट के ही बच्चे पढ़ने का काम करते हैं ? आपने यह कहा मैं बधाई देना चाहता हूं। आपने कहा कि दूसरे विषयों की अनुमति देने का काम करेंगे लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आपके विभाग के अधिकारी यहां सामने बैठे हैं, सुन रहे हैं। विश्वविद्यालय से जो पत्रावली संस्तुत होकर सारी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद लखनऊ शासन स्तर पर आ जाती है दूसरे सब्जेक्ट्स की सम्बद्धता के लिये वह 1-1 वर्ष तक पड़ी रह जाती है। पत्रावली संस्तुत होकर आ जाती है लेकिन आगे बढ़ने का नाम नहीं लेती। मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 4 महीने पहले हमारे जनपद बागपत में एक जनता वैदिक डिग्री कालेज है।

बहुत पुराना कालेज है एग्रीकल्चर की फैकल्टी है तमाम कोर्सेस बढ़ाने का काम करते हैं। उसके प्रिंसिपल साहब मुझे विधान भवन में मिले तो मैंने उनसे कहा प्रिंसिपल साहब आप किसलिये आये हो, किसलिये लखनऊ में घूम रहे हैं तो उन्होंने कहा कि दो-तीन सब्जैक्ट के लिये विश्वविद्यालय मेरठ से संस्तुति करके शासन में भिजवाने का काम किया है। एक वर्ष होने जा रहा है लेकिन उसकी संस्तुति नहीं हो पा रही है। चार महीने बाद आज सुबह मैंने देखा कि उच्च शिक्षा का बजट है तो मैंने प्रिंसिपल साहब को फोन करने का काम किया प्राचार्य जी से मालूम करने का काम किया जो आपने चौधरी चरण सिंह मेरठ यूनीवर्सिटी से सब्जैक्ट के लिये कहा था, उसमें क्या हुआ। सब्जैक्ट उन्होंने बताया एम0एस0सी0 माइक्रो वायलॉजी की पत्रावली एक वर्ष से शासन स्तर पर लम्बित है। उन्होंने कहा कि एक साल हो गया है मैंने लखनऊ जाना ही बन्द कर दिया है जब वह होकर स्वतः आ जायेगी तो उसका संज्ञान ले लेंगे। मान्यवर, पत्रावली लखनऊ आने के बाद, जबकि यूनिवर्सिटी से सारी औपचारिकतायें पूर्ण हो जाती हैं फिर वह अधिकारियों के जंजाल में शासन स्तर पर फाइल फंसकर रह जाती है तो आपकी जो तमाम सारी अच्छी योजनायें हैं माननीय मंत्री जी मुझे नहीं लगता कि उनका क्रियान्वयन हो रहा है। यह अधिकारी आपको उसका क्रियान्वयन करने देंगे। आपकी नीयत अच्छी है आपकी सोच अच्छी है लेकिन इन अधिकारियों पर लगाम रखने का आप काम करें और कोई ऐसी व्यवस्था करने का काम करें कि जो पत्रावली विश्वविद्यालय के द्वारा सारी औपचारिकतायें पूरी करने के बाद शासन में आती हैं एन0ओ0सी0 के लिये उसमें आप कोई समय निर्धारित कर दें कि इतने समय के बाद इसका निस्तारण हो जायेगा। तमाम विश्वविद्यालय प्रदेश में ऐसे हैं जो कोर्स खोलना चाहते हैं। तमाम औपचारिकतायें उन्होंने पूरी कर दी हैं लेकिन शासन से पत्रावली निर्गत न होने के कारण वह नहीं हो पाते हैं। इसमें आप कोई व्यवस्था कर देंगे तो मेरा मानना है कि आपकी जो योजनायें हैं यह साकार कर सकेंगे।

श्री अधिष्ठाता-

समाप्त करें।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

मान्यवर, एक मिनट का समय और दे दें। एक मा0 मुलायम सिंह जी के जमाने में शासनादेश हुआ था कि जो एस0सी0एस0टी0 के छात्र हैं उनके साथ-साथ ओ0बी0सी0 के छात्रों से भी फीस नहीं ली जायेगी। कुछ कालेज ऐसे हैं मेरे संज्ञान में आया कि उन्होंने फीस लेना बन्द कर दिया और शत-प्रतिशत छात्रों को मुफ्त शिक्षा देने का काम किया लेकिन मेरठ यूनीवर्सिटी के अन्तर्गत कई ऐसे विद्यालय हैं जहां दो वर्ष से जो उसके अगेंस्ट आपको ग्रान्ट देनी थी वह आपने नहीं दिया पिछले दो साल से आपका पैसा नहीं पहुंच पा रहा है इससे कालेज चलाने में कालेज के स्टाफ को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। माननीय अधिष्ठाता जी आपके माध्यम से

एक बात और कहना चाहता हूं माडल कालेज का आपने जिक्र किया तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी शासन काल का माडल कालेज का उदाहरण देने का आपने काम किया। बड़ी भारी धनराशि देने का काम किया।

श्री अधिष्ठाता-

समाप्त करें।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

ऐसे भी कालेज हैं कि वह सेवित तो हो गये लेकिन वहां लड़कियों की शिक्षा ग्रहण करने का कोई साधन नहीं है। 50 से 60-70 किलोमीटर तक कोई डिग्री कालेज नहीं हैं। तो उन असेवित कालेजों से आप लड़कियों की शिक्षा का भी प्राविधान करिये। लड़कियों के लिये अगर आप महाविद्यालय खोलने का काम कर देंगे क्योंकि लड़कियां इतनी दूर शिक्षा ग्रहण नहीं करने जा सकती हैं तो यह मैं आपसे मांग करता हूं इसको करने का काम करेंगे तो लड़कियों के हित में बहुत अच्छा होगा। इसी के साथ मैं सुरेश कुमार श्रीवास्तव जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उस पर मैं बल देता हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने मा0 उच्च शिक्षा मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये हम आपके बहुत-बहुत आभारी हैं। मान्यवर, हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि आज जो शिक्षा का स्तर है, इसकी गम्भीरता को देखते हुए हमारे सम्मानित मंत्री जी ने अपने बजट में 12 परसेन्ट की बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव रखा है। साथ ही साथ हम शिक्षा के विषय पर अपनी बात रखें इससे पहले मान्यवर, दुनिया को शिक्षा के बारे में बताने वाले महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध जिन्होंने दुनिया के दुखों को देख करके यह बताने का काम किया कि इस संसार में जो दुख है, दुख के कारण है, उसका निवारण है, संसार में सारे दुखों का मूल कारण, अज्ञानता है और जब तक अज्ञानता दूर नहीं होगी, दुख दूर नहीं हो सकते। इसी अज्ञानता को दूर करने के लिये उन्होंने जो संदेश दिया उस समय (ढाई हजार वर्ष पहले) शिक्षा की महत्ता को दर्शाते हुए उन्होंने कहा था कि "बुद्धम् शरणम् गच्छामि" हे दुनिया के लोगों, तुम अपनी गरीबी से मुक्ति पाना चाहते हो, अपने दुखों से निदान चाहते हो, जुल्म ज्यादती, अन्याय, अत्याचार का अन्त करना चाहते हो, तो एक ही रास्ता है, बुद्धि की शरण में जाओ अर्थात् ज्ञान हासिल करो। लेकिन यह बात जिस रूप में जानी चाहिये लोगों तक नहीं पहुंची और दबा दी गई। इसी बात का समर्थन किया सामाजिक क्रान्ति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा राव फुले ने, उन्होंने महाराष्ट्र की धरती पर जन्म ले करके शिक्षा के महत्व को दर्शाते हुए कहा था कि शिक्षा के बगैर मनुष्य पशु की तरह जिन्दगी जीता है। उन्होंने कहा था कि शिक्षा बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना हम निर्धन, लाचार, विवश, मजबूर, मजदूर

मजलूम हुए, देश में दुर्दशा का जो मूल कारण है, वह अज्ञानता है, अशिक्षा है, इसलिये शिक्षा के महत्व को सन्तों, गुरुओं ने महत्व दिया। इसी क्रम में 1917 में इन महापुरुषों से सबक ले करके परमपूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डा0 अम्बेडकर ने इस बात का एलान किया कि शिक्षा के बगैर मनुष्य का काई अस्तित्व नहीं है। जिस तरह से शरीर को स्वस्थ रखने के लिये भोजन की जरूरत होती है, उसी तरह से समाज की खुशहाली और स्वस्थ समाज की स्थापना के लिये बुद्धि के विकास के लिये शिक्षा का होना जरूरी है। साथ ही साथ हम इस बात को दोहराना चाहते हैं कि इन आदर्शों पर चल करके जो आज सुश्री बहन कु0 मायावती जी के नेतृत्व में हमारे मा0 उच्च शिक्षा मंत्री जी ने जो यह बजट रखा है, हम अपने नेता और मा0 मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने इस बिन्दु पर गम्भीरता से विचार किया कि जिस तरह से आज शिक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ी है, बच्चों को पढ़ने के लिये डिग्री कालेज नहीं मिल रहे थे, उनकी उपयोगिता को ध्यान में रखकर आपने हर ब्लाकों में असेवित विद्यालयों की स्थापना पर बल दिया है। साथ ही साथ प्रदेश के 70 जनपदों में से करीब 11 जनपद ऐसे थे जहां राजकीय महाविद्यालय नहीं थे, उन जनपदों में भी महाविद्यालय की स्थापना पर आपने बल दिया है तथा खोलने का निर्णय लिया है। साथ ही साथ व्यावसायिक शिक्षा के ऊपर भी आपने विशेष बल दिया। आज के परिवेश में जब तक व्यावसायिक शिक्षा का विस्तार नहीं होगा तब तक देश और समाज की तरक्की सम्भव नहीं है। इन बातों पर भी आपने गम्भीरता से बल दिया है। इसी के साथ पुनः अपने लोकप्रिय मुख्य मंत्री सुश्री बहन कुमारी मायावती जी के कुशल नेतृव में मा0 शिक्षा मंत्री जी ने उच्च शिक्षा का जो बजट पेश किया है, हम उसका समर्थन करते हुए धन्यवाद देते हैं।

मान्यवर, परीक्षा को समयबद्ध कराने के लिये जो आपने कलेण्डर जारी किया है, इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ आन लाइन एजूकेशन की व्यवस्था के लिये आपने जो इंतजाम किया है यह इस बात को साबित करता है कि हमारी सरकार शिक्षा के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील है। महोदय, उच्च शिक्षा के लिये ब्लाकों में भी साइंस की शिक्षा देने के लिये आपने जो निर्णय लिया है इसके लिये हम आपको धन्यवाद देते हैं। इसके साथ ही साथ हम इस बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री संजय कपूर-

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव जी के कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, मैं ज्यादा लम्बा भाषण नहीं दूंगा। मान्यवर, सबसे पहले तो मैं माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि विलासपुर तहसील से महाविद्यालय में पिछले 10 वर्ष से वाणिज्य और विज्ञान की मांग चली आ रही थी वह आपके द्वारा पूरा करा दिया गया है उसके लिये मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जहां तक शिक्षा का सवाल है शिक्षा के क्षेत्र में हमारा उत्तर प्रदेश बहुत पिछड़ा हुआ प्रदेश है। विकास के मामले में हम कितने ही आगे बढ़ जायें मगर शिक्षा का अपना ही महत्व है। मैं चाहूंगा कि

बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो सपना था कि हर व्यक्ति शिक्षित हो तो उसको अगर यह सरकार पूरा करना चाहती है तो उनके नाम पर पार्कों पर जो पैसा खर्च हो रहा है उसमें कुछ कटौती करके शिक्षा विभाग में लगाये तभी उनका सपना पूरा हो पायेगा। कम से कम उसका आधा पैसा हम उच्च शिक्षा विभाग में जरूर लगायें। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो आज अशिक्षित हैं वहां पर शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। मेरे क्षेत्र में एक मिलक तहसील है, ब्लाक भी मिलक है। उसमें लगभग 80 प्रतिशत आबादी पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति की रहती है। वहां पर कोई शिक्षा का साधन नहीं है। पिछले 12-15 साल से सिर्फ प्रयास ही चल रहे हैं। लिखत पढ़ंत चल रही है। मैंने भी ऐसा कोई नियम नहीं छोड़ा है जिसमें सवाल न उठाया हो। मान्यवर, वहां पर 35-40 कि0मी0 तक शिक्षा का कोई साधन नहीं है। वहां की तहसील की आबादी 3 लाख से ज्यादा की है। मैं कहना चाहता हूं मान्यवर, यह असेवित ब्लाक है और आप जानते हैं कि प्राइवेट कालेजों में गरीब बच्चा शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकता है। क्योंकि वहां की फीस ज्यादा होती है जो हमारी मुख्य मंत्री जी की सोच है कि गरीब, दलित, पिछड़ों का उत्थान हो तो उस पर यह तहसील, ब्लाक खरा उतरता है। इसलिये मेरा आपसे अनुरोध है कि इसे बजट में शामिल करके मिलक में एक डिग्री कालेज बनाया जाये। एक बात और कहना चाहूंगा कि शिक्षकों और स्टाफ की भी बहुत कमी है। विलासपुर में डिग्री कालेज में स्टाफ की बहुत कमी है। 1996 से मांग की जा रही है लेकिन स्टाफ नहीं मिल पा रहा है। अगर स्टाफ नहीं होगा, शिक्षक नहीं होंगे तो शिक्षा का कार्य नहीं हो पायेगा। तो मैं चाहूंगा कि आप वहां पर शिक्षकों और स्टाफ की व्यवस्था करायें। जहां भी आप उत्तर प्रदेश में कालेज खोलें शिक्षक और स्टाफ पूरा होना चाहिये। तभी उत्तर प्रदेश को हिन्दुस्तान के आईने में नम्बर एक पर ले जाने का सपना पूरा होगा। मान्यवर, आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं और उम्मीद करता हूं कि मैंने जो अनुरोध किया है वह अपने बजट में जरूर शामिल करेंगे ताकि अगले बजट में मैं उनका धन्यवाद कर सकूं। आपका बहुत- बहुत धन्यवाद।

श्री जोखू लाल यादव-

मान्यवर, श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है मैं उस पर बल देने के लिये खड़ा हुआ हूं।

उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार संवैधानिक दृष्टि से शिक्षा एक मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ है। संविधान की सातवीं अनुसूची की तीसरी सम्वर्ती सूची के दसवें क्रमांक में शिक्षा का उल्लेख भी किया गया है। यदि शिक्षा मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकार जैसे मामले में संवैधानिक दृष्टि से आज जो स्थितियां व्याप्त हैं निश्चित तौर पर उच्च शिक्षा मंत्री को बधाई देना चाहूंगा कि कुछ चीजों में उन्होंने पहल की है। वैसे तो मेरे बड़े भाई हैं और इलाहाबाद छात्र संघ के अध्यक्ष भी हुआ करते थे तो उससे सम्बद्ध विश्वविद्यालय में हम भी अध्यक्ष हुआ करते

थे। आज शिक्षा की गुणवत्ता में जिस तरह से गिरावट आ रही है तो अगर तीन चार चीजों में सुधार कर लिया जाय तो सुधार आ सकता है। जैसे पठन-पाठन के लिये योग्य अध्यापकों की नियुक्ति की जाय, दूसरा सत्र को नियमित कर दिया जाय और तीसरा जो भ्रष्टाचार शिक्षा में व्याप्त है उसे खत्म कर दिया जाय। मान्यवर, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मामले में जब भ्रष्टाचार आता है तो शर्म से सिर झुक जाता है। शिक्षा में भ्रष्टाचार हो जाय, स्वास्थ्य में भ्रष्टाचार हो जाय तो क्या स्थितियां होंगी। कल उच्च सदन में चर्चा हुई, हमारे बड़े भाई हैं, कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन शर्म से सिर झुक गया। हम दोनों लोग एक ही जनपद और एक ही तहसील के हैं। लेकिन जब इनके निजी सचिव पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया तो सर शर्म से झुक गया। मंत्री जी हम आपके तेवर को जानते हैं, आपने भ्रष्टाचार को समाप्त करने का बीड़ा उठाया है। माननीय शिक्षा मंत्री जी, जो आरोप आप पर लगाये गये हैं सदस्य ने आरोप लगाये हैं उसकी जांच कराकर अपने दामन में लगे दाग को दूर करने का प्रयास करेंगे हम यह कहना चाहते हैं कि हम लोग छात्र संघ से चुनकर आये थे, आप विश्वविद्यालय के अध्यक्ष और हम सी0एम0पी0 डिग्री कालेज के अध्यक्ष हुआ करते थे, हम लोग लोकतांत्रिक मूल्यों के लिये, जब तत्कालीन सरकारों ने लोकतंत्र पर हमला किया था, तो हम लोगों ने इसका विरोध भी किया था। हमें यह उम्मीद नहीं थी कि आप भी इसी तरह से हमला करेंगे और चुनाव को रोककर उच्च शिक्षा में जिन सीढ़ियों से होकर आये हैं, उस पर तो कम से कम रोक नहीं लगायेंगे। हम यह जानते हैं जो स्थितियां बनती हैं, सच्चाई तो यह है कि विधायक अपने-अपने दलों के गुलाम हो गये हैं, उससे उबर नहीं पा रहे हैं। मान्यवर, मैं चाहूंगा कि लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिये आने वाले सत्र में छात्र संघ चुनाव के लिये पहल करेंगे। आप इण्टर कालेज, डिग्री कालेज और विश्वविद्यालय में अध्यक्ष रहे, हम लोग विधान सभा में बारी-बारी से चुनकर आते थे, लेकिन इस बार दोनों लोग विभिन्न विधान सभाओं में एक साथ चुनकर आये हैं आप इसको देखें और छात्र संघ के चुनाव करायें। आज अगर एक छात्र संघ का नेता लाचार निकले तो हम यह कहना चाहेंगे कि छात्र संघ जो लोकतंत्र की नर्सरी है उन लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन और क्षरण हो जायेगा। कि मैं समझता हूं कि फिर आज देश की बड़ी-बड़ी कुर्सियों पर जो बैठे हुए लोग हैं। वह छात्र संघ से निकले हुए लोग हैं, इसलिये मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आज जो स्थितियां हैं हमारे बड़े भाई राकेशधर त्रिपाठी जी हम आपसे यह जरूर अपेक्षा करेंगे कि यह जो भ्रष्टाचार व्याप्त है इसको समाप्त करेंगे और छात्र संघ चुनावों पर जो रोक लगी है उसकी बहाली के लिये आप जरूर घोषणा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं और माननीय सुरेश कुमार श्रीवास्तव जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हैं। धन्यवाद।

श्री राम शिरोमणि शुक्ला-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इतने महत्वपूर्ण बजट के समर्थन में मुझे बोलने का मौका दिया। मैं सबसे पहले अपनी बहन और इस प्रदेश की मुखिया को

बधाई देना चाहता हूं उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आज जिसकी कृपा से मैं यहां विधायक बन कर आया हूं और आपके सामने बजट के प्रस्ताव पर बोलने का मुझे मौका मिला है। मान्यवर, हमारे तमाम दोस्तों ने बहुत सारी बातें कहीं। मैं आपके सामने दो बातें रखना चाहता हूं एक बात तो यह है कि आज समाज के बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो एजूकेशन (शिक्षा) लेना चाहते हैं। उनमें चाहे हमारा बेटा हो, चाहे हमारी बेटी हो दोनों के लिये शिक्षा की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। हमारा बेटा जब पढ़ता है तो एक परिवार पढ़ता है, जब हमारी बेटियां पढ़ती हैं तो दो परिवार पढ़ने का काम करता है, एक तो मायके का परिवार और दूसरा ससुराल का परिवार। लेकिन हमारी जो पूर्ववर्ती सरकारें रही हैं उन सरकारों ने ऐसी व्यवस्था नहीं की कि हमारी बेटियों को आगे पढ़ने में या हमारे बच्चों को आगे पढ़ने में कोई मौका मिले। मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले जो हमारी बहन का सपना था जो हमारी सरकार का सपना था कि हमारे प्रदेश के तमाम ऐसे परिवार हैं जिनका दो से ढाई हजार रुपये बाहर पढ़ने में जाता है जो उनके घर का खर्चा चलता है वह रुके। हमारी सरकार ने जो पहल की हर ब्लाक स्तर पर एक डिग्री कालेज खोलने की, महाविद्यालय खोलने की उसके लिये मैं बधाई देना चाहता हूं अपने उच्च शिक्षा मंत्री माननीय श्री राकेश धर त्रिपाठी जी को जिन्होंने इस सरकार में अपनी जिम्मेदारी निभाई। इसके साथ-साथ मैं आपका ध्यान एक बात की ओर और आकर्षित करना चाहता हूं कि किसी विद्वान ने कहा है कि "महाजनों ऐन गता सः पन्था" विद्वान व्यक्ति जिधर से चलता है वही रास्ता है इस पर मैं कहना चाहूंगा कि सब शिक्षा हर स्तर पर लेते हैं, चाहे हमारा बचपना हो, चाहे हमारी जवानी हो, चाहे हमारा बुढापा हो हम हर स्तर पर शिक्षा लेने का काम करते हैं। हमने भी सोचा था, हमने एक सपना भी देखा था कि हम भी विधायक बनेंगे। एक ऐसे सदन में चलेंगे जहां बहुत सारी शिक्षायें हमको प्राप्त होंगी, समाज को जोड़ने की, समाज को आगे ले जाने की लेकिन जब मैं यहां आता हूं तो यहां पाता हूं कि हमारे तमाम ऐसे लोग बैठे हैं जो शिक्षा देने का काम तो बहुत करते हैं, शिक्षा पर भाषण देने का काम तो बहुत करते हैं लेकिन क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं मैं नहीं समझता कि उसकी बातों में कोई फर्क नहीं लगता हो। भारतीय संविधान के तहत हम आप अपने जीवन का यापन करते हैं। मैं भी पेशे से वकील हूं और श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव साहब जो कल भी बोले, परसों भी बोले, और आज भी बोले, वह भी पेशे से वकील हैं। मैं भी इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कई साल महामंत्री के पद पर रहा। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय संविधान के तहत अनुच्छेद-19 (1)(ए) जिसमें हमको आपको "फ्रीडम ऑफ द स्पीच एण्ड एक्सप्रेशन" बोलने की अभिव्यक्ति दी गई है अनुच्छेद-19 सब क्लाज (वन) (ए) में, के साथ-साथ भारतीय संविधान के तहत ही अनुच्छेद 174 है जिसके तहत विधान सभाओं में और लोक सभाओं में हमारा व्यवहार क्या होगा, हमारा आचरण क्या होगा उसके तहत हम आप बोलने का काम करते हैं, लेकिन मुझे शर्म आती है जब हम आप विधान सभा में आते हैं संविधान की कसम खाते हैं तो हमको ऐसी बात नहीं

करनी चाहिये जो हमारे आपके आचरण के विरुद्ध हो, उस बात का भी जिक्र हम आप यहां करते हैं।

(विपक्ष की तरफ से आवाज आई कि अगर हम आप न कहें तो अच्छा होता है)

श्री राम शिरोमणि शुक्ला-

मान्यवर, बस एक बात और कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं, हमारे तमाम वक्ताओं ने छात्र राजनीति में यूनियन की बहाली की बात कही है।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, दो-तीन बजट और हैं इसलिये मैं चाहूंगा कि इस पर अब माननीय सदस्य ज्यादा समय न लें।

श्री राम शिरोमणि शुक्ला-

मान्यवर, एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मैं छात्र संघ के चुनाव के बारे में कहना चाहूंगा, छात्र संघ चुनाव की बात है उसके लिये हमारी मुखिया ने, हमारी सरकार ने जो कदम उठाया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण और सराहनीय कदम है। इसलिये कि सबसे पहले हमारा समाज रहेगा, हमारा प्रदेश रहेगा, हमारे बच्चों का भविष्य रहेगा, कुछ छात्र नेताओं के भविष्य के लिये तमाम सारे 80-90 परसेन्ट बच्चों का भविष्य अंधकार में नहीं जाना चाहिये। मान्यवर, अन्त में मैं माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये उच्च शिक्षा के बजट का समर्थन करते हुए आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने बोलने का मौका दिया।

डा0 राजेन्द्र सिंह-

मान्यवर, आपने मुझे उच्च शिक्षा विभाग के कटौती प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया उसके लिये धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, डा0 भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय आगरा में बहुत सी समस्यायें हैं जिनके नाम पर इस विश्वविद्यालय का नाम है उनके नाम के अनुरूप यहां काम नहीं हो रहे हैं। आदरणीय मंजूर अहमद जब कुलपति थे उस समय ऐसे टेक्नीकल कोर्सेस के संचालन की अनुमति दे दी जिसके लिये आधारभूत ढांचा नहीं था शिक्षक नहीं थे तथा प्रयोगशालायें नहीं थीं। एक तरह से विद्यार्थियों के साथ धोखा दिया गया था। बीफार्मा के लिये पी0सी0आई0 से मान्यता नहीं थी। इसी तरह से टेक्नीकल कोर्सेस जिसमें इंजीनियरिंग के कई कालेज आगरा में चल रहे हैं उसकी मान्यता ए0आई0सी0टी0ई0 से नहीं ली गई। इसी तरह कानून की डिग्री भी मान्यता प्राप्त नहीं है।

मान्यवर, एम0एस0सी (बायोकेमिस्ट्री) पत्रकारिता, होटल मैनेजमेंट आदि का भी यही हाल है। मेरा निवेदन है कि वहां आधारभूत ढांचे का निर्माण कराया जाये। शिक्षकों की कमी को दूर कराया जाये। संबंधित संस्थाओं जैसे पी0सी0आई0, ए0आई0सी0टी0ई0 के यूजीसी के जो मानक हैं, उन मानकों को पूर्ण करके मान्यता सम्बन्धी औपचारिकतायें पूरी कराई जायें। डा0 अम्बेडकर

आगरा विश्वविद्यालय आगरा में संविदा पर 100 से ज्यादा अध्यापक कार्यरत हैं। 8000 रु0 प्रतिमाह मिलते हैं। कुछ लोग 1998 से लगे हैं यह समान कार्य समान वेतन के सिद्धान्त का उल्लंघन है। मेरा निवेदन है कि इन सभी को नियमित करने की कार्यवाही करें। इंजीनियरिंग कालेज से तो अध्यापक पलायन कर रहे हैं जिससे यहां शिक्षकों की कमी हो गई है। डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में परीक्षाओं के परिणाम एक-एक साल में निकल रहे हैं। अभी भी पिछले साल के पूरे परिणाम नहीं निकले हैं। विद्यार्थियों का पूरा साल खराब हो गया है। इसकी जिम्मेदारी निश्चित की जाये तथा जो लोग इसके लिये जिम्मेदार हों उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाये तथा परीक्षा परिणाम समय पर निकलें यह सुनिश्चित किया जाय।

मान्यवर, डा0 अम्बेडकर विश्वविद्यालय में शैक्षिक माहौल शिक्षा के अनुकूल नहीं है। उपरोक्त कारणों से विद्यार्थियों में हर समय अशांति का माहौल रहता है। विद्यार्थी आन्दोलनरत रहते हैं। माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि विश्वविद्यालय की ओर खास ध्यान देते हुए जो राज्य की योजना है कि विश्वविद्यालयों में उत्कृष्टता केन्द्र विकसित करने की योजना है। उसमें आगरा को लेकर समुचित कार्यवाही करें। मान्यवर, राजकीय स्नातक महाविद्यालय फतेहाबाद की मांग है उसे स्नातकोत्तर महाविद्यालय में उच्चीकृत करने की कार्यवाही करें। संविदा पर नियुक्त शिक्षकों को कम से कम 12 हजार रुपये महीना देने की कृपा करें। आगरा में आदर्श महाविद्यालय कम से कम एक जरूर रखें। जो सायंकालीन कक्षायें चला रहे हैं उनमें शिक्षकों की कमी है तथा लड़कियों के लिये परेशानी होती है। आने जाने व सुरक्षा की दृष्टि से इसके लिये सभी लड़कियों को नियमित कक्षाओं में प्रवेश दिलाने की कृपा करें। शिक्षा में भ्रष्टाचार के बारे में सरकार से निवेदन है कि इसकी ओर खास ध्यान दें। अन्त में चरित्र, अनुशासन, मेहनत व रोजगारपरक पाठ्यक्रमों पर ज्यादा ध्यान देते हुए उच्च शिक्षा को ज्यादा समाजपयोगी व राष्ट्रपयोगी एवं रोजगारन्मुख बनाने की आवश्यकता है। छात्रसंघों के चुनाव के बारे में स्पष्ट सकारात्मक उत्तर देने का काम किया जाये। मैं इसी के साथ कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

*श्री इकबाल महमूद-

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, जैसा कि अग्रवाल जी कह रहे थे कि माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी अपनी बात ट्विस्ट करने में माहिर हैं। छात्रसंघों के चुनाव के बारे में बात को ट्विस्ट कर गये। उसके बारे में सरकार स्पष्ट रूप से बताने की कृपा करें। मान्यवर, इसी तरह से जौहर यूनिवर्सिटी को बनाने का काम पिछली सरकार में किया गया। यह अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बाद सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी की बात है। उसके बारे में सरकार की क्या राय है वह नहीं बताया। मान्यवर, हम समझ रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ही उस जौहर यूनिवर्सिटी की सबसे ज्यादा विरोधी है। लेकिन आपने भी कुछ नहीं कहा। मान्यवर, यह छात्र संघों के चुनाव की बात है उसके बारे में नहीं बताया। मान्यवर, हमें उम्मीद थी कि हमारे

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अल्पसंख्यक वर्ग के साथी सत्ताधारी पार्टी में भी हैं वह अपनी सरकार से इस यूनिवर्सिटी के बारे में जरूर कहेंगे कि इस यूनिवर्सिटी को बनाने की अनुमति दी जाये और सरकार इसमें कुछ करें। इसी आधार पर मुझे उम्मीद थी कि माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी इस बजट भाषण में इसका जिक्र जरूर करेंगे। लेकिन पता नहीं इन्हें कांग्रेस से कुछ ज्यादा मुहब्बत हो रही है उन्होंने अपने भाषण में इस यूनिवर्सिटी का जिक्र नहीं किया। मान्यवर, मैं वी0सी0 की पोस्टिंग की बात जरूर करूंगा। मान्यवर, यह पहले से होता चला आया है कि जिस पार्टी की सरकार आयी उसने अपने हिसाब से देखकर वी0सी0 नियुक्त कर दिये। मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षा के मामले में यह चीजें नहीं होनी चाहिए। जो काबिल आदमी हों वरिष्ठता के आधार पर उनका चयन हो। हमारे यहां मान्यवर, एम0जी0एम0 डिग्री कालेज है उसमें प्रिंसिपल चयनित नहीं किया गया है शिक्षा का बहुत बुरा हाल है संभल में। मेरा अनुरोध है कि आयोग द्वारा चयनित प्रिंसिपल वहां भेजने का काम करें।

*श्री अनूप कुमार गुप्ता-

मान्यवर, मुझे दो मिनट का समय दे दें।

श्री भगवत शरण गंगवार-

मान्यवर, मुझे समय दे दें।

श्री अधिष्ठाता-

मैंने माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी को बुला लिया है।

श्री अनूप कुमार गुप्ता-

मान्यवर, मुझे मौका नहीं मिल रहा है इसलिये मैं वाकआउट कर रहा हूं।

(श्री अनूप कुमार गुप्ता वाकआउट कर सदन से चले गये)

श्री भगवत शरण गंगवार-

मान्यवर, एक बहुत ही ज्वलन्त प्रकरण है पन्त नगर विश्वविद्यालय जो कि, इधर का प्रदेश अलग हो गया और उधर का प्रदेश अलग हो गया। हमारे उत्तर भारत में एक ही कृषि विश्वविद्यालय है जहां शोध और तरह-तरह की शिक्षा ग्रहण करते थे हमारे उत्तर प्रदेश के लड़के।

श्री राकेश धर त्रिपाठी-

मान्यवर, इससे मेरा मतलब नहीं है।

*श्री भगवत शरण गंगवार-

मान्यवर, आपसे सम्बन्ध नहीं है लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूं। मेरा एक आग्रह है कि विधान सभा की तरफ से या माननीय उच्च शिक्षा मंत्री की तरफ से एक प्रस्ताव चला जाय कि उस विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की श्रेणी भारत सरकार दे।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राकेश धर त्रिपाठी-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज काफी चर्चा उच्च शिक्षा के बजट पर लगातार दो ढाई घंटे से यह चर्चा चल रही है। चूंकि आज के दिन माध्यमिक शिक्षा का बजट, बेसिक शिक्षा का बजट, मुस्लिम वक्फ का बजट, अल्पसंख्यक समिति का बजट 4 बजट अभी और आने हैं। सारे सदस्यों को उस पर चर्चा करनी है। इस बजट से आपसे यह आग्रह है चूंकि कटौती का प्रस्ताव हमारे वरिष्ठ साथी सुरेश श्रीवास्तव जी ने दिया उसके बाद दूसरे हमारे वरिष्ठ साथी राधामोहन अग्रवाल जी का चला, डा0 पी0के0राय साहब, माननीय योगेन्द्र सागर जी का, माननीय चौ0 सत्येन्द्र सिंह सोलंकी जी का, माननीय राजेन्द्र कुमार जी का, माननीय कपूर साहब का, माननीय जोखू लाल यादव जी का, माननीय राम शिरोमणि शुक्ल जी का, राजेन्द्र सिंह जी का, भाई इकबाल जी का, तमाम माननीय सदस्यों ने अच्छे सुझाव दिये, अधिष्ठाता महोदय और शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में चर्चा भी की। सारी बातों को दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं हैं लेकिन कुछ बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण चाहा है उसको जल्दी-जल्दी खत्म करेंगे ताकि अन्य विभागों की चर्चा हो सके। माननीय सुरेश श्रीवास्तव जी की जो चिन्ता है कि लखनऊ में जो महाविद्यालय दिये गये उनके बारे में जो भी महाविद्यालय रहे हैं उनमें जुलाई से स्नातकोत्तर तक की कक्षाएं चलाने के लिये आदेश दे दिया गया, बजट में प्राविधान कर दिया गया, जुलाई में प्रारम्भ कर दिया जायेगा। दूसरा इसी लखनऊ में एक नया राजकीय महाविद्यालय, महामाया राजकीय महाविद्यालय महोना में खोलने की अनुमति दे दी गयी, शासनादेश कर दिया गया, धन आवंटित कर दिया गया अगले सत्र से उसे प्रारम्भ करा दिया जायेगा। तीसरा जो माननीय श्रीवास्तव जी ने एक और चिन्ता व्यक्त की अध्यापकों के बारे में। हमने पहले ही अनुरोध कर दिया है, दूसरा एक साथी ने चर्चा की हमने यह पहले कहा कि बड़ा-बड़ा महाविद्यालय बन जाता है लेकिन पानी पीने के लिये टोंटी नहीं रहती। 124 महाविद्यालयों में पेयजल के लिये ट्यूबवेल लगाने के लिये धन का आवंटन कर दिया गया है और अन्य संस्थाओं ने कार्य शुरू कर दिया है। तीसरी बात, सभी लाइब्रेरियों के लिये हमने आग्रह किया, इनको और ज्यादा सुसज्जित करने के लिये, कम्प्यूटराइज्ड करने के लिये, इनको संरक्षित करने के लिये कई करोड़ के धन का आवंटन इस बजट में भी किया गया है और आगे भी कर दिया जायेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चौथा, अभी सदस्यों ने भी चिन्ता व्यक्त की कि जो स्ववित्त पोषित महाविद्यालय हैं, या जो निजी महाविद्यालय है, उनमें फीस के बारे में हमने पहले ही आग्रह किया कि फीस की कमेटी बना दी गयी है और जुलाई के पहले फीस की कमेटी रिपोर्ट आयेगी। बिल्कुल मनमानी फीस लेने का किसी को अधिकार नहीं है, इसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। मान्यवर, दो विशेष और बातें हैं एक उच्च शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया। चूंकि इस समय हाउस है, इसमें हम कह सकते हैं कि महामहिम के यहां अभी पत्रावली प्रेषित है। तमाम अध्यापक-अध्यापिकाओं को स्थानान्तरण में समस्या होती थी, जो अशासकीय हैं, ग्रान्ट-इन-एड के हैं, 10 साल की उनकी अवधि थी, हमने उसको घटाकर 5 साल कर दिया है

ताकि 5 वर्ष पर स्थानान्तरण कर दिया जाय। किसी साथी ने कुलपतियों के चयन के सम्बन्ध में चिन्ता व्यक्त की, मान्यवर, इससे उच्च शिक्षा विभाग का मतलब नहीं है, जब राजभवन से, महामहिम के यहां से होता है। सरकार का उसमें हस्तक्षेप नहीं है। क्योंकि वह महामहिम के यहां से चयन होता है। एक और बिन्दु आया और आज ही अभी साथियों ने चर्चा की और माननीय जोखू लाल यादव जी ने भी चर्चा की। चूंकि विधान परिषद्, उस सदन की चर्चा यहां करना बहुत उचित नहीं है, लेकिन हमने कल जो सुना था, आज वहां जाकर हमने वक्तव्य दिया है, हमने विधान परिषद्, सभापति से आग्रह किया कि आप हाउस की एक कमेटी बनवाकर इसकी जांच करवा दीजिए। लेकिन हमने एक बात वहां और कहा है, वह संदर्भ आवश्यक है, क्योंकि चर्चा हुई है, जिस भी व्यक्ति ने कृषि फार्म के नाम पर डिग्री कालेज खोलने की अनापत्ति ली और बाद में दूसरे स्थान पर डिग्री कालेज खोल दिया, वह अनियमित और अवैध है। दूसरा, जिस प्रबन्ध तंत्र ने बगैर इण्टर कालेज के अनुमति लिये ज्वाइंट डायरेक्टर या डायरेक्टर से, अगर उस डिग्री कालेज को उस इंटर कालेज में खोल दिया है तो वह भी अवैध है तो इस प्रबन्ध तंत्र के खिलाफ कार्यवाही होगी हमने भी कहा कि छात्रों की चिन्ता, छात्रों के भविष्य की चिन्ता हमारी चिन्ता है। एक भी वहां का छात्र फार्म भरने से वंचित नहीं रहेगा हम उसका फार्म भरवायेंगे, दूसरे कालेज से उसकी परीक्षा करवायेंगे लेकिन अवैध बनाये गये महाविद्यालय को अनुमति नहीं देंगे कि वह अवैध बनवाकर चलवाये। इसी के साथ माननीय अधिष्ठाता महोदय आज एक और शासनादेश किया है, यह सही है, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे साथियों ने चिन्ता भी जाहिर की कि पत्रावलियां लम्बित रह जाती हैं। हमने भी कहा और शासनादेश कर दिया कि जितना भी विश्वविद्यालय से संस्तुति होकर फार्म-ए के लिये अस्थायी सम्बद्धता के लिये आया है, परीक्षा फार्म उनको देना हमारा काम है, 4 महीने में वह लोग अपने कालेज की मान्यता पूरी कर लें इसके लिये हर कालेज को फार्म दिलवा दिया, यह शासनादेश हमने कर दिया है। कहीं अब रुकेगा नहीं, अब कहीं किसी को मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह दायित्व हमने दे दिया विश्वविद्यालय को, कि शासन से आप लिखा-पढ़ी मत करें, पहले आप इनका फार्म भरवाइये और इनकी परीक्षा करवाइये और जो इसकी कमी रहती है, वह हम वक्त रहते जून तक इसको पूरा करेंगे। दो बिन्दु और रह जाते हैं एक तो हमारे माननीय सदस्य सपा के, उन्होंने चिन्ता जाहिर की, जौहर विश्वविद्यालय के बारे में, मान्यवर, अधिष्ठाता महोदय, हम आपके माध्यम से सबको जानकारी देना चाहते हैं कि सुश्री बहन कु0 मायावती जी की सरकार अल्पसंख्यकों के प्रति जितनी संवेदना से काम कर रही है, दूसरा नहीं कर पायेगी दूसरे की सरकार रही होती तो जौहर विश्वविद्यालय का नाम, राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय का नाम बदल देती। मायावती जी ने कहा कि नाम नहीं बदलना है और यही चलेगा, इसको कंटीन्यू रखिये, इसलिये हमने नाम नहीं बदला है, नम्बर-2, जौहर विश्वविद्यालय में कई तरह की अनियमितताएं हैं। उसकी चर्चा आज उचित नहीं है क्योंकि मा0 उच्च न्यायालय में वह वाद लम्बित है। उसकी पूरी जानकारी है, उसमें जमीन को गलत तरीके से लिया गया, पट्टा

गलत तरीके से कराया गया। जो नियम प्राविधान हमारे निजी विश्वविद्यालय खोलने के हैं उसके परे उस विश्वविद्यालय की परिधि गई, जिस दिन सदन में आयेगा इसकी पूरी जानकारी दी जायेगी। हमने नियम बनाया है 10 करोड़ इन्वाल्वमेंट जमा कराने का इसमें नियम बना दिया गया 1 लाख या 10 लाख जमा कराने का। हमने नियम बनाया पूरी शिक्षा में, यह सेक्युलर प्रदेश है, कल्याणकारी राज्य है, किसी व्यक्ति को इसका अधिकार नहीं है कि वह आजीवन इसका कुलपति बना रहे। नियम और परिधि में जितना आयेगा उतना ही अनुमन्य होगा। अधिष्ठाता महोदय हमारे साथियों ने बड़ी चर्चा की छात्रसंघों के बारे में। यह सच है लेकिन हमारा दुर्भाग्य है, किसी साथी ने कहा, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा और जो लिंगदोह कमेटी की सिफारिश आई है, हम उस सिफारिश का परीक्षण करा रहे हैं और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हमने एक कमेटी बना दी है, उसकी एक बैठक भी हो गई है, उसकी रिपोर्ट आते ही पूरे सदन को अवगत कराया जायेगा। मा0 अधिष्ठाता महोदय, सभी की चिन्ता सही है हम सभी लोग छात्रसंघों से आये हैं लेकिन आज यह दुर्भाग्य है कि छात्रसंघ के अध्यक्ष और पदाधिकारी अगर अपराधी और माफियाओं की तरह से राइफल और बन्दूक ले करके चलेंगे यदि वह 302 के मुल्जिम होंगे तो इनसे विश्वविद्यालय को खाली करा करके तब चुनाव के विषय पर विचार किया जायेगा। जब तक अपराधी रहेंगे तब तक विचार होगा नहीं। हम भी इसके पक्षधर हैं। इन छात्रसंघों से बड़े-बड़े नेता इस देश के प्रधान मंत्री हो गये, दर्जनों मुख्य मंत्री हो गये, केन्द्र के मंत्री हो गये, यहां के मंत्री हो गये, लेकिन सभी की राजनैतिक हैसियत रही है, सब अपनी विद्वता, प्रतिभा और क्षमता पर होते रहे हैं। लेकिन आज ऐसा नेतृत्व उभर कर आना चाहता है जो केवल छिनैती में, लूट में रहना चाहता है हम इनसे विद्या मन्दिर शुद्ध और सरल करके तब चुनाव कराना चाहते हैं। हम आपसे माफी चाहते हैं, हम चुनाव चाहते हैं लेकिन चाहते हैं कि उसमें अच्छे लोग आयें।

डॉ0 पी0 के0 राय-

मैंने निवेदन किया था, जो महाविद्यालयों में जगहें खाली हैं, उनके बारे में कहा था। मान्यवर, अधिवर्षता आयु के बारे में बता दें।

श्री राकेश धर त्रिपाठी-

नहीं। मान्यवर, सैद्धान्तिक रूप से अभी हमारी सरकार ने यह निर्णय नहीं लिया है, भारत सरकार का निर्णय 65 वर्ष का हो सकता है लेकिन अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने अधिवर्षता के लिये निर्णय नहीं लिया है और हम इसके पक्षधर हैं भी नहीं। यह तो नीतिगत मामला है केवल उच्च शिक्षा विभाग का नहीं है। जब सरकार नीति बनायेगी तो उससे सारे राज्य कर्मचारी और शासकीय कर्मचारी उससे पोषित होंगे। अभी निर्णय की स्थिति नहीं है।

श्री इकबाल महमूद-

जहां पर चार बीघा जमीन विवादित है तो क्या वहां पर चार बीघे के लिये पूरी युनिवर्सिटी नहीं बनेगी।

श्री राकेश धर त्रिपाठी-

जब तक मा0 उच्च न्यायालय से कोई आदेश हमें प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक उस पर कुछ कहना उचित नहीं है।

डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, स्ववित्त पोषित कार्यक्रम गोरखपुर विश्वविद्यालय में जो बन्द किये गये, उस पर आपने क्या निर्णय लिया :

श्री राकेश धर त्रिपाठी-

अधिष्ठाता महोदय, कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनको अनुमति विश्वविद्यालय की एकेडमिक कौंसिल देती हे और कुछ को एक्जीक्यूटिव कौंसिल देती है। जिन कुलपति ने किया है उनके खिलाफ कार्यवाही की गई है, आने वाले दिनों में भी परीक्षण करा लिया जायेगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। अन्त में आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद।

डॉ0 राजेन्द्र सिंह-

माननीय मंत्री जी, हमारे यहां आगरा विश्वविद्यालय में बी0 फार्मा कोर्स की पी0सी0आई0 से मान्यता नहीं है, इसको दिलाने की कृपा करें।

श्री राकेश धर त्रिपाठी-

मैं इसको देख लूंगा। दूसरा, अन्तिम अनुरोध श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव जी से है उनकी बात हमने मान ली है, कालेज खुलवा रहे हैं, पी0 जी0 करा रहे हैं इसलिये वह अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय श्रीवास्तव जी, आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

माननीय अधिष्ठाता जी, सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं विपक्ष के माननीय सदस्यों को, जिन्होंने मेरे द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन किया।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मंत्री जी के जवाब के बाद भाषण की परम्परा नहीं रही है। अब आप प्रश्न उपस्थित करें।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

अगर आप लोग नहीं चाहते हैं कि बोलें, तो मैं बैठ जाता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-73-शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-73-शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,68,88,45,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक के अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान अनुदान संख्या-72-शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)

*माध्यमिक शिक्षा मंत्री (श्री रंगनाथ मिश्र)-

मान्यवर, आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-72-शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 25,52,63,66,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

मान्यवर, माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के बीच में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इसमें 14 वर्ष से लेकर 18 वर्ष की छात्र-छात्रायें शिक्षा ग्रहण करती हैं। यह ऐसा समय है मान्यवर, कि व्यक्ति के जीवन में यहीं से बदलाव शुरू होता है। छात्र या छात्रायें क्या बनना चाहते हैं, यही माध्यमिक शिक्षा के समय में जो उनके जीवन का बहुमूल्य वर्ष होता है वहीं से उसका निर्धारण होता है। माध्यमिक शिक्षा परिषद् के इन स्कूलों के माध्यम से ऐसे 14 वर्ष से लेकर 18 वर्ष की छात्र-छात्राओं का सर्वांगीण विकास हो, वे आत्मनिर्भर बनें, राष्ट्रीयता उनके मन में आये, ऐसी व्यवस्था प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा के माध्यम से किया जा रहा है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस समय उत्तर प्रदेश में लगभग 15 हजार माध्यमिक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त विद्यालय चल रहे हैं। इसमें लगभग 550 राजकीय इण्टर कालेज और हाईस्कूल हैं और 4400 के आसपास अनुदानित विद्यालय हैं तथा लगभग 10 हजार के आसपास माध्यमिक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त वित्त विहीन विद्यालय काम कर रहे हैं इन माध्यमिक शिक्षा परिषद् के मान्यता प्राप्त विद्यालयों में प्रदेश के लगभग एक करोड़ बालक बालिकाएं शिक्षा अर्जन कर रहे हैं इन बालक बालिकाओं के भविष्य को संवारने के लिये लगभग 2 लाख शिक्षक कार्यरत हैं हमारा विशेष बल सामाजिक और लैंगिक समता है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय को हमारी सरकार की सोच है इसके माध्यम से हम इस माध्यमिक शिक्षा परिषद् के विद्यालयों में सामाजिक और आर्थिक विषमता को दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं। साथ ही हमारी विशेष चिन्ता शिक्षा के उन्नयन की

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है यह सर्वविदित है कि इतने विद्यालय होने के बावजूद आज भी माध्यमिक शिक्षा के जितने स्कूल कालेज होने चाहिए वह नहीं हैं इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी ने इस वर्ष 2008-09 के बजट में 30 राजकीय विद्यालय खोलने की घोषणा की है जिसमें लगभग एक करोड़ 69 लाख रुपये बजट में प्राविधान किया गया है। साथ ही असेवित विकास खण्ड में जो पहले से योजनाएं चालू हैं जिसमें लड़कियों को शिक्षा देने के लिये व्यवस्था की गयी है। हमारे गांव के दूरदराज में रहने वाली जो लैंगिक असमानता है शिक्षा के क्षेत्र में उसको दूर करने के लिये असेवित विकास खण्डों में कन्या इण्टर कालेज को खुलवाने की योजना है। उसको आगे बढ़ाने के लिये सभी सेचुरेट हो गये हैं किन्तु उनमें दूसरी किश्त बाकी है उसकी पूर्ति के लिये हमारी सरकार ने 3 करोड़ 40 लाख रुपये का बजट प्राविधान किया है ताकि उनमें कोई कठिनाई न हो। साथ ही सेवित विकास खण्ड में जहां एक न्याय पंचायत में एक कन्या इण्टर कालेज का निर्माण हो गया है तो दूसरी न्याय पंचायत में भी एक कन्या इण्टर कालेज होना चाहिए उसके लिये अभी तक 354 विद्यालयों की स्थापना हो चुकी है किन्तु अभी भी कुछ ऐसी न्याय पंचायतें हैं जिसमें इण्टर कालेज की आवश्यकता है। उसको ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने इस वर्ष 2008-09 के बजट में 600 करोड़ का प्राविधान किया गया है। जिसमें हम 30 नये विद्यालय को सेचुरेट करेंगे साथ ही 30 ऐसे विद्यालयों को जिनकी प्रथम किश्त दे चुके हैं दूसरी किश्त बाकी है उनको देने का प्राविधान किया गया है।

बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जहां पर बालिकाएं पढ़ने जाती हैं क्योंकि उस क्षेत्र में लड़कियों के विद्यालय न होने के कारण उन विद्यालयों में हमारी लड़कियां जाती हैं उनके लिये विशेष रूप से ऐसे विद्यालयों में शौचालय निर्माण के लिये 42 लाख रुपये इस वित्तीय वर्ष में बजट प्राविधान किया है। इतना ही नहीं उन क्षेत्रों में जहां पर हाई स्कूल की तो मान्यताएं हैं राजकीय हाई स्कूल खोल दिये गये हैं इण्टर की मान्यता नहीं है ऐसे क्षेत्र में लड़के लड़कियों के लिये 10 पास करने के बाद वह बाहर नहीं जा पाते इसलिये ऐसे विद्यालयों को उच्चीकृत करने के लिये भी हमारी सरकार ने इस बजट प्राविधान में 2 करोड़ 6 लाख रुपये का प्राविधान किया है कि ऐसे राजकीय हाई स्कूल को उच्चीकृत करके इण्टर कालेज बनायेंगे। इसके साथ ही बहुत सारे विद्यालय हैं जो राजकीय तो हैं लेकिन वो भवन हीन हैं उनके पास अपना भवन नहीं है। जहां जिस नाम से खुले हैं, उनमें पढ़ाई नहीं होती हैं जहां कहीं किराये की बिल्डिंग मिल गई वहीं विद्यालय संचालित कर रहे हैं ऐसे 56 राजकीय विद्यालय हैं जो भवन हीन है जिनके पास अपना भवन नहीं है। हमारी सरकार ने ऐसे राजकीय विद्यालयों के लिये 13 करोड़ 52 लाख रुपये इस बजट में प्राविधान किये हैं ताकि उनकी अपनी बिल्डिंग बन जाय और उनमें छात्र-छात्रायें अध्ययन कर सकें। इसके साथ ही इतना करने के बाद भी यह महसूस किया जा रहा है कि प्रदेश की आबादी को देखते हुए यह संख्या कम है क्योंकि राष्ट्रीय मानक हमारे देश का 1 लाख की आबादी पर 19 विद्यालयों का है किन्तु मान्यवर, हमारे प्रदेश में आज एक लाख के मानक पर

10 विद्यालय ही हैं। इसकी पूर्ति करने के लिये जहां हमारी मुख्य मंत्री बहन कुमारी मायावती जी ने 30 राजकीय कालेज खोलने की बात की है वहीं दूसरे न्याय पंचायत में जहां पहले सेचुरेट हो गया है दूसरे में भी बन गया है तो वहां पर राजकीय मान्यता प्राप्त लड़के या लड़कियों के विद्यालय नहीं हैं एक और विद्यालय खुल सके इसके लिये 2008-2009 के बजट में हमारी सरकार ने 10 करोड़ रुपये का प्राविधान किया है।

इसके साथ ही मान्यवर, कहना चाहता हूं कि आज कम्प्यूटर का जमाना है। कम्प्यूटर शिक्षा एक आवश्यक शिक्षा के रूप में देखी जा रही है और ऐसा महसूस किया जा रहा है कि इस समय कम्प्यूटर शिक्षा के बिना शिक्षा ही बेकार हो गई है इसलिये इस कम्प्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये भी हमने सिर्फ शहरों के ही नहीं गांवों के भी विद्यालयों के छात्र और छात्राओं को कम्प्यूटर की मुफ्त शिक्षा देने के लिये सरकार ने 56 करोड़ 24 लाख रुपये की व्यवस्था इस बजट में की है ताकि हमारे छात्र और छात्राएं कम्प्यूटर की शिक्षा प्राप्त कर सकें और इसके लिये लगभग 2500 राजकीय और अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों का चयन 2007-2008 में किया गया है। इसमें 10-10 कम्प्यूटर हम दे रहे हैं ताकि वहां के बच्चे कम्प्यूटर की शिक्षा ग्रहण कर सकें। इन कम्प्यूटर के साथ-साथ सहवर्ती सामग्री फर्नीचर, साफ्टवेयर, स्टेशनरी के साथ साथ अध्यापकों को भी जो प्रशिक्षित कर सकें ऐसे शिक्षकों को भी रखा जा रहा है। जिससे यह अध्यापक प्रशिक्षित होकर अपने विद्यालय में आगे आने वाले दिनों में बच्चों को कम्प्यूटर की शिक्षा दे सकें। 2008-2009 में भी ऐसे 2500 विद्यालय हम लेंगे जिसके लिये 56 करोड़ 24 लाख रुपये का प्राविधान इस बजट में किया गया है जिसमें हम अगले एक साल के अन्दर 450 अनुदानित विद्यालय और 550 राजकीय विद्यालय भी कम्प्यूटर से लैस हो जायेंगे। मान्यवर, जिस तरह से विद्यालयों में कम्प्यूटर की शिक्षा देने के लिये प्राविधान किये गये हैं उसी तरह से राजकीय विद्यालयों में खेलकूद की भी व्यवस्था हो इसकी व्यवस्था की जा रही है। क्योंकि जीवन में जहां शिक्षा आवश्यक है वहीं मस्तिष्क को विकसित करने के लिये खेल कूद आवश्यक है इसलिये हमारी सरकार ने पिछले वर्ष 2007-2008 में 150 विद्यालयों को 1-1 लाख रुपये खेल कूद उपकरण खरीदने के लिये दिये गये थे। वहीं अगले बजट में भी लगभग डेढ़ सौ विद्यालयों को एक-एक लाख रुपया देने का इस बजट में प्राविधान हमारी सरकार ने किया है।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जहां हम खेल कूद को प्रोत्साहित करना चाह रहे हैं वहीं हम उन मेधावी बच्चों को भी पुरस्कृत करना चाहते हैं तो मेरीटोरियर हैं जो अपने परिश्रम से लगभग 30 लाख के आसपास हाईस्कूल में 17 लाख के आसपास इण्टरमीडिएट में इस बड़ी प्रतियोगिता में सम्मिलित होकर अपनी मेधा का जो परचम लहराते हैं इसके लिये भी हमारी सरकार ने ऐसे बच्चों के लिये 20 हजार रुपया प्रथम, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले को एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को दस हजार रुपया देने की व्यवस्था की है। साथ ही मान्यवर, पुस्तक की गुणवत्ता अगर पुस्तक ही नहीं ठीक है तो शिक्षा कैसे ठीक हो सकती है मान्यवर, अभी

तक जो माध्यमिक शिक्षा परिषद् में पुस्तकें चल रही थीं वह इतनी छोटी थीं उनके शब्द, उनके अक्षर इतने महीन थे उनके कागज इतने खराब थे उनकी गैपिंग इतनी कम थी कि उसको बच्चे पढ़ने में कठिनाई महसूस करते थे। अध्यापक पढ़ाने में कठिनाई महसूस करते थे। यहां तक कि ज्यादा पढ़ने वाले बच्चों की आंख में चश्में लग जाते थे। हमारी सरकार ने प्रयास किया और मान्यवर, जहां पहले 12 इंच बाई 16 इंच की पुस्तक होती थी, उसको बढ़ाकर 18 वाई 24 सेन्टीमीटर कर दिया गया है। साथ ही मान्यवर, जो कागज का प्रयोग होता था उसमें 54 जी0सी0एम0 के कागज लगते थे उसको बढकर अब 60 जी0सी0एम0 कर दिया गया है। फान्ट जो होता वह 10 फान्ट की होती थी उसको बढ़ाकर 12 फान्ट कर दिया गया है। साथ ही गैपिंग को भी बढ़ा दिया गया है। दो एम0एम0 से जगह कम नहीं होनी चाहिये इसी के साथ साथ कागज इतने खराब लगते थे, 38 रुपये के0जी0 कागज अनुमन्य थे उसकी जगह 24 रुपये के0जी0 प्रकाशक लगाते थे। इसमें हमारी सरकार ने इस सत्र में प्रकाशक को बाध्य कर दिया गया है कि जो कागज लगेंगे वह कम से कम 60 ग्राम मिल वाटर मार्क के होंगे साथ ही साथ 100 प्रतिशत वर्गिंग बांस के भी कागज लगाये जायेंगे। अगर इससे कम कोई कागज लगायेगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। साथ ही माननीय अधिष्ठाता महोदय यह देखने में आया कि 17 करोड़ जहां उत्तर प्रदेश की आबादी है वहां केवल एक करोड़ हमारे छात्र-छात्रायें माध्यमिक शिक्षा के कालेज में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इससे लगता है इससे अपने आप में स्पष्ट है कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो कहीं न कहीं प्राइमरी या जूनियर हाई स्कूल पास करने के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं चाहे आर्थिक कठिनाई से या और किसी कारणों से। ऐसे लोगों को भी शिक्षा देने के लिये प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनिकीकरण हो गया है इसलिये बहुत सारे ऐसे गांव में लोग हैं जो प्राइमरी पास कर ले रहे हैं लेकिन माध्यमिक में शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं। मान्यवर, ऐसे लोगों के लिये हमारी सरकार ने पहली बार उत्तर प्रदेश के अन्दर राज्य मुक्त विद्यालय परिषद् स्थापित करने की घोषणा की है इसके लिये लगभग एक करोड़ रुपये का प्राविधान कर दिया गया है। ताकि हमारे प्रदेश के जो ऐसे अछूते लोग हैं जो जूनियर हाईस्कूल पास करके घर बैठ गये हैं वह इस राज्य मुक्त विद्यालय परिषद् से पढ़ करके वह भी हाईस्कूल और इण्टर का प्रमाण-पत्र ले सकते हैं। इसके साथ ही मा0 अधिष्ठाता महोदय, हमारी सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है कि हम ऐसे 8, 10 और 12 पास करने वाले छात्र-छात्राओं को व्यावसायिक रोजगार उन्मुख शिक्षा देंगे। इसके लिये हमारी सरकार ने व्यावसायिक शिक्षा परिषद् की स्थापना की है।

मान्यवर, व्यावसायिक शिक्षा परिषद् का उद्देश्य होगा कि जो लोग बेरोजगार हो जाते हैं, 8, 10 या 12 पास करके खाली बैठ जाते हैं, वह सर्टीफिकेट तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन कोई हुनर नहीं होने के कारण, कोई तकनीकी ज्ञान न होने के कारण बेकार होते हैं, प्रदेश में बेरोजगारों की फौज खड़ी हो रही है, उसको रोजगार उपलब्ध कराने के लिये हमारी सरकार ने व्यावसायिक शिक्षा परिषद् का गठन किया है। यह व्यावसायिक शिक्षा परिषद् एक स्वतंत्र निगमित

निकाय के रूप में काम करेगा। यह ऐसे विद्यालयों को मान्यता देगी जो व्यावसायिक शिक्षा दिलाना चाहेंगे. उन विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को सर्टीफिकेट देगी ताकि वह आगे चल करके जो हमारी व्यावसायिक शिक्षा, एमबीए, इंजीनियरिंग आदि में भीड़ बढ़ रही थी, इसके माध्यम से भी उसे नियंत्रित करने का काम होगा। जब हमारे 10, 12 पास लड़के व्यावसायिक शिक्षा परिषद् के माध्यम से मान्यता प्राप्त विद्यालयों में प्रवेश पा लेंगे और रोजगार उपलब्ध होगा तो निश्चित रूप से महंगी शिक्षा, जो इंजीनियरिंग है, एमबीए है या और जो महंगी शिक्षा है, उसमें उनको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी या जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है, वह इसी व्यावसायिक शिक्षा परिषद् के विद्यालयों में अपनी पढ़ाई पूरी कर रोजगार प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही हमारी सोच है कि जो माध्यमिक शिक्षा परिषद् में पुस्तकें चल रही हैं, जो पाठ्यक्रम है, उसमें भी सुधार आये। इसी सदन में हमारे बहुत सारे सहयोगियों से यह बात कही है, प्रश्नकाल के दौरान कि जो हमारी एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं, उनको क्यों नहीं एडाप्ट करते हैं, तो हमारी सरकार की भी सोच है कि हम निश्चित रूप से उन बिन्दुओं पर ध्यान देंगे जो एनसीईआरटी, नई दिल्ली द्वारा विकसित पाठ्य चर्चा है, उन बिन्दुओं के अनुसार सामाजिक न्याय और समानता के संवैधानिक मूल्यों पर आधारित एक धर्म निरपेक्ष, समतामूलक और बहुलतावादी समाज के आदर्श से प्रेरणा लेते हुए शिक्षा के व्यापक उद्देश्य की पूर्ति हेतु माध्यमिक शिक्षा परिषद् के पाठ्यक्रम की पुनर्संरचना हमारी सरकार ने प्रस्तावित की है ताकि आने वाले दिनों में हम राष्ट्रीयकृत पुस्तक अपने बच्चों को दे सकें। उसमें अच्छे-अच्छे लेखकों के माध्यम से अच्छी शिक्षा मिल सकती है, उसको सम्मिलित करने का हम प्रयास करेंगे। इसके साथ ही इन माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में पठन-पाठन जहां ठीक हो, उसी को और चुस्त-दुरुस्त करने के लिये हमारी सरकार ने नकल-विहीन शिक्षा कराने का फैसला किया है। एक बहुत बड़ा निर्णय सरकार ने किया है कि हम स्वकेन्द्र प्रणाली को समाप्त करेंगे और वाह्य केन्द्रों पर हम परीक्षा लेंगे। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों की बालिकाओं को मुक्त रखा गया है और शहरी क्षेत्र के भी जो ऐसे बालिका इण्टर कालेज हैं, उनको भी स्वकेन्द्र नहीं बनाया गया है। मान्यवर, यह सर्वविदित है और सदन के सभी सम्मानित सदस्य इससे अवगत हैं कि पिछले दिनों जो स्वकेन्द्र प्रणाली चालू की गयी उससे माध्यमिक शिक्षा की रीढ़ ही टूट गयी। आज स्थिति यह है कि स्वकेन्द्र प्रणाली को अगर नकल प्रणाली कहा जाए, मान्यवर, उसके कारण हमारे प्रदेश की मेधा ही नहीं प्रभावित हो रही थी, उसके कारण हमारे माध्यमिक शिक्षा का पठन-पाठन ही एक प्रकार से ध्वस्त हो गये थे।

मान्यवर, अगर नकलविहीन परीक्षा होगी तो स्वाभाविक है कि हमारे यहां का पठन-पाठन भी ठीक होगा। और इसी को ध्यान में रखकर कि अगर हम नकलविहीन परीक्षा करायेंगे तो अपने वाले सत्र में निश्चित रूप से संदेश जायेगा कि अब माध्यमिक शिक्षा परिषद् की परीक्षाओं में नकल नहीं होगी। तो पढ़ाई करना जरूरी होगा, अध्यापक भी मजबूर होंगे, बच्चे भी अध्यापकों को मजबूर करेंगे कि या तो आप हमें पढ़ाएं नहीं तो हम फेल हो जायेंगे। इसलिये

अध्यापकों के ऊपर हमारे बच्चों का भी दबाव होगा और यह एक अच्छी व्यवस्था होगी। इसीलिये मान्यवर, हम कोशिश किये हैं कि वर्ष 2008 की परीक्षा में हाईस्कूल में 28 लाख 41 हजार 542 छात्र-छात्राएं सम्मिलित हैं वहीं इण्टरमीडिएट में लगभग 17 लाख 99 हजार के आसपास। कुल 46 लाख 40 हजार 802 परीक्षार्थी परीक्षा देने जा रहे हैं। उनकी परीक्षा की सुचिता को बनाने के लिये अनेक कदम उठाये गये हैं। जैसे केन्द्र व्यवस्थापक की सूची बनाकर कि उनको किस विद्यालय पर नियुक्त करना है परीक्षा होने के एक सप्ताह-10 दिन पहले उनके नाम का पता होगा साथ ही ऐसे कक्ष निरीक्षक जो गार्डिंग करेंगे उनको पहचान पत्र जरूरी होगा और उस पहचान पत्र पर उनकी योग्यता भी लिखी होगी ताकि जिस विषय की परीक्षा हो उस दिन उस विषय का विशेषज्ञ जो अध्यापक है वह गार्डिंग न कर सके यह व्यवस्था हम लोगों ने की है। मान्यवर, एक समय ऐसा भी आया था कि छात्राओं को भी जेल भेजने का काम किया गया था। लेकिन हमारी मुखिया बहन कुमारी मायावती जी ने यह कहा कि हम अपनी बहनों को कभी जेल नहीं भेजेंगे, हम छात्रों के खिलाफ भी एफआईआर नहीं करेंगे। क्योंकि यह उनके जीवन का शुरूआत है, आरम्भ है। अगर पहले ही एफआईआर दर्ज हो गयी तो उनके करेक्टर खराब होंगे। उनके ऊपर बुरा प्रभाव होगा और वह कुंठा के शिकार होंगे। इसलिये यह निर्णय लिया गया कि हम नकल करने वाले छात्र-छात्राओं को एफआईआर नहीं करेंगे। बल्कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् के द्वारा जो उसके लिये नियम हैं उनके अनुसार कार्यवाही करेंगे। उनको रिस्टीकेट कर दिया जायेगा। उनके रिजल्ट रोक दिये जायेंगे। या उनको दो या तीन साल के लिये परीक्षा से वंचित कर दिया जायेगा। इसके तहत उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। यह प्रदेश सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है इस प्रदेश के भविष्य को सुधारने के लिये। इस बात से हमारे सभी माननीय सदस्य सहमत होंगे कि नकलचियों के बल पर न प्रदेश का कल्याण हो सकता है न देश का निर्माण हो सकता है इसलिये हमारी सरकार ने कोशिश की है कि नकल विहीन परीक्षा कराकर हम मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करें ताकि प्रदेश और देश का निर्माण हो सके। इसलिये यह व्यवस्था सुचारु रूप से चलाने के लिये बहुत कड़े निर्देश जारी किये गये हैं। इसलिये मान्यवर, आज इस वित्तीय वर्ष 2008-09 के आयोजनागत पक्ष में रुपये 110 करोड़ 90 लाख 47 हजार तथा आयोजनेत्तर पक्ष में 29 अरब 52 करोड़ 25 लाख, कुल 30 अरब 63 करोड़ 16 लाख 39 हजार रुपये का बजट इस सदन के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया है। जो गत वर्ष की तुलना में 8 प्रतिशत अधिक है। मैं अपने विपक्ष के साथियों से कहना चाहूंगा कि आप बहुत कटौती करते हैं लेकिन कम से कम इस प्रदेश की शिक्षा की रीढ़ माध्यमिक शिक्षा है, के बजट में कम से कम कटौती न करें। अपना कोई सुझाव हो तो जरूर दें। आपके सुझावों का स्वागत है। उसको सुधारने का हम प्रयास करेंगे। लेकिन यह जो बजट प्रस्तुत किया गया है इसको सर्वसम्मति से पास करने की कृपा करें।

*श्री विश्वनाथ-

मान्यवर, जो बात दूसरे चरण में कहनी चाहिए वह बात माननीय मंत्री जी ने पहले चरण में कह दी। इसलिये और लाजमी हो गया कि मैं जल्दी कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करूं। मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-72-शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अधीन सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है। माननीय मंत्री जी का भाषण सुन रहा था, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के बीच का यह बिन्दु है जिसमें शिक्षा का सुधार आपने कर दिया तो इण्टरमीडिएट पास विद्यार्थी शिक्षित कहा गया और उच्च शिक्षा की ओर चला गया। जलती यदि ज्ञान की ज्योती, शिक्षा की यदि कमी न होती तो यह गांव स्वर्ग बन जाते। मान्यवर, काफी जोर आपका सरकारी स्कूलों पर है। उत्तर प्रदेश की शिक्षा जनता के सहयोग से, आजादी के जमाने से गति अगर पायी है तो जन सहयोग से स्थापित विद्यालयों के जरिये पायी है। आपने उनकी उपेक्षा की है और बड़ा निराशापूर्ण बजट है आपका। मान्यवर, मैं भी अध्यापक हूं और इण्टरमीडिएट कालेज का प्रिंसिपल रहा हूं। आपने दिल तोड़ा है, इस सदन के शिक्षा प्रेमियों का दिल तोड़ा है, प्रदेश की अवाम का दिल तोड़ा है। और शिक्षा पर आशा भरी नजरें लगाये हुए लोगों का दिल तोड़ा है। कहीं आपने मौलिक सुधार के बिन्दु की बात कही है। चौहान जी दिल थामे रहिये शीशा है दिल, इतना न उछालों, कहीं टूट जायेगा, टूट जायेगा।

मान्यवर, शिक्षा का उद्देश्य क्या है। शिक्षा किसलिये है ? यह दुनिया मानती है, हमारे मनीषियों ने माना है, दुनिया मानती है शिक्षा अगर नहीं होगी तो आदमी आदमी नहीं। आदमी बनने के लिये शिक्षा की जरूरत है, इंसान को इंसान बनाने के लिये, देवता बनाने के लिये और फिलासफर किंग बनाने के लिये, भगवान बनाने के लिये शिक्षा की जरूरत है। तो सैद्धांतिक बात कोई नहीं की। आपने नये इंस्टीट्यूशन्स, नये प्रयोग की बात और सरकारी स्कूलों की बात की। बढ़ती हुई आबादी और अशिक्षित खुद आपने अपने वक्तव्य में माना कि संख्या के आधार पर इस प्रदेश में अशिक्षित बहुत हैं। केवल अशिक्षित ही नहीं हैं साक्षर को आप शिक्षित की श्रेणी में नहीं मानते हैं और हस्ताक्षर को भी आप साक्षर की श्रेणी में नहीं मानते हैं। मेरे पिता को मुखिया या पटवारी ने हस्ताक्षर करना सिखाया था। अगर पूछ लीजिये कौन अक्षर है तो वह बतला नहीं सकते थे। इसका मतलब साक्षर नहीं थे। तो हस्ताक्षर की भी श्रेणी, साक्षर की भी श्रेणी है, शिक्षित की भी श्रेणी है और अशिक्षित की भी श्रेणी है। आपने महसूस किया है कि अशिक्षित बहुत हैं तो क्या उन संस्थाओं के लिये कुछ किया आपने, जो प्राइवेट सेक्टर में चलती हैं, आपकी मान्यता के अनुसार चलती है, आपके पाठ्यक्रम के अनुसार चलती है, आपसे अनुदानित हैं उनके बारे में आपने कुछ कहा और आपसे अनुदानित हैं, उनके बारे में कुछ आपने कहा, कम्प्यूटर तो कुछ दे रहे हैं आप। हम जब बच्चे थे तो आता था वो मिसमैरिज्म वाला, बाईस्कोप वाला और दिखाता था और कहता था, कलकत्ता शहर देख, लंगड़ी धोबन देख, ताजमहल को देख, यही

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दिखाता था। कम्प्यूटर दिखाये आप, कुछ खरीद में परता आने लगा है। ऐसा हमको लगता है और उसी पैसे को अगर भवन निर्माण के लिये दे देते। एम0एल0ए0, एम0एल0सी0 और एम0पी0 के पास घूमते-घूमते संस्थाओं वालों का नाकोदम हो गया है, देते हैं कितना, 50 हजार, एक लाख रुपया। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आज शिक्षण संस्थायें जो लक्ष्मी अर्जन का केन्द्र बनी हुई हैं, इनकी ओर ध्यान दें। और मान्यवर, विधायक निधि का भी जांच करिये, अधिकारी की भी जांच होगी, अपराधी की जांच होगी, आवाम की जांच होगी, जनप्रतिनिधियों की जांच का इन्तजाम करिये इनमें भी भारी कर्मीशनखोरी, सत्ता दल हो या विरोधी दल हो दोनों को मिला कर एक कमेटी अधिष्ठाता जी बनवा दीजिए और जांच हो जाये और सबका हिसाब किताब बराबर हो जाये। मंत्रियों पर भी बहुत गहरे आरोप हैं, इसलिए सारे सदस्यों की जांच करें वह भी सदस्य लोग। अब जो संयोगात हो गया होगा बिना सदस्य बने उसको भी घेरे में ले लीजिए मंत्री अगर हो गये कुछ ही दिन के लिये हों, अगर इन दोनों सदनों में किसी के सदस्य न हों तो भी उनको भी घेरे में ले लीजिएगा।

मान्यवर, आपने कोई घोषणा नहीं की कि शिक्षा में समता लायेंगे। एक पाठ्यक्रम होगा, एक शिक्षा नीति होगी, एक तरह की शिक्षण संस्थायें होंगी और उनमें एक तरह की यू0पी0 हो या राजस्थान शिक्षा होगी एक समान। आप में बड़ा विभेदीकरण है, एक सरकारी स्कूल होगा, एक गैर सरकारी होगा। गैर सरकारी स्कूल होगा तो अम्बानी का होगा, टाटा का होगा और नहीं तो दून का स्कूल होगा। उसी टाइप के लखनऊ के बड़े-बड़े स्कूल होंगे जहां पूंजीपतियों के बच्चे पढ़ेंगे और गरीबों के बच्चों के लिए पट्टी दुर्लभ है, खुली धरती और खुले गगन के नीचे पढ़ेंगे। तो मैं आपसे कहता हूं कि समान शिक्षा का इन्तजाम करिये। और पानी भी तो आप दाम देने पर आप देते हैं। शहरों में वाटर टैक्स है आपका लेकिन में तो देहात का रहने वाला हूं जहां हवा पानी और धूप तीन चीजें मुफ्त की मिला करती हैं, क्या मुफ्त की शिक्षा देने का आप काम करेंगे करिये। आप कहेंगे कि मुलायम सिंह की बात कर रहा है, नहीं डा0 लोहिया समाज वादी नेता की मैं बात कर रहा हूं। जिसने कहा था कि शिक्षा एक तरह की हो, समान हो और मुफ्त की हो और अनिवार्य हो। मंत्री जी यह घोषणा करेंगे। चाहते हो मुहब्बत में कटौती प्रस्ताव न रखूं तो मुहब्बत का कुछ लाजमी काम होता है वह तो कर दो, यह तीनों चीजें घोषित तो कर दो। शिक्षा में समानता लाओ और शिक्षा को व्यापार से अलग करो, इतना ही नहीं है, पाबन्दी लगाइये ट्यूशन पर और किसी संस्था को एक भवन बनवाने के लिए नहीं देते और क्या करेंगे ? कितना बचा है आपका पिछले साल का खर्च किये बिना ? पैसा काफी बचा है। सुना था एक अधिकारी ने बताया, सच्चाई है कि नहीं। और चले जाइये कभी इन्स्पेक्ट्रेट में कभी गये हैं, डायरेक्ट्रेट में कभी गये हैं, कुर्सियां टूटी है, बेचारे बैठ कर रो रहे हैं। भले ही धन उगाही वहां होती हो, लेकिन दफ्तर की हालत खराब है। तो मंत्री जी आप उन दफ्तरों को ठीक करिये और कमीशन पर और भ्रष्टाचार पर रोक लगाइये। इम्तहान पर जोधागिरी बहुत शुरू की जाती है। पता नहीं आप नकल वाले जमाने के हो कि नहीं हो। उम्र में हमारे आपके ज्यादा फर्क है। होम इक्जामिनेशन होता था होम इक्जामिनेशन में भी मेरे जमाने में नकल नहीं होती थी। इसमें बहुत लोग बैठे होंगे बता दें।

आप कह रहे हो कि हम सेण्टर बदल दिये हैं यहां बनायेंगे, वहां बनायेंगे, सब्जेक्ट टीचर नहीं रखेंगे। इम्तहान में नैतिकता का बीजारोपण करो।

मान्यवर, आजादी की लड़ाई में एक आदमी ने यह काम किया था और लोगों को नैतिकता से सराबोर करने का काम किया था। गांधी जी के बाद, नेहरू जी हुकूमत में आये लेकिन कोई आरोप सेन्ट्रल गर्वनमेन्ट, प्रॉविंशियल गर्वनमेंट, किसी मंत्री, किसी एमएलए, किसी सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता पर लगा कि वह भ्रष्टाचार में लिप्त हैं ? लेकिन आज तो सारा का सारा आंकठ तक डुबा हुआ मंत्रिमंडल है और विधान मण्डल। क्या करेंगे जब व्यक्ति उसका दास हो गया है। मान्यवर, आज शिक्षा में नैतिकता नहीं है, मूल्य नहीं है, अध्यापक आपके संतुष्ट और सम्मानित नहीं हैं। आपका सहयोग और समर्थन शिक्षा को नहीं है। डा0 साहब ने ठीक बात कही थी कि क्या 65 साल तक आप उनसे पढ़वाते रहेंगे ? मैं उसको समझता हूं। किसी क्लास के टीचर की पेंशन, पूरा फण्ड, सूद यह सब मिला लें एक तिहाई से ज्यादा पड़ता नहीं। आप मरने के दिन तक के लिये नौकरी में बहाल कर दें। शायद मैं भी उसमें बहाल हो जाऊं। फिर प्रिंसिपल होना है। मान्यवर, आप समायोजित नहीं कर पा रहे है। आपने 62 साल तक उम्र कर दी है, 60 साल तक उम्र कर दी है सेवा की। हम कहते हैं कि उसे घटा दें 58 साल कर दें। उससे नये लोगों को, तेजस्वी लोगों को, चरित्रवान लोगों को जिनमें जज्बा है उन्हें कुछ करने का मौका मिलेगा पढ़ाने का मौका मिलेगा। अभी एक प्रिंसिपल साहब सुबह आये थे। तीन हजार रु0 पाते हैं व्यवसायिक टीचर हैं। 100 रु0 गवर्नमेन्ट ने लेबर का रेट कर दिया है तो आप उन्हें एक इफीशियेंट लेबर का रेट दे रहे हैं ? डिग्री कालेज, इंटर कालेज, हाईस्कूल तक आपने यह व्यवस्था लागू कर दी है। पूर्व में कहा जाता है जाना जोड़ना, मजदूरना जोड़ना। आप लेबर रखकर पढ़वा रहे हैं। जाना जोड़ना रखकर पढ़वा रहे हैं। मान्यवर, तनख्वाह कौन लेता है। कहां कहां लेता है यह सब कहने का समय नहीं है। इस तरह से जाना जोड़ना के आधार पर पढ़वाने का काम आप कर रहे हैं। उससे इम्तिहान में गुणवत्ता सुनिश्चित होती है या पढ़ाई में गुणवत्ता सुनिश्चित होती है ? मान्यवर, अध्यापकों की संख्या निल है। और मजदूरी पर पढ़ाने वालों की संख्या आप बढ़वा रहे हैं। लेकिन उनकी स्थिति भी क्या है किसी ने चार साल पढ़ा दिया, 6 साल पढ़ा दिया वह नियमित नहीं है। आप उनका नियमितीकरण क्यों नहीं कर देते है। वह सिद्धहस्त हो गये हैं वह पढ़ाने में माहिर हो गये है। तो यह भी आप करने वाले नहीं हैं। आप उनकी नियमित नियुक्ति हेतु चुनाव (चयन) कराने हेतु उनके अनुभव पर वेटेज देंगे। अभी मंत्री जी लाइब्रेरी की बात कर रहे थे, जह जरूरी है। आज मैं देख रहा था एक मंत्री जी बोल रहे थे बड़े अच्छे आदमी लग रहे थे, मैं उनका नाम नहीं जान पा रहा हूं वह भी इसी तरह की बात कर रहे थे।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें।

श्री विश्वनाथ-

मान्यवर, अभी थोड़ा समय दे दें। कटौती प्रस्ताव है यह बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव नहीं है। अध्यापकों की संख्या निल हो गयी है। क्या पढ़ाई होगी। अभी एक वक्तव्य मैंने देखा था उसमें था कि यदि इम्तिहान के वक्त अध्यापक नहीं मानेंगे तो उनको किनारे करके सरकारी कर्मचारियों से काम ले लेंगे। आप करा लीजिये उनसे ड्यूटी। तो आप अध्यापकों की संख्या बढ़ाइये। प्राथमिक बजट पर नहीं बोलूंगा। क्योंकि वहां पर आपने शिक्षा मित्र को बिठा दिया है। किसी स्कूल में एक टीचर है, किसी में एक भी नहीं है। तो यह जो एक-दो-सात की स्थिति है, यही स्थिति कुछ माध्यामिक और जूनियर हाईस्कूल की है। यह कुछ अनुदान सूची में जूनियर हाईस्कूलों को लेने वाले हैं, वित्त विहीन स्कूलों को लेने वाले हैं।

मान्यवर, माध्यमिक का कह रहा हूं इन्टरमीडिएट कालेज, हाईस्कूल, जूनियर हाईस्कूल को लेने वाले हैं या नहीं यह आप साफ बता दीजियेगा जब जवाब दीजियेगा अभी नहीं, अभी हमको बोलने दें। श्रीमन्, यह वाचनालय लाइब्रेरी की बात कर रहे थे तीन तो आप काम कर देते, कम्प्यूटर उसी में लगवाते लाइब्रेरी पुस्तकालय आप बनवाते और पुस्तकों से उसको सम्पन्न कर देते, वाचनालय आप बनवा देते यह काम तो कर देते और हर स्कूलों को इमारत बनवाने के लिये बाउण्ड्री हाल बनाने के लिये और कामन हाल बनाने के लिये, इसके लिये पैसा तो दीजिये आप। और सारे स्कूलों को मान्यता दीजिये समान कीजिये और स्कूलों में नैतिकता, मानव मूल्य आदर्श की शिक्षा होनी चाहिये।

मानव को आदर्श चाहिये, संस्कृत आत्मोकर्ष चाहिये,
बाह्य विधान अगर है बन्धन, यदि न साम्य उनमें अन्तरम्
मूल्य न उनका चीटी के सम, ये हैं जड़ चीटी है चेतन।

मानव मूल्यों की स्थापना के लिये विद्यालयों को सम्पन्न बनाइये और मान्यता प्राप्त विद्यालयों पर खर्च को, कमीं को जुटाइये, यह आपका काम है, शिक्षा में समानता लाइये, शिक्षा को अनिवार्य करिये और ट्यूशन पर रोक लगाइये। तो गुणवत्ता बढ़ानी होगी तो इन सारी चीजों की मैटेरियल एक ही सप्लाई आपको लेनी होगी। अधिष्ठाता जी का ध्यान मेरी तरफ पूरा-पूरा है। नीरज की वह पंक्ति उद्धृत कर रहा हूं कि-

जलाओ दिये पर ध्यान रहे इतना,
अंधेरा धरा में कहीं रह न जाये।

तुम हमदर्द हो, नौजवान हो, बेहद अच्छे हो, खुबसूरत तो लगते हो, सीरत खराब न हो, तुम्हारी शोहरत बुरी न हो और शिक्षा की धार पूरे हिन्दोस्तान में जमें और यूपी पिछड़ा शिक्षा पिछड़ी, यूपी आगे शिक्षा आगे तो आगे बढ़ना है हिन्दोस्तान को आगे बढ़ना है तो उत्तर प्रदेश की शिक्षा को आपने दुरुस्त किया, एकरूपता कायम की तो हिन्दोस्तान में एकरूपता आयेगी और

बिना शिक्षा के एकरूपता, समता, गुणवत्ता, श्रेष्ठता, मानवीयता और अच्छा नागरिकता और अच्छी पीढ़ी मिलने वाली नहीं है। आज भारी मन से, बेहद आहत होकर के, आपसे निवेदन होकर, सहृदयता की उम्मीद के भरोसे कटौती प्रस्ताव रखता हूं।

*श्री आरिफ अनवर हाशमी-

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं कि कटौती प्रस्ताव पर बल देने के लिये आपने समय दिया। अभी माननीय शिक्षा मंत्री जी का बजट भाषण मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था, सारा सदन सुन रहा था मान्यवर, आप भी सुन रहे थे। बड़ी अच्छी-अच्छी बातें, बड़े अच्छे अन्दाज में, अधिकारियों ने जो बनाकर दे दिया मंत्री जी ने वही पढ़कर सदन को सुना दिया। उत्तर प्रदेश की 80 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है माध्यमिक शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण बजट जिसको माननीय मंत्री जी ने आज प्रस्तुत किया।

पहली बात तो उन माँओं को, उन बच्चों को, उन बहनों को, उन गांव वालों को इस बजट में माननीय मंत्री जी ने निराश कर दिया जो बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कि अबकी जब यह माध्यमिक शिक्षा का बजट पेश होगा, तो उसमें मंत्री जी कम से कम 500 या एक हजार माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान सूची पर लायेंगे जिससे उस मां की, उस बहन की, उसके परिवार की ईद, होली, दीवाली हो जायेगी। इसमें माननीय मंत्री जी ने पूरे सूबे को निराश किया, वह बहुत दिनों से टकटकी लगाये हुये थे, इस पर मैं यह शेर नज्र कर रहा हूं कि-

भूख के अहसास को शेर-ओ-सुखन तक ले चलो,
अब गजल को मुफलिसों की अंजुमन तक ले चलो,
जो गजल माशूक के जलवों से वाकिफ हो गयी, (सत्ता के दम्भ से)
अब उसे बेवा के माथे की शिकन तक ले चलो,
हमको नजमें जब्त की तालीम देना बाद में, (कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत न करो)
पहले रहबरी को आचरण तक ले चलो।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, उन गरीब लोगों को माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी ने बहुत निराश किया है, जो जमाने से टकटकी लगाये हुये थे कि आज माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी बहुत से स्कूल अनुदान सूची पर लायेंगे और उन गरीबों को तनख्वाह सरकारी खजाने से मिल जायेगी। मान्यवर, ऐसा नहीं हुआ। बड़ी तारीफ है, बड़ी अच्छी सरकार चल रही रही है, गरीबों को न्याय देने की बात कर रही है, बहुजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात कर रही है। लेकिन इसमें उन लोगों को निराशा हुयी। श्रीमन् करीब 12000 शिक्षकों के पद रिक्त हैं। काश, वह पढ़े लिखे लोग, जिन्होंने बड़ी मेहनत से गांव में रहकर के या शहर में रहकर के, बिजली आई नहीं आई, ढिबरी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जलाया, नहीं जली, मिट्टी का तेल मिला नहीं मिला, कैसे उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, डिग्री लपेटे हुये आज इस आशा में बैठे थे कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में भर्ती खोली जायेगी, तो मैं सम्मानित पद पर अध्यापक हो जाऊंगा। मान्यवर, यह एक ऐसी मूलभूत चीज है कि अगर उनको नौकरी दे दी जाती तो लाखों लोगों की बेरोजगारी दूर हो जाती। लेकिन माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी ने इस पर भी उदास किया और तो और उत्तर प्रदेश में लगभग 12-14 हजार शिक्षक हैं ? जिनको विनियमित नहीं किया गया है। माध्यमिक शिक्षा मंत्री के बजट भाषण में इस सम्बन्ध में कोई बात नहीं आई। श्रीमन् मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सहायता प्राप्त हाईस्कूल और इंटर कालेज जिनको आजादी के बाद गांव के लोगों ने बांस, फूस, छप्पर से तैयार किया, इस सदन में बड़ी तादाद ऐसी है जो गांव के गरीब उन पाठशालाओं से, विद्यालयों से पढ़कर इस सदन में पहुंचे हैं। आज जिनकी हालत बहुत खराब है, आज इस बजट में उन विद्यालयों की कोई बात नहीं की गई सरकार उनको कुछ सहायता देगी। भवन के लिये, उपकरणों के लिये या अन्य सुविधायें उपलब्ध करायेगी। असेवित क्षेत्रों में वर्ष 1994 में एस0पी0-बी0एस0पी0 गठबंधन की जब सरकार बनी थी तो यह कहा गया था कि असेवित विकास खण्डों में असेवित कन्या विद्यालय निजी प्रबन्ध तंत्रों के सहारे खोले जायेंगे। वह विद्यालय खोले गये, प्रबन्धकों ने अपनी भूमि दी और वह विद्यालय चल भी रहे हैं लेकिन उसमें सरकारी सहायता प्राप्त न होने से गांव की गरीब लड़कियां पढ़ती हैं मान्यवर, उनकी फीस भी बहुत कम है। जो उसमें अध्यापन कार्य कर रहे हैं कर्मचारी, उनकी तनख्वाह भी बहुत कम है। माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी ने ऐसी कोई व्यवस्था अपने बजट में नहीं की कि उन विद्यालयों को, जिनको आक्सीजन देने की जरूरत है। आपके साथ मैं काम कर चुका हूं, बड़ा पुराना रिश्ता है।

मुझे उच्च शिक्षा पर बोलने का आपने समय नहीं दिया था लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। असेवित क्षेत्रों के उन विद्यालयों की दशा बहुत खराब है, आप उस पर ध्यान दें आप वहीं पर अधिकारियों की एक टीम भेजें या स्वयं जायें, क्योंकि जिसमें पूंजी लगा दी गई है वह ठीक रहें। हाईस्कूल या इण्टर कालेजों की मान्यता धारा-9(4), पैरा 9(4) में मान्यता मिलती थी हाईकोर्ट में कोई रिट हो गई और पैरा 9(4) की मान्यता हाईकोर्ट के आदेशों से बन्द हो गई। 7-क-क के तहत् यह मान्यताएं वित्तविहीन दी जा रही थीं 1986 से। अब चूंकि ऐक्ट पुराना था वर्ष 1921 का एजूकेशन ऐक्ट था उसको चेंज करने के लिए राष्ट्रपति जी के यहां भेजा गया है, उसका क्या हुआ इसके बारे में मा0 मंत्री जी ने कुछ नहीं कहा है। मेरी समझ से पूरे उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में कई हजार हाईस्कूल और इण्टर कालेजों के मान्यता के प्रार्थना-पत्र क्षेत्रीय कार्यालयों में पेंडिंग है। जिन क्षेत्रों में इण्टर कालेज मान्यता प्राप्त नहीं हैं वह हाईस्कूल थे, यह था कि इनको इण्टरमीडिएट की मान्यता दी जायेगी, लेकिन न मिलने के कारण बच्चे शिक्षा से वंचित रह गये या कहीं दूरदराज जा करके शिक्षा ग्रहण की। इस पर आपने कोई प्रकाश नहीं डाला है। माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी ने यह कहा कि माध्यमिक शिक्षा विद्यालयों में कॉमनहॉल बनाया जायेगा,

जिन कालेजों में लड़कियां पढ़ती हैं उनके शौचालय के लिए। लेकिन यह स्पष्ट नहीं कि जो ऐड के स्कूल हैं उनमें मा0 मंत्री जी बनायेंगे या सभी जो मान्यता प्राप्त है उसमें बनायेंगे। श्रीमन्, जिस कालेज में लड़कियां पढ़ती हैं, वह चाहे सहायता प्राप्त हो या गैर सहायता प्राप्त हो, लड़कियां जिसमें पढ़ती हैं, उसमें ध्यान देना चाहिए। कम्प्यूटर शिक्षा की बात कही गई है, इस पर केन्द्र सरकार ने धन दिया और उत्तर प्रदेश सरकार को कुछ धन लगा करके इस योजना को सूबे में चालू कराना था। किन्तु अधिकारियों की उदासीनता के कारण यह कार्यक्रम सफल नहीं हो पाया यह केवल कागजी ही है।

मान्यवर, आज पूरे उत्तर प्रदेश के जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय का यह हाल है कि जो एडेड स्कूल हैं उनकी तनख्वाह बिना सुविधा शुल्क लिये नहीं दी जाती है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आपका बड़ा अनुभव है, बड़े खूबसूरत हैं, आप योग्य है इसलिए आप इस पर विशेष ध्यान दें। इसलिए इन सारी चीजों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। गुरूजी के कटौती प्रस्ताव पर बल देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

दनका दावा मुफलिसी का मोर्चा सर हो गया,
पर हकीकत है कि मौसम और बद्तर हो गया।

बहुत-बहुत शुक्रिया।

*ठाकुर सूरज पाल-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए आपको धन्यवाद। हमारी बहन मायावती जी के निर्देशन में और माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी के निर्देशन में जो बजट प्रस्तुत किया गया है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे शिक्षा मंत्री जी के द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है, इस बजट को बड़े दिलो-दिमाग से बनाया गया है और शिक्षा के क्षेत्र में जो बालिकाओं को महत्व दिया गया है, मैं बताना चाहता हूं कि नारी इस देश को पुरुष प्रधान देश मानती थी परन्तु मेरे हिसाब से अब यह नारी प्रधान प्रदेश और देश है। बालिकाओं की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए हमारी बहन जी के नेतृत्व में शिक्षा मंत्री जी ने असेवित विकास खण्डों में 30 नये बालिका विद्यालयों का प्रस्ताव किया है, यह बालिकाओं की शिक्षा एवं उनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। मैं बताना चाहता हूं कि माध्यमिक शिक्षा रोजगार पाने तक ही सीमित नहीं है। माध्यमिक शिक्षा को दो परिवारों को जोड़ने का भी श्रेय है। कोई भी परिवार जब अपनी बेटी की शादी के लिए लड़का देखने जाता है तो सबसे पहले उससे यही पूछा जाता है कि आपकी लड़की कितनी पढ़ी है ? कभी-कभी परिवार के मुखिया लोग झूठ बोल देते हैं कि इण्टर पास है लेकिन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जब हकीकत मालूम होती है तो सम्बन्ध विच्छेद हो जाता है। इसलिए इण्टर तक की शिक्षा बच्चियों को देने के लिए हमारे मा0 शिक्षा मंत्री जी ने 30 नये बालिका विद्यालयों का प्रस्ताव दिया है और 11 नये विद्यालयों का उच्चीकरण किया है, जो कि सराहनीय है।

श्री अधिष्ठाता-

अब आपका समय समाप्त हुआ।

ठाकुर सूरज पाल-

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। इस बजट पर बल देते हुए मैं बताना चाहता हूं कि जब भ्रष्टाचार की बात होती है तो मैं अपने क्षेत्र में चुनाव के समय घूमता था तो दसवीं और बारहवीं के बच्चे कहते थे कि ठाकुर साहब हम वोट मुलायम सिंह को ही देंगे, हमने पूछा कि भाई मुलायम सिंह को क्यों देंगे ? तो वह कहते थे कि वह हमें नकल कराते हैं, हमें पढ़ना नहीं पड़ता है, घर बैठे पास हो जाते हैं। मैं शिक्षा-मित्रों से भी जा करके मिला जिनका चयन शिक्षा-मित्र में नहीं हुआ था, तो वह कहने लगे कि नकल वाले लोग इसमें आ गये, पढ़ने वालों को कुछ नहीं मिला। तो मान्यवर, आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारे सामने बैठे भाईयों ने यह काम किया है जिससे जो मेधावी छात्र थे, वह कुंठित हो करके घर बैठ गये हैं और शिक्षा से उन्हें घृणा हो गयी है। हमारे प्रतिपक्ष के साथी जो कटौती की बात करते हैं। मैं बताना चाहूंगा, कबीर दास जी ने कहा है कि-

बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय,
जो दिल खोजा आपनो, मुझ सा बुरा न होय।।

इन्हीं शब्दों साथ मैं माध्यमिक शिक्षा के बजट पर बल देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं और माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान फतेहपुर सीकरी की तरफ, जो राजस्थान की सीमा से लगा हुआ, दिलाना चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री इकबाल महमूद-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता-

बजट भाषण में व्यवस्था का प्रश्न कहां से आ गया ?

श्री इकबाल महमूद-

मान्यवर, यहां पर हर दल की सीटों का अरेन्जमेंट किया गया है। ऐसी व्यवस्था की कर दी जाए कि महिलाओं के लिए अलग से सीटों का आरक्षण कर दिया जाए क्योंकि कभी-कभी परेशानी होती है और समझ में नहीं आता कि यह महिला बोल रही है या पुरुष बोल रहे हैं।

श्री रंगनाथ मिश्र-

हमारे समाजवादी पार्टी के सदस्य ने बहुत गम्भीर आरोप लगा दिया। मैं यह चाहता हूं कि अगर इनको कोई शंका है तो बगल में लॉबी में जाकर इसका परीक्षण कर लें।

*श्री छत्रपाल सिंह-

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय विश्वनाथ सिंह जी के कटौती प्रस्ताव पर बल देते हुए मैं अपनी बात को रखना चाहता हूं। ठाकुर साहब की यह बात सही है कि सपा शासन काल में जिस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था की दुर्दशा की गई मुख्य रूप से कालेज की शिक्षा व्यवस्था और स्वकेन्द्र की व्यवस्था। जो पिछली सरकार द्वारा स्वकेन्द्र की व्यवस्था की गई उसके कारण शिक्षा की दुर्दशा हुई ठाकुर साहब की इस बात में सच्चाई का अंश है मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं। परन्तु मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं। आज जो वर्तमान में हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो बात अभी रखी थी कि हम अपनी परीक्षा में पवित्रता को बनाए रखेंगे और परीक्षा में पवित्रता बनाए रखने के लिए वह स्वकेन्द्र की व्यवस्था समाप्त करेंगे इसके लिए मैं शिक्षा मंत्री को धन्यवाद देता हूं। परन्तु इतना भी बता देता हूं कि कम से कम बाकी जिलों में क्या हो रहा है मुझे इसकी तो जानकारी नहीं है लेकिन अपने जिले की संज्ञान में है ? कम से कम अपने विधान सभा की बात संज्ञान में है। जितने केन्द्रों का निर्धारण हुआ है वहां पर 50 हजार से लेकर एक लाख रुपए कलीम बाबू ने लिए वह जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पिछले चार-पांच साल से चला रहे हैं और पिछले चार-पांच वर्षों से 50 हजार से एक लाख रुपए लेकर केन्द्र का निर्धारण होता है। अभी भी कर रहे हैं वह नहीं बदला है सरकार जरूर बदल गई। केन्द्रों में केन्द्र व्यवस्थापक तय करने में भी पैसा चला। मैं इण्टर कालेज में लेक्चरर हूं उस कालेज का इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि वहां विधायक भाजपा का है इसलिए उस केन्द्र को नहीं बनाया मैंने जिला विद्यालय निरीक्षक और ज्वाइन्ट डायरेक्टर से बात की कि आखिर इसका क्या कारण है ? एक तहसील केन्द्र का कालेज जिसमें ढाई हजार से तीन हजार विद्यार्थी पढ़ता है ब्लाक केन्द्र जिसमें ढाई से तीन हजार बच्चे पढ़ते हैं उन कालेजों में जिसमें बिल्डिंग सुन्दर है, मान्यता प्राप्त है पुराना रिकार्ड खराब नहीं है परीक्षा के सम्बन्ध में आखिर क्यों वहां परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया ? मैं मंत्री से मिला था लेकिन मैंने इस सम्बन्ध में उनसे बात नहीं की वह सोचते आखिर क्यों सेन्टर बनवाना चाहते इसलिए मैंने उनसे इस सम्बन्ध में बात नहीं की। छोटे-छोटे स्कूलों को सेन्टर बनाया जिनकी ब्रांचे तहसील भर में फैली है ऐसे स्कूलों को सेन्टर बनाया गया आगे भी यह सेन्टर बनेंगे रोका नहीं जा सकता है। वहां कौन व्यवस्थापक बनकर आता है दस हजार व बीस हजार देकर वह विद्यालय जो अपने सेन्टर की व्यवस्था करवा लिए है वह पैसा देते हैं यही स्थिति पीलीभीत जनपद की है यही स्थिति बरेली की है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आज शिक्षकों पर अविश्वास किया जा रहा है कि वह नकल कराते हैं, माफियागिरी कर रहे हैं शिक्षकों पर अविश्वास करने के बाद शिक्षा की पवित्रता को बचाए नहीं रख सकते हैं। कारण यह है कि वही तो कक्षा में रहने वाले हैं वहीं तो आज शिक्षा को बचाए हुए हैं। आज विद्यालयों में थोड़े तो अध्यापक मात्र रह गए हैं जो पुराने चले आ रहे हैं। वरना शिक्षक अभिभावक संघ द्वारा जितने अध्यापक नौकर रखे गए हैं वह जैसे तैसे चलाते हैं एक-डेढ़, हजार रुपया महीने उनको मिलते हैं उनके माध्यम से विद्यालय चल रहे हैं और वह क्या शिक्षा को पवित्र रखेगा, यह कहा नहीं जा सकता है ? मान्यवर, मैंने कुछ बातें आपके संज्ञान में डाली हैं। मान्यवर, मेरे कालेज को 1977 में इन्टरमीडिएट की मान्यता मिली और उसमें अंग्रेजी का प्रवक्ता आज 28-30 साल होने को आ रहे हैं, आज तक नहीं आ पाया। आखिर क्या कारण हो सकता है ? आखिर दूर दराज गांव से चलकर वहां शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चे, जिनके लिये और कोई कालेज नहीं है, क्या शिक्षा ग्रहण करेंगे ? कैसे आप शिक्षा की गुणवत्ता को बनायेंगे, यह समझ में नहीं आता। हमारे विद्यालय को विज्ञान की मान्यता मिली। यह आम स्थिति है, किसी एक जगह की नहीं है। 1980-82 में हमारे यहां विज्ञान की मान्यता मिली लेकिन आज तक एक भी अध्यापक गणित और विज्ञान का नहीं दिया गया। आप शिक्षा की गुणवत्ता की बात करते हैं लेकिन आज यह स्थिति एक जगह की नहीं है पूरे प्रदेश का यही हाल है। इसके बहुत से कारण हैं। आपकी सारी व्यवस्थाएं नीचे से ऊपर तक की सब खराब है। अध्यापकों को लाने, शिक्षा में फाइल को आगे बढ़ाने के लिये क्या चलता है ? यह पिछली सरकार के समय से चला आ रहा है और यह जो 8-9 महीने से आपकी सरकार चल रही है, उसमें भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, उसमें भी यही लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें।

श्री छत्रपाल सिंह-

मान्यवर, आपने एक बात कही कि पाठ्य पुस्तकों को बदला जा रहा है। मान्यवर, किताबें क्यों बदलवाई जाती है ? साल दो साल एक किताब चलती है लेकिन अगले सत्र के लिये नई पुस्तकें आ जाती हैं। प्रकाशक उसके लिये बड़ी मात्रा में धन व्यय करते हैं। मैं आपकी अनुमति से बहुत संक्षेप में अपनी बात रख रहा हूं। मान्यवर, यह जो नकल विहीन परीक्षा कराने का संकल्प आपने लिया है। मैं कहना चाहता हूं कि आप नकलविहीन परीक्षा करवायें लेकिन इसके लिये आपको अध्यापकों पर विश्वास करना चाहिए। उनके ऊपर अविश्वास की बात नहीं आनी चाहिए। जब आप उनको विश्वास में लेंगे तब ही यह काम हो सकता है। शिक्षक और अभिभावक संघ के माध्यम से शिक्षक रखे गये हैं। मैं समझता हूं कि हमारा जो माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड है उसके माध्यम से आप शिक्षकों का चयन करें। बड़ी मात्रा में बेरोजगार पड़े हैं जो बी0एड0 और

एम0एड0 करके खाली बैठे हैं यदि आप उनको नियुक्त करके भेजेंगे तो शायद माध्यमिक शिक्षा का स्तर सुधरेगा। मान्यवर, हमारे विद्यालयों में जो बच्चे पढ़ने के लिये आते हैं वे 14-18 वर्ष के बीच रहते हैं और ऐसी उम्र के बच्चे को राष्ट्र और समाज से जोड़ा जा सकता है परन्तु जब उनको विद्यालय में पढ़ाने वाले नहीं हैं, शिक्षा देने वाले नहीं हैं तो आखिर कौन उनको दिशा देगा। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मैं इस विषय को आपके संज्ञान में लाया हूं, आशा है आप इस पर गौर करेंगे। ऐसी स्थिति एक जनपद में नहीं अनेकों जनपदों में है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

डा0 अनिल चौधरी-

माननीय अधिष्ठाता जी, आपके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने मुझे इस कटौती प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेने हेतु समय दिया। आज सुबह की शुरुआत हिन्दुस्तान अखबार में फ्रंट पेज में एक खबर पढ़ने से हुई और समाचार यह था कि माध्यमिक परिषद् की जो बोर्ड की परीक्षाएं होने जा रही हैं उसमें जो प्रैक्टिकल परीक्षा बच्चों की होनी चाहिए उसमें जो लेन देन चल रहा है और किस तरह से सेटिंग से उसमें ऐसे लोगों को परीक्षक बनाकर भेजा जा रहा है जो उसकी योग्यता नहीं रखते और विगत कई वर्षों से वही जा रहे हैं और साथ ही यह भी कि जो प्रैक्टिकल की परीक्षाएं 22 फरवरी तक समाप्त हो जानी चाहिए थी वह आज भी हो रही है। आज तक चल रही है उसके लिए छात्र-छात्राओं से पैसा वसूला जा रहा है। परीक्षक जी को खुश कर दिया जाए। इससे पहले भी इस तरह की सूचनाएं मिलती रही हैं मान्यवर, दो तीन बातें मैं अपने क्षेत्र के आसपास के जिलों से सम्बन्धित करूंगा। मथुरा जनपद में सराय दऊद गांव बल्देव ब्लाक में है वहां एक इण्टर कालेज है और उस इण्टर कालेज को सन् 1973 से मान्यता प्राप्त है कतिपय विवाद की वजह से, मैनेजमेंट के विवाद की वजह से उसकी मान्यता बीच में ही समाप्त हो गई। उसमें शिक्षक मान्यता प्राप्त होने के बाद से और वित्त सहित मान्यता मिलने के बाद से कार्यरत है। मान्यवर, 2003 में यह आदेश भी हो गया बोर्ड का कि इसको पुनः मान्यता दी जाती है। शिक्षकों को वेतन मिल रहा है, कर्मचारियों को वेतन मिल रहा है लेकिन इण्टर की कक्षाएं स्टार्ट करने की अनुमति विगत चार वर्षों से नहीं मिली है। सरकार का पैसा भी खर्च हो रहा है मैं लिखकर आपको दे रहा हूं। इसी तरह से एक और पत्र है हमारे साथी सत्येन्द्र सोलंकी जी ने दिया है यह दो शिक्षक हैं श्री महीपाल सिंह और श्री हरीपाल सिंह, यह 2000 से रिटायर हैं आपके डायरेक्टर जो हैं वह पत्रावली पिछले सात साल से मंगा रहे हैं लेकिन मेरठ के डी0आई0ओ0एस0 उसे नहीं भेज रहे हैं इन सभी चीजों का उल्लेख करने के पीछे जो मेरा उद्देश्य है वह यह है कि पिछले हफ्ते हम जैसे लोगों को बड़ी खुशी हुई।

हमारे माननीय मंत्री जी बड़ी क्रान्तिकारी मुद्रा में नजर आये और हमें लगा कि यह जो बाबूगीरी का सिस्टम है इसका सबसे ज्यादा प्रभाव माध्यमिक शिक्षा पर पड़ रहा है। बाबू के आगे

किसी अधिकारी की नहीं चलती है वह जो चाहेगा वह करेगा। जो जवाब चाहेगा वह देगा। हमें पिछले हफ्ते यह महसूस हुआ कि कोई क्रान्तिकारी माध्यमिक शिक्षा मंत्री हमारे बीच में अवतरित हुए हैं। इनकी नीयत साफ है और यह शायद इस कुचक्र को तोड़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन दो दिन बाद ही, अखबार से ही पढ़कर जानकारी मिलती है अन्दर की जानकारी हमें नहीं है। दो दिन बाद ही जो सामने आया उससे निराशा ही हाथ लगी। मैं अपेक्षा करूंगा बाकी सारी चीजें ठीक हैं आप जो कुछ भी अपने फंड्स के अन्दर, सरकार की जो आर्थिक क्षमता है उसके अन्दर जो करें सब बढ़िया है लेकिन अगर आप इस बाबूगीरी को तोड़ दें तो इस सूबे की आने वाली पीढ़ी के जो नौनिहाल हैं उस पर बड़ा उपकार होगा। इसका कारण तीन तरह से स्कूल माध्यमिक शिक्षा परिषद् के अधीन कार्य कर रहे हैं पहले वह जो राजकीय इण्टर कालेज हैं उसके हालात आपके सामने में हैं पूरे सूबे में सौ सवा सौ स्कूल हैं। कितने हिस्से को वह शिक्षा दे पायेंगे। दूसरे वह हैं जो वित्त सहित हमारी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थायें हैं और तीसरा तबका है वित्तविहीन जिसके पास मान्यता है। वित्त विहीन वालों की दुकानें खोल दी गई हैं 20-20 लाख रुपया सरकार ने इनको स्कूल बनाने के लिये दे दिया उससे मैं नहीं समझता कि सूबे के कुछ गरीब बच्चों का भला होने जा रहा है। हां हमारे पुरखों ने आज से 50-60 साल पहले घड़ी भर शब्द शायद आप समझतें होंगे एक मन में आठ घड़ी हुआ करते हैं इस तरह से चन्दा करके एक बीघा पर एक घड़ी अनाज हर वर्ष दिया जायेगा। इस तरह से चन्दा करके बहुत बड़ी-बड़ी संस्थायें बनाकर खड़ी कर दी। बड़ौत का जार कालेज खड़ा कर दिया, बड़ौत का जैन कालेज खड़ा कर दिया हमारे सादाबाद का सादाबाद इण्टर कालेज खड़ा कर दिया। बिसावर का एस0 बी0 जे0 इण्टर कालेज है आज भी उसके अन्दर दो-ढाई सौ कमरे हैं और कम से कम 50-60 एकड़ जमीन है। चाहरवाटी इण्टर कालेज आगरा का है, बेरागढ़ का महात्मा दूधाधारी इण्टर कालेज है, अहीर कालेज शिकोहाबाद इण्टर कालेज और डिग्री कालेज वह हमारे उन गरीब पुरखों ने पांच-पांच किलो अनाज एक-एक बीघे पर चन्दा करके खड़ा किया है और उसके पीछे उनका बहुत गहन उद्देश्य था कि हमारे बच्चे पढ़ जायेंगे तो हमारी भी कुछ तरक्की हो जायेगी और आज उनमें मेरा मानना है कि लगभग 80 फीसदी संस्थाएं मैनेजमेंट के झगड़ों में उलझी हुई हैं और मंत्री जी, इनको उलझाने वाले वही लोग हैं, जिनके खिलाफ पिछले हफ्ते आपने शुरुआत करने की कोशिश की थी और यह बात स्पष्ट है कि उन संस्थाओं को लूटकर खाने का कुचक्र न तो हमारे समाज का कोई आदमी कर रहा है, न तो कोई शिक्षक कर रहा है, जो पढ़ाने का काम करता है। इस सारे कुचक्र के पीछे बाबू है। एक मैनेजमेंट को ले आए, एक बाबू जी ने अधिकारी को पैसा दिला दिया, उससे बात करा दी, मेरे सामने इस तरह की नजीरें हैं, हमारे यहां तसीमा में इण्टर कालेज है और कर्ण सिंह इण्टर कालेज, मैनेजमेंट का झगड़ा 8-9 साल चला और दोनों पक्षों ने उतना पैसा खर्च कर दिया, जितने में 2-3 और नई संस्थाएं खड़ी हो जाती, बाबू लोगों के कुचक्र के कारण। यह हमारी जो पुरानी संस्थाएं हैं, उनको बर्बाद करने का काम हो रहा है। मैं आपसे यह अनुरोध जरूर करूंगा कि जो मैनेजमेंट विवादित नहीं हैं, कम से कम उनके सारे कागजात मंगाकर

अपने पास कम्प्यूटराइज्ड कर लें कि इन संस्थाओं के क्या-क्या नार्म्स हैं, क्या-क्या बाइलाज हैं, कौन-कौन इनके प्राथमिक सदस्य हैं, जिससे उन संस्थाओं में आगे इस प्रकार के विवाद न हों। और जो पुरानी संस्थाएं जिनमें विवाद है, उनके लिये आप कन्ट्रोलर नियुक्त कर दें लेकिन वह कन्ट्रोलर किसी भी दशा में शिक्षा विभाग का अधिकारी न हो और कोई राजस्व विभाग का अधिकारी न हो। वह अधिकारी या तो किसी अन्य महकमे का हो या कोई जुडीशियल अफसर नियुक्त करेंगे तो हम समझते हैं कि तब हम इन संस्थाओं को बचा पाने में कामयाब होंगे। मेरी पीड़ा और चिन्ता से आप सहमत भी होंगे कि यह बाबू-तंत्र समाप्त होना चाहिए। जिन बच्चों की प्रैक्टिकल परीक्षाएं होने जा रही हैं, उसमें पारदर्शिता लायें। उस सूची में यह भी छपा हुआ है कि किस-किस परीक्षक का कितना रेट है, किस-किस परीक्षक को सदैव परीक्षक बनाया जाता रहा है, उनमें से कौन-कौन ऐसे हैं जो उसके लिये योग्यता ही धारित नहीं करते। मैं इन्हीं बातों के साथ कटौती प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

श्री सत्य नारायण जैसल-

मान्यवर, देश की सबसे बड़ी इस विधान सभा में बोलने का आपने मुझे मौका दिया, इसके लिये हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। अनुदान संख्या-72 पर मा0 माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने जो बजट भाषण प्रस्तुत किया है, उसके समर्थन में बोलने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं इस पूरे सदन को बताना चाहता हूं कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष का बजट 8 प्रतिशत ज्यादा रखा गया है, निश्चित रूप से यह सराहनीय कदम मा0 मंत्री जी का है। इस देश की सामाजिक व्यवस्था में जहां स्त्रियों और शूद्रों को पढ़ने-लिखने का अधिकार नहीं था, 1848 में सामाजिक क्रान्ति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा राव फूले साहब ने स्त्रियों और शूद्रों के लिये शिक्षा का दरवाजा खोला। बाबा साहेब डा0 अम्बेडकर, जिनका यह मत था शिक्षा रूपी कुल्हाड़ी, अज्ञानता रूपी वृक्ष को धीरे-धीरे काटती है लेकिन जड़ से काटती है, उस परम्परा के पोषक बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी जिनके कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार चल रही है, मा0 शिक्षा मंत्री जी ने बड़े अच्छे ढंग का बजट प्रस्तुत किया है, इस वर्ष में 30 राजकीय विद्यालय असेवित ब्लाकों में खोलने तथा 30 विद्यालयों को अतिरिक्त तौर पर ब्लाकों में खोलने और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को इण्टर कालेज बनाने का कार्य निश्चित रूप से सराहनीय है। कम्प्यूटर शिक्षा बिना शुल्क के दिलाये जाने का प्रबन्ध, विद्यालयों में कम्प्यूटर की आपूर्ति निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रान्ति होगी। इस सदन के माध्यम से मैं यह कहना चाहूंगा कि इस बजट में मा0 शिक्षा मंत्री जी ने राज्य मुक्त विद्यालय परिषद् की स्थापना कर एवं स्वकेन्द्र परीक्षा प्रणाली को समाप्त कर, वास्य केन्द्रों पर परीक्षा की जो व्यवस्था की है, निश्चित रूप से छात्रों को आत्मनिर्भर बनने का, अपने ऊपर भरोसा करने का उन्हें मौका मिलेगा। पूर्व की सरकार में जहां स्वकेन्द्र प्रणाली रखी गयी थी, पढ़ने-पढ़ाने की आदत नहीं डाली छात्रों ने अच्छी मेरिट नकल के जरिए प्राप्त करके मेहनती छात्रों को पीछे किया।

मान्यवर, खासतौर से अध्यापकों के लिये जो विशिष्ट बी0टी0सी0 रखे गये उसमें ज्यादातर नकल से चयनित हुये थे। इससे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य निश्चित रूप से अंधकार में गया था। मान्यवर, स्वकेन्द्र प्रणाली की जगह वाह्य केन्द्र प्रणाली करके निश्चित रूप से सराहनीय कार्य किया गया है। यद्यपि केन्द्र सरकार 14 साल तक के बच्चों को अनिवार्य और निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था सही ढंग से नहीं कर सकी जिसका खामियाजा पूरे देश के नौनिहालों को भुगताना पड़ रहा है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि पूर्व की सरकार में गाना गाने वाले ऐसे व्यक्ति को यश भारती पुरस्कार दिया गया था जिसका यह कहना था कि पढ़ाई बंद करके बकरी चराने का काम करो। उसे 5 लाख रुपये का पुरस्कार दिया गया था। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि स्वकेन्द्र खत्म करके जो वाह्य केन्द्र रखा गया है इससे निश्चित रूप से छात्र-छात्राओं का आत्मबल बढ़ेगा और मैं बजट का समर्थन करते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती कृष्णाराज-

मान्यवर, आपने मुझे श्री विश्वनाथ जी के कटौती प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभार प्रकट करती हूं। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने दिनांक 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-72-शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 25,52,63,66,000 रुपये के बजट की मांग की है। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बड़ी कुशलता के साथ इस महत्वपूर्ण बजट को हम सबके समक्ष प्रस्तुत किया। मान्यवर, मैं बड़ी देर से इस बजट के बारे में सोच रही थी कि इतने संवेदनशील वह व्यक्ति आज इतने संवेदनहीन कैसे हो गये ? इसके पीछे मुझे बस एक ही कहावत याद आती है कि-संगत से गुड़ होत है,संगत से गुड़ जाये। निश्चित बात है कि माननीय मंत्री जी अपने विभाग के प्रति, समाज के प्रति और 14 से 18 साल के उन बालक-बालिकाओं के प्रति संवेदनशील रहे होंगे कारण मैं नहीं जानती कि यह बजट इस तरह से प्रस्तुत कैसे किया ? मान्यवर, शिक्षा हम सभी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अनेकों विचारकों ने शिक्षा के विहीन मनुष्य को पशु की संज्ञा दी है। फिर भी मैं इस सरकार से निवेदन करना चाहूंगी कि इतने महत्वपूर्ण बजट पर इतनी अनियमितता, इतनी विषमता क्यों है ?

संसदीय कार्य वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

क्या विषमता है ? बताइये।

श्रीमती कृष्णाराज-

विषमता है। बताती हूं। मान्यवर, प्रदेश के जनपदवार विषमता है, प्रदेश के विकास खण्डवार विषमता है। मान्यवर, जो विकसित देश है उनसे हमको सीख लेना चाहिए। जिन्होंने रक्षा से भी ज्यादा शिक्षा पर व्यय किया है। माननीय मंत्री जी ध्यान से सुने। हम सभी ऐसे देश और प्रदेश के निवासी हैं जहां किताबी शिक्षा महत्वपूर्ण नहीं होती है अपनी परम्परा, अपनी मर्यादा और

अपनी संस्कृति को कैसे सुरक्षित रखें इसके लिए भी ध्यान देना होता है। मान्यवर, जब-जब शिक्षा पर गौर नहीं किया गया, उदासीनता बरती गयी, तब-तब परम्परा बदली। जब-जब हमारा साहित्य बदला तब-तब हमारी संस्कृति बदली है। मान्यवर, अभी आपने देखा कि उन महान विभूतियों को आतंकवादी बता रहे थे, तो इससे क्या संदेश जायेगा ? यह नहीं किताबी भाषा पढ़ ली लेकिन व्यवहार में हम ऐसी शिक्षा दे रहे हैं कि इसके निमित्त बार-बार मा0 सदस्य कह रहे हैं कि इसमें गिरावट आयी है, भ्रष्टाचार है, तो कौन इसको दूर करेगा। विशेषकर सत्ता जिसके पास होती है, उसकी यह जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी शिक्षा की व्यवस्था करें जिसमें हमारे छोटे-छोटे बालक बालिकायें जिनका पूरा विकास इसी आयु में होता है, जिनकी दिशा इसी समय तय होती है, 6 से 12 तक में जिसका चरित्र का निर्माण होता है। हमारे इस बजट में यह भी बताया गया है कि सोलह करोड़ इक्सठ लाख सत्तानवे हजार नौ सौ इक्कीस आबादी है। साक्षरता का प्रतिशत है इस प्रदेश का 56.3 प्रतिशत जिसमें महिलाओं का बहुत कम है। माननीय अध्यक्ष जी, आज भी कन्याओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। मैं उदाहरण देना चाहूंगी लखीमपुर खीरी का जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है और विद्यालय वहां पर 54 हैं तो क्या नाइंसाफी है इसके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे। मान्यवर, जब हमारे जीवन में शिक्षा महत्वपूर्ण है तो क्यों न न्याय पंचायत स्तर पर एक कन्या विद्यालय खोल दें ? मैं यह बताना चाहती हूं कि आपने कहीं भी ऐसा उल्लेख बजट में नहीं किया है कि जो हमारी सरकारी स्कूल हैं, क्या कारण है वहां से पलायन करके निजीकरण वाले विद्यालय में जाना चाह रहे हैं। इस मंहगाई के जमाने में हमारे शिक्षकगण इतनी मेहनत करते हैं तो क्या कारण है कि शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, उनके वेतन में वृद्धि होनी चाहिए। इस भौतिक युग में उनकी व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए, इस ओर भी आपका ध्यान जाना चाहिए। दूसरी बात जितने भी भवन विहीन विद्यालय हैं उनके लिए जो आपने धन आवंटित किया है प्राविधान किया है वह मैं समझती हूं कि पर्याप्त नहीं है। विगत कई वर्षों से हमारे विधान सभा क्षेत्र के मोहम्मदी विकास खण्ड में एक विद्यालय चल रहा है जो भवन विहीन है। ऐसे ही अनेक जगहों पर होगा तो इसमें ध्यान दें, क्योंकि मैं पहले भी बता चुकी हूं कि शिक्षा महत्वपूर्ण है तो सभी विभागों का बजट काट कर के जैसा कि अन्य विकसित देशों में ऐसा होता आया है हो रहा है वैसा ही प्राविधान हमारे इस प्रदेश में भी होना चाहिए।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, अभी बेसिक शिक्षा भी है।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया समाप्त करें।

श्रीमती कृष्णा राज-

मेरा यह आग्रह है कि आप मेरे सुझावों को लिखें और वरीयता से ध्यान दें। इसी के साथ आपकी आज्ञा का पालन करते हुए कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करती हूं।

श्री आर0 ए0 उस्मानी-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिए बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मान्यवर, आज जब माननीय शिक्षा मंत्री जी अपना बजट प्रस्तुत कर रहे थे तो मैं यह सोच रहा था कि शायद लखनऊ मण्डल और कानपुर मण्डल के लोगों को कोई बहुत बड़ा तोहफा मिलने वाला है जिसकी मैं कई बार डिमाण्ड कर चुका हूं कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश का कार्यालय लखनऊ राजधानी में न होकर के इलाहाबाद में है उसका कार्यालय और बरेली मण्डल के लोगों के लिए बरेली में क्षेत्रीय कार्यालय खोल दिया गया, मेरठ मण्डल के लोगों की सुविधा के लिये मेरठ में क्षेत्रीय कार्यालय खोल दिया गया, वाराणसी में इलाहाबाद के पड़ोस में ही क्षेत्रीय कार्यालय इसलिए नहीं खोला जा रहा है कि जितने भी माध्यमिक विद्यालयों की मान्यता के प्रकरण इलाहाबाद जाते हैं वहां के अधिकारी और कर्मचारी उनको लूटने का काम करते हैं, बिना सुविधा शुल्क लिये कोई मान्यता नहीं देते हैं। अगर लखनऊ में माध्यमिक शिक्षा परिषद् का क्षेत्रीय कार्यालय बन जायेगा तो सम्मानित माननीय विधायक चाहे इस पक्ष के हों, चाहे उस पक्ष के हों वह तुरन्त गाड़ी से वहां पहुंच जायेंगे, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार बंद हो जायेगा, इसलिए उस क्षेत्रीय कार्यालय को लखनऊ में बनाने का काम नहीं किया गया। चाहे जितने करोड़ रुपया आप खर्च कर दीजिए, जब विद्यालय को मान्यता ही नहीं मिलेगी, तो शिक्षा कैसे आगे बढ़ेगी। जब हमारे बहन और भाई और बेटे हाई स्कूल इण्टर नहीं पास होंगे, उनको मान्यता ही नहीं मिलेगी तो कैसे शिक्षा आगे बढ़ेगी। आपके असेंबित विकास खण्ड योजना के अन्तर्गत इण्टर मीडिएट कालेज हाई स्कूल कालेज खोलने का प्राविधान है, जिन हाईस्कूल और इण्टर कालेजों को असेंबित विकास खण्ड योजना के अन्तर्गत अनुदान दिया जाता है, शासनादेश में मान्यवर उल्लिखित है कि उनको पहली किस्त खर्च करने के बाद मान्यता लेनी होगी और मान्यता के बाद दूसरी किस्त दी जायेगी। मैं पूछना चाहता हूं कि विगत दो-तीन सालों से जिनको पहली किस्त दे दी गई है मैं उदाहरण दे रहा हूं जानकी देवी कन्या इण्टर कालेज बांकेगंज जिला खीरी में बन गया, पहली किस्त का पूरा उपभोग हो गया लेकिन उस विद्यालय को अभी तक मान्यता नहीं मिली। इसी तरीके से जो इनका चेकिंग स्टाफ, सचल दल जाता है उसका नेतृत्व बेसिक शिक्षा अधिकारी या डी0आई0एस0ओ0 रैंक का आदमी उसका नेतृत्व कर सकता है लेकिन जिन जिलों में एस0डी0आई0 सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों को सचल दल का नेतृत्व करने के लिए भेज दिया जाता है और वह लोग वहां पर जा करके भ्रष्टाचार को पनपाने का काम करते हैं, जो अच्छे विद्यालय उनको पैसे नहीं देते हैं उनके खिलाफ फर्जी लिखा-पढ़ी की जाती है। इसी तरीके से जो राजकीय विद्यालय 20 खोलने का प्राविधान किया गया है यह बहुत कम है। तमाम स्कूलों को खोलने की जरूरत है। एक हजार स्कूल भी उत्तर प्रदेश में खोल दिये जायें तब भी कम है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब उर्दू टीचरों की बी0टी0सी0 के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने रोक लगाई थी तब उसके लिए सरकार ने पैरवी की और उनको बहाल किया गया, उनको बी0टी0सी0 की ट्रेनिंग दी जायेगी लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि धारा-9(4) के ऊपर माननीय उच्च न्यायालय ने रोक लगाई, यह रोक तो नहीं

लगाई कि आप किसी को मान्यता न दें, आप उसकी पैरवी करते हाई कोर्ट में जाकर के और जब आपने ही प्राविधान किया है कि असेवित विकास खण्डों के कालेजों को धारा-9(4) के अन्तर्गत मान्यता दी जायेगी तो 9(4) की मान्यता जब बंद है तो उनको दूसरे नियमों के अन्तर्गत मान्यता देनी चाहिए और उनको अभी तक मान्यता नहीं मिली है और तो और है, जनपद लखीमपुर खीरी की नगर पंचायत सिंगारी के राजा प्रताप इण्टर कालेज, राम चन्द्र शाह हाईस्कूल जहां लड़कियों का परीक्षा केन्द्र 18 किलोमीटर दूर बनाया गया है।

(इस समय 5 दजकर 20 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

मान्यवर, यह तो यहां सदन में बता दिया जाता है कि 5-6 किलोमीटर से दूर नहीं बनाया गया है। मान्यवर, जगह-जगह तमाम परीक्षा केन्द्र दूर-दूर बनाये गये हैं। आप समझ सकते हैं कि लड़कियों की क्या दशा होगी जब वह 20-25 किलोमीटर दूर परीक्षा देने हेतु जायेंगी। मैं चाहता हूं कि हाईस्कूल और इण्टर के परीक्षा केन्द्र समीप में बनाये जायें। मान्यवर, कल हाउस में यौन शोषण की बात हो रही थी तो क्या इस तरह की परीक्षा केन्द्र की जो पद्धति है क्या उससे प्रभावित नहीं होती है। आपने स्वकेन्द्र प्रणाली बन्द कर दी। अगर वह शुरू की होती तो लाखों लोग आपको दुआ देते। लड़कियों के मामले में यह बहुत जरूरी है। आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया इसके लिए बहुत धन्यवाद।

श्री संजय कपूर-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझ श्री विश्वनाथ जी के कटौती प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। मान्यवर, यह माध्यमिक शिक्षा विभाग का बजट बहुत महत्वपूर्ण बजट है जैसे इंसान के शरीर में रक्त, हड्डी आदि की अहमियत होती है उसी तरह से जिन्दगी में माध्यमिक शिक्षा की अहमियत है। मान्यवर, जितने भी विकसित देश हैं वहां पर इण्टर तक की शिक्षा फ्री है। उन देशों में बहुत बड़ा वर्ग आपको पढ़ा लिखा मिलेगा उन देशों ने अपने यहां पर तरक्की की है। मान्यवर, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात कहने वाली बहन मायावती जी से मैं कहना चाहता हूं कि आपको आज सर्वजन पढ़ाई की बात भी करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के बच्चे अगर नहीं पढ़ेंगे, तो तरक्की नहीं कर पायेंगे। मान्यवर, देश और प्रदेश की तरक्की में शिक्षा की बहुत बड़ी भूमिका है। माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत करते समय बहुत ही कायदे से आपनी बात सदन में रखी है। उन्होंने 30 माध्यमिक बालिका विद्यालय खोलने की बात कही है। मान्यवर, इन 30 की जगह यदि आप 300 राजकीय माध्यमिक विद्यालय खोलने की बात करते तो मैं आपका जरूर समर्थन करता। आप बता रहे थे कि एक करोड़ विद्यार्थी हैं और 17 करोड़ की आबादी है। मान्यवर, आज स्थिति क्या है प्रदेश में, कहीं-कहीं पर 10-10 किलोमीटर तक विद्यालय नहीं हैं। बालक तो वहां चले जाते हैं लेकिन बालिकायें नहीं जा पाती हैं। तो शिक्षा उन्हें कैसे मिलेगी। 9-10 कक्षा की लड़की को मां बाप घर के आस-पास तो शिक्षा के लिये भेज सकते हैं लेकिन 10-15 किलोमीटर दूर नहीं भेज पाते हैं। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये बहुत जरूरी है कि जो यह 30

विद्यालय का लक्ष्य है इसे बढ़ाकर 300 कर दिया जाये। मान्यवर, बहुत से ब्लाक ऐसे हैं जो असेवित ब्लाक हैं। अगर आप उन्हें राजकीय विद्यालय नहीं दे पा रहे हैं तो वहां पर आप प्राइवेट विद्यालयों को मान्यता दे दीजिये या फिर राजकीय विद्यालय खोल दीजिये। तभी शिक्षा का स्तर बढ़ पायेगा और शिक्षा के योगदान से ही देश का प्रदेश का भला हो पायेगा। मान्यवर, यह कहा जा रहा है कि प्रदेश में बेसिक शिक्षा द्वारा 7 हजार नये प्राथमिक विद्यालय खोले जायेंगे तो जब इन प्राथमिक विद्यालयों से बच्चे पढ़कर निकलेंगे तो आगे उनकी शिक्षा प्राप्ति के क्या साधन होंगे ? जब 8वीं के बाद शिक्षा के साधन नहीं होंगे तो वह फिर घास खोदने का काम करेंगे, मजदूरी करेंगे या किसी कार्यालय में चपरासी की नौकरी करेंगे। आप मानक तय कर दें कि अगर 7 हजार प्राथमिक विद्यालय खुलेंगे तो उसी अनुपात में 1000 राजकीय माध्यमिक विद्यालय भी खोले जायें। प्राइमरी के साथ-साथ माध्यमिक की शिक्षा की भी समुचित व्यवस्था सभी के लिये होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि विकसित देशों की तरह हमारा देश/हमारा प्रदेश तरक्की करे तो शिक्षा को आपको बढ़ावा देना होगा। हर तरक्की में शिक्षा का एक अहम रोल है। शिक्षा सबको मिलनी चाहिए। मान्यवर, मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात कह दूं। मान्यवर, हमारे यहां बहुत सी जगहों पर 10-15 किलोमीटर तक कोई माध्यमिक विद्यालय नहीं है। हमारे यहां सनकरा, मानपुर ओझा, दनकरा, धमोरा आदि ऐसे स्थान हैं जहां राजकीय हायर सेकेन्डरी स्कूल की बहुत आवश्यकता है। यहां शिक्षा के कोई साधन नहीं है। जो आपने 30 राजकीय विद्यालय खोलने की बात है उससे कुछ भला होने वाला नहीं है। उस लक्ष्य को बढ़ा दें। इसी तरह से जो बहन मायावती जी की सोच है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की उसको सर्वजन पढ़ाई तक बढ़ा दें। मान्यवर, हमारे यहां एजूकेशन का ग्राफ बहुत नीचे है उसे ऊंचा उठाने की जरूरत हैं लड़कियों की शिक्षा को बढ़ाने पर आप जोर दें। मान्यवर, आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया इसके लिए आपको धन्यवाद।

श्री वारिस अली-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बहन कुमारी मायावती जी के कुशल दिशा-निर्देशन में तैयार बजट पर बल देने के लिए बोलने का अवसर दिया है। हाथ तो मैं जब से सदन शुरू हुआ हैं तब से उठा रहा हूं लेकिन आज आपने अवसर दिया है इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। बहन कृष्णाराज जी उधर बैठी थी चली गयी मैं उनको इंगित करना चाहता था कि एक नहीं दो-दो मात्राएं नर से भारी नारी है। इस युक्ति को पूरा देश स्वीकार करता है और आज इसी युक्ति को स्वीकार करते हुए सर्वसमाज की गौरव सुश्री बहन मायावती जी आज इस प्रदेश का नेतृत्व कर रही हैं और वह संगत की बात कर रही थीं तो जब यह कहा गया है कि यत्र नार्यस्त पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता तो जब इधर नारी की पूजा हो रही है, इधर नारी का नेतृत्व स्वीकार करके पूरे सम्मान के साथ नारी के नेतृत्व में काम हो रहा है तो उधर बैठने की क्या जरूरत है। अगर नारी के सम्मान का इतना ही ख्याल है तो हमारी बहन कृष्णाराज जी को इधर आ जाना चाहिए था। मान्यवर, स्वकेन्द्र प्रणाली की बात अभी हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे। स्वकेन्द्र प्रणाली इस उत्तर प्रदेश के लिए इतना बड़ा अभिशाप था कि अगर किसी बाहर के प्रान्त में

किसी कम्पटीशन के लिए हमारे प्रदेश का कोई छात्र अगर सम्मिलित होता था तो इंटरव्यू लेने वाले लोग कह देते थे कि अच्छा यूपी से आये हो, वहां तो घर में बैठकर लिखने की परम्परा है। हमारे माननीय मंत्री जी ने मा0 बहन जी के नेतृत्व में स्वकेन्द्र परीक्षा प्रणाली की प्रथा को जो खत्म किया है इससे हमारे छात्रों की प्रतिभा को बढ़ाने का काम होगा, छात्रों का ज्ञानवर्धन होगा, अच्छी सोच बढ़ेगी, अच्छी शिक्षा बढ़ेगी और जो साथी शिक्षा के व्यवसाय में लग करके स्वकेन्द्र प्रणाली का सहारा लेते हैं, जिन्होंने यह व्यवसाय कर रखा है कि हमारे यहां सेन्टर है फर्स्ट क्लास पास करना हो तो इतना और सेकेन्ड क्लास पास करना है तो इतना, थर्ड क्लास पास करना हो तो इतना, इस अभिशाप को और इस कोढ़ को शिक्षा जगत से समाप्त करने के लिए जो प्रयास माननीय शिक्षा मंत्री जी ने किया है इसके लिए मैं इनको साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। मुझे पहली बार इसमें बोलने का मौका मिला है इसलिए मैं अनुशासन में रहते हुए आपके कहने से पहले आपनी बात समाप्त करना चाहता हूं क्योंकि हो सकता है आप दया खाकर मुझे अगले बजट में बोलने का अवसर दे दें। धन्यवाद।

श्री जोखू लाल यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, हम आपके आभारी हैं कि आपने माध्यमिक शिक्षा के बजट में विश्वनाथ यादव जी जो कटौती का प्रस्ताव लाये हैं उनके समर्थन में बोलने का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, आप अवगत हैं कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार संवैधानिक दृष्टि से शिक्षा मौलिक अधिकार है और मान्यवर, संविधान के सातवें अनुसूची के तीसरे अनुसूची के दसवें क्रमांक पर शिक्षा का उल्लेख किया गया है। आज माध्यमिक शिक्षा का बजट है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दुनिया का सबसे बड़ा बोर्ड है और इस बोर्ड के बजट पर बहस हो रही है इस सदन में। हम यह कहना चाहते हैं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी जब बजट भाषण पढ़ रहे थे और तमाम सारी बातों का उल्लेख कर रहे थे तो हम सोच रहे थे कि शायद उनका ध्यान पढ़ाई को चुस्तदुरुस्त के लिये या नकल विहीन जो भी आपके संकल्प हैं उसके लिये और लड़कियों को विज्ञान की शिक्षा देने के लिये आप ग्रामीण इलाके में कुछ काम करेंगे। लेकिन मान्यवर, हमने देखा कि आपने केवल यह कहा कि हम शौचालय 22 लाख में बनवा देंगे, हम 150 विद्यालयों को खेलकूद के लिये प्रोत्साहन दे देंगे, हम मेधावी छात्रों को पुरस्कार दे देंगे और हमने पुस्तकों को बड़े-बड़े अक्षरों में लिखवा दिया है, मान्यवर, इन सारी चीजों से, जब आप कह रहे थे, मुझे एक कहानी याद आ रही थी कि एक लड़का जब एडमीशन लेने कक्षा 10 में गया, जब वह गांव से टाउन एरिया की तरफ बढ़ा तो उसके परिवार के लोगों ने पूछा कि तुम्हारी जरूरतें क्या हैं तो उसने बहुत सारे कपड़े से लेकर साइकिल तक लिखाया, लेकिन उसने पुस्तकों का जिक्र तक नहीं किया। ठीक उसी तरह आप बजट पेश करते हुये भूल गये कि देहात में उन तमाम सारी लड़कियों के लिये, जो विज्ञान वर्ग की पढ़ाई नहीं होती है और आस-पास के इलाकों में वह पढ़ने का स्थान नहीं रहा, देश की आबादी का आधा हिस्सा जो महिलाओं का है, लड़कियों का है, उनके माध्यमिक स्तर पर आने में विज्ञान की शिक्षा देने की कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरे मान्यवर, हम आपसे कहना चाहेंगे कि आपने एक बात कही कि

नकलविहीन परीक्षा करायेंगे। यहां हर सरकारों का यही संकल्प होता है और हम भी दावा करते रहे कि हम स्वकेन्द्र परीक्षा प्रणाली करके अच्छी परीक्षा करायेंगे। यहां जितने बैठे हुये लोग हैं, सब इस बात से सहमत होंगे कि कहीं न कहीं हमारे, आप में नैतिक चरित्र में गिरावट आई है। आखिर जिस बच्चे का इम्तहान कक्षा एक से लेकर 9 तक उसके विद्यालय में लेते हैं अपने उसी विद्यालय में करवाते हैं तो क्या कारण है कि दसवीं में वह नकल करने लगेगा। आप उसे बाहर भेजते हैं। कक्षा एक से लेकर 9 तक आपने उसी स्कूल में उसकी परीक्षा ली, तब तक तो वह नकल का पक्षधार नहीं था दसवीं में पहुंचा तो नकल करने लगा। क्या आपने कभी सोचा कि यह स्वकेन्द्र प्रणाली का कंसेप्ट क्या था, उसकी अवधारणा क्या थी ? उसकी अवधारणा यह थी कि जो लड़का या लड़की उस विद्यालय में पढ़ा है, यह हमारे देश में नैतिकता के आधार पर उन लोगों ने बनाया था जिन्होंने स्वकेन्द्र प्रणाली किया था कि नैतिकता के आधार पर वह लड़के अपने विद्यालय रह करके, जो अपने स्कूलों में परीक्षा देंगे, यह उनकी सोच थी। लेकिन आपने इस बात की कल्पना नहीं की कि जिन लड़कों को आपने उनके घरों में 10, 12 और 15 कि0मी0 दूर कर दिया, वह कहां रुकेंगे, कैसे पढ़ेंगे, क्या व्यवस्था होगी, यह स्थितियां जो पैदा हुयी है मान्यवर, हम आप अवगत हैं कि जब कभी सदन में आना रहता है अगर एक दिन पहले नहीं आते तो दूसरे दिन कार्यवाही में हम आप व्यवस्थित नहीं रहते। ठीक उसी तरह से इक्जाम पीरियड में आपने उन बच्चों को अव्यवस्थित करके आप यह दम भरते हैं। हम चाहते हैं कि नकल विहीन परीक्षा हो। नकल कोई अच्छी चीज नहीं दुनिया के पैमाने में। न हम कोई नकल के पक्षधर हैं। लेकिन वह मूलभूत सुविधायें तो आप मुहैया करायें। माननीय मंत्री जी आप कभी अध्यापकों के दर्द को नहीं समझते हैं। अभी आपकी एक तकरार शुरू हो गयी परीक्षा लेने के सम्बन्ध में। क्या आपने उन अध्यापकों की पीड़ा को समझा कि किस पीड़ा के तहत यह आपको असहयोग कर रहे हैं। आपने तो ऐसे हाथ मिलाने और पंजा मिलाने की बात कर दी बयानों में कि जैसे लगता है कि आप उनसे कोई मल्ल युद्ध करेंगे। मान्यवर, यह शिक्षा विभाग है और शिक्षा किसी भी इंसान के बौद्धिक विकास, आर्थिक विकास और तरक्की के रास्ते को खोलता है। आप तो उनसे इस तरह से बात कर रहे थे कि जैसे लगता है यह अध्यापक नहीं, आपके विभाग के लोग नहीं बल्कि आपके दुश्मन हैं। हम कहना चाहेंगे कि यहां जितने बैठे हुये लोग हैं, जितने मंत्रिगण हैं, हम बड़ी साफ बात कहना चाहते हैं कि यह नेता, अफसर, सेठ, यह तीनों ब्रहमा विष्णु महेश। नेता, अफसर, सेठ कभी किसी जमाने में यह तीनों थे ब्रहमा, विष्णु, महेश, लेकिन आज हम चुनौती के साथ कहना चाहते है कि कोई भी व्यवस्था हो, किसी भी व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करना हो तो इन तीनों लोगों को ठीक कर दीजिये नेता, आर्फीसर और सेठ। यह तीनों कहीं न कहीं व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। नेता, जिसकी नियति ठीक नहीं होती है वह नीतियों को ठीक तरह से लागू करने में कोताही बरतेगा। आफीसर, उसका क्रियान्वयन और पालन नहीं होने देगा और सेठ, सेठ अपने पैसा के बल पर कहीं न कहीं नीतियों को प्रभावित करता रहेगा। आप जानते हैं केन्द्रों के निर्धारण में किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है। आप पता करा लीजिये, मेरा दावा है, मा0 मंत्री जी आप में हिम्मत हो तो पता करा लीजिये 25 से

लेकर 50 हजार रुपये तक एक केन्द्र के निर्धारण के लिये देने पड़े है। मान्यवर, इन सारी चीजों में कहीं न कहीं हम लोग दोषी हैं। मा0 मंत्री जी यदि आप माध्यमिक शिक्षा परिषद् में सुधार चाहते हैं तो पहले अपने आफीसर को ठीक कीजिये और उसके बाद सेटों को ठीक कीजिये जो पैसे के बल पर नीतियों को ठीक से लागू नहीं होने देते हैं। तो हम समझते हैं कि विभाग ठीक हो सकता है। जब आप बोलने लगते हैं तो आपको शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण मामलों में भ्रष्टाचार दिखाई नहीं देता है, हम निश्चित रूप से यह कहना चाहते हैं कि ऐसी व्यवस्थाओं की आप जांच करायें। जिन मंत्रियों के अन्दर नैतिक साहस हो वह अपने विभागों में भ्रष्टाचार की जांच करायें।

श्री अध्यक्ष-

कृपया समाप्त करें।

श्री जोखू लाल यादव-

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने साथ मा0 विश्वनाथ यादव के कटौती प्रस्ताव पर बल देते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

श्री लाल जी वर्मा-

मा0 विश्वनाथ जी यादव नहीं सिंह हैं।

श्री जोखू लाल यादव-

हम लोग समझ लेंगे कि हम लोग कौन-कौन हैं।

श्री रंगनाथ मिश्र-

माननीय अध्यक्ष महोदय, माध्यमिक शिक्षा विभाग के बजट प्रस्ताव पर बहुत सारे मा0 सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं, अच्छे विचार हैं और मैं निश्चित रूप से अच्छे सुधारों को शामिल करके विभाग में सुधार लाने का प्रयास करूंगा। जहां तक भाग लेने में मा0 विश्वनाथ सिंह, हाशमी साहब, सूरजपाल सिंह, डा0 अनिल चौधरी, जोखू लाल यादव एवं अन्य मा0 सदस्यों ने जो बातें रखी हैं, विशेष करके मैं अपने भाई समाजवादी पार्टी के लोगों को कहना चाहूंगा कि जब सावन में व्यक्ति अंधा हो जाता है तो उसको हर समय हरियाली ही नजर आती है। आप भ्रष्टाचार में अपनी सरकार को गंवाये हैं तो आपको हर जगह भ्रष्टाचार ही दिखाई पड़ रहा है। लेकिन हमारी सरकार ने बहन मायावती जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से सुधार के लिये ऐतिहासिक कदम उठाया है और इसमें सफलता भी प्राप्त करेंगे। जहां तक आपने स्वकेन्द्र परीक्षा प्रणाली की बात की तो मान्यवर, उससे कोई फायदा नहीं है। आपने यह कह दिया कि विज्ञान की पढ़ाई के लिये कोई ध्यान नहीं दिया गया है, लड़कियों के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गई है। केन्द्र के निर्धारण में भ्रष्टाचार हुआ, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह पहली सरकार है जिसने केन्द्र निर्धारण में पूरी पारदर्शिता रखी है। हाईयेस्ट रेट कहां का था ? अभी एक सज्जन ने कह दिया, अपनी गिरेबान में झांककर

देखें 144 काली सूची के विद्यालय को निकाल करके आपने सफेदी में डाल दिया, आपने उसको परीक्षा केन्द्र बना दिया। माननीय उच्च न्यायालय ने आपके खिलाफ क्या टिप्पणी की ? मैं समझता हूं कि उसको अगर आप देख लेंगे तो दूसरे के दामन पर कचरा फेंकने का काम नहीं करेंगे ?

मान्यवर, वह ऐसी घटना थी जो पूरे शिक्षा विभाग को शर्मनाक करती है। मैं आपको बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि मैं शुक्रगुजार हूं माननीय मंत्रिगण और विधायकों का, जिन्होंने एक भी सिफारिश नहीं की कि हमारे अनुसार परीक्षा केन्द्र बना दिया जाए। (सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपायी) पूरी तरह से डी0आई0ओ0एस0 और ज्वाइंट डायरेक्टर को जिम्मेदार बनाया गया था और यह कह दिया गया था कि कोई भी दबाव मानने की बात नहीं है और नियमानुसार जो उचित हो उसके अनुसार आप केन्द्र बनाइये। परीक्षा केन्द्र बनने के बाद फिर से दूसरे ज्वाइंट डायरेक्टर से उसकी गहन जांच करायी गयी, जहां-जहां कमियां थी उसको दूर किया गया, पारस्परिक केन्द्र बने थे उसको ठीक कराया गया और अनेक अधिकारियों के खिलाफ दण्डात्मक कार्रवाई की गयी। इतना ही नहीं जो परीक्षा केन्द्र बने हैं, पुनः परीक्षा के समय फिर से चेकिंग के लिए प्रदेश के अधिकारियों की एक टीम बनायी गयी है। यदि कहीं भी डी0आई0ओ0एस0 और ज्वाइंट डायरेक्टर ने जानबूझ करके फर्जीवाड़े के विद्यालयों को केन्द्र बनाया है या नकल कराने के प्रयास में सेण्टर बनाया गया होगा तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ दण्डात्मक कार्रवाई करेंगे, किसी भी हाल में उनको छोड़ेंगे नहीं। जहां तक लड़कियों की विज्ञान की पढ़ाई का सवाल है, मान्यवर, अगर आपने बजट को देखा होता, इसमें ही पता लग जाता कि 30 राजकीय विद्यालय ही नहीं साथ ही साथ 30 सेवित विकास खण्डों में नये विद्यालय खोलेंगे, उसके लिए 6 करोड़ में से 3 करोड़ उसके लिए और 3 करोड़ रुपया रखा है सेकेण्ड किश्त देने के लिए। इतना ही नहीं जो कमी है विद्यालयों की उसको बैलेन्स करने के लिए अलग से 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। अगर 10 लाख रुपया प्रत्येक विद्यालय को दिया जायेगा तो कम से कम 100 विद्यालय खुलेंगे जिसको 10-10 लाख रुपया दे करके नये चाहे बालक या बालिका विद्यालय खोलने का प्राविधान किया गया है। कम से कम 160 नये विद्यालय इस प्रदेश में खोले जायेंगे जिसको आपकी सरकार ने खोलने का काम नहीं किया, सिवाय स्व-केन्द्र परीक्षा कराकर नकल कराने के अलावा कोई काम नहीं किया है। आप सुधार की बात करते हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि इतने बड़े विभाग को चलाने के लिए आपने एक विशेष सचिव से विभाग चलाया और हीरा लाल गुप्ता, 3 साल तक विभाग को चलाते रहे, इसी से पता चल जायेगा कि समाजवादी पार्टी की सरकार शिक्षा के प्रति कितनी जागरूक थी ?

आज एक सीनियर आई0ए0एस0 अधिकारी को माध्यमिक शिक्षा का प्रमुख सचिव बनाया गया है। डायरेक्टर किस प्रकार से बनाये गये हैं, यह भी आपको पता होगा। आपने जिसे बनाया था उसके बारे में पता कर लेना और हमारी सरकार ने जिसको बनाया है उसके बारे में पता कर लेना, इससे पता लगता है कि सरकार की मंशा क्या है ? आप किस प्रकार के अधिकारियों को लेकर काम करना चाहते हैं आप किस प्रकार के लोगों से काम लेना चाहते हैं, आपने 140 काली सूची के

विद्यालयों को निकाल दिया और महिला मंडित करते रहे, हमने उस अधिकारी को हमने सस्पेंड किया, हमारी मुख्य मंत्री ने अनुमोदित किया। हम शिक्षा में सुधार लाना चाहते हैं। आप कहते हैं कि 'आप शिक्षकों के दुश्मन हैं' हम शिक्षकों के दुश्मन नहीं है हम तो उनके सम्मान को लौटाना चाहते हैं श्री विश्वनाथ जी ने कहा कि जब हम पढ़ते थे तो नकल नहीं होती थी पता नहीं मंत्री जी के समय नकल होती थी कि नहीं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि हम भी जब पढ़ते थे जब हमने हाई स्कूल इण्टर पास किया उस समय हमें गर्दन घुमाने की इजाजत नहीं थी। आज क्या हो रहा है। एक सदस्य ने कहा कि केन्द्र व्यवस्थापक 10 हजार से 20 हजार रुपये लेकर सेन्टर ले रहे हैं हम उसी व्यवस्था को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं इसी लिए केन्द्र व्यवस्थापक बनाने में जो गड़बड़ियां थीं उसको ठीक करने के लिए नई व्यवस्था ईजाद की है। अब केन्द्र व्यवस्थापक की नियुक्ति जिला विद्यालय निरीक्षक नहीं करेगा किस आदमी को कौन सा सेंटर एलाट होगा यह परीक्षा के एक सप्ताह पहले ज्वाइंट डायरेक्टर नामित करेगा। हमने सुधार के लिए पहल की है अभी हमें सरकार में आए हुए 9 महीने ही हुए हैं आपने जो कालिख पोती है उसको छुड़ाने के लिए हमें मिट्टी का तेल और पेट्रोल की जरूरत नहीं बल्कि सुपर पेट्रोल की जरूरत होगी तब यह काली कालिख छूटेगी।

स्वकेन्द्र परीक्षा प्रणाली की आप प्रशंसा कर रहे हैं लेकिन उसमें क्या होता था उसमें गरीब घरों के बच्चों को लगाकर बड़े-बड़े सरमाएदारों के बच्चों की कापियां लिखाई जाती थीं। केन्द्र व्यवस्थापक के भाई-भतीजों की कापियां लिखी जाती थी। आज व्यवस्थापक के परिवार का कोई बेटा या बेटी उसके सेन्टर पर परीक्षा देते हुए पाया गया तो परीक्षा निरस्त कर दी जाएगी और बेटा-बेटी को पास नहीं होने दिया जाएगा। स्वकेन्द्र प्रणाली में नकल की साइलेंट व्यवस्था थी उसमें उड़ाका दल को कुछ नहीं मिलता था लेकिन साइलेंट नकल कराकर रिजल्ट 90 प्रतिशत तक आता था। आप इन नकलचियों को क्या बनाना चाहते थे यह नकलची केवल चपरासी या बाबू ही बन सकते हैं किसी बड़ी सर्विस में नहीं जा सकते। हम उन्हें ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं यह बात अलग है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है अकेले सरकार के बल पर आमूल चूल परिवर्तन हो जाय यह भी सम्भव नहीं है हमें सभी भाइयों का सहयोग चाहिए जो भी कदम उठाए गए हैं वह प्रदेश की जनता के हित में उठाए गए हैं। यह कहा गया कि कागज कापी पुस्तक के बल पर सुधार होगा। पुस्तक ठीक नहीं होगी, अच्छे लेखकों की बात नहीं आएगी तो आखिर में सुधार कैसे होगा इसलिए सुधारने के लिए प्रयास किया गया। विश्वनाथ जी ने कहा कि आखिर इतने कम्प्यूटर आप क्यों खरीद रहे हैं इसमें क्या परता है। परता का मतलब लाभ से है। लाभ लेने के लिए कम्प्यूटर की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं यह जो कम्प्यूटर की व्यवस्था है यह ऐतिहासिक व्यवस्था है इसमें कहीं से भी भ्रष्टाचार दिखाई नहीं पड़ेगा। यह जो बूट माडल सिस्टम लागू किया गया है यह बहन कुमारी मायावती के नेतृत्व में पहली बार लागू हो रहा है। इसमें सात लाख एक विद्यालय को देने की व्यवस्था है यह सात लाख रुपये एक साथ नहीं दिए जाएंगे यह तीन साल में देंगे जब संतुष्टि हो

जाएगी कि हां यह सिस्टम अच्छा है तभी पेमेंट किया जायेगा। बूट माडल सिस्टम पहली बार माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में करने जा रहे हैं। विश्वनाथ जी आपने ठीक से नहीं पढ़ा होगा नहीं तो पर्ता शब्द नहीं कहे होते। जरूर आप इसकी प्रशंसा किये होते और कटौती का प्रस्ताव न रखे होते। मान्यवर, किसी ने कहा कि सेन्टर 18 कि0मी0 दूर लड़कियों को बनाया गया है। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि शायद राधेश्याम जी ने कहा है कि हमारे विद्यालय को इसलिये केन्द्र नहीं बनाया गया क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन को बताना चाहता हूं कि सेन्टर बनाने के लिए जो मानक तय किये गये हैं यदि उस मानक की परिधि में आपका विद्यालय आता होगा तो कल ही उसको सेन्टर बना दिया जायेगा। कोई भेद भाव नहीं किया जायेगा कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य का विद्यालय है, या समाजवादी पार्टी के सदस्य का विद्यालय है या बहुजन समाज पार्टी के किसी सदस्य का विद्यालय है जो उस मानक को पूरा करेगा उसको सेन्टर बनाया जायेगा। मान्यवर, यह आपके यहां होता रहा किस प्रकार से आप बांटते थे रेवड़ी। यह आप सब जानते हैं। कन्या विद्या धन आपने अपने लोगों को बांटा। उन लोगों को दिया जो एक्सपर्ट करते थे, जो इनकम टैक्स देते थे। शर्म आनी चाहिए वास्तव में जिन लोगों को जरूरत थी उनको आपने नहीं दिया और दिया उनको। (कई सदस्यों के बोलने पर शोर)

श्री अध्यक्ष-

बैठिये। कोई बोले नहीं बीच में। इतनी तेज मत बोलिये।

श्री रंग नाथ मिश्र-

मान्यवर, यह बात हम स्वीकार करते हैं कि हमारे विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है। हम आपके सुझाव का स्वागत करते हैं कि शिक्षकों की भर्ती होनी चाहिए लेकिन मान्यवर, इसमें कठिनाई है शायद हमारे माननीय साथी नहीं जानते कि हमारे उत्तरांचल को लेकर कुछ कठिनाइयां हैं जो मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है और रोक लगी होने के कारण हम एल0टी0 ग्रेड के टीचर्स की भर्ती नहीं कर पा रहे हैं चयन बोर्ड का गठन हो गया है उसके अध्यक्ष और मेम्बर नामित हो गये हैं जितने भी अनुदानित कालेज हैं ऐसे पदों का अधियाचन जारी करके उनको शीघ्र ही भरने जा रहे हैं। उन 1800 अभ्यर्थियों जिनका सेलेक्शन चयन बोर्ड से हो गया था किसी कारण से वे ज्वाइन नहीं कर पाये थे अब चयन बोर्ड का गठन हो गया है हम टाइम बाउन्ड प्रोग्राम बनाकर जल्दी ही उनको कालेज ज्वाइन करवायेंगे। इतना ही नहीं मान्यवर, हमने तो कोशिश किया है कि हमारे लेक्चरर हैं, गवर्नमेंट कालेज में उसके लिये भी पब्लिक सर्विस कमीशन को लिखा है और जल्दी ही हम नियुक्ति करने जा रहे हैं। जहां तक विज्ञान की पढ़ाई का सवाल है, मैं माननीय जोखू लाल जी को बताना चाहता हूं कि यह व्यवस्था समाप्त आपने की थी। कक्षा 10 में प्रेक्टिकल आपने समाप्त किया था हमारी सरकार ने वर्ष 2010 से हाई स्कूल में भी प्रयोगात्मक परीक्षा करने का फैसला ले लिया है और हम प्रयोगात्मक परीक्षा जरूर करायेंगे। मान्यवर, मैं समझता हूं कि बाकी....

डा0 पी0 के0 राय-

अनुदानित विद्यालय जो हैं, जहां विज्ञान की मान्यता नहीं मिल पा रही है, इस तरफ मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

श्री रंग नाथ मिश्र-

मान्यता के सम्बन्ध में चिन्ता व्यक्त की है, मैं समझता हूं कि उनकी चिन्ता जायज है मान्यवर, अभी पिछले दिनों माननीय उच्च न्यायालय ने एक आदेश जारी कर दिया कि उत्तर प्रदेश सरकार 94 या 7(क) के दौरान कोई भी मान्यता तब तक नहीं देगी जब तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन नहीं कर देती। मान्यवर, इस सम्बन्ध में यही सदन से एक प्रस्ताव पास करके भेजा है और आप सब जानते हैं कि आजादी के पहले के ऐक्ट में अगर कोई संशोधन होता है तो उसकी अनुमति महामहिम राष्ट्रपति महोदय से लेनी पड़ती है। यहां से प्रस्ताव पास करके विधान सभा से महामहिम राष्ट्रपति महोदय के यहां भेजा गया है। गृह मंत्रालय, श्रम मंत्रालय परीक्षण करता है। हमारे प्रमुख सचिव उस पर लगे हुए हैं एक नहीं अनेक बार दिल्ली सरकार से कान्टेक्ट किया है। यह लोग परीक्षण करा करके फिर महामहिम राष्ट्रपति के पास भेजते हैं। पिछले हफ्ते क्वैरी लगकर आई थी उसकी पूर्ति कराकर भेज दिया है। मैं समझता हूं एक महीने के अन्दर महामहिम राष्ट्रपति का अनुमोदन प्राप्त हो जाएगा और 94-7क में मान्यता जरूर देंगे। मुझे भी चिन्ता है उन विद्यालयों को मान्यता मिलेगी तभी असमानता जो है एक लाख पर 19 विद्यालय, भारत सरकार के मानक हैं और हमारे यहां एक लाख पर 10 हैं हम उस मानक को तभी पूरा कर पायेंगे जब हम ऐसे वित्त विहीन विद्यालयों को अपने भाईयों के सहयोग के द्वारा जो विद्यालय बनाए जा रहे हैं उनको मान्यता देंगे। इसमें हमारी सरकार चिन्तित है।

(कुछ सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

उस्मानी जी ने और हमारे इधर के मा0 सदस्यों ने यह बात कही है कि लखनऊ में क्षेत्रीय कार्यालय नहीं हैं इसलिए कठिनाई होती है। इस पर विचार किया जाएगा और निश्चित रूप से इस असंतुलन को दूर करने का प्रयास करेंगे।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

चयन बोर्ड के अध्यक्ष को कब नामित किया गया है ?

(शोर)

श्री रंगनाथ मिश्र-

कल कर दिया है।

श्री आर0 ए0 उस्मानी-

अनुसूचित लोगों से जुड़ी पत्रावली है उसको स्वीकृत करा दीजिए, अनुदान से सम्बन्धित है।

एक सदस्य-

आपके इस बजट में उर्दू के विकास के लिए क्या योजना रखी गई है यह जो आपने बजट रखा है इसमें कहीं पढ़ने में नहीं आया है।

श्री रंगनाथ मिश्र-

मैं मा0 सदस्य से कहना चाहूंगा कि यह प्रश्न प्रहर नहीं है। जब आप प्रश्न करेंगे तो बता दूंगा। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अपने विपक्ष के मित्रों से निवेदन करूंगा विशेषकर विश्वनाथ जी से, आप शिक्षक रहे हैं, प्रिंसिपल रहे हैं आठ प्रतिशत बजट में वृद्धि कर दी गई और भी जो आपके मन में कल्पना रही होगी। अच्छे अध्यापक और प्रिंसिपल होने के नाते वह सारे कार्य हमारी सरकार कर रही है निश्चित रूप से आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस लेंगे।

श्रीमंती कृष्णा राज-

मान्यवर, एक राजकीय कन्या विद्यालय हमारे क्षेत्र में दे दीजिए। मंत्री जी हां कर दीजिए।

श्री रंगनाथ मिश्र-

कृष्णा राज जी से मैं कहना चाहता हूं कि लड़कियों के प्रति इनकी काफी जागरुकता है। असेवित विकास खण्ड में जो नई योजना है उसमें प्रस्ताव डी0 एम0 के माध्यम से जो कमेटी है उसमें भिजवा दीजिए हम विचार कर लेंगे।

श्रीमती कृष्णा राज-

असेवित नहीं राजकीय कन्या विद्यालय दे दीजिए।

डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

मान्यवर, हमारा क्षेत्र अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र है नये परिसीमन में रिजर्व सीट हो गई है वहां के विकास खण्ड बिछुआ के न्याय पंचायत अषाड़ी में सुश्री मायावती गर्ल्स इण्टर कालेज की पत्रावली अनुदान स्वीकृति के लिए गई है उसकी सारी औपचारिकतायें पूर्ण हो गई हैं वह मंत्री जी के यहां लम्बित है उसको स्वीकृत करा दें।

श्री अध्यक्ष-

इस पर विचार कर लें।

डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

इसमें मंत्री जी से कहला दें।

श्री अध्यक्ष-

कभी मंत्री जी से भी मिल लिया करिए। सब चीजें यहीं सदन में कहेंगे।

श्री विश्वनाथ-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी ने लम्बा समय लेकर बुद्धि का इस्तेमाल कर और कितना घुमा दिया, प्रकरण को, मौलिक बिन्दुओं को उन्होंने छोड़ ही दिया, न इन्होंने यह कहा कि इतने

स्कूलों को अनुदान सूची में लेंगे, न यह कहा कि शिक्षा में समानता का शुभारम्भ करेंगे, शिक्षा एक समान देंगे, निःशुल्क देंगे और एक समानता स्थापित करेंगे। शिक्षा के मौलिक सिद्धान्तों की ओर ध्यान नहीं, कुछ फुसलाने वाला और पापड़ फेंकने वाला काम अक्लदारी से आपने किया है, हम आपको इसके लिये दाग देते हैं और अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-72-शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-72-शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 25,52,63,66,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान अनुदान संख्या-71 शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)

बेसिक शिक्षा मंत्री (डा0 धर्म सिंह सैनी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-71-शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 74,63,94,87,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

अनुदान संख्या-75 भी रख दें।

वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान अनुदान संख्या-75 शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)

बेसिक शिक्षा मंत्री (डा0 धर्म सिंह सैनी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-75-शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक

अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 59,29,38,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मा0 अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से आज अपने राज्य के वर्ष 2008-2009 के बेसिक शिक्षा के बजट को सदन के सम्मानित सदस्यों के सम्मुख प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है। इसकी एक और विशेषता भी है, वह भी मैं सदन को बताना चाहता हूं। मा0 अध्यक्ष जी, इतिहास बनते हैं और इतिहास टूटते हैं। मान्यवर, देश आजाद होने के बाद पहली बार मेरे जैसे व्यक्ति को एक महत्वपूर्ण बजट को प्रस्तुत करने का अवसर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी द्वारा प्रदान किया गया है, मान्यवर, विशेष कर मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि मेरे गोत्र 'सैनी गोत्र' के उत्तर प्रदेश में बहुसंख्यक लोग रहते हैं। यह काफी संख्या में समाज रहता है और यहां तक कि हमारा समाज अब से पहले किसी एक दल विशेष का वोट बैंक रहा करता था। आज पहली बार मौका मिला है, देश आजाद होने के बाद, कैबिनेट मंत्री के रूप में सैनी गोत्र का पहला व्यक्ति आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के आर्शीवाद से यह बजट प्रस्तुत कर रहा है।

मान्यवर, मेरा कहना यह भी है कि बहन कुमारी मायावती जी की यह सोच रही हो कि सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फूलें जी जिन्होंने शिक्षा जगत में क्राति लाई और यहां तक हम जैसे लोगों को, दलितों को, पिछड़ों को पढ़ने-लिखने का अधिकार दिलाने का काम किया किया, इसलिये हो सकता है कि सैनी गोत्र के व्यक्ति को बेसिक शिक्षा विभाग सौंपकर इसका बजट प्रस्तुत करने का अधिकार दिया। मैं और मेरा सैनी गोत्र बहन कुमारी मायावती जी को बार-बार इसके लिये धन्यवाद करता है और इसके लिये हमेशा ऋणी रहेगा। मान्यवर, हमारी सरकार की प्राथमिकता 6-14 वर्ष तक के बच्चों की प्राथमिक शिक्षा को संविधान में मौलिक अधिकार बनने के पश्चात् इसे पूर्ण रूप से लागू करना है। इसके साथ-साथ हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि बच्चों का शतप्रतिशत नामांकन हो और प्रत्येक बच्चा स्कूल में पढ़ने लिखने के लिये जाये। मान्यवर, प्रदेश की 80 फीसदी जनता ग्रामीण अंचल में रहती है वहां दूर-दूर तक भी विद्यालयों की स्थापना नहीं थी। लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी ने विशेष ध्यान देकर चाहे वह अम्बेदकर ग्राम के माध्यम से या छोटे-छोटे मजरे और ग्राम के माध्यम से सभी जगह विद्यालय स्थापित करने का काम किया। शतप्रतिशत नामांकन हों इसके लिये माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्षेत्र पंचायत सदस्य, प्रधानगण, माननीय हमारे विधायकगण, सांसदगण और अन्य जनप्रतिनिधियों से भी आग्रह किया है कि वह शतप्रतिशत बच्चों को शिक्षित करने के लिये वह भी इसमें सहयोग करने का काम करें।

मान्यवर, वर्ष 2001 की गणना के अनुसार साक्षरता 56.3 प्रतिशत थी लेकिन 11वीं पंचवर्षीय योजना में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की सरकार का लक्ष्य 85 प्रतिशत तक ले जाने का है। माननीय अध्यक्ष जी, नवीन विद्यालयों के बारे में प्रत्येक असेवित ग्राम में प्राथमिक विद्यालय की स्थापना और प्रत्येक असेवित ग्राम में उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना करने के लिए वर्ष 2008-09 में 2500 नवीन प्राथमिक विद्यालय तथा 4000 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय

तथा बच्चों के बैठने के लिए 15000 अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण प्रस्तावित है। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि जब 13 मई, 2007 को हमारी सरकार बनी तो उस समय 1325 प्राथमिक विद्यालय, 1750 उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा 31 हजार 178 अतिरिक्त कक्षा-कक्ष अपूर्ण थे कहीं भी कोई निर्माण कार्य उनमें शुरू नहीं हुआ था। लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में पिछले वर्ष के यह अपूर्ण कार्य मात्र 3 महीने में कराये गये। मान्यवर, पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ होगा कि प्रदेश का कोई भी मुख्य मंत्री प्राथमिक शिक्षा को इतना महत्व देने के लिए प्राथमिक विद्यालयों और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जाकर के भौतिक निरीक्षण करने का काम किया हो। इसमें ही माननीय मुख्य मंत्री जी की प्राथमिकता महसूस होती है। जिसमें उन्होंने उन पिछड़े गांवों में जाकर स्थलीय निरीक्षण करके उन्होंने वहां की स्थिति का जायजा लिया और जब वहां जायजा लिया, वहां देखा गया। जिन स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं, जहां चाहरदीवारी नहीं है, गांव का माहौल ऐसा होता है कि सामने से पशु जा रहा है बच्चों का ध्यान उधर चला जाता है, तो माननीया मुख्य मंत्री जी ने निर्णय लिया है कि उन सभी स्कूलों में चाहरदीवारी बना दी जाय। इसके साथ-साथ जब स्थलीय निरीक्षण किया तो एक दिक्कत हमारे सामने आयी, वह यह थी कि जो हमारे छोटे-छोटे बच्चे अंधेरे में बैठकर पढ़ रहे थे, अंधेरे में पढ़ने से उनकी आँखों में दुष्प्रभाव पड़ता इसके लिए माननीया मुख्य मंत्री जी प्रत्येक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा है। इसके साथ-साथ जो छोटे-छोटे बच्चे और कक्षा आठ में पढ़ने वाली बालिकाएं, जो जवान अवस्था में आ जाती हैं, शौच जाने के लिए खुले में जाना पड़ता था, तो उस दिक्कत को देखते हुए हमारी माननीया मुख्य मंत्री जी ने विशेष व्यवस्था करके प्रत्येक विद्यालय में शौचालय बालक बालिकाओं के लिए अलग-अलग स्थापना करने का निश्चय किया है।

मान्यवर, इसके अतिरिक्त विद्यालय के भवन जर्जर अवस्था में थे, बहुत बुरा हाल था। सरकार बनने के बाद उनका जीर्णोद्धार करने, उनकी रंगाई पुताई करने के लिए एक सौ छत्तीस करोड़ तैंतालीस लाख रुपया देने का काम किया है। यह कार्य ग्रीष्मकाल में कराया गया। माननीय अध्यक्ष जी, इस वित्तीय वर्ष में भवनों को अधिक से अधिक आकर्षक बनाने के लिए और भौतिक परिवेश को सुदृढ़ बनाने के लिए चालीस करोड़ रुपये की बजट में व्यवस्था की गयी है। मान्यवर, शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए जब स्कूल में टीचर नहीं होगा, अध्यापक नहीं होगा तो चाहें जितना सुधार करते रहें, शौचालय बनाते रहें, चाहरदीवारी बनाते रहें, विद्युतीकरण करते रहें लेकिन अध्यापक नहीं होगा तो शिक्षा का स्तर गिरेगा, इसके लिए सरकार बनते ही मुख्य मंत्री जी ने 88 हजार अध्यापकों की नियुक्ति के लिए कार्य किया, जिसमें 60 हजार शिक्षकों के लिए चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, प्रशिक्षण यथाशीघ्र कराया जायेगा। लगभग 28 हजार शिक्षकों का चयन अभी गत वर्ष में शीघ्र ही कराने का लक्ष्य है। माननीय अध्यक्ष जी, बच्चों को स्कूल की तरफ आकर्षित करने के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तक और अति पिछड़े 680 विकास खण्डों में छात्राओं को निःशुल्क पोशाक देने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। माननीय अध्यक्ष जी, मध्याह्न भोजन प्राथमिक विद्यालय में पूर्व से चल रहा है, लेकिन हमारी सरकार ने उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी ऐसा

मध्याह्न भोजन शुरू करने का प्राविधान किया है। इसी के साथ-साथ यह भी बताना चाहूंगा कि मध्याह्न भोजन में, सरकार बनने के बाद शुरू के दो महीनों में बड़ी शिकायतें आयी। उन शिकायतों को दूर करने के लिए हमारी सरकार ने अनेक उपाय किये। सबसे पहले अधिकारियों द्वारा इसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी, एसडीएम और नोडल अधिकारी के रूप में बीडीओ होंगे, इन लोगों को जांच के लिए अधिकारी नियुक्त किया। लेकिन इसके साथ-साथ दो अन्य कार्य किये। हमने जो कार्डिनेट करता है और बीएसए को सीयूजी नम्बर देकर, दीवार पर अंकित कराया, गांव वालों से कहा कि यदि भोजन दुरुस्त न हो और पढ़ाई में त्रुटि हो तो तुरन्त बीएसए या कोआर्डिनेटर से सम्पर्क कर सकता है। यह भी निर्देश दिया कि अगर किसी का सीओजी नम्बर आफ मिलना है तो कार्यवाही की जायेगी। माननीय अध्यक्ष जी, इसके साथ-साथ मध्याह्न भोजन में जहां-जहां कमियां पायी जा रही थी, उसके लिए जो खाना बनाने वाला या खाना बनाने वाली है, उस व्यक्ति या महिला को रखा गया है जिसका एक बच्चा वहां पर पढ़ता हो। यदि वह व्यक्ति या महिला नहीं मिलती तो यह हिदायत दी है कि गांव के दो सम्मानित व्यक्ति को बुला करके वहां का प्रधान अध्यापक उसे पहले खाना खिलाकर के उसके बाद ही बच्चों को खाना खिलाने का कार्य किया जायेगा। इसके अतिरिक्त विकलांग बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हमारी सरकार द्वारा विशेष प्रयास किया गया है। जैसे विकलांग बच्चों के चिकित्सीय परीक्षण हेतु प्रत्येक विकास खण्ड में शिविर का आयोजन कराया जायेगा और चिकित्सीय परीक्षण के आधार पर निःशुल्क उपकरण तथा दृष्टि बाधित बच्चों को बेल लिपि की पुस्तक दी जायेगी। इसके साथ-साथ बालिका के शिक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की गयी है। हमारी सरकार बालिका में शिक्षा सुधार के प्रति संवेदनशील है। शैक्षिक रूप से पिछड़े विकास खंडों में अपवंचित एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति अल्पसंख्यक एवं कमजोर वर्ग की बालिकाओं के लिए कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय योजना संचालित की गयी है। प्रदेश में अब तक 215 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय संचालित हो गये हैं अर्थात् 2008-2009 में 141 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय खोला जाना प्रस्तावित है।

मैं यह भी अवगत करना चाहूंगा कि 2008-09 के बजट में सर्व शिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण योजना प्रस्तावित है जिसका उल्लेख मैं यहां पर करना चाहूंगा। सर्व शिक्षा अभियान प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु भारत सरकार की केन्द्र सहायतित योजना है, जो प्रदेश के सत्तर जनपदों में संचालित है। इसके अन्तर्गत 2008-09 में भारत सरकार द्वारा 65 प्रतिशत अंशदान और राज्य सरकार द्वारा 35 प्रतिशत अंशदान दिया जायेगा। माननीय अध्यक्ष जी अबसे पहले केन्द्र सरकार 75 प्रतिशत अंशदान दिया करती थी और प्रदेश सरकार पच्चीस प्रतिशत अंशदान देती थी, लेकिन अबकी बार केन्द्र सरकार ने कटौती की है उसके बावजूद माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्राथमिकता में इसे रखा है और 65 व 35 प्रतिशत का अंशदान इसमें है। वर्ष 2008-09 में सर्व शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्य योजना लगभग बयालीस अरब पच्चीस करोड़ इकहत्तर लाख रुपये भारत सरकार को प्रस्तावित की जा रही है, जिसमें 65 प्रतिशत भारत सरकार का और 35 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। मान्यवर, 2008-09 में राज्यांश के

रूप में तेरह अरब ग्यारह करोड़ रुपये का बजट में प्राविधान किया है। इसी के साथ-साथ वर्ष 2008-09 के अन्तर्गत नयी मांग के माध्यम से मान्यवर, कांशी राम शहरी विकास योजना में टोकन बजट की व्यवस्था की गयी है। इसके अन्तर्गत शहरी क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय से अपवंचित वार्डों में भूमि उपलब्ध होने पर प्राथमिक विद्यालय का निर्माण कराया जायेगा। माननीय अध्यक्ष जी आज तकनीकी शिक्षा बहुत बढ़ रही है, कम्प्यूटर का जमाना है, इसलिए हमारी सरकार ने वर्ष 2008-09 में प्रदेश के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सूचना तकनीकी की व्यवस्था हेतु बच्चों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर उपलब्ध कराये जाने के लिए वित्तीय वर्ष 2008-2009 हेतु रुपये 12 करोड़ 25 लाख रुपये का बजट प्राविधान प्रस्तावित किया गया है। अन्त में माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सदन के समस्त सदस्यगणों का आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे इस वर्ष 2008-2009 का बजट सदन में प्रस्तुत करने का सुअवसर प्रदान किया। साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जो माननीय सदस्यों के सकारात्मक सुझाव मुझे मिलेंगे मैं बिल्कुल उन पर अमल करने का काम करूंगा, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

माननीय अनूप सण्डा जी, अनुदान संख्या-71 और 75 दोनों एक साथ ही रख दीजिए।

श्री अनूप सण्डा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक के आनुदान संख्या-71 एवं अनुदान संख्या-75 के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना एवं सुझाव देना है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने प्राथमिक शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, अभी जब माननीय मंत्री जी बोल रहे थे, तो मेरी धारणा उनके बारे में यही थी कि बहुत ही विद्वान हैं, हम इसलिए उनका बड़ा आदर करते हैं। उनकी योग्यता की वजह से उत्तर प्रदेश की माननीया मुख्य मंत्री जी ने उनको प्रदेश का प्राथमिक शिक्षा मंत्री बनाया। लेकिन अभी-अभी उनके भाषण से मुझको पता चला कि उनको उनकी योग्यता की वजह से नहीं, उनको सैनी समाज का होने की वजह से मंत्री बनाया गया। माननीय अध्यक्ष जी, प्राथमिक शिक्षा मात्र इसलिए नहीं महत्वपूर्ण है कि एक बालक के व्यक्तित्व के सृजन की नींव प्राथमिक शिक्षा से पड़ती है। एक बालक, एक बच्चा जो कच्चे घड़े के समान होता है, अपने जीवन में पहली बार जब प्राथमिक विद्यालय जाता है तो पहली बार उसका बाहरी समाज से सम्पर्क प्राथमिक विद्यालय के माध्यम से होता है। जो शिक्षा, जो संस्कार, जो आचरण वह अपने प्राथमिक विद्यालय में देखता है वही पूरे जीवन भर उसके काम आते हैं और माननीय अध्यक्ष जी शिक्षा का उद्देश्य हमारी दृष्टि में मात्र सूचनाओं का संकलन करना नहीं है, अपने दिमाग में जो पाठ्य पुस्तकों में दर्ज ज्ञान है, उसको रटना नहीं है, बल्कि शिक्षा का उद्देश्य जहां एक तरफ तर्क शक्ति का विकास करना, स्मरण शक्ति का विकास करना, कल्पना शक्ति का विकास करना और

उन सबकी मदद से स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना, यह है शिक्षा का उद्देश्य। और इसके साथ-साथ एक अच्छा मनुष्य आदमी कैसे बने समाज और देश के काम कैसे आये, यह शिक्षा का उद्देश्य है माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष जी राष्ट्रीय पर्वों पर और पिछले कई सालों से, अपने बचपन से हम एक गीत सुनते आ रहे हैं कि "नन्हें मुन्हें बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है ? मुट्ठी में है तकदीर हमारी" बच्चा कहता है कि हमारी तकदीर को हमारी मुट्ठी में है, लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, इस सरकार ने बच्चों की तकदीर को उनकी मुट्ठी से निकाल करके भ्रष्टाचार के जंगल में गुम करने का काम किया है, फाइलों में गुम करने का काम किया है, नौकरशाही के अंधेरे गलियारों में भटकने को विवश किया है, हम आपसे यह कहना चाहते हैं माननीय अध्यक्ष जी। आज हालात यह है कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सरकार है जो समतामूलक समाज की बात करता है। इस देश के तमाम महापुरुष महात्मा गांधी, बाबा साहब भीमराव अम्बेदकर और हम लोगों के नेता डा0 लोहिया इन सब लोगों ने जो बातें कहीं उनमें कुछ बातें तो बड़ी समान थीं। इन सब लोगों ने समान शिक्षा की वकालत की, महिलाओं की शिक्षा की वकालत की और मातृ भाषा में शिक्षा की वकालत की। माननीय अध्यक्ष जी आज पूरे उत्तर प्रदेश के बच्चें दो ध्रुवों में बंटे हुये हैं। मान्यवर, अगर सरकार के 2007-08 के आंकड़े मान लें तो एक तरफ वह विद्यालय है जहां पर 3,62,62,890 छात्र हैं जो राशि दी है एक छात्र वह है 2469 रु0 96 पैसे। वहीं दूसरी तरफ वह विद्यालय है जिनमें प्रवेश पाने के लिये 25 हजार रु0 फीस देनी पड़ती है तब जाकर उन विद्यालयों में प्रवेश पा पाते हैं। एक तरफ वह विद्यालय हैं जहां पर दो कमरे हैं जिनमें बहुत से बच्चों के बैठने के लिये टाटपट्टी नहीं होती है। आज मैंने पढ़ा इसमें आपने एक जगह लिखा है कि प्रति विद्यालय 57 बेंचें और डेस्कें उपलब्ध कराई हैं। मान्यवर, इन 57 बेंचों में कितने बच्चे बैठ लेंगे और बाकी बच्चें कहां पर बैठेंगे। मान्यवर, जिन विद्यालयों में दो कमरे हैं, मान्यवर, ऐसे स्कूलों में बच्चों की औसत संख्या एक प्राइमरी कक्षा के पीछे 182 बच्चों की है क्या इतने बच्चे बैठ पायेंगे। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में आप कहीं भी जाकर देख लीजिये कोई भी प्राथमिक विद्यालय ऐसा नहीं मिलेगा जिसके सारे के सारे बच्चे कमरों में बैठकर पढ़ सकते हों। कहीं बच्चे खुले आकाश के नीचे बैठकर पढ़ते हैं, कहीं पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ते हैं और बारिश में भीग कर उन्हें पढ़ना पड़ता है। आपने कहा कि हम स्कूलों में बिजली देंगे। मान्यवर, आपने माननीय ऊर्जा मंत्री जी से तो इस बारे में पूछ लिया होता। आज गांव में 2-3 घण्टे से ज्यादा बिजली नहीं मिल पा रही है। अब आप इस तरह से सुबह 9 से 12 बजे तक बिजली देकर क्या करेंगे ? ठीक है आपकी सरकार है आप योग्य मंत्री जी हैं आप कर सकते हैं। अच्छा है।

मान्यवर, डा0 भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि अगर किसी समाज की तरक्की देखने का आईना यह होता है कि उस समाज में महिलाओं की स्थिति क्या है। मान्यवर, अगर 2001 की जनगणना को आधार मान लें तो उत्तर प्रदेश की साक्षरता की दर 56.3 फीसदी है। मान्यवर, भारत पूरी दुनिया में शिक्षा के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है। इस देश की साक्षरता दर उन आंकड़ों में 64.8 प्रतिशत थी। मान्यवर, हमारे प्रदेश की साक्षरता की दर इस भारत में पांचवें

निचले स्थान पर है। हमसे नीचे झारखंड, बिहार, जम्मू कश्मीर और अरुणांचल प्रदेश है जो 56.3 साक्षरता दर है उसमें महिलाओं की साक्षरता की दर 42.2 प्रतिशत है और मान्यवर, ग्रामीण क्षेत्रों में अगर महिलाओं की साक्षरता दर को देख लें तो वह 23 दशमलव कुछ है। मान्यवर, जिन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के वोटों से यह सरकार बनी है उस जाति की महिलाओं की साक्षरता दर 6 प्रतिशत से थोड़ी ऊपर है। यह है शिक्षा की असलियत। माननीय मंत्री जी ने उसके बारे में कुछ नहीं कहा कि इन गरीब महिलाओं की शिक्षा के बारे में आप क्या करने जा रहे हैं जिनको आज तक क से कमला लिखना नहीं आया है। यह महिलायें अपने बच्चों को कैसे पढ़ायेंगी। मान्यवर, अगर आप पूरे प्रदेश को देखिये और उसमें क्षेत्रवार बांट लीजिये, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश और बुन्देलखण्ड। मान्यवर, यहां पर रोज बुन्देलखण्ड की दुर्दशा पर चर्चा होती है। मान्यवर, महिलाओं की शिक्षा के मामले में पूर्वी उत्तर प्रदेश इन चार खंडों में सबसे पिछड़ा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में महिलाओं की साक्षरता दर 37.4 प्रतिशत है। इसी तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्त्री शिक्षा की दर 44.8 फीसदी है बुन्देलखण्ड में 42.3 फीसदी है और मध्य उत्तर प्रदेश में 44.6 फीसदी है। मान्यवर, इसी प्रकार से आप छात्र-अध्यापक का अनुपात भी देख लीजिये कि क्या है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक अध्यापक के ऊपर 90 छात्र हैं बेसिक में और उत्तर प्राथमिक विद्यालय में 95 छात्र हैं, पश्चिम में 86 छात्र हैं और 78 हैं। बुन्देलखण्ड में 74 और 35 हैं। मध्य उत्तर प्रदेश में 90 और 86 छात्र हैं। प्रति लाख बच्चों पर इन विद्यालयों की संख्या पूर्वी उत्तर प्रदेश में 101 विद्यालय है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 115 विद्यालय हैं और बुन्देलखण्ड में 157 विद्यालय हैं। मध्य उत्तर प्रदेश में 105 विद्यालय हैं। मान्यवर, यह सर्वसमाज का हित चाहती होती यह सरकार तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिये किसी विशेष पैकेज की घोषणा की जाती। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी से कि जब आप अपना भाषण दे तो उसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिये, गरीबों के लिये जरूर किसी योजना की घोषणा करें। हम जानते हैं कि आप जरूर कहेंगे कि हम 27 अति पिछड़े जिलों में एक योजना चला रहे हैं पढ़ाने के लिये जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कई जिले हैं। लेकिन मान्यवर, जरा इन योजनाओं की असलियत जाकर देख लीजिये क्षेत्र में। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि हमने हर जिले के बी0एस0ए0 का नम्बर लिखवा दिया है और मैं आपकी बाकी जगह का नहीं जानता आप सुल्तानपुर के बी0एस0ए0 की सीयूजी नम्बर पर जरा किसी नम्बर पर मिलवा कर देख लीजिये अगर उसका नम्बर उठ जायेगा तो जो सजा देना चाहे वह दे दीजियेगा। हम जानते हैं हमारे सत्तारूढ़ पार्टी के सुल्तानपुर के साथी बैठे हुए हैं वह बोल नहीं पायेंगे लेकिन हालात यह है कि जो अपने प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय जिलों में भेजें उनको पैसा ले लेकर वहां के बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बेचने का काम किया है। यह बात हमारे साथ नहीं हुई है जिन माननीय सत्तारूढ़ दल के विधायकों ने प्रस्ताव दिये थे उनके प्रस्ताव पर भी कोई विचार नहीं हुआ है। इसको भी आप दिखवा लीजियेगा।

मान्यवर, आज निजी विद्यालय, हम लोगों ने नेता डा0 लोहिया थे उन्होंने नारा दिया था कि "राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी की हो सन्तान, सबको शिक्षा एक समान।" वह इसलिये कहा था कि जब राष्ट्रपति का बेटा और चपरासी का बेटा एक साथ पढ़ेगा तो राष्ट्रपति की मजबूरी होगी उसे विद्यालय की स्थिति को सुधारना। मान्यवर, यहां तमाम अधिकारी बैठे हुए हैं मैं पूछना चाहता हूं कि किसी अधिकारी का बच्चा जो किताबें लिखते हैं या बड़े बड़े आंकड़े पेश करते हैं कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति बहुत सुधर गई है क्या इसमें से किसी एक का भी बच्चा क्या किसी सरकारी प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता है यह सोचने की बात है। कि आज एक तरफ निजी विद्यालयों में ढाई-ढाई हजार तीन हजार रुपये फीस ली जा रही है हर साल स्कूलों का पाठ्यक्रम बदला जा रहा है, 10 रुपये की किताब को 50-60 रुपये में बेचा जा रहा है। ड्रेस के नाम पर पैसा वसूला जा रहा है और जूते के नाम पर पैसा वसूला जा रहा है और उसके ऊपर अंकुश लगाने के बारे में आपने नहीं सोचा और आपकी शिक्षा की स्थिति यह है आपकी प्राथमिक शिक्षा के बारे में जनता की धारणा यह है कि एक आदमी जो पेट काट करके दो जून की रोटी जुटा पाता है वह भी कोशिश करता है कि गांव के ही मान्टेसरी स्कूल में नाम लिखा दे। हमारे यहां एक लल्ली देवी किन्डर कार्डेन स्कूल है वह अंग्रेजी में एल0डी0 किन्डर गार्डेन स्कूल हो गया उसमें भले पढ़ा दे अपने बच्चे को लेकिन आपके स्कूल में नहीं भेजना चाहता और आप इसके ऊपर इतना इतरा रहे हैं शान दिखा रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष जी हालात बहुत बुरे हैं पूरे की पूरी शिक्षा मित्रों के भरोसे हैं। आप कितने भी अध्यापक भर्ती कर लो अभी यूनेस्को के एक सहायक संगठन जिसका नाम है अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा सहायक समिति हो सकता हो नाम में मैं कुछ भूल रहा हूं उसने एक सर्वे कराया सारे देश का उसमें उसने कहा कि हिन्दोस्तान के 30 प्रतिशत अध्यापक अपने स्कूल में नहीं जाते हैं और उसका कारण बताया कि स्कूलों की हालत खराब होना, अवस्थापना वातावरण की खराबी होना वहां का न जाने का कारण है। जांच न होना सबसे बड़ा कारण बताया और मान्यवर, जो प्रदेश के सबसे कम अध्यापक गैर हाजिर रहते हैं वह हैं 17 प्रतिशत अध्यापक बताये गुजरात के, सबसे ज्यादा अध्यापक जिस प्रदेश के अध्यापक गैर हाजिर रहते हैं वह बताये 38 प्रतिशत बिहार के और उसके बाद दूसरे नम्बर पर हमारा प्रदेश आया जहां के 34 प्रतिशत अध्यापक गैर हाजिर रहते हैं दिखाई नहीं देते हैं आपकी शिक्षा व्यवहारिक बात है कि शिक्षा मित्रों के भरोसे चल रही है और वह शिक्षा मित्र, जिनको आपने कोई ठीक से ट्रेनिंग भी नहीं दी है, वह शिक्षा मित्र बच्चों को भगवान भरोसे इनका क्या भविष्य तैयार कर रहे हैं और बेचारे करें भी कैसे ? काम करते हैं और काम के बाद पैसा भी नहीं मिलता है। हम एक उदाहरण बता दें। हमारे सुल्तानपुर में हमारी विधान सभा में एक गांव है बेला पश्चिम, वहां की एक शिक्षा मित्र है दीपमाला गुप्ता, वह 3 साल से पढ़ा रही है लेकिन उनको पैसा नहीं मिल रहा है, मैं डी0पी0आर0ओ0 से लेकर जिलाधिकारी से कहते-कहते थक गया और डी0पी0आर0ओ0 ने कहा कि साहब प्रधान पैसा नहीं देना चाहता, कैसे दिलवाऊं पैसा, तो मान्यवर, शिक्षा मित्र भी कैसे काम करेंगे ? मान्यवर, अध्यापक पढ़ाने जायेगा नहीं क्योंकि अध्यापक के पास

दूसरा भी काम है। निर्माण प्रभारी नियुक्त होने लगे। अब तो अध्यापक सिफारिश कराने आते हैं कि निर्माण प्रभारी नियुक्त करवा दीजिये और जो काम होता है उस काम की हालत के बारे में क्या कहें। हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले के एक बहुत बड़े कवि हैं, रफीक सादानी साहब, उन्होंने इसके ऊपर एक कविता लिख दी-

कि बरखा में विद्यालय ढहिगा,
उकरे खाले टीचर रहिगा,
और तोहरे पूत के ठेकेदारी,
जियो बहादुर खद्दरधारी।

यह चूंकि नेताओं के बारे में धारणा है आम लोगों की और उन्होंने नेताओं को वह आईना दिखा दिया। लेकिन अध्यक्ष महोदय, आज जो सरकार मौजूद है वह जनता के दुख तकलीफ से आंख बंद किये हुये बैठी है। हम लोग भले ही एक दूसरे पर दोषारोपण कर लें, हम यहां से बोलकर चले जायें हम जानते हैं कि आप हमारी बातों को काट देंगे, आपकी बात पास भी हो जायेगी लेकिन मान्यवर, याद रखियेगा कि सदन में बैठकर हम लोग अगर उत्तर प्रदेश की जनता के साथ न्याय नहीं करेंगे तो हाशिमी साहब जो शेर सुनाते हैं, मैं वहीं शेर सुना दूं कि-

तारीख की आंखों ने वह दौर भी देखे हैं,
लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई।

आज जो अनुसूचित जाति की महिला साक्षरता दर 6 प्रतिशत है, यह महिलायें और यह बच्चे कल जब अशिक्षित रहेंगे तो इतिहास हमसे और आपसे यह सवाल करेगा कि जब आप पूर्ण बहुमत से बैठे थे तो आपने क्या किया था जो सरकार मान्यवर, उत्तर प्रदेश की दलित महिलाओं की पीड़ा नहीं दूर कर सकती, वह सरकार समतामूलक समाज क्या बनायेगी।

मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं मिड डे मील की जो बात आई और मैंने शुरुआत में अपनी बात शुरू करते समय कहा था कि हम प्राथमिक शिक्षा के दौरान छात्रों में संस्कार क्या डालते हैं। वही आगे काम आते हैं। हमारे क्षेत्र में एक गांव है हसनपुर। बहुत बड़ा गांव है। पहले की सरकारों ने एक व्यवस्था बनाई थी और वह जाति व्यवस्था को तोड़ने के लिहाज से बहुत अच्छी व्यवस्था थी कि मिड डे मील को पकाने का काम दलित जाति की महिला से कराया जाय और मान्यवर, आप जानते हैं कि आपकी सरकार में क्या हुआ कि कक्षा 4 और 5 के बच्चों ने उस हसनपुर के प्राथमिक विद्यालय में खाना बनाने वाली उस दलित महिला के हाथ का बना खाना खाने से इंकार कर दिया, वहां का प्रधान गिड़गिड़ाता रह गया और वहां के अध्यापकों ने वहां के बच्चों को ऐसा समझा दिया कि वहां एक सप्ताह तक मिड डे मील के काम में बाधा पड़ी रही। इसको दिखवा लीजिये कि आप बच्चों में कौन-सी जागरूकता पैदा करेंगे। आपने हमको जो साहित्य दिया, उसमें एक सप्ताह का पूरा भोजन दे दिया। जरा इसे कभी व्यवहारिक तौर पर दिखवा लीजिये। आये दिन अखबारों में खबरें छपती हैं कि मिड डे मील खाकर इतने बच्चे बीमार हो गये। जो केन्द्र सरकार ने मानक बना दिये कि 450 ग्राम कैलोरी प्रतिदिन मिलनी चाहिये, 12 प्रतिशत

प्रोटीन मिलना चाहिये ऐसा भोजन हो। लेकिन मान्यवर, 450 ग्राम कैलोरी और 12 प्रतिशत प्रोटीन खाकर कोई अस्पताल में भर्ती हो जाय तो आपकी नीयत और आपकी योग्यता पर ही सवाल उठ जायेगा। यह आज हो रहा है तो हम यह कहना चाहते हैं कि कागजों में तो आप कह देंगे कि हमने अंकित करवा दिया है। लेकिन हर प्राथमिक विद्यालय की दीवारों पर यह अगर पूरे सप्ताह का मेन्यू नोट करवा दिया जाय तो हमको लगता है कि यह बात पारदर्शिता की दृष्टि से भी और उपयोगिता की दृष्टि से भी अच्छी होगी। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में आज हमने जिक्र किया कि शिक्षा में नदी के दो विपरीत पाट के तरीके से दो धारायें हैं। एक धारा वह है जिस धारा वह है जिस धारा में उन लोगों के बच्चे पढ़ते हैं जो 25 हजार, 30 हजार, 40 हजार रुपये साल देकर जिनके कुत्ते भी बिस्कुट खाते हैं और उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में उन लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, जिनके बच्चों को कुत्तों के खाने वाला भी बिस्कुट नहीं मिलता है। महात्मा गांधी से ले करके, डा0 लोहिया से ले करके और महात्मा गांधी और डा0 लोहिया को तो हो सकता है आप न माने लेकिन डा0 अम्बेडकर तक ने कहा कि समान शिक्षा और मातृभाषा में शिक्षा किसी भी समाज की नींव को मजबूत करने का काम करेगी। मान्यवर, 1960-70 के दशक में कोठारी आयोग बना था। कोठारी साहब बहुत बड़े शिक्षाविद् थे, कोई नेता नहीं थे, उन्होंने भी कहा कि जब तक समान शिक्षा की व्यवस्था नहीं की जायेगी तब तक शिक्षा की दृष्टि से सुधार आने वाला नहीं है।

हमारे डा0 लोहिया जी ने भी कहा है कि एक पड़ोस के स्कूल की अवधारणा उन्होंने कहा कि एक इलाके के रहने वाले बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ें, चाहे वह मंत्री का बेटा हो और चाहे सफाईकर्मी का बेटा हो। अगर मंत्री और सफाई कर्मी का बेटा एक स्कूल में जायेगा तो सामाजिक समरसता भी बढ़ेगी, समतामूलक समाज की स्थापना का काम भी आसान होगा और शिक्षा की गुणवत्ता भी सुधर जायेगी लेकिन मान्यवर, उस ओर भी काम नहीं हो रहा है। मान्यवर, हम कुछ सुझाव देना चाहते हैं, मांग करना चाहते हैं। एक तो शिक्षामित्रों के बारे में सरकार कोई स्पष्ट नीति बना दे कि उनको उनके मानदेय का भुगतान समय से होता रहे, किसी ग्राम प्रधान के, किसी समाज कल्याण अधिकारी या किसी डी0पी0आर0ओ0 की कृपा पर उन्हें न रहना पड़े। कम से कम उनका तो पेट भरता रहे और मान्यवर, भ्रष्टाचार किस तरीके से हावी है वह बता दूं वाराणसी जनपद में जगतपुर आराजी लाइन्स में एक प्राथमिक विद्यालय है वहां पर एक शिक्षिका तैनात हैं श्रीमती प्रेमलता शुक्ला। 2005 के पहले उनके हाईस्कूल और इण्टरमीडिएट के सर्टिफिकेट फर्जी पाये गये, उनकी सेवा समाप्त कर दी गई और धारा 467 468, 471, 419 तथा 420 में उनके खिलाफ वर्ष 2005 में मुकदमा दर्ज हो गया। हाईकोर्ट से वह स्टे ले करके चली आई और उन्होंने कहा कि हमने हाईस्कूल इण्टर नहीं किया हमने तो सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय से पूर्व मध्यमा और उत्तर मध्यमा पास किया है। जांच हुई तो पता चला कि उन्होंने सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय से भी कोई परीक्षा पास नहीं की है। लेकिन आज भी वह बच्चों को पढ़ा करके उनका भविष्य खराब करने का काम कर रही है। अगर स्टेआर्डर की वजह से हटा नहीं सकते हैं तो कहीं ऐसी जगह कर दीजिए कि कम से कम बच्चों का भविष्य तो न खराब करें। मान्यवर, उर्दू अनुदेशक जिनकी

2005 में जो उर्दू विशेष परीक्षा बैच था 2005 का, जिसका 27 मार्च, 2006 से प्रशिक्षण आरम्भ हुआ जो कि वर्ष 2008 तक चलेगा। उनको मात्र 6 माह का मानदेय दिया गया उस मानदेय की व्यवस्था करा दें। मान्यवर, जो शिक्षकों की अनुपस्थिति है, जिसके बारे में हम आपसे कहना चाहते हैं कि कोई ऐसी स्पष्ट नीति बनाइये कि जिससे शिक्षकों को अनुपस्थित रहने पर आपके प्रति कुछ भय उत्पन्न हो क्योंकि हमने आपको बताया कि यूनेस्को की रिपोर्ट में कहा गया है कि स्कूल न जाने का एक बड़ा कारण शिक्षकों में प्रशासन के प्रति भय नहीं है, उनकी जांच नही की जाती।

मान्यवर, आपका राज्य शैक्षिक अनुसंधान आयोग है, वह अभी भी वही बाबा-आदम के जमाने का पाठ्यक्रम पढ़ाता चला आ रहा है, जिसमें बच्चों की कोई रुचि नहीं है। कुछ साल पहले तो उसने देश के क्रान्तिकारियों को आतंकवादी बता दिया था। उससे पाठ्यक्रम को रुचिकर बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए कोई शोध करा लें। आपने शायद 55-60 करोड़ रुपये के बीच उनको रकम भी दी है। कुछ चीजें मान्यवर, हम आपसे और कहना चाहते हैं कि सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत आज जो बाल मजदूरों के लिए, भट्ठा मजदूरों के लिए जो अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों को शुरू करने के लिए एन0जी0ओ0 को गैर सरकारी संगठनों को सुविधा दी है और उनके लिए प्रस्ताव किया है।

मैं आपको एक उदाहरण बता देता हूं कि हिन्दुस्तान के पूर्व राष्ट्रपति श्री आर0 वेंकटरमण की पुत्री श्रीमती विजया रामचन्द्रन पिछले करीब-करीब 30 वर्षों से कानपुर में बाल भट्ठा मजदूरों पर काम कर रही है और उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर मुझे बताया कि 4 वर्षों के अथक प्रयास के बाद मैं अब तक सिर्फ 7 केन्द्र शुरू करा पायी हूं जबकि अकेले कानपुर में 250 ईंट भट्ठे हैं। यह आपके नौकरशाही की स्थिति है कि अगर कोई आदमी समाज के लिए काम भी करना चाहता है तो उसकी राह में इतने रोड़े अटकाये जाते हैं कि वह आदमी या तो हताश होकर बैठ जाए या फिर वही रवैया अपना ले जो नौकरशाही चाहती है। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि प्राथमिक शिक्षा में अगर छात्रों को उत्पादन कौशल से जोड़ने का प्रशिक्षण दे दिया जाए जिसमें बच्चों में खेलकूद और व्यायाम के साथ उत्पादन का हुनर भी पैदा हो जाए। क्योंकि आपके देश में हालत यह है कि 100 बच्चे अगर प्राइमरी विद्यालय में जाते हैं तो ग्रेजुएशन में पहुंचते-पहुंचते 9 बच्चे रह जाते हैं तो जो बच्चे रह जाते हैं जाहिर बात है कि वह बेरोजगार रहेंगे, कहीं रोजगार की तलाश करेंगे, तो अगर आप उनके लिए कोई ऐसी नीति बना दें कि उन बच्चों को अपने स्कूलों में कोई व्यावसायिक प्रशिक्षण मिल जाए तो वह भी बहुत बेहतर होगा। एक अन्तिम बात मैं और कहना चाहता हूं हर शिक्षाविद् और विद्वान ने कहा कि व्यायाम और खेलकूद यह भी शिक्षा के महत्वपूर्ण अंग है और स्काउटिंग, वह भी बालचर की ट्रेनिंग होती है, उसके माध्यम से समाज के लिए प्रतिबद्धता और कभी दैवी आपदा आ जाए तो उस स्थिति में वे समाज की मदद के लिए खड़े होते हैं इसलिए स्काउटिंग की व्यवस्था की गयी थी। मान्यवर, आपने स्काउटिंग के लिए 3 लाख 75 हजार रुपया दिया है एक छात्र के ऊपर 1 पैसा औसत पड़ रहा है और व्यायाम शिक्षा के लिए 5 लाख रुपया, एक छात्र पर औसत 1.14 पैसा पड़ रहा है तो आप जान लीजिए आप शिक्षा को किस दिशा में ले

जा रहे हैं, व्यायाम शिक्षा के प्रति आपकी क्या धारणा है ? मान्यवर, अंत में मैं अपनी कुछ बातों को दोहराते हुए नम्बर एक कि यह सरकार निजी स्कूलों की मनमानी के ऊपर अंकुश लगाने के लिए प्रभावी कार्यवाही करने पर विचार करे चाहे इसके लिए आपको नया अधिनियम क्यों न बनाना पड़े। दूसरे, समान शिक्षा को लागू करने के लिए सरकार विचार करे। तीसरे, पूर्वांचल में जो शिक्षा का स्तर काफी गिरा हुआ है, साक्षरता की दर काफी नीचे है उसके लिए किसी विशेष पैकेज की घोषणा की जाए व्यवस्था की जाए और महिलाओं की शिक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कटौती प्रस्ताव पर बल देते हुए आपको धन्यवाद देता हूं।

(श्री सुन्दर लाल लोधी का नाम पुकारे जाने पर)

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, दो लोग उधर से और दो लोग इधर से बोलवाइये।

* श्री सुन्दर लाल लोधी-

माननीय अध्यक्ष जी, बहुत संक्षेप में अपनी बात रखूंगा। आपने प्राथमिक शिक्षा विभाग के कटौती पर बोलने का अवसर दिया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। वास्तव में शिक्षा पूर्व में, प्राचीन काल में मठों, मंदिरों और आश्रमों में हुआ करती थी। उस समय के भीतर थोड़ा चलें। आज हम आधुनिक युग में आ गये हैं और परिवेश भी कुछ बदला हुआ है, प्राचीन सभ्यताओं को छोड़ चुके हैं। उस समय के ऊपर जब मठों में यह शिक्षा चला करती थी। धीरे-धीरे सन् 1858 में ब्रिटिश काल में यहां पर सर्वप्रथम जब शिक्षा के बारे में उन लोगों ने यहां के ऊपर विचार किया कि भारत में शिक्षा की आवश्यकता है आज हम इस सदन में बैठकर बड़े भाग्यशाली हैं शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं सोच रहे हैं सन् 1858 में मेयोर सेन्ट्रल कालेज इलाहाबाद में स्थापित हुआ तबसे लेकर यहां पर शिक्षा व्यवस्था चलती रही और 1917 में यहां उच्च शिक्षा को अलग किया गया और माध्यमिक शिक्षा को अलग कर दिया गया। तब से माध्यमिक शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा एक ही में चली आ रही थी। 1985 में हमारी प्राथमिक शिक्षा का निदेशालय अलग किया गया जब यह अलग किया गया तो उसके पीछे भावना यह थी कि छोटे-छोटे बच्चे हैं वह शिक्षा ग्रहण करें परन्तु आज हो क्या रहा है। यहां पर हमारे मंत्रीगण बैठे हैं अध्यक्ष महोदय बैठे हैं मैं जनपद उन्नाव की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। उन्नाव में जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक का भी बच्चा क, ख, ग, घ, अ, आ नहीं लिख सकता है। इसके कई कारण हैं एक मूल कारण यह है इस पर सरकार को पहल करनी चाहिए कि आज अध्यापकों के पास शिक्षा के अलावा टीकाकरण, पोलियो, वोटर लिस्ट बनाने, भवन बनाने आदि कई कार्य हैं इससे अध्यापकगण शिक्षा की ओर ध्यान नहीं दे पाते हैं। हमारे एक मित्र जो सत्तापक्ष में है श्री कृपाशंकर सिंह मैंने सोचा कि यह सत्ता पक्ष के विधायक हैं इसलिए बेसिक शिक्षा अधिकारी इनकी बात सुनेगा लेकिन उनके साथ प्रयास करता रहा हमारी बेसिक शिक्षा अधिकारी से टेलीफोन तक पर बात नहीं हो सकी। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अध्यापकों से शिक्षा के अलावा अन्य कोई कार्य न करायें भले ही इसके लिए

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सदन में पास करना पड़े। एक दूसरी बात मिड डे मील की है जिसकी हमारे मंत्री जी ने बड़ी प्रशंसा की यह उच्च न्यायालय का लदा हुआ बोझ है यह ऐसा बोझ है जिससे न तो बच्चे शिक्षा ग्रहण कर पा रहे हैं न ही अध्यापक पढ़ा पा रहे हैं। जैसे ही दस बजते हैं तसला लेकर चालू कर देते हैं सारा समय इसी में बीत जाता है मिड डे मील से शिक्षा व्यवस्था चौपट है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी व्यवस्था सदन में पास करें जिससे बच्चे पढ़ाई में ध्यान दें कोई भी व्यक्ति 100 रुपये कमाकर अपने बच्चों को खिला सकता है।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें।

श्री सुन्दर लाल लोधी-

मान्यवर, मैं अपने जनपद उन्नाव के बारे में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। वहां पर सैकड़ों विद्यालय ऐसे हैं जहां पर ऐसे अध्यापक तैनात है कि वहीं पर उनका जन्म हुआ, वहीं सस्पेंशन हुआ लेकिन बाद में कोई कार्यवाही नहीं हुई और उनका वहीं प्रमोशन हुआ आज भी वह वहीं तैनात है। एक गांव है ब्लाक सिकन्दरपुर, वहां पर करनीपुर शिवपुरी के अयोध्या सिंह तैनात हैं उनका अनियमितता पाए जाने पर निलम्बन वहीं हुआ और वहीं बहाली हुई आज भी वह वहीं कार्य कर रहे हैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह के मामलों को देखें।

अन्त में मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री मदन चौहान-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट।

श्री अध्यक्ष-

चौहान जी इतना कोशिश करें कि बहुत सदस्यों की इच्छा इस पर बोलने की है। इसलिये समय का ध्यान रखियेगा और उन्हीं बातों को न दोहराइेगा। कुछ अपनी बात कहें।

* श्री मदन चौहान-

बस मान्यवर, दो तीन बातें कहूंगा। मान्यवर, माननीय मंत्री जी द्वारा यह जो प्राथमिक शिक्षा पर रखा गया है और उस पर माननीय अनूप सण्डा जी ने जो अपना कटौती का प्रस्ताव रखा है उसको बल देने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, आज काफी अरसे से उच्च शिक्षा पर, माध्यमिक शिक्षा पर मैं काफी बात सुन रहा था और मेरा मन था कि मैं सुनता रहूं और कुछ सीखता रहूं लेकिन मान्यवर, मैंने देखा कि उच्च शिक्षा मंत्री बोलें, माध्यमिक शिक्षा मंत्री बोलें तो उन्होंने अपने शब्दों की कलाबाजी से और अपने आर्ट से अपना बजट रखा और अपनी बात कह कर चले गये। उन्होंने यह भी नहीं समझा कि प्राथमिक शिक्षा के बारे में कुछ समझें या वह कौन सी कड़ी है। मान्यवर, यह हम सबका मौलिक अधिकार है, हमारे देश में शिक्षा का सबको अधिकार है और उसी शिक्षा से हम लोग आगे बढ़ते हैं और उसी से हमारा समाज आगे बढ़ता है। उसी से हमारे बच्चे आगे बढ़कर रोजगार पाते हैं एक अच्छा ज्ञानवर्धन करते हैं। मान्यवर, इतिहास में

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गुरूकुल में पढ़ाई होती थी लंगोटी बांधकर पढ़े हैं। शहर से दूर जाकर पढ़े हैं और बड़े-बड़े वेदों की रचना की है, ग्रंथ लिखे हैं। एक तरफ माननीय मंत्री जी ने बहुत सी बातें कहीं। पुस्तक भी फ्री दे रहे हैं, बिल्डिंग बनवा रहे हैं, भोजन भी खूब बांट रहे हैं, अच्छे वेतन वाले शिक्षक भी दे रहे हैं, विद्युत भी जा रही है, कम्प्यूटर के लिये 12 करोड़ रुपये दे रहे हैं आखिर उसमें उनके अभिभावक उन बच्चों को पढ़ाना क्यों नहीं पसन्द कर रहे हैं ? आखिर उसमें बच्चों का ठहराव क्यों नहीं है ? मैं समझता हूं कि इस पर भी मैं समझता हूं माननीय मंत्री जी का ध्यान गया ही नहीं। आखिर यह समान स्तर उस पर ध्यान नहीं दिया गया। एक ही बात चलती रही स्वकेन्द्र परीक्षा पूर्व सरकार ने की थी, उस पर नकल का आरोप लगाकर अपने तमाम भ्रष्टाचार के आरोपों को एक तरफ करने का काम किया ताकि हमारे यहां की प्रदेश की जनता का ध्यान इस ओर न जाय।

मान्यवर, जब तक हम मानसिक तौर से तैयार नहीं होगे हमारा मानसिक संतुलन नैतिकता के आधार पर नहीं होगा तब तक हम कैसे शिक्षा का माहौल बना सकते हैं। आज शिक्षा का प्रचार और माहौल नहीं है। आज इस बात का कहीं जिक्र नहीं हुआ। बहुत सी योजनाएं शिक्षा की हमारे बीच में हैं लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता कहीं मौजूद नजर नहीं आई। मान्यवर, आज एक छोटा सा स्कूल कोई भी गांव में खोल लेता है। हम देखते हैं न उसमें बिल्डिंग है न कहीं बैठने की व्यवस्था है न कोई तरीका है लेकिन बच्चा वहां जाना ज्यादा पसन्द करता है। इस ओर सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। अभी शिक्षा मित्रों की बात आई। बिल्डिंग भी है और योजना भी है सरकार की कि 88 हजार शिक्षक भर्ती होंगे। मान्यवर, वह भर्ती तभी होगी जब दो चार साल में यह सरकार चली जायेगी और भर्ती का नम्बर नहीं आयेगा। मैं समझता हूं बहुत सारे स्कूल जहां इतना बड़ा अनुपात है (शोर) पूर्व सरकार ने तो भर्ती कर दिये थे आपने तो अभी तक एक भी भर्ती नहीं की। शिक्षा मित्रों के सहारे चल रहा है। 200 बच्चे शिक्षा मित्र के सहारे पढ़ रहे हैं। अगर अनुपात कम नहीं होगा माहौल कैसे बनेगा शिक्षा का। आज इस बात की जरूरत है कि पहले कोई ऐसी नैतिक शिक्षा का प्रारम्भ किया जाय। उस पर कम्प्यूटर की शिक्षा का प्रारम्भ किया जाय। यह 12 करोड़ का जो बजट है इसको बढ़ना चाहिए। तब एक माहौल तैयार होगा। मान्यवर, जहां एक ओर पब्लिक स्कूलों की बढ़ोत्तरी हुई है एक माहौल उनकी तरफ गया है सरकारी स्कूल में भी अगर हम उसी तरह का वेतनमान को लेकर पब्लिक स्कूल को और इनको बराबर रखें तो महौल तैयार करें, वहां के बच्चों को बैठने के लिये व्यवस्था करें, उनको तमाम जो हमारे विकलांग बच्चे हैं उनको आने जाने की घर से सुविधा प्रदान करें तब ही हम सोच सकते हैं कि हम प्राथमिक शिक्षा के बारे में सजग है। आज देश का सवाल हो, प्रदेश का सवाल हो चाहे ब्रिटिश राज को हम देख लें उन्होने भी एक स्कूल शुरू किया था इलाहाबाद में तब यह शिक्षा का प्रारम्भ हुआ।

मान्यवर, आज आर्थिक और सामाजिक असमानता बनी रहेगी अगर हम लोगों के बीच में शिक्षा को लेकर भी असमानता बनी हुई है। इस समान स्तर को पाने के लिये जब हम लोग सभी स्कूलों का सभी पाठ्यक्रम और उनकी गुणवत्ता को एक तरफ से जांचने का कोई ऐसी टीम बनाई जाय ताकि पब्लिक स्कूलों में और वहां के स्कूलों में कोई फर्क न रहे। जब हम गांव में जाते हैं तो

देखते हैं बच्चे धरती पर बैठे हैं और वहां के अध्यापक नदारद हैं, शहर चला गया या अपना काम करने चला गया शाम को लौटता है नहीं भी लौटता है तो जब तक हम यह व्यवस्था सुदृढ़ नहीं करेंगे भले ही हमने शिक्षा मित्रों को और मानदेय देकर आगे बढ़ना हो।

आज शिक्षा मित्रों को हटाने का काम, शिक्षा मित्रों को लगाने का काम प्रधान कर रहे हैं इस भ्रष्टाचार को दूर करने की आवश्यकता है इसको दूर करने की आवश्यकता है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, अब आप बैठ जाएं।

श्री मदन चौहान-

हम शब्दों की कलाबाजी करें, कलाबाजी के आधार पर बजट प्रस्तुत करें उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसी के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री विनोद चतुर्वेदी-

मान्यवर, संडा जी के कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिए आपने मुझे समय दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं माननीय मंत्री जी मैं एक बात कहना चाहता हूं जब आपने बजट भाषण शुरू किया तो मैं सोच रहा था कि कोई नई बात कह रहे होंगे। माननीय मंत्री जी जो विभाग आपके पास है वह किसी भी प्रदेश, किसी भी जिले, किसी भी देश की रीढ़ है जन्मदाता है आपका विभाग। लेकिन सबसे ज्यादा अगर भ्रष्टाचार किसी विभाग में है इस प्रदेश में, तो वह बेसिक शिक्षा विभाग में है मान्यवर, कई ऐसा स्कूल मैं उदाहरण दे सकता हूं आपको, सिद्ध पुरानवली एक गांव है वहां चार स्कूल हैं दो प्राइमरी और दो जूनियर बालिकाओं के और लड़कों के। चार स्कूल हैं और टीचर दो हैं सिर्फ दो। आप सोचिए सबको दस-दस हजार, पन्द्रह-पन्द्रह हजार तनख्वाह मिलती है, माधोगढ़ ब्लाक रामपुरा है, एक उदाहरण बता रहा हूं जनपद जालौन का किसी से छिपा नहीं है जो हालत है ए0बी0एस0ए0 पैसा लेते हैं, बी0एस0ए0 पैसा लेते हैं आप मत जाइए तनख्वाहें आपको मिलेंगी। पूरा सदन जानता होगा। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अध्यापकों के बारे में जानता न हो सभी सरकारों का यह दृढ़ संकल्प रहा, चूंकि आपने कदम उठाया है इसकी हम सराहना करते हैं लेकिन जो यह बी0एस0ए0 हैं यह आपके किसी कदम को सफल नहीं होने देंगे। मेरे यहां तो एक बी0एस0ए0 है। यहां सत्ता पक्ष के एम0एल0ए0 साहब बैठे हैं औरैया के, एक कांड हुआ था आपने अखबारों में पढ़ा होगा उनकी पोस्टिंग औरैया से उरई कर दी गई। उनके बारे में आप भी जानते होंगे। क्योंकि वह सत्तापक्ष के विधायक थे तो जैसे तैसे निपट भी गए। हम विपक्ष के विधायक हैं अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे थे दो इधर के लोग, दो उधर के लोग यह तो अध्यक्ष जी मेहरबान हैं कि अध्यक्ष जी हम बीच वालों पर मेहरबान हो गए कि हम बीच वालों की भी सुन ली। वरना आप तो हम लोगों को सुनना ही नहीं चाहते थे। माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम उस गोत्र से आते हैं तो हमें लगा कोई बहुत अच्छी बात हुई होगी। माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं आप तो मंत्री हैं। हमारी पार्टी ने मुख्य मंत्री बनाया और 1986 में स्टेट मिनिस्टर थे सैनी साहब यहीं, आपके ही गोत्र के, मैं आपसे बस एक ही निवेदन करता हूं कि अगर बेसिक शिक्षा का माहौल

आपने बदल दिया, वैसे यह कठिन काम है। हम भी बहुत सी बातें कहते हैं लेकिन जब टीचर इकट्ठा होकर आते हैं तो हम भी समझते हैं यह बड़ा नुकसान करेंगे। हालांकि अगर आप सफल हो गए बेसिक शिक्षा को सुधारने में तो इतिहास आपको स्वर्ण अक्षरों में लिखेगा। इसी के साथ मैं जो हमारे बी0एस0ए0 साहब हैं उनके बारे में पता लगा लें। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

* डा0 अजय तोमर-

मान्यवर, आपने मुझे अनूप जी के कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, प्रदेश ही नहीं देश की रीढ़ के यह पवित्र धाम प्राइमरी स्कूल के विषय में आज कुछ बात कहना चाहता हूं अनूप सण्डा जी की जो एक बात मुझे अखर रही है जब से इन्होंने बताया है कि किसी दलित महिला के हाथ से खाना खाने से प्रधान ने टीचरों ने बच्चों को भड़का दिया है। आज ऐसी सोच और सिद्धान्त के लोगों की आवश्यकता है, मान्यवर, चौ0 चरण सिंह का रसोइया एक दलित व्यक्ति रहा है। आज वैसी ही सोच की आवश्यकता है। तब समतामूलक समाज की कल्पना को हम पूरा कर पायेंगे। अगर कोई यह कहता है कि यह दलित है, ब्राह्मण है, गूजर है, जाट है या यादव है, अगर हमारे शिक्षक ही ऐसा कहेंगे तब यह कैसे पूरा होगा। यह समतामूलक समाज की कल्पना से परे है। मैं चाहता हूं कि अगर मंत्री जी के स्तर पर उस पर कार्यवाही नहीं हुई है तो अवश्य आज इस सदन में तय हो कि ऐसे मामलों में कठोर से कठोर कार्यवाही करने का भी निर्णय लिया जाए। मान्यवर, इसके साथ मैं कहना चाहता हूं, सुझाव भी है, आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह शिक्षकों को शिक्षक बना दें, शिक्षक बनाने का मतलब मिट्टी से न बनाये, उनको पोलियो ड्राप से निजात दिला दें, उनको जनगणना से निजात दिला दें, उनको मतदाता सूची बनाने से निजात दिला दें तो वह शिक्षक शायद शिक्षक रह पायेगा। इसके अतिरिक्त वह खाना बनाने से लेकर गैस का सिलेण्डर सिर पर ढोने तक का काम करता है, मान्यवर, इसके साथ एक और बात कहना चाहता हूं, मिड डे मील के चक्कर में बहुत सारे एडमीशन हैं, उन एडमीशनों का भी पारदर्शिता से निरीक्षण करायें। बच्चों के नाम उन स्कूलों में लिखे हुए हैं लेकिन वह पढ़ किसी पब्लिक स्कूल में रहे हैं, यह कोई कहे या न कहे लेकिन हर विधायक को इस बात का पता है कि ऐसा होता है। जब कोई डिप्टी या बीएसए कभी जाते हैं तो वह रंगीन ड्रेस जो स्कूल की है, प्राइवेट से लेकर पहन कर बच्चे वहां पहुंच जाते हैं।

मान्यवर, विद्युतीकरण के बारे में कहना चाहता हूं कुछ मजरे और गांव ऐसे हैं, जहां विद्युतीकरण नहीं हुआ है, ऐसी जगह जो स्कूल है, वहां पर भी विद्युतीकरण की व्यवस्था करें। इसके अलावा एक मामला है, एक अवैध नियुक्ति सुरेश शर्मा, सहायक अध्यापिका है, हाथरस में, 2003 से फर्जी नियुक्ति चली आ रही है, इस तरह के और भी प्रकरण हैं, इस पर कोई कार्यवाही नही हुई है। मान्यवर, बागपत और मेरठ का डी0एम0 टेलीफोन उठाता और वह अपनी मर्जी से प्रधान

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से मिलकर बिना किसी संस्तुति के कष्ट दे रहा है। मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

* श्री कुबेर सिंह-

मान्यवर, आपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिए आपने मुझे मौका दिया, धन्यवाद। मान्यवर, विषय यह है कि 6 दिसम्बर, 2006 को एक आदेश पास हुआ था, एक हजार स्कूलों को ग्रांट पर लाने के लिए उन्हें अनुदानित किया गया था, उसमें अधिकांश विद्यालय को पैसा मिल चुका है, उनका यथावत् वेतन निकल रहा है कुछ विद्यालय ऐसे लटके हुए हैं ये जूनियर हाई स्कूल है जो आपके शासन द्वारा 18 मई, 2007 में आदेश जारी हुए, पुनः आदेशों के उपरान्त बी0एस0ए0 और ए0डी. बेसिक दोनों से जब आख्या मांगी गई तो बी0एस0ए0 ने आख्या दे दी लेकिन ए0डी0, बेसिक के यहां फाइल 3-4 महीने से पड़ी है, उसमें लापरवाही क्यों की जा रही है, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। यह कहना तो बड़ा आसान है कि भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार तो इसलिए नहीं कह सकते हैं कि इस तस्वीर के नीचे कसम खाई थी, पहले अपने आप में अगर हम ठीक हैं तो भ्रष्टाचार शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है। वैसे तो एक 'नेता' गाली हो गयी है, नेता कह कर लोग गाली देते हैं। (हंसी) मैं वास्तविकता बता रहा हूं, नेता कह कर लोग गाली देने लगे हैं। बड़े संकोच और शर्म की बात है और उसके साथ-साथ उनके छोटे-बड़े भाई आई0ए0एस0 और आई0पी0एस0 के लिए भी उसी रूप में गाली बनने वाली है। तो मान्यवर, भ्रष्टाचार तो तब मिटेगा। जब हम अपने आप में ठीक होकर जो हमने कसम खाई है, उसमें आ जायें। यह विषय अलग है। परन्तु मैं यह जानना चाहता हूं कि उन गरीबों ने आपके उसमें आश्वासन लेकर के खा लिया। उन पर ब्याज चल रहा है कि हमें वेतन आज नहीं तो कल मिल जाएगा और आपके विभाग की लापरवाही की वजह से आप उन लोगों को वेतन दे भी देंगे तो उनको मिलेगा नहीं क्योंकि वह बाद में एडजस्ट होगा क्योंकि आपके यहां ऐसा नियम है। क्योंकि वह एरियर में चला जाएगा और उधर उन पर ब्याज चल रही है। आप देंगे भी तो आप उसमें समयबद्ध करते हुए तो मान्यवर, उसमें यह भी व्यवस्था कर लें कि इन्हें वेतन निकालकर दे दिया जाये क्योंकि उन पर ब्याज चल रही है। उस एरियर में समायोजन न किया जाये। एरियर में जाने से उनकी इतनी ब्याजें चलती रहेंगी कि उनकी जमीन-जायदादें बिक जायेंगी, कोई आत्महत्या करेगा तो मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है और मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री कालीचरण राजभर-

माननीय अध्यक्ष जी आपने मुझे माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के वर्ष 2008-09 के प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। माननीय अध्यक्ष जी, यह जो बजट प्रस्तुत किया गया है यह ऐतिहासिक बजट है क्योंकि यह बजट सुश्री बहन कुमारी मायावती जी के कुशल मार्गदर्शन में, बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर जी के उस सोच के तहत बनाया गया है जिस सोच के तहत बाबा साहब अम्बेडकर जी ने देशवासियों को

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नारा देने का काम किये थे कि ऐ देश के दबे, कुचले, शोषितों, पिछड़े सर्वसमाज के लोगों, शिक्षित बनो। यह बजट महात्मा महापुरुष ज्योतिबाराव फूले जी के उस सिद्धान्त के तहत बनाया गया है जिसमें उन्होंने नारा देने का काम किया था कि इस देश में बेटे और बेटी को समान शिक्षा का अधिकार है। मान्यवर, हमारे मर्सीहा, मान्यवर, कांशीराम जी के सोच पर यह बजट तैयार किया गया है कि अगर देश और प्रदेश में सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक परिवर्तन लाना है तो यह परिवर्तन बहुजन समाज पार्टी और शिक्षा की बदौलत ही मिल सकता है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी जो 74 अरब 63 करोड़ 94 लाख 87 हजार रुपये का जो बजट पेश किये हैं मैं इसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, प्राथमिक शिक्षा के अन्तर्गत तमाम प्रकार के कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। जिसमें सर्वशिक्षा अभियान, मध्याहन भोजन योजना, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। इस व्यवस्था के तहत शिक्षा की पहुंच की रफ्तार तेज होगी। बच्चों के ठहराव में वृद्धि होगी और शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो बजट पेश करने का काम किया है सर्वशिक्षा के अन्तर्गत 126100.00 लाख रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है जो इस मा0 सदन और प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक बजट है। मान्यवर, सर्वशिक्षा अभियान की योजना के तहत 2008-09 में 5 हजार लाख रुपये की जो व्यवस्था की गयी है। सदन के अंदर और सदन के बाहर भी इस बजट का पूरा समर्थन हो रहा है। मान्यवर, शिक्षामित्र के मानदेय के लिए इस बजट में 4900 लाख रुपये का बजट प्रस्तावित है। मान्यवर, कक्षा 1 से 5 तक सामान्य वर्ग के बालकों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक के लिए 2000 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है। मान्यवर, मिड डे मील योजना के अन्तर्गत इस बजट में 23000 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है, मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अपने विपक्ष के साथियों से कहना चाहता हूं कि अभी जो हमारे माननीय श्री अनूप सण्डा साहब ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उन्होंने जिस लफ्ज का इस्तेमाल किया है कि माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी को योग्यता के आधार पर मंत्री नहीं बनाया गया है बल्कि इनको सैनी समाज का जान करके मंत्री बनाया गया है। मान्यवर, मैं विपक्ष के साथियों को बताना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से विपक्ष के साथियों को बताना चाहता हूं कि क्या सैनी समाज का मंत्री बनाने पर उनको कष्ट है क्या राजभर समाजके बेटे को विधान सभा अध्यक्ष बनाने पर उनको कष्ट है, क्या चौहान समाज के बेटे को राजस्व मंत्री बनाने पर उनको कष्ट है, क्या वर्मा समाज के बेटे को संसदीय कार्य, वित्त मंत्री बनाने पर उनको कष्ट है, क्या समाजवादी पार्टी के लोगों को पाल समाज के बेटे को खेल मंत्री बनाने पर कष्ट है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि नौ महीने पहले उत्तर प्रदेश में जो सरकार रही है उस सरकार के ऊपर मैं कहना चाहता हूं उस सरकार की जितनी भी शिक्षा प्रणाली रही है, चाहे उच्च शिक्षा रही हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा रही हो, चाहे प्राथमिक शिक्षा रही हो, छात्रों और छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया गया था।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें, दो मिनट से ज्यादा कोई नहीं बोलेगा।

श्री कालीचरन राजभर-

मान्यवर, इसी के साथ मैं माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

* श्री राजेश कुमार-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बेसिक शिक्षा विभाग पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर बल देने के लिए खड़ा हूं। मान्यवर, अभी कटौती के प्रस्ताव को प्रस्तुत करते समय हमारे साथी माननीय विधायक ने साढ़े छः प्रतिशत अनुसूचित जाति के लोगों को साक्षर होने की बात कही। मान्यवर, इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? ज्यादातर यहां कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और इन लोगों ने दो कि0मी0 की दूरी पर रहने वाले गरीब तबके के लोगों के लिए बजट में कोई प्राविधान नहीं किया, लेकिन उत्तर प्रदेश की शेरनी बहन कुमारी मायावती जी ने जब दो किमी0 की परिधि में जुड़े हुए स्कूल एक किमी0 की परिधि में प्राथमिक विद्यालय देने का काम किया, जिससे दूर अंचल के गरीब तबके के लोगों को जब पढ़ने का मौका मिला तब इन विरोधियों के पेट में दर्द होने लगा मान्यवर, इस तरह से माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने आज उत्तर प्रदेश के गरीब खुशहाल लोगों से पूछिये जहां पर आजादी के 60 साल तक एक प्राथमिक विद्यालय नहीं था, जहां पर आजादी के 60 साल तक जूनियर हाई स्कूल नहीं था, वहां पर उत्तर प्रदेश की शेरनी बहन कुमारी मायावती जी ने परम पूज्य बाबा साहब के नारे को बढ़ाने के लिए, बाबा साहब ने कहा था शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो, इसके तहत बहन कुमारी मायावती जी ने दूरस्थ इलाकों में प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूल विद्यालय देने का काम किया। यही समाजवादी पार्टी की सरकार थी मान्यवर, उनकी सरकार में प्राथमिक विद्यालय और जूनियर हाई स्कूल विद्यालय में अध्यापक स्कूल तक नहीं जाते थे। 12 बजे जाते थे और हाजिरी लगा करके वेतन लेने का काम करते थे। लेकिन जब से हमारी सरकार बनी बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री बनीं तब से उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय, जूनियर हाई स्कूल के अध्यापकगण सभी लोग पोने दस बजे से लेकर पांच बजे तक शिक्षा देने का काम करते हैं। मान्यवर, यही नहीं प्राथमिक विद्यालय बनने से शिक्षा मित्रों की भर्ती होती है, जिससे हमारे शिक्षा मित्र भाइयों का भरण पोषण चलता है। इसी तरीके से शेरनी बहन कुमारी मायावती जी ने जो शिक्षा मित्रों को 2400 रुपये मिलता था उसको बढ़ाकर के 3000 रुपये करने का काम किया। एक ऐतिहासिक फैसला लेने का काम किया। यही समाजवादी पार्टी की सरकार थी जो दूरस्थ इलाके थे जहां पर अध्यापक 30-40 कि0मी0 से आता था, यह समाजवादी पार्टी की सरकार ने जिले में मुख्यालय में अटैचमेन्ट करा के उन विद्यालयों को लगभग बंद कर दिया था, जिससे शिक्षा ग्रहण नहीं हो पाती थी। हमारी बहन कुमारी मायावती जी जब मुख्य मंत्री बनी तो उन्होंने इस नियम को खत्म करके उन्हें दूरस्थ इलाकों में तैनात करने का काम किया। धन्यवाद।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

* श्री महिपाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, बेसिक शिक्षा मंत्री डा0 सैनी साहब ने जो बेसिक शिक्षा विभाग का बजट रखने का काम किया है, मैं बहन कुमारी मायावती अपनी नेता, इस सदन की नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश को बधाई देना चाहता हूं। सहारनपुर के लोग विशेषकर बैकवर्ड के लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि बेसिक शिक्षा विभाग का बजट माननीय डा0 धर्म सिंह सैनी द्वारा इस सदन में रखकर के एक इतिहास जो रचने का काम किया है, मैं माननीय बहन जी को बधाई देना चाहता हूं। मान्यवर, अगर किसी पेड़ पर अच्छे फल चाहिये तो यह जरूरी है कि उसकी अच्छी नर्सरी हो तभी अच्छे फल आ पाते हैं। उसी तरह से अगर बहुमंजिली इमारत खड़ी करनी है तो जरूरी है कि उसकी नींव अच्छी हो। इसी तरह से हमारी नर्सरी शिक्षा पर ही हमारा भविष्य खड़ा होता है। वह चाहे सामान्य शिक्षा हो या टेक्नीकल एजूकेशन हो। मान्यवर, चाहे ग्रेजुएट होना हो या पोस्ट ग्रेजुएट होना हो, आई0ए0एस0, आई0पी0एस0 बनना हो अगर बेसिक शिक्षा के स्तर पर तो निश्चित रूप से आगे की शिक्षा अच्छी होती है। तो जो यह बजट प्रस्तुत किया गया है शिक्षा जगत पर एक उदाहरण पेश करने का काम किया गया है। मान्यवर, बेसिक शिक्षा विभाग का बजट माननीय सैनी साहब ने प्रस्तुत करने का काम किया है। मान्यवर, प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिये हमारी सरकार ने प्रदेश के सभी 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा सुलभ कराने हेतु कृत संकल्प है। हमारी प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है कि सभी सरकारी विद्यालयों में मूलभूत सुविधायें उपलब्ध करायी जायें तथा विद्यालयों के भौतिक एवं व्यवहारिक परिवेश को और अधिक मजबूत बनाया जाये। मान्यवर, हमारे सामने बैठने वाले जिनकी तत्कालीन सरकार थी उन्होंने उतना जोर नहीं दिया, जितना आज हमारी सरकार द्वारा बेसिक शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। मान्यवर, बहन कुमारी मायावती जी ने जैसे ही सत्ता की शपथ ली थी उन्होंने प्राथमिक शिक्षा के विकास को अपनी प्राथमिकता बनाने का निर्णय लिया था। मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने सरकार बनने के तत्काल बाद प्राथमिक विद्यालयों के 88 हजार शिक्षकों की भर्ती हेतु घोषणा की थी, जिसमें 60 हजार लोगों का चयन किया जा चुका है। 28 हजार विशिष्ट बी0टी0सी0 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया की जा रही है। मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा सभी विद्यालयों के विद्युतीकरण, शौचालय, हैण्डपम्प तथा चहारदीवारी की व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। मान्यवर, ग्रीष्मकालीन अवकाश में समस्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्यालयों की रंगाई, पुताई तथा आवश्यकतानुसार मरम्मत कराये जाने का निर्णय लिया है इससे पठन-पाठन का अच्छा वातावरण विकसित होगा।

शैक्षिक रूप से पिछड़े 680 ब्लाकों के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों हेतु भी पौष्टिक एवं स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था की गयी है। मान्यवर, इसी तरह से शैक्षिक रूप से पिछड़े विकास खण्डों में अपवंचित, अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक एवं कमजोर वर्ग की बालिकाओं के लिये कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय योजना संचालित हमारी सरकार द्वारा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की जा रही है। इसी प्रकार से हमारी सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर गत वर्ष के अवशेष प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं अतिरिक्त कक्षा कक्षों के भवनों का निर्माण पूर्ण कराये जाने का निर्णय लिया गया है। इस तरह से हमारी सरकार द्वारा बेसिक शिक्षा के विकास पर बहुत बल दिया जा रहा है। मान्यवर, 2008-09 के बजट में छात्रवृत्ति मद में 60 करोड़ रु0 की व्यवस्था की गयी है। इसी तरह से मदरसों/मकतबों में धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ आधुनिक विषयों की शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से इन संस्थाओं में लगभग 3700 प्राथमिक एवं अपर प्राथमिक शिक्षा में उर्दू जुबान की बेहतरी के लिये हमारी सरकार ने 13000 उर्दू शिक्षकों को प्रशिक्षित कर नियुक्ति देने का काम कर रही है। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बेसिक शिक्षा मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करने का मौका दिया।

श्री रविन्द्र नाथ त्रिपाठी-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे मा0 डा0 धर्मसिंह सैनी द्वारा रखे गये बेसिक शिक्षा विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया। मैं इसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, सबसे पहले मैं सामाजिक परिवर्तन के संतों गुरुओं को नमन करते हुए भारत के संविधान निर्माता डा0 भीमराव अम्बेडकर एवं सामाजिक परिवर्तन के महानायक मान्यवर, कांशी राम साहब को नमन करते हुए मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रवेश ही नहीं भारत के करोड़ों-करोड़ों सर्वजन लोगों की लोकप्रिय उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री बहन कुमारी मायावती जी के आशीर्वाद से इस प्रदेश के सबसे बड़े सदन में मुझे पहुंचने का मौका मिला, मैं बहन जी का भी आभारी हूं।

मान्यवर, शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति पैदा करने वाले हमारे संतों, गुरुओं जिसमें परमपूज्य बाबा साहेब, महात्मा ज्योतिबाराव फूले साहब ने हमारे देश मे सबसे पहले महिलाओं को शिक्षित करने का नारा दिया था। डा0 भीमराव अम्बेडकर साहब ने सर्वसमाज के लोगों को शिक्षित बनों का नारा देने का कार्य किया था। उन्होंने कहा था, शिक्षित बनो, आगे बढ़ो। मान्यवर, आज मुझे कहने में जरा सा भी संकोच नहीं है कि बहन कुमारी मायावती जी के कुशल नेतृत्व में माननीय डा0 धर्म सिंह सैनी, मंत्री बेसिक शिक्षा द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है वह सराहनीय है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि यह जो लोग विपक्ष में बैठे हुए हैं इन्होंने बेसिक शिक्षा के साथ क्या-क्या किया है यह किसी से छिपा नहीं है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं अपने विधान सभा क्षेत्र बरसठी जौनपुर का उदाहरण देना चाहता हूं जहां पर आज 3-4 साल पहले 16 जूनियर हाई स्कूल और 61 एक कक्षीय भवन स्वीकृत हुए और जब वह विद्यालय स्वीकृत हो गये तो वहां माफियाओं के चंगुल में दे दिया गया और उन माफियाओं ने क्या किया कि उन अध्यापकों से जबरदस्ती पैसा वसूलने का काम किया लेकिन जैसे ही बहन कुमारी मायावती जी की सरकार बनी उसके ठीक एक महीने के अन्दर उन विद्यालयों में कार्य प्रारम्भ हो गया और इतना ही नहीं बहन कुमारी मायावती जी ने उन माफियाओं को भी जेल भिजवाने का काम किया। मान्यवर, आज बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी है तो पूरे प्रदेश में अमन

चैन का वातावरण है। इसके पहले जो कुछ हुआ है वह किसी से छिपा नहीं है चाहे वह मदरसा काण्ड रहा है चाहे वह निठारी काण्ड रहा हो जब कोई भी माता पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजता था तो वह यह नहीं समझता था कि बच्चा हमारा स्कूल से वापस लौटेगा या नहीं। मान्यवर, हत्याओं का दौर चल पड़ा था। पूरे प्रदेश में, जनता भी जी रही थी किसी तरह से क्लेश में। कैसे दुरुस्त रहती उस समय कानून व्यवस्था क्योंकि अपराधी टहल रहे थे सपाई के वेश में।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे डा0 धर्म सिंह सैनी के द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग के बजट पर माननीय अनूप सण्डा द्वारा रखे गये कटौती प्रस्ताव पर आपने बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में अभी बहुत कुछ कार्य करने की आवश्यकता है। बड़ी दिक्कतें हैं वह सारी दिक्कतें आज पैदा नहीं हो गयी हैं और उनका समाधान भी एक दिन में नहीं हो सकता। 40-50 साल से जिस बेसिक शिक्षा के सहारे हम शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। उस शिक्षा को सुधारने का काम भी एक दिन में नहीं हो सकता उसमें बहुत कुछ काम करने की आवश्यकता है। मैं एक सुझाव माननीय मंत्री जी को देना चाहता हूं। अभी तो मैं यही समझ पा रहा था तमाम लोग चर्चा कर रहे थे तो यही नहीं समझ आ रहा था कि यहां पर गृह विभाग पर चर्चा हो रही है या बेसिक शिक्षा विभाग के बजट पर चर्चा हो रही है। मान्यवर, जो आपका दोपहर का भोजन है जो बेसिक प्राइमरी स्कूलों में देने का काम हो रहा है। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मुझे जानकारी है जो गैस का सिलेण्डर है वह आज अध्यापक को ग्राम के प्रधान को नहीं मिल पा रहा है। गांव के प्रधान का काम हो गया कि वह रोज गैस का सिलेण्डर लेने के लाइन में जाकर लगता है और उसको सिलेण्डर नहीं मिलता है वह वापिस आ जाता है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी यहां पर उपस्थित हैं। कोई ऐसी व्यवस्था आप लोग कर दें कि स्कूल के भोजन के लिये प्राथमिकता के आधार पर गैस का सिलेण्डर मिल जाये उनको वापिस भेजने का काम न हो। ऐसी व्यवस्था करने का काम कर दें जिससे आपके स्कूल में अध्यापकों को बच्चों के लिये समय से खाना बनाने की व्यवस्था हो जाय। यह एक सुझाव देकर अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सुरेश्वर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने माननीय सदस्य श्री अनूप सण्डा जी के कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये हम आपके आभारी हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि जो बजट का क्रम रखा गया है वह क्रम उल्टा है। पहले किसी इमारत को बनाने के लिये उसकी नींव रखी जाती है, नींव के बाद दीवालें बनाई जाती हैं और जब दीवालें बनकर खड़ी हो जाती हैं तब छत डालने का काम किया जाता है। इस सदन में आज उच्च शिक्षा विभाग का बजट सबसे पहले लाया गया, उसके बाद माध्यमिक शिक्षा और उसके बाद में बेसिक शिक्षा विभाग का बजट सबसे बाद में लाया गया। मान्यवर, यहां अभी जो साहित्य हमको मिला है उसके हिसाब से सरकार की कथनी और करनी में बड़ा अन्तर है। सर्वशिक्षा अभियान के

तहत प्राथमिक विद्यालयों के भवनों के निर्माण की जहां तक बात है इस साल तक केवल 102 पूर्ण हुए हैं। 6154 विद्यालय निर्माणाधीन हैं। अतिरिक्त कक्षा और कक्षों के निर्माण में 5.57 प्रतिशत का निर्माण ही हो पाया है। हैण्डपम्पों के लिये और जहां तक चहारदीवारी और कक्षों के निर्माण की बात की गयी है, हैण्डपम्प के स्थान पर एक नोटिस लगा दी गयी है कि हैण्डपम्प की स्थापना में प्रगति इसलिये बाधित हो रही है कि भारत सरकार द्वारा हैण्डपम्प की इकाई लागत 15 हजार रुपये स्वीकृत की गयी है जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित इकाई लागत 18 हजार रुपये मैदानी क्षेत्र से कम हैं मान्यवर, बजट में जहां चहारदीवारी, बिजली की व्यवस्था करना, वहीं पानी भी सबसे अति आवश्यक है। सरकार के इस बजट में पानी के लिये कोई प्राविधान नहीं है। सबसे पहले हम आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं कि प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में एक इण्डिया मार्का हैण्डपम्प आवश्यक है। मान्यवर, सर्वशिक्षा अभियान के तहत शिक्षकों की तैनाती में 2006-2007 में 14,850 शिक्षक तैनात होने थे, 14,850 तैनात हुए, 2007-2008 में 17,349 था उसके आगे रिक्त हैं, एक भी शिक्षक अभी तक तैनात नहीं हुआ। प्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या में समेकित शिक्षा में 8612 वर्ष 2006-2007 में हुए थे। वर्ष 2007-2008 में संख्या शून्य है। यह तो हुआ बजट से, जो आपने रखा है। कुछ सुझाव है हमारी तरफ से। बेसिक शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिये सरकार को धरातल पर जाकर बेसिक शिक्षा का सुधार करना पड़ेगा। बेसिक शिक्षा ही शिक्षा का मेरुदंड है, इसमें सुधार लाये बिना हम बहुसंख्यक समाज के शिक्षा के स्तर को ऊपर नहीं उठा सकते। मान्यवर, शिक्षा के स्तर को बढ़ाने की बात करना ही बेमानी होगी। प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों से शिक्षण कार्य के अतिरिक्त रसोइया का काम लिया जा रहा है, उनसे ठेकेदारी का काम लिया जा रहा है, भवन निर्माण कराया जा रहा है, मतदाता सूची बनाने का काम लिया जा रहा है, फोटो पहचान पत्र का काम लिया जा रहा है, पिछड़ी जाति की गणना का कार्य लिया जा रहा है, आर्थिक गणना जैसे तमाम कार्य शिक्षकों से कराये जा रहे हैं। विद्यालयों में शिक्षकों के अभाव में पढ़ाई जैसे कार्य बाधित हो रहे हैं शिक्षकों की नियुक्ति के समय उन्हें ग्रामीण अंचल में कार्य करने के लिये एक निश्चित अवधि तक के लिये अनुबंधित करना होगा। अधिकारियों को भी सरकार से यह निर्देश देना पड़ेगा कि बंद पड़े विद्यालयों को प्राथमिकता के आधार पर खुलवाया जाय जो ग्रामीण इलाकों में हैं, सरयू और घाघरा के बीच में जो विद्यालय है, वह बंद पड़े हैं। जो नियुक्तियां होती हैं वह शहर के किनारे या जो सुविधाजनक जगह होती है, वहां हो जाती हैं और जो बंद पड़े विद्यालय हैं वहां कोई भी शिक्षक नहीं जाता है। इसकी ओर भी सरकार का ध्यान हम दिलाना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें।

श्री सुरेश्वर सिंह-

मान्यवर, एक बात हमारी विधान सभा की है, हमारी विधान सभा में लगभग तीन दर्जन प्राथमिक विद्यालय घाघरा एवं सरयू के मध्य तट पर है जहां शिक्षकों का अभाव रहता है। मान्यवर,

ऐसी पाठशालाओं को प्राथमिकता देना परम आवश्यक है। आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

श्री कृष्ण गोपाल पटेल-

माननीय अध्यक्ष जी, बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने इस विभाग का बजट रखा, मा0 मंत्री जी कह रहे थे कि मैं ऐसे समाज से चुन करके आया हूं और यह पहला मौका सैनी समाज को सदन में बजट रखने का मिला है। मैं मा0 मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि इस सदन के सम्मानित सदस्य श्री राम सिंह सैनी जी भी मंत्री रहकर इस सदन की शोभा बढ़ा चुके हैं। यह बहुत गम्भीर विषय है। यह विभाग 1972 तक शिक्षा निदेशक के अन्तर्गत आता था, 1975 में इसका विभाजन हुआ और इसको मान्यता मिली। प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा तीनों बने। प्राथमिक शिक्षा शिक्षा की सबसे पहली और अहम् सीढ़ी है। अगर प्राथमिक शिक्षा में सुधार नहीं आयेगा तो निश्चित तौर से चाहे माध्यमिक शिक्षा चाहे उच्च शिक्षा में बच्चा चला जाये उसका स्तर नहीं उठ सकता है। गांव की स्थिति बहुत खराब है, वहां जो प्राइमरी स्कूल बने हुए हैं वहां पर तीन-तीन, चार-चार सौ बच्चे एक शिक्षक लिए बैठा हुआ है, एक शिक्षा मित्र और उन्हें मिल गया है। जब तक वहां पर टीचरों की व्यवस्था नहीं की जायेगी और कम से कम 70 बच्चों पर जब तक एक टीचर नहीं होगा तब तक मैं समझता हूं कि बच्चों को ठीक से शिक्षा नहीं दी जा सकती है। आज बच्चा कक्षा आठ से पास हो करके जब कक्षा-9 में जाता है तो वह अंग्रेजी में अपना नाम तक नहीं लिख पाता है। आज तमाम मा0 सदस्य सदन के अन्दर बैठे हुए हैं आप में से कितने लोग अपने बच्चों को प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाना पसन्द करेंगे। अधिकारी भी अपने बच्चे को कान्वेन्ट में पढ़ाना पसन्द करेंगे न कि इन प्राइमरी पाठशालाओं में। मान्यवर, जब हम अपने बच्चों को इन स्कूलों में पढ़ाना नहीं पसन्द करते हैं तो गांव का आदमी अपने बच्चों को इन स्कूलों में क्यों पढ़ाना चाहेगा। आज हम उन्हें भोजन देने की बात करते हैं, ठीक है, हम उनको भोजन दे रहे हैं, ड्रेस देने की बात करते हैं, ठीक है, हम उन्हें ड्रेस दे रहे हैं, किताबें उपलब्ध कराने की बात करते हैं, यह सारी चीजें मिलती हैं लेकिन क्या उससे शिक्षा का स्तर ऊंचा उठ रहा है, कदापि नहीं। खाली स्कूल के अन्दर इस लालच में नाम लिखा दिया कि आपको दोपहर का भोजन मिल जायेगा, नाम लिखा दिया इस लालच में कि आप चले जाइये आपको किताबें मिल जायेंगी। आपकी ड्रेस मिल जायेगी, आपको वजीफा मिल जायेगा। मान्यवर, यह सारी सुविधाएं अच्छी हैं, ठीक है, लेकिन इसके साथ-साथ हमको यह देखना होगा कि किस तरीके से शिक्षा का स्तर उठे। मान्यवर, शिक्षा की जो पहली सीढ़ी है उससे ही बच्चा जब परिपक्व होकर आगे बढ़ेगा चाहे वह कक्षा 6 में जाये चाहे वह कक्षा 9 में जाय तो मैं समझता हूं कि उनमें समानता आयेगी। आज कई पब्लिक स्कूल हैं पढ़ा रहे हैं और पब्लिक स्कूल और प्राइमरी स्कूलों में कोई समानता नहीं हो पा रही है। समानता लाने के लिए प्राइमरी और पब्लिक स्कूलों का सिलेबस एक होना चाहिए और एक सिलेबस के तहत चाहे प्राइमरी का बच्चा हो चाहे नर्सरी का बच्चा हो उनको एक सिलेबस मिलना चाहिए। वही सिलेबस गांव के अन्दर पढ़ाया जाना चाहिए और वही सिलेबस पब्लिक स्कूलों में पढ़ाना

चाहिए। आपके माध्यम से मंत्री जी कहना चाहते हैं कि टीचर तत्रैयों का छत्ता है, उनको आप छेड़ नहीं सकते। टीचर के पास पढ़ाने के सिवाय सारे काम है, खाली पढ़ाने का काम टीचरों के पास नहीं है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि टीचरों को खाली पढ़ाने के लिए लगाया जाए न कि उनको और कामों के लिए मौका दिया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

माननीय अध्यक्ष जी, बेसिक शिक्षा विभाग के बजट पर जो श्री अनूप सण्डा जी ने कटौती का प्रस्ताव रखा है उस पर बल देने के लिए आपने मौका दिया इसके लिए आपका आभारी हूं। अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूं कि बेसिक शिक्षा मंत्री जब अपना बजट भाषण रख रहे थे तो मैं समझ रहा था कि गरीबों, मजलूमों के लिए इसमें कुछ घोषणायें होंगी, जो बिना सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्थायी स्कूल हैं उनको अनुदान सूची में लिया जायेगा। माननीय मुलायम सिंह यादव जी, जब पिछली सरकार में मुख्य मंत्री थे तो 1100 विद्यालयों को अनुदान सूची में ले करके तमाम दबे-कुचले जो बहुत कम पैसे में 500, 600 या 1000 रुपये में मास्टरी प्राइवेट स्कूलों में करते हैं उनको अनुदान सूची में ले करके हजारों-हजार परिवार को खुश करने का काम किया था। इस बजट में उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। साथ ही में 1994-95 में जो उर्दू अध्यापक नियुक्त हुये थे उनको आज तक प्राध्यापक के पद पर नहीं नियुक्त किया जा रहा है, इसकी भी इस बजट में कोई व्यवस्था नहीं है। इस बजट में इसकी भी कोई व्यवस्था नहीं है कि जो मान्यता प्राप्त स्थायी स्कूल हैं 1990, 1992, 1994 से मान्यता प्राप्त है उसमें 10-20 साल से जो मास्टर पढ़ा रहे है, उनको ट्रेण्ड करने के लिए सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की है न बी0टी0सी0 की ट्रेनिंग दे सकें तो पत्राचार बी0टी0सी0 ही माननीय मंत्री जी दे दें। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं, उर्दू से जुड़ी हुई बहुत महत्वूपर्ण परेशानी है इसको मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वर्ष 2006 के द्वितीय बैच के 5000 चयनित प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण चयन के डेढ़ वर्ष और हाईकोर्ट के आदेश के 3 माह बीत जाने के बाद भी किन परिस्थितियों में नहीं शुरू किया जा रहा है तथा वर्ष 2005 के 3000 तथा वर्ष 2006 के प्रथम वर्ष के 5000 कुल 8 हजार प्रशिक्षुओं को मानदेय क्यों नहीं दिया जा रहा है, सरकार प्रशिक्षण शुरू कराने की तिथि बताये ? सरकार समय-समय पर 13 हजार उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति की बात करती है जबकि सच्चाई इसके विपरीत है क्योंकि कुल 8 हजार प्रशिक्षु ही प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और प्रदेश के 5000 प्रशिक्षु प्रशिक्षण शुरू कराये जाने की राह देख रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

उस्मानी जी, अब समाप्त करें।

डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

उन्हें अभी तक प्रशिक्षण के लिए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश ही नहीं हुआ है, उनकी नियुक्ति किस तरीके से होगी। माननीय अध्यक्ष जी, एक मिनट में अपनी बात को खत्म

कर रहा हूं। सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष शपथ-पत्र देकर के 25,500 उर्दू अध्यापकों की आवश्यकता की बात बतायी। जब इतने पद रिक्त हैं और उच्च न्यायालय ने नियुक्ति और प्रशिक्षण कराने की छूट सरकार को दे दी है तो आगे प्रशिक्षण क्यों नहीं शुरू करायी जा रही है ? बचे हुये 12,500 पदों के लिए नई नियुक्ति की प्रक्रिया क्यों नहीं शुरू की जा रही है ? यह 13 हजार पद जो स0पा0 सरकार ने विज्ञापित और चयनित किये थे, चयनित प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण के दौरान 2500 रुपये की इमदाद दिया जाना बन्द कर दिया गया है, उनको 2500 रुपया प्रतिमाह प्रशिक्षण वाला पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष-

उस्मानी साहब बहुत समय हो गया, अब समाप्त कर दीजिए।

डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

मान्यवर, आखिर में एक बात कहकर अपनी बात खत्म करता हूं लखीमपुर में भरत कुमार वर्मा, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के पद पर तैनात हैं उन पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति ऐक्ट का मुकदमा भी कायम हुआ है, उनको वहां के ब0स0पा0 के विधायक ने हटवा दिया था और हमीरपुर ट्रान्सफर हो गया था लेकिन किन परिस्थितियों में अधिकारियों ने कितना-कितना सुविधा शुल्क लेकर पुनः उस भरत वर्मा को लखीमपुर में तैनात कर दिया, वह फिर वहां भ्रष्टाचार की जड़ बनाये हुये है, उसको क्यों नहीं हटाया जा रहा है। इसी के साथ मा0 अध्यक्ष जी, कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

* श्री आसिफ-

माननीय अध्यक्ष जी, पहली बार मुझको बोलने का मौका दिया, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने जो प्रदेश के हित में अपना बजट रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं और उन लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं जो कटौती के नाम पर अपनी बात रखना चाहते हैं अपनी बात रखी कितने जागरूक हैं समाज के लिए कितने जागरूक हैं नन्हें मुन्हें बच्चों के लिए कितने जागरूक हैं प्रदेश के लिए यह इनकी संख्याबल को देखकर ही पता चल जाएगा। हम बेसिक शिक्षा के प्रति जागरूक हैं, हम नन्हें मुन्हें बच्चों के लिए जागरूक हैं हम बच्चों को पढ़ाकर इंजीनियर बनाना चाहते हैं, हम उनको डाक्टर बनाना चाहते हैं। अनूप सण्डा साहब ने अपने कटौती के प्रस्ताव पर बोलते हुए कहा कि आजादी से लेकर आज तक 60 वर्ष हो गये और इन 60 वर्षों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के साढ़े 6 प्रतिशत बच्चों को ही शिक्षा मिली है। मैं बताना चाहता हूं कि देश की आजादी से लेकर आज तक इन 60 वर्षों में इस प्रदेश में किसकी सरकार रही है। इसमें कांग्रेस की सरकार रही, बी0जे0पी0 की सरकार रही और सपा की सरकार रही इसके लिए कौन दोषी रहा। मैं सलाम करता हूं बहन कुमारी मायावती की मां को जिसने उनको पैदा किया है। मैं उस मुख्य मंत्री को सलाम करता हूं हजारों साल किस्मत अपनी बेनूरी पे रोती रही बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। बहन कुमारी मायावती ने मुझे छोटे से रास्ते से

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उठाकर टिकट देकर और जिताकर इस सदन में अपनी बात रखने का मौका दिया इसके लिए मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। विपक्ष के लोग अपने गिरेबान में झांकें लोकतंत्र की हत्या मत करें। लोकतांत्रिक जो सिस्टम है देश और पूरी दुनियां जिसका लोहा मानती है। आपको विपक्ष में बैठने का मौका दिया सुझाव देने का काम करें हम लोगों ने अपने दम पर सरकार बनाई है। आपने जिन तीन सालों सरकार चलाई उसमें प्रदेश का क्या हाल कर दिया इसी कारण ही जनता ने आपको सीख दी है। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री राम प्रकाश कुशवाहा-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया। इसके साथ ही साथ मैं पूरे सदन को धन्यवाद देता हूं। मैं इस सदन का नया सदस्य हूं पहली बार बोलने का मौका मिला है मैं श्री आसिफ खां व अन्य सत्ता पक्ष के जिन सदस्यों ने बजट के समर्थन में अपनी बात रखी मैं उससे अपने को सम्बद्ध करता हूं। मैं इस मौके पर आदरणीय बहन कुमारी मायावती को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जिस तरह से हमारे जैसे अति पिछड़े समाज से आए हुए भाई को यह बजट प्रस्ताव रखने का मौका दिया। मैं विरोध के सदस्यों से आग्रह करना चाहता हूं कि हम लोग उस समाज से आए हैं जिसने शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अग्रणी भूमिका निभाई। श्री ज्योतिबा फूले जैसे पिछड़े समाज के लोग जिस समाज में रहे हैं निश्चय ही उस सैनी समाज के व्यक्ति को आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने मौका दिया कि वह सदन में आकर अपनी बात रख सके। जहां तक विपक्ष की गम्भीरता की बात है तो यह संख्याबल के आधार पर ही पता चल जाएगा कि विपक्ष कितना गम्भीर है। यहां विपक्ष के लोग इतनी कम संख्या में हैं यह दर्शाता है कि विपक्ष की शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभाग में कितनी रुचि है।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें।

श्री राम प्रकाश कुशवाहा-

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री राम सागर अकेला-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने बेसिक शिक्षा मंत्री के बजट पर अपनी बात रखने का मौका दिया है, उसके लिये मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। अभी कटौती का प्रस्ताव रखते हुए माननीय सदस्य अनूप सण्डा जी ने माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी पर कहा कि जब मैंने आपको शिक्षा मंत्री के रूप में पाया तो जाना कि आप विद्यान हैं लेकिन यह बात मुझे अखरी कि आपकी सैनी होने के नाते मंत्री बना दिया गया। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने एक बात कही थी कि इतिहास बनता है। मान्यवर, मैं आज इस सदन में इतिहास क्या बना है ? मैं एक शब्द में कहना चाहता हूं आप जानते हैं न जानते हों तो जान लें कि सबसे पहले इस देश में नारियों की शिक्षा के लिये

1848 में जो पहला विद्यालय खोला गया प्राथमिक विद्यालय वह महात्मा ज्योतिबाफूले ने खोला जो माली बिरादरी के थे और जब नारी शिक्षा के लिये खोला तो उसी शिक्षा के बदौलत बहिन कुमारी मायावती जी इस सदन की नेता है। जब वो इस सदन की नेता हैं तो उन्होंने उस ऋण को चुकता किया। किस ऋण को ? जिस ऋण को महात्मा ज्योतिबाफूले ने 1848 में प्राथमिक विद्यालय खोलकर नारियों के पढ़ने के लिये दरवाजा खोला। इसलिये बहिन कुमारी मायावती जी ने इतिहास बदला कब ? 160 वर्ष लगे इस इतिहास को बदलने में। इतिहास बनाने में 160 वर्ष लगे। आज 2008 का बजट उसी माली बिरादरी में पैदा हुए डा0 धर्मपाल सिंह सैनी जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं। (मेजें थपथपाई गईं।) मान्यवर, इतना ही नहीं खत्रिय परिवार में पैदा होने वाले हमारे क्षेत्र में हमारे विधान सभा क्षेत्र में तथागत भगवान बुद्ध ...

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें।

श्री राम सागर अकेला-

मान्यवर, सिर्फ एक लाइन कहना चाहता हूं कि भगवान बुद्ध ने उपदेश देते हुए कहा कि ततो मला मल तरं अधिज्जा परंम मलंग एते मलंम पहन्चात् निमला होत् विक्जवा हे संसार के लोगों आपके शरीर में तमाम तरह के मैल हैं। इन मैलों को साफ करने का तमाम तरह का उपाय करते हैं लेकिन सबसे बड़ा मैल है आपके शरीर में अविद्या और यही दुःखों की जड़ है। जब तक यह जड़ आपके शरीर में रहेगा तब तक आपको सुख की कल्पना करना व्यर्थ है। इसलिये बहिन कुमारी मायावती जी ने बेसिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया प्राथमिक शिक्षा पर जो ध्यान दिया उसका कारण यह है कि जब आप बजट में देखेंगे तो 2500 प्राथमिक विद्यालय, 4000 उच्च प्राथमिक विद्यालय और 15 हजार अतिरिक्त कक्षों का निर्माण करके बहिन कुमारी मायावती जी की इस सरकार ने प्राथमिक शिक्षा को बल देने का काम किया है और देखेंगे कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत राज्यांश वर्ष 2008-2009 में 1 लाख, 26 हजार 100 लाख रुपये की व्यवस्था करके बहिन कुमारी मायावती जी की यह सरकार शिक्षा मंत्री जी का यह बजट सर्वशिक्षा अभियान को गति देने का काम किया है। मान्यवर, आपका समय मैं ज्यादा नहीं लूंगा भगवान बुद्ध के उन अंतिम शब्दों को कहते हुए कि अन्त दीपो अत्तशरणागह अपना दीपक स्वयं बनो, अपनी शरण जाओं और उन शब्दों के साथ कि यदि अंधकार को भगाना है तो प्रकाश की खोज करो जिस तरह हम शाम ढलते ही अपने घरों में दिया बत्ती जलाते हैं तो ज्ञान के दीपक को जलाने के लिये विद्या की शरण में जाना है। (शोर) अरे रुक जाओ भाई आपने इस बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

(श्री अध्यक्ष द्वारा मंत्री जी को बुलाने पर तथा किसी सदस्य के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी एक मिनट बैठ जाइये। माननीय सदस्य उठते बैठते थक गये हैं। लगभग आधा घण्टा हो गया है। इनको बोलने दें।

*ठाकुर सूरजपाल-

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बेसिक शिक्षा के बजट पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये आपका आभार प्रकट करता हूं। माननीय शिक्षा मंत्री ने जो बेसिक शिक्षा का बजट पेश किया है तो मैं बेसिक शिक्षा के बारे में बताना चाहता हूं कि बेसिक शिक्षा इस मानव जीवन का बेस होता है जिन लोगों ने, मान्यवर, मैं आपके माध्यम से विपक्ष के लोगों को बताना चाहता हूं कि इन लोगों ने बेस ही को पहले खराब कर दिया था तो अपने बच्चे को मान्टेसरी प्राइवेट स्कूल में क्यों नहीं पढ़ायेंगे। क्यों खराब किया बताना चाहता हूं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं इनकी कटौती के प्रस्ताव पर बल देने की आदत पड़ गई है। कटौती करना इनकी आदत है। इनकी सरकार में जो बेसिक शिक्षा स्कूल खोले गए वह दबंग लोगों के क्षेत्रों में खोले गए। वह स्कूल नहीं थे बूथ बनाये गए थे ताकि चुनाव के समय बूथ कैप्चरिंग करा ली जाए। मैं कहना चाहता हूं कि बहन कुमारी मायावती जी की सरकार में बूथ बनाने के लिए कंडा भरने के लिए घर नहीं बनेंगे। हमारी सरकार में स्कूल बनेंगे जहां दलित, गरीब लोग होंगे।

(मेजें थपथपाई गईं)

बजट के बारे में पूर्व के वक्ताओं ने विस्तार से बता दिया है। इसलिए मैं इस पर ज्यादा नहीं कहूंगा, मंत्री जी द्वारा जो बजट पेश किया गया है वह जनहित में किया गया है।

(मेजें थपथपाई गईं)

इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझ जैसे [x x x] को बोलने का मौका दिया।

(मेजें थपथपाई गईं)

श्री अध्यक्ष-

क्या बात है [xxx] की संख्या बढ़ती जा रही है कल एक थे आज संख्या दो हो गई। आबकारी, लोक निर्माण, सिंचाई, आवास एवं शहरी नियोजन तथा गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)-

यह शब्द मान्यवर, ऐसा है, इसको कार्यवाही से निकाल दीजिए। [xxx] शब्द को कार्यवाही से निकाल दीजिए।

श्री मदन चौहान-

जिस पर पक्ष विपक्ष ने मेजें बजाई उसको रहने दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

अगर हटाने का समर्थन आप लोग कर रहे हैं तो कुबेर सिंह जी का भी हटा दिया जाएगा और इनका भी हटवा देंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :- [x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से हटा दिया गया।

डा0 धर्म सिंह सैनी-

मान्यवर, पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से बेसिक शिक्षा विभाग के लिए, उसमें सुधार के लिए, उसमें अच्छा कार्य कराने के लिये, माननीय सदस्यों ने अच्छे-अच्छे सुझाव दिए। माननीय अनूप सण्डा जी ने शिव कुमार लोधी जी ने, मदन चौहान जी ने, मा0 चतुर्वेदी जी ने, मा0 तोमर जी ने, मा0 कुबेर जी ने, मा0 सोलंकी जी ने, मा0 सुरेश जी ने, मा0 पटेल जी ने, मा0 उस्मानी जी ने, मा0 चौधरी महीपाल जी ने, रवीन्द्र नाथ त्रिपाटी जी ने, मा0 कलीचरण राजभर जी ने, मा0 राजेश कुमार जी ने, मा0 आसिफ जी ने, मा0 कुशवाहा जी ने, मा0 रामसागर अकेला जी ने और मा0 सुरेश पाल जी ने, मैं सबसे पहले अपने सम्मानित साथियों का धन्यवाद करना चाहूंगा उन्होंने मुझे जो भी सुझाव दिए किसी भी रूप में, दूसरे मैं अपने साथियों से, केवल एक सोलंकी साहब को छोड़कर आप सम्भ जायेंगे क्यों छोड़ने की बात कर रहा हूं, आपस में आप लोगों में मतभेद नजर आए। एक साथी ने कहा कि शिक्षकों की कमी है एक साथी ने कहा विद्यालय में बच्चे ही नहीं हैं, अब मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है पटेल जी ने कहा कि 600 बच्चे हैं हमारे यहां शिक्षक नहीं हैं, एक साथी कह रहे हैं स्कूलों में बच्चे नहीं हैं, स्कूल खाली पड़े हैं, तो पहले आपस में सलाह मश्वरा कर लीजिए। मान्यवर, मैं अपने माननीय सदस्यों से यह कहना चाहता हूं कि शिक्षा में सुधार के लिए सर्वप्रथम शिक्षकों की नियुक्ति के लिए मैंने कहा और यह मा0 मुख्य मंत्री जी की प्राथमिकता है। जैसा कि मा0 उस्मानी साहब ने कहा है अब तक तो कहीं शिक्षक नियुक्त हुए ही नहीं। मान्यवर, आपको भी जानकारी है, उसमें न्यायालय की वजह से विलम्ब हुआ है, अब रिजल्ट दे दिया गया है, जल्दी ही उसमें प्रशिक्षण शुरू होने वाला है। माननीय सण्डा जी ने छात्र-शिक्षक अनुपात के बारे में कहा। शिक्षक-छात्र अनुपात तभी कम होगा जब शिक्षकों की नियुक्ति सही तरीके से हो जायेगी। मान्यवर, मै अपने साथी, अपने मित्र सण्डा जी से भी कहना चाहता हूं, उन्होंने हसनपुर का जिक्र किया, एक महिला के खाना बनाने के बारे में। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं, सरोजनी नगर में भी ऐसा ही विवाद हुआ था, वहां पर एक दलित महिला खाना बना रही थी, वह प्रधान पक्ष की थी, अध्यापक पक्ष की नहीं थी, विवाद इतना था, वह बदल दी गयी, क्या अब बदली हुई महिला एस0सी0 नहीं है ? यदि वहां इस प्रकार का विवाद हो रहा है तो वह राजनीतिक कारण से हो रहा है, न अध्यापक ऐसा करना चाहता है और न बच्चों की ऐसी भावना है। मैं अपने मित्र सण्डा जी से यह भी कहना चाहता हूं या तो वह काफी समय से स्कूल में नहीं गये हैं या किसी की सुनी बात कह रहे हैं हमारा जो मीनू है, वह दीवार पर लिखा है कि फलां दिन, यह बनेगा, फलां दिन यह बनेगा। प्रत्येक विद्यालय में मीनू लिखा है।

मान्यवर, मैं खेलकूद के बारे में भी कहना चाहूंगा कि कई वर्षों बाद इतने ऊंचे लेविल पर, मण्डल स्तरीय, जिला स्तरीय और फिट स्टेट लेविल पर दो भागों में खेलकूद प्रतियोगिताएं प्रायोजित की हैं जिसमें एक आजमगढ़ और एक जनपद सहारनपुर में जिससे बच्चों का बौद्धिक विकास के साथ-साथ शारीरिक और मानसिक विकास भी हो सके। सोलंकी साहब ने भी एक सुझाव दिया, बहुत अच्छा सुझाव था, इसके लिए पहले ही हम जिलाधिकारियों को निर्देश दे चुके हैं कि प्रत्येक

ब्लाक में मध्याह्न भोजन के लिए जो गैस सिलेण्डरों की व्यवस्था है, बच्चों के स्कूल में पहुंचाने के लिए, उसके लिए आदेश कर दिये गये हैं, अगर कहीं इस तरह की बात आ रही होगी तो आप संज्ञान में दे देंगे तो दिखवा लिया जायेगा। मान्यवर, मेरे साथी उस्मानी साहब ने अनुदानित 1 हजार विद्यालय को अनुदान पर देने की बात कही लेकिन इसमें बजट रखने की बात नहीं कही। मैं अपने साथी सदस्य से कहना चाहूंगा कि वह बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं, अपने खास मित्रों, सगे सम्बन्धियों को लाभ पहुंचाने के लिए वह कार्य किया गया था। पता नहीं कितने ऐसे विद्यालय हैं जिनकी जांच हो रही है, वहां कागजों पर मकान दिखा दिये गये, बिल्डिंगें दिखा दी गई और वहां का पूरा पैसा हजम कर लिया गया। न कोई वहां कमेटी है, न कोई वहां अध्यापक है और न वहां कोई कक्ष है। हमारी सरकार ऐसा नहीं करना चाहती, हमारी सरकार सही कार्य करना चाहती है। हमारी सरकार यदि ऐसे और भी विद्यालय मिलेंगे तो उनके खिलाफ कार्यवाही करके ज्यादा से ज्यादा दण्ड देने का कार्य करेगी। मान्यवर, जो माननीय सदस्यों के सुझाव आये हैं, उन्हें मैं स्वीकार करते हुए और शिक्षा विभाग में उन्हें सम्मिलित करते हुए और शिक्षा विभाग को और प्रगति देने के लिए मैं उनसे सहमत हूं और मैं आपसे अनुरोध करता हूं। मान्यवर, मैं माननीय संडा जी से अनुरोध करता हूं कि वह अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें।

श्री कुबेर सिंह-

मान्यवर, मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जो आपने कहा कि 1000 विद्यालय व्यक्तिगत लाभ देने के लिए यह सब ड्रामा किया गया मैं आपकी बात से 70-80 प्रतिशत तक सहमत हूं। उनके खिलाफ तो आप कार्यवाही कर रहे हैं। परन्तु मैं माननीय मंत्री जी आपसे कहना चाहता हूं कि जिनके साथ नाइंसाफी हुयी है, लापरवाही हुयी है, तो उन अधिकारियों के साथ क्या कार्यवाही करेंगे यह भी मुझे बता दें।

श्री अध्यक्ष-

श्री अनूप सण्डा जी।

श्री अनूप सण्डा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने अपने कटौती प्रस्ताव पर माननीय मंत्री जी से अनुरोध किया था कि पूर्वांचल में साक्षरता की कम दर को देखते हुए उसके बारे में कोई घोषणा करें जो अनुसूचित जाति की महिलाओं की साक्षरता दर मात्र साढ़े 6 प्रतिशत के आस-पास है उसके बारे में कोई घोषणा करें और निजी विद्यालयों की जो मनमानी चल रही है उन पर अंकुश लगाने के लिए किसी कदम की घोषणा करें।

श्री अध्यक्ष-

आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री अनूप सण्डा-

मान्यवर, अगर हमारे सुझावों को माननीय मंत्री जी मान लेते तो मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापस ले लेता चूंकि उन्होंने उन्हें नहीं माना है इसलिए मैं अपने कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मैं प्रश्न प्रस्तुत कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-71-शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-71-शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 74,63,94,87,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-75-शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-75-शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 59,29,38,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या-47 प्राविधिक शिक्षा विभाग

प्राविधिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री सदल प्रसाद)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-47-प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,65,35,65,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

माननीय अध्यक्ष जी एवं सदन में उपस्थित सभी सदस्यगण, इस समय हमारे देश की आर्थिक विकास दर 9 प्रतिशत है।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, इसमें कोई कटौती नहीं है, इसलिए सीधे प्रस्ताव प्रस्तुत कर दें।

श्री अध्यक्ष-

कटौती है, डा0 राधामोहन दास अग्रवाल जी इस पर कटौती रखेंगे ?

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, चूंकि काफी समय हो गया है, इसलिए पहले कटौती का प्रस्ताव रखवा दें।

श्री अध्यक्ष-

डा0 साहब, बहुत संक्षेप में अपनी बातें रख दें।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, मैं बहुत संक्षेप में ही अपनी बातें रखूंगा।

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 2008-2009 की आय-व्ययक की धनराशि में अनुदान संख्या-47-प्राविधिक शिक्षा विभाग के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना और सुझाव देना है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, समय बहुत अधिक हो चुका है, हम सब देख रहे हैं और वस्तुतः यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मैं बहुत कुछ इस विषय के बारे में कहना चाहता था, लेकिन मैं इसको सिर्फ बहुत छोटे रूप में सिर्फ दो मिनट में अपनी बातें खत्म करूंगा प्रतीक के माध्यम से। हमारे यहां कहावत है चिराग तले अंधेरा। माननीय मंत्री जी हमारे गोरखपुर से आते हैं गोरखपुर में एक गर्ल्स पालीटेक्निक है और एक ब्वायज पालीटेक्निक है। मैं आपको सिर्फ इसलिए उदाहरण दिये दे रहा हूं कि जब माननीय मंत्री जी वहीं रहते हैं और वहां की यह हालत है तो सारे माननीय सदस्य इस बात को अहसास कर सकते होंगे कि और जगहों की हालत क्या होगी, बस इतना ही बत कर मैं अपनी बातें समाप्त करूंगा। वहां जो ब्वायज पालीटेक्निक है, 540 बच्चे हैं, हास्टल की सुविधा सिर्फ 100 बच्चों की ही है। 1909 की मशीनें वहां काम कर रही हैं जिसमें रीडिंग नहीं आती है, हाईड्रालिक मशीन है जिसके लिए पानी बहुत जरूरी है, लेकिन पूरे उसमें पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। प्रशिक्षण के लिए स्क्रूजैक मशीन चाहिए लेकिन वह नहीं है, प्रशिक्षण के लिए सी0एन0सी0 लैण्डसर्किल मशीन चाहिए वह नहीं है, पूरे विद्यालय में शौचालय की व्यवस्था ही नहीं है, पंखा-वंखा तो बहुत दूर की बात है। दूसरा विद्यालय है महिला का, 450 बच्चियां पढ़ती हैं, पूरे प्रदेश से वह बच्चियां आती हैं, बहुत क्षमतावान हैं, हम लोगों ने उनके वार्षिक कार्यक्रम में अपनी उपस्थित दर्ज कराई थी, किस भाव से, वह पूरे प्रदेश से चल कर आती होगी गोरखपुर, अपने जीवन को बेहतर करने के लिए लड़की होने के बावजूद और कैसा मजाक उड़ाते हैं हम लोग उनके साथ। आज तक वह बिल्डिंग जो उस समय हरिवास कहा जाता था, आज कल्याण निगम कहा जाता है, उसने बिल्डिंग बनाई और टंकी बनाई। माननीय मंत्री जी बखूबी जानते होंगे वह टंकी आज तक हैण्डओवर नहीं हुई है, वह टंकी टेढ़ी हो गई है और वह इतनी कमजोर बनी है कि किसी लड़के ने ढेला चलाया था, उसका डण्डा टूट गया। इस समय 11 शिक्षकों के पद वहां खाली पड़े हुए हैं।

हास्टल की भीषण कमी है सिर्फ एक हास्टल है। 450 बच्चियां बाहर से आती हैं अगर हम उनको हास्टल भी नहीं दे रहे हैं तो आखिर वह बच्चियां रहती कहां होंगी ? एक छात्रावास दूरदर्शन कार्यालय ने कब्जा किया हुआ है, जिसे हम लोगों ने बहुत लड़ करके खाली कराने का प्रयास किया है जो अब सम्भवतः मार्च तक खाली होगा। लड़कियों के शिक्षण के लिए वहां छात्रावास की जरूरत है। सरकार ने घोषणा कर दिया कि जो सरकारी पालीटेक्निक होंगे उनके मानदेय शिक्षकों का मानदेय उनका बढ़ा करके डिप्लोमा में 10 हजार और डिग्री में 12 हजार कर दिया जायेगा। सरकार ने यह नहीं बताया कि जो ऐडेड विद्यालय चल रहे हैं अनुदानित मान्यता प्राप्त विद्यालय चल रहे हैं उनके मानदेय शिक्षकों का क्या होगा ? सरकार ने उसका बजट फ्रीज कर दिया था। पिछली बार मैं यह मुद्दा लेकर आया था, बजट डिफ्रीज किया गया, उसको बढ़ाकर के 25 परसेन्ट किया गया, लेकिन यह समझ में नहीं आता कि जब इस समय ही पूरे प्रदेश में 300 पद खाली हैं।

मान्यवर, आपने पूरे प्रदेश में छात्रों की संख्या बढ़ा दी है। 17 छात्रों पर एक टीचर की बात कही जाती है तो जब आपके छात्र बढ़ गये हैं तो उस अनुपात में आपके टीचर भी बढ़ने चाहिए थे। वह नहीं बढ़े हैं। आपके 300 पद खाली हैं। आप मानदेय पर नियुक्ति करेंगे। जब वह ज्वाइन करने जायेंगे तो आप उन्हें नियुक्ति पत्र देंगे नहीं। जब वह अनुभव प्रमाण-पत्र चाहेंगे तो वह आप देंगे नहीं। तो इस तरह से नियुक्तियां करके हम किस प्रकार से बच्चों को प्रशिक्षित करना चाहते हैं और उनके अन्दर कौन सा आत्मविश्वास पैदा करना चाहते हैं। मान्यवर, पालिटेक्निक की पढ़ाई दो शिफ्टों में हो सकती है। एक सुबह और एक शाम की शिफ्ट में। अभी दिसम्बर में दिल्ली में एक बैठक हुई थी उसमें सभी एक्सपर्ट्स गये थे आपके डायरेक्टर भी गये थे। यह कहा गया कि जो इंजीनियरिंग कालेज बने हैं उनका इतना बड़ा ढांचा खड़ा किया गया है कि इन कालेजों में शाम के समय पालिटेक्निक की पढ़ाई हो सकती है। यह कोई गलत सुझाव नहीं है। इसके अतिरिक्त यह भी देखें कि जितने बच्चों को आपने इनमें पढ़ाया है उसमें कितने लोग नौकरी पाये हैं। उनको नौकरी मिलने की संभावना बहुत कम है। मान्यवर, आज स्थिति यह है कि डिग्री कालेज में 22 प्रतिशत और डिप्लोमा कालेज में 52 प्रतिशत बच्चे बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। मान्यवर, इसमें यह होना चाहिए कि अगर कोई छात्र किसी घरेलू कारणवश बीच में पढ़ाई छोड़ दी और पुनः आकर पढ़ना चाहता है उसको मौका देने पर विचार करे। इसी प्रकार से यदि कोई अपना ट्रेड बदलना चाहता है तो उस पर भी विचार कर लें। इसी तरीके से वह जिला बदलना चाहता है तो उस पर भी सोचें। इसमें कहने का आशय है कि थोड़ी बहुत फलेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। आप इस बारे में विचार कीजिए। मान्यवर, आज पूरे प्रदेश में लाखों की संख्या में छात्र कम्प्यूटर की शिक्षा, फैशन डिजाइनिंग की शिक्षा, बी0सी0ए0, एम0सी0ए0, बी0बी0ए0, एम0बी0ए0, टैक्सटाइल डिजाइनिंग की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। वह इसकी पढ़ाई करके स्वावलम्बी बनना चाहते हैं। आप इन नौजवानों को इन संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षित करने का दावा करते हैं। मोटी मोटी फीस लेते हैं। यह सब उनका भविष्य खराब कर रहे हैं। मान्यवर, जैसे देश के स्तर पर नेट होता है। उसी प्रकार से राज्य के स्तर पर स्टेट एक्रीडिएशन संस्था बना देना चाहिए ताकि जो आपके कालेज और दूसरे कालेज हैं उनको वह देखें और मानकीकरण करने का काम करे नहीं तो होगा क्या कि वह दो साल की पढ़ाई

पूरी करने के बाद अपने को ठगा हुआ महसूस करेगा। हजारों हजार रुपये उसके बर्बाद हो चुके होंगे। फिर कोसने के लिये उसे सिर्फ आप ही मिलेंगे। मान्यवर, प्रदेश में जितनी भी इस तरह की संस्थायें चल रही हैं उनका आप एसेसमेंट करायें। एक अध्ययन दल का गठन किया जाये जो आपके विद्यालयों और इन विद्यालयों का क्वालिटी असेसमेन्ट करके मार्किंग करे और ग्रेडिंग करे फिर आप तय करें कि उन्हें किस तरह का प्रशिक्षण कार्य देने की अनुमति दी जाये। मान्यवर, यह इतना महत्वपूर्ण विभाग या काफी बोलना था लेकिन समय देख रहा हूं। मान्यवर, जो कुछ अपने जीवन में करना चाहते हैं हम, अपना बेहतर जीवन बनाना चाहते हैं और अच्छी सुविधायें नागरिकों को देना चाहते हैं तो हर चीज में आज तकनीक की जरूरत हो गयी है। आप कहेंगे कि पिछले साल में 168 करोड़ का बजट था जो बढ़ाकर 198 करोड़ कर दिया है लेकिन यह इतना कम है कि मुझे चिड़िया की एक कहानी याद आती है कि उसके पास दो दाने थे तो उसने कहा कि क्या देखें और क्या लेकर जायें। आप इतने कम बजट में इतनी बड़ी संख्या में छात्रों को इन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से रोजगारपरक शिक्षा देना चाहते हैं और उन्हें स्वावलम्बी बनाना चाहते हैं। मान्यवर, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की बजट देखा वह भी बहुत कम है और इसी तरह से तकनीकी एजूकेशन का है तो यह मजाक बन गया है। सरकार चाहे तो इन दोनों विभागों को एक में जोड़ दें और ज्यादा धन दे दें क्योंकि दोनों की कार्य प्रकृति एक जैसी है। आप मंत्री जी गोरखपुर के हैं और आपने गोरखपुर की दुर्दशा देखी हुई है। इसलिए कह रहा हूं माननीय सदल प्रसाद जी से आग्रह करूंगा कि उठेंगे जवाब देंगे तो गोरखपुर की जो व्यवस्था है उनकी आंख के नीचे खराब हो रही है इस पर टिप्पणी जरूर करेंगे।

श्री इकबाल महमूद-

मान्यवर, मैं दो बातें कहूंगा। पिछली सरकार ने सम्भल मुरादाबाद में आई0टी0आई0 बनाने का आदेश दिया था। 80 प्रतिशत पैसा मिल गया मगर काम उसका रुका हुआ है। बच्चे पढ़ रहे हैं सम्भल शहर के अन्दर। जो इंस्टीट्यूट बना था उसका 80 प्रतिशत निर्माण हो चुका है 20 प्रतिशत रह गया है उसे भी बनवा दिया जाय।

दूसरी बात यह कहूंगा कि जो बच्चों का चुनाव होता है, सेलेक्शन होता है वह लखनऊ से होता है। फिर भी कुछ बच्चे रह जाते हैं हमारे कालेज के अन्दर आई0टी0आई0 में अगर कुछ जगह खाली रह जाये तो वहां के प्रिन्सिपल को यह अख्तियार दे दिया जाय कि वहीं से वह चयन कर लें। वहां से चयन नहीं होता है वह कहते हैं कि डायरेक्शन यहां से आयेंगे यहां एप्लाई करिये फिर जायेंगे। यहां एप्लाई किया हुआ होता है वहां वैकेन्सी होती है और वैकेन्सी होने के बाद भी प्रिन्सिपल उसका चुनाव नहीं कर पाता।

तीसरी बात यह कहूंगा कि जो यह आपका आफिस है चारबाग के पहले वह ऐसी जगह पर है कि जहां को देखने भालने वाला नहीं होता है। वहां न तो कोई अधिकारी मिलता है न कर्मचारी मिलता है। कोई रहता ही नहीं है तो उसको भी देख लिया करिये या उसको शिफ्ट करा लीजिए, सब देख लिया करेंगे यहां पर। बहुत-बहुत धन्यवाद।

* डा0 अजय तोमर-

मान्यवर, दिगम्बर जैन पालीटेक्निक कालेज के बारे में बताना चाहता हूं कि वहां एक प्रवक्ता की नियुक्ति हुई एक प्रवक्ता के पद के अंगेस्ट एक ही अभ्यर्थी आया और उसकी नियुक्ति कर दी गयी अगर वह नियमतः नहीं है तो उसकी जांच करवा दें। इसके अतिरिक्त पालीटेक्निक में वेतन नहीं मिल पाता है तो या तो डीफ्रीज कर दे अन्यथा उनके लिए कोई अलग से वेतन का प्राविधान कर दीजिए।

श्री सदल प्रसाद-

माननीय अध्यक्ष जी, गोरखपुर जनपद के सम्मानित विधायक डा0 राधामोहन दास अग्रवाल जी ने अपने कटौती के प्रस्ताव को रखा। गोरखपुर जनपद की महिला पालीटेक्निक और पुरुष पालीटेक्निक की समस्याओं की ओर उन्होंने इशारा किया जिसको मैंने नोट किया हमारे अधिकारीं पीछे बैठे हैं उन्होंने भी नोट किया होगा। उनका कहना है कि पालीटेक्निक संस्थाओं में शिक्षकों की कमी है। यह सही है राजकीय पालीटेक्निक संस्थाओं में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधियाचन लोक सेवा आयोग इलाहाबाद को भेजे गये हैं और इसकी निरन्तर अनुश्रवण की कार्यवाही की जा रही है। साथ ही कुछ और सम्मानित सदस्यों ने कुछ अन्य पालीटेक्निक संस्थाओं की समस्याओं की तरफ इशारा किया। उनकी भी समस्याओं को मैंने नोट किया। हम आपको यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि समस्या के निदान के लिए मुझे और विभाग के अधिकारियों को जो भी करना पड़ेगा उसको पूरी तन्मयता के साथ हम लोग करेंगे। आज मैं डा0 साहब से आग्रह करूंगा कि कटौती का प्रस्ताव वापस लेने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष-

डा0 साहब कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

डा0 साहब कटौती का प्रस्ताव वापस नहीं ले रहे हैं। मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-47 प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-47-प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,65,35,65,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या-48 मुस्लिम वक्फ विभाग

अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री अनीस अहमद खां उर्फ फूल बाबू)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-48 मुस्लिम वक्फ विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,07,01,34,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री महबूब अली-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-48 मुस्लिम वक्फ विभाग, सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना। आज अल्लाह का करम है, जुमे का पवित्र दिन है, मुसलमानों यानि कि अल्पसंख्यकों का बजट है। विस्तार से मैंने आपका बजट भाषण जो आप पढ़ना चाहते थे, मेरे पास है, कहावत सुनी है जबसे हम पैदा हुये हैं संस्कार हैं हममें। वालिद साहब कहा करते थे कि बेटा मुसलमान होकर झूठ बोलता है, अगर कोई शख्स उनके सामने बोलता था। आज मैं महसूस करता हूं इस बजट को देखकर कि हो सकता है कि असत्य के पुलिन्दे के अलावा यह कोई दूसरी चीज नहीं है। मुझे कह देने में संकोच नहीं है, मैं हाजी और नमाजी सब हूं और बहुत सच्चा वाला मुसलमान हूं। मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की क्या स्थिति है, अल्पसंख्यकों की क्या स्थिति है प्रदेश का शायद हर बच्चा इस चीज को अच्छी तरह से जानता है। मान्यवर, इस समाज में बजट की कटौती प्रस्ताव पर बोलने के लिये ऐसा नहीं है कि मैं लम्बी चौड़ी बात और विस्तार से कहना चाहता हूं लेकिन अगर उस स्तर पर देख लिया जाय कि अगर अल्पसंख्यकों की बात को अगर विस्तार से रखें शायद हर आदमी घड़ी देख रहे हैं, हर आदमी जाने का इंतजार कर रहा है। आज अल्पसंख्यकों की हालत बद से बदतर है। रिक्शा वाले, ठेले वाले, पान की दुकान, चाय की दुकान वाले, अगर कहीं किसी को नाम पूछने की जरूरत नहीं है, आप महसूस कर लीजियेगा, वह मुसलमान होंगे। ऐसा ही नहीं है इस देश में किसी भी बाजी हो, कैसी भी बाजी हो उस बाजी में मुसलमान अग्रणी रहता है, अल्पसंख्यक अग्रणी रहता है। चाहे तीतरबाजी, कबूतरबाजी से लेकर, ऐसा नहीं है। मुसलमान बाहुबली हाथी पर अंकुश लगाने से लेकर आप और हम जिस गाड़ी में बैठते हैं उस गाड़ी को सुधारने का काम मुसलमान करता है। आज हिन्दुस्तान की सरहद पर बैठने वाला, अपनी कमर से बारूद बांधकर देश की आजादी में लड़ने वाले ऐसा नहीं है कि उसमें मुसलमानों का कहीं कम योगदान रहा है। हाथ में हथियार लेकर हंसते-हंसते अपनी शहादत देने वालों में मुसलमानों की कमी नहीं रही है। लेकिन बजट पढ़कर यह एहसास होता है कि मुसलमानों के लिए यह सरकार किसी भी कीमत पर गम्भीर नहीं है। आप देखिये बजट में अनुसूचित जाति का बजट भी मैंने पढ़ा था। अनुसूचित जाति की आबादी और मुसलमानों की आबादी लगभग बराबर है। तीन करोड़ चालीस लाख अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं और इतने

ही लोग अल्पसंख्यकों समुदाय के रहते है। आप रिकार्ड देख लें लेकिन बजट में कितना बड़ा फर्क है। वह सरकार जो साफ नारा देती है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। "सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय" यह नारा है इस सरकार का लेकिन अनुसूचित जाति का जब बजट आया था तो मैंने ठीक से पढ़ा था आप कार्यवाही निकलवा लीजिए, 72 सौ, 54 करोड़ रुपये अनुसूचित जाति यानि कि उतने ही समुदाय के लोगों को बहत्तर सौ चौवन करोड़ रुपया और मुसलमानों का इसमें बजट है दो अरब सात करोड़ एक लाख चौंतीस हजार रुपये यानि कि सौवां हिस्सा भी नहीं है। इसमें अंशदान केन्द्र सरकार का है, इसमें उत्तर प्रदेश का अंशदान सिर्फ साठ करोड़ रुपये है। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है, हो सकता है कि सरकार में बैठे लोगों में यदि कहीं नैतिकता है तो यह महसूस कर सकते हैं कि मुसलमानों के लिए यह क्या कर रहे हैं। अगर शिक्षा की बात कर लें तो आपके सामने 59 करोड़ 60 करोड़ रुपया जो आप पूरे उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के लिए शिक्षा के लिए रखते हैं, अगर उसका हिसाब लगा लिया जाए तो आबादी के हिसाब से एक करोड़ बच्चा आपके स्कूलों में आज पढ़ता है। लेकिन उनकी स्थिति क्या है जरा इस पैसे को बांट दीजिए तो आपको एहसास हो जायेगा कि आप मुसलमानों के लिए कितना कर रहे हैं।

आप मुसलमानों की स्थिति को अच्छी तरह से जानते हैं आज उनकी भावनाएं मेरे दिल की आवाज बन रही है। आप उनके कारोबारों की स्थिति को देख लें तो आपको अपने आप एहसास हो जायेगा कि पहले भी सरकारें रही हैं, बी0जे0पी0 की सरकार मान्यवर रही थी और मैं भी था, मान्यवर, 1993 से लेकर आप और हम साथ-साथ आते रहे हैं लेकिन आपने और किसी भी शख्स ने कभी भी मुझे फिजूल में खड़े होते नहीं देखा होगा, इतने समय आप रहे हैं। बिना मतलब के सदन में हाथ उठाना, खड़े होना, चिल्लाना मेरी आदत में नहीं है। लेकिन आज मजबूर हूं जब मैंने मुसलमानों का बजट देखा तो हालात ने मुझे खड़ा कर दिया कि मैं मुसलमानों की भावनाओं को क्षेत्र की भावनाओं को आप तक पहुंचा दूं। आज आप देख लें अगर क्षेत्र में निकल जायें तो आपको अपने आप एहसास हो जायेगा कि छोटा-मोटा कारोबार मुसलमान किया करते थे। आज उनकी यह हालत हो गई है कि उनके कारोबार आखिरी सांसें ले रहे हैं, वह पूरी तरह से तबाह हो गये हैं। हमारा एक समाज जिसे सैफी समाज कहा जाता है, आज आप अच्छी तरह से जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को आप अच्छी तरह से जानते हैं। हम कोर्ट की कद्र करते हैं लेकिन बावजूद भी कोई रास्ता सरकार को निकालना चाहिए था। आज उनकी आरा मशीनें बंद पड़ी हैं, कारोबार तबाह है, किसी भी कीमत में उत्तर प्रदेश की कोई आरा मशीन आज की तारीख में पहली बार आपकी सरकार में नहीं चल रही है। आप अपने आप से छोटे-मोटे काम बाहर से लाकर शहरों में रेत डालने का छोटा सा काम लोग कर लिया करते थे लेकिन मुसलमान थे, आज वह कारोबार बंद पड़े हैं। मान्यवर, हमारे अपने खाने की गिजा है मान्यवर गोश्त। हमारे अपने खाने की गिजा की अगर उसकी हालत आप देख लें तो आपको अपने आप उस स्थिति का पता चल जायेगा। जो बड़े का गोश्त है, यानि कटरे का गोश्त, अगर हम आज उसको निकालते हैं तो गाय का गोश्त कहकर बंद कर दिया जाता है। इससे पहली की सरकार में 40 रुपये प्रति किलो उत्तर

प्रदेश में गोश्त मिलता था लेकिन आज 60 रुपये, 65 रुपये, 70 रुपये में कटरे का गोश्त मिल रहा है। आप अच्छी तरह से देख लीजिए आपकी स्थिति है क्या ? मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप आज मदरसों की हालत देख लीजिए, अपने आप इस चीज का अहसास हो जायेगा कि उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त मदरसे हैं 1818 और उनकी स्थिति क्या है ? सरकार अनुदान सूची की बात कर रही है, अनुदान में रखने की बात कर रही है, कह रही है कि हम उन्हें अनुदान दे रहे हैं। आज 360 मदरसे ऐसे हैं जो अनुदान सूची में हैं। उनमें अनुदान सूची क्या है ? दो-दो कम्प्यूटर 190 मदरसों में दे दिये। यानि कि एक भिखारी को भी अच्छी तरह से भीख दी जाती है, आज कोई भी भिखारी 10 रुपये से कम भीख भी लेना पसंद नहीं करता है। यह स्थिति मुसलमानों की है।

जहां तक हमने पहली सरकार भी देखी है, आज औकाफों की स्थिति देखिये, मैं बहुत संक्षेप में कह रहा हूं डिटेल में नहीं जा रहा हूं। आज औकाफों की स्थिति देख लें, आज उत्तर प्रदेश के अन्दर हिन्दुस्तान में इतनी वक्फें होंगी जितनी कि मात्र उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश में 1,22,839 सुन्नी औकाफ हैं और 8000 शिया औकाफ हैं। मान्यवर, हो सकता है कि सरकार के पास बजट न हो, कोई बात नहीं, हम संतोष कर लेंगे। लेकिन अगर सरकार के पास बजट होने के बाद मैं आपसे कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि अगर आप उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को कुछ न दें तो न दीजिए लेकिन हमारे अपनी औकाफों की सुरक्षा आप कर दीजिए आपको हम अपने आप उत्तर प्रदेश की इस बजट का, इस सदन में मैं कह रहा हूं हमारे अपने औकाफों को आप फ्री होल्ड कर दीजिए, उत्तर प्रदेश के बजट से ज्यादा बैठेगा और औकाफों को फ्री होल्ड करने के बाद हम इतना पैसा अर्जित कर लेंगे। आज कब्जा किसका है ? क्या कर रही है यह सरकार, किसका कब्जा है ? ऐसा नहीं था कि इस पर मुसलमानों का कब्जा था, यह अल्लाह तआला के नाम जायदादें की थी मुसलमानों ने, ऐसा नहीं है कि किसी दीगर बिरादरी ने ये औकाफें नाम की थी। अल्लाह तआली की जायदादों को कुछ अल्लाह तआला के लोग भी कुछ खा रहे हैं और कुछ दूसरे लोग भी खा रहे हैं। अगर आप यह कदम उठा देंगे, माननीय मंत्री जी से हमारा अनुरोध है, आप तो खड़े होते हैं और संसदीय कार्य मंत्री जी कह देते हैं कि हां ठीक है, हमारी सरकार, बहन जी की सरकार बहन जी हमारी भी मुख्य मंत्री हैं। आप एक सन्टेंस में कह देते हैं कि हम ये कर रहे हैं और ये कर रहे हैं। आज जरूर कहियेगा हो सकता है कि वह बता दें तो मेरा अनुरोध यह है कि किसी कीमत पर हमारी इन औकाफों को सुरक्षित कर दिया जायेगा, हमारे मुसलमानों के हाथ में दूसरों के कब्जे से निकालकर दे दिया जायेगा, तो यह गारन्टी है कि उत्तर प्रदेश के बजट से ज्यादा पैसा उससे अर्जित हो जायेगा। जहां तक उसके रख-रखाव के लिए कोशिश करते हैं कि उनके रख-रखाव को आप देख लें तो इनके रख-रखाव से 107 औकाफ उत्तर प्रदेश में ऐसी है जिन पर हमारी सरकार में मैरिज हाल, गेस्ट हाउस या दुकानें वगैरह बनी है बाकी औकाफों पर पूरे उत्तर प्रदेश में कब्जा है। सरकार कहती है कि किसी भी तरह से हमारी कोशिश है कि वक्फ कमीशन या वक्फ बोर्डो के माध्यम से इनका सर्वे हो जाए। हमारी कोशिश है कि वक्फ निगम या वक्फ बोर्डों के माध्यम से औकाफों को सुसज्जित रख रहे हैं, ठीक-ठाक करके रखने की कोशिश कर रहे है। किसी

चीज की टीका-टिप्पणी कर रहे हैं। सदन का जो सदस्य चाहे मैं उसके साथ चलता हूं आप कोई एक कमेटी बना दीजिए कोई भी वक्फ आफिस में चल सकता है आप कभी नहीं गए होंगे। वक्फ आफिस में हम चलते हैं हो सकता है कि आपको वहां कुर्सी न मिले वहां जेब को देखते हैं जब जेबें गरम करेंगे तभी आप अन्दर जा सकेंगे। वक्फ बोर्डों में क्या चल रहा है उनमें कुर्सी का इन्तजाम नहीं होता जितनी भी सेटिंग है वह बाहर ही कर लेते हैं। आप देख लें हर पवित्र मुसलमान के लिए हज फर्ज है कि वह हज करे लेकिन जो उसकी हैसियत है उसमें वह हज कैसे कर पाए। पहली बार सरकार ने हमने भेजा 29 हजार 90 हाजी भेजे थे लेकिन इस बार बता दें मंत्री जी आपसे अनुरोध है कि किसी हाजी की हालत आपने आने के बाद पूछी है। किसी हाजी को हवाई जहाज में बैठाने का काम किया है, जब तक हवाई जहाज पर नहीं बैठ गया आप एयरपोर्ट पर रुके हैं ? पांच-पांच दिन हवाई अड्डे पर हज यात्री पड़ रहे इससे बड़ी दुर्दशा हमने कभी नहीं देखी।

* विज्ञान एवं प्रौद्योगिक मंत्री (श्री अब्दुल मन्नान)-

आप बिल्कुल असत्य बोल रहे हैं।

श्री महबूब अली-

अध्यक्ष जी, हो सकता है कि आपका कोई रिलेटिव रहा हो और आप उसे छोड़ने गए हों लेकिन सच्चाई को झुठलाना नहीं चाहिए। स्थिति यह रही है कि बीवी एक हवाई जहाज से आई, शौहर दूसरे जहाज से आया और सामान तीसरे हवाई जहाज से आया। आबे जमजम आज तक नहीं मिला। आप रिकार्ड दिखवा लीजिए किसी हाजी से बात कर लीजिए आपको पता लग जाएगा। हाजियों का अभी तक आबे जमजम नहीं आया है। आप केवल लम्बी चौड़ी बातें करते हैं। आप ज्यादा परेशान हैं कि मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापस ले लूं। मैं तीन बातें रखता हूं। आज मान्यवर, एक अल्पसंख्यक आयोग बना था मुसलमानों की दशा सुधारने के लिए और शोषण उसके नाम पर कैसे हो रहा है। जो अल्पसंख्यक आयोग बना था बनाया था मुसलमानों की परेशानियों को दूर करने के लिए एक अध्यक्ष और 6 सदस्य थे उसमें आज क्या काम बढ़ गया था ऐसा काम है इस विभाग में आज एक अध्यक्ष दो उपाध्यक्ष और 17 सदस्य बैठा दिए। हिसाब जोड़ लें 6 लाख रुपये खर्च किए उनके मानदेय के रूप में और साज-सज्जा के रूप साल में 72 लाख रुपये खर्च हुए। हमने आपसे अभी कहा कि ज्यादा परेशानी हो रही है। आपको इन मुसलमानों की बात सुनने का शौक नहीं है इनकी समस्याओं से आपका लेना देना नहीं है। कौम हमसे जवाब मांगती है। अल्लाहताला का कौमने है उसने हमें हिम्मत दी है कि मैं सदन में अपनी बात रखूं। इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मुसलमानों के कल्याण के लिये जो आयोग बना है उसके गठन में जो मेम्बर बनाये गये हैं उसमें मान्यवर, एक बात पता कर लीजिये कि अल्पसंख्यक आयोग में, उसमें दूसरे सदस्यों का क्या मतलब है ? 13 सदस्य उसमें गैर मुस्लिम हैं जो केवल साज-सज्जा के लिये बनाये गये हैं। आज अगर मुसलमानों की बात देख लें तो अपने आप। अच्छा एक बात बता दीजिये, मैं अपनी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बात खत्म करता हूं। पहली बी0जे0पी0 की सरकार को ले लीजिये, आज अपनी सरकार को ले लीजिये और पिछली माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार को ले लीजिये बता दीजिये जरा तफसील से एक जवाब दीजियेगा ठंडा दिल करके। आप उसमें बता दीजियेगा कि कितने मुसलमानों की पोस्टिंग है जिले में। कौन-कौन से विभागों में है ? बता न सकें तो मेरे पास जवाब भेज दीजियेगा। एक डी0एम0 का नाम, एक एस0पी0 का नाम बता दीजिये कि बी0जे0पी0 की गर्वनमेंन्ट में था। आपकी गवर्नमेन्ट में है। आज कोई भी अधिकारी जिले में पोस्टेड नहीं है। आज यह स्थिति है मुसलमानों की।

मान्यवर, तीन अनरोध है मेरे। तीन बात कह कर मैं अपनी बात खत्म करता हूं। हो सकता है अगर आप तीन बातें मैं कह दूं उन सुझावों को आप मान लें तो उसमें कोई ज्यादा लम्बा चौड़ा खर्चा नहीं होगा। मान्यवर, सरकार में आने के बाद पहले भी बहुत सी सरकारें रही है और वर्तमान सरकार भी, मान्यवर, लोग कहते हैं कि मुसलमानों की संख्या लगातार बढ़ रही है जो भी सरकार आती है कहती है कि इसकी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। इसे रोकने का स्थाई सुझाव मैं बता देता हूं। आपको कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। मेरे इस सुझाव में यह अलफाज है आप नोट कर लीजिये मुस्लिम बच्चों को शत-प्रतिशत निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कर दीजिये। आज शत-प्रतिशत नौजवानों को नौकरी दे दीजिये और नहीं यह न मिले आप इसकर बात करते हैं कि मुसलमान शिक्षित नहीं है। मुसलमान बेरोजगार है, बच्चे पैदा कर रहे हैं। मान्यवर, वह खाली रहेगा तो करेगा क्या ? घर में रहेगा मान्यवर तो कुछ न कुछ तो करेगा वो। जनसंख्या वृद्धि अपने आप रुक जायेगी मान्यवर और आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है मंत्री जी। मेरा खुला ऐलान है कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। अगर जनसंख्या वृद्धि में कन्ट्रोल न हो तो जनसंख्या बढ़ नही जायेगी, घट जायेगी। मेरा खुला वादा है। आप पूरा कर दीजिये। दूसरी बात है, अनुसूचित जाति और जनजाति का जो बजट है। जनजाति को छोड़ दीजिये। अनुसूचित जाति का जो बजट है, मान लीजिये 7254 करोड़ रुपये का बजट है, इसके बराबर कर दीजिये 21 परसेन्ट जो सारे विभागों से खर्च उन अनुसूचित जाति के लोगों में होता है क्या उसमें जिला पंचायत हो, लोक निर्माण हो, समग्र ग्राम योजना हो, बाबा भीमराव अम्बेडकर योजना हो, माननीय कांशी राम योजना हो 21 परसेन्ट हर विभाग को पैसा अनुसूचित जाति के लोगों के विकास में लगता है। हो सकता है यह आप कर दीजिये तो हर हालात में सुधार हो जायेगा। नम्बर तीन आपसे मेरा अनुरोध है कि आपने मण्डल कमीशन का जिक्र सुना होगा। मण्डल कमीशन में पिछड़े वर्ग के लोगों के लिये 27 प्रतिशत आरक्षण की बात कही गयी थी उसमें बहुत सी जातियों के मुसलमान ऐसे भी हैं जो मण्डल कमीशन के आधार पर पिछड़ी जाति में आते हैं और 8 प्रतिशत बैठते हैं और मंत्री जी आप सदन में खड़े होकर वादा कर लीजिये कह दीजिये मैं आपसे कुछ मांग नहीं रहा हूं। आप कह दें कि आप उन 8 प्रतिशत लोगों को आप हर हालात में हर विभाग में नौकरी देने का काम करेंगे। अभी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई है, क्या स्थिति है मुसलमानों की उसमें बताई है। मुसलमानों की दयनीय स्थिति अनुसूचित जाति के लोगों से बदत्तर है। उस कमेटी के आधार पर अगर आप मेरी बातों का अमल

कर लेंगे, मैं बराबर मांग रहा हूं ज्यादा नहीं मांग रहा हूं। आप इन तीन बातों को मान लीजिये तो मैं पहला सदस्य होऊंगा जो कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लूंगा। मैं इसी के साथ अपने प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अध्यक्ष-

वारिस साहब बोलने को कह रहे हैं।

श्री अनीस अहमद खां उर्फ फूलबाबू-

नये सदस्य हैं बोलने दीजिए।

श्री अब्दुल वारिस खां-

मान्यवर, मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा। परीक्षा कोचिंग की योजना केवल लखनऊ में लागू है और ऐसे जनपद हैं पश्चित के सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है, बागपत है, मुरादाबाद है यहां पर चालीस प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी है। वहां यह योजना नहीं चलाई जा रही है। इसका कोई प्राविधान नहीं किया गया है। अल्पसंख्यक समुदाय की निर्धन पुत्री के विवाह के अनुदान की योजना।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, बैठें।

श्री अब्दुल वारिस खां-

70 जनपदों में केवल एक करोड़ का प्राविधान रखा गया है। किस-किस का भला किया जाएगा। मान्यवर, मैंने अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को फोन करके कहा, तो उन्होंने कहा कि एक नाम भेज दीजिये। किस-किस का नाम भेजा जाए। मान्यवर, मदरसों के आधुनिकीकरण की योजना है। अध्यक्ष जी इसमें लिखा है जो अंग्रेजी, विज्ञान, गणित आदि विषय पढ़ाते हैं तो क्या यह प्राइमरी कक्षा के समकक्ष इसको करने का प्राविधान करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

आपके सुझाव आ गये हैं।

श्री अब्दुल वारिस खां-

मानयवर, दो तीन सुझाव हैं।

श्री अध्यक्ष-

किसी को नहीं बोलने दिया गया है अब आप बैठ जाएं।

श्री अब्दुल वारिस खां-

मान्यवर, जो अल्पसंख्यक समुदाय की बालिकायें हैं उनमें शिक्षा की बहुत कमी है इस ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

श्री अनीस अहमद खां उर्फ फूलबाबू-

मान्यवर, बहन कुमारी मायावती जी ने अल्पसंख्यक समाज के बजट को मुझे रखने का मौका दिया। मा0 महबूब अली जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है वह सत्य से परे है।

(श्री हाशमी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

बस हो गया, महबूब साहब ने सब रख दिया है।

श्री अनीस अहमद खां उर्फ फूलबाबू-

मैं बहन मायावती जी जो उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री हैं उनको बधाई देना चाहता हूं। देश की आजादी के 60 सालों में लगभग 57 वर्षों तक कांग्रेस और बी0जे0पी0 एवं स0पा0 की सरकार की हुकूमत रही है। ब्रिटिश हुकूमत में जब अंग्रेजों का शासन इस देश में था तो अकलियतों के लोग माइनॉरिटी के लोग सरकारी नौकरियों में 32 प्रतिशत के लगभग थे। लेकिन आज 57 सालों तक कांग्रेस, समाजवादी पार्टी जो अपने को सेक्यूलर कहती है इन्होंने माइनारिटी के लोगों का बड़े पैमाने पर वोट लिया। देश और प्रदेश की सरकारें बनाने का काम किया। लेकिन शैक्षिक रूप से सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से जो माइनारिटी का विकास होना चाहिए था वह नहीं किया गया जो योजनायें बनाई जाती थी उसमें माइनारिटी के लोगों को नजरअंदाज कर दिया जाता था लेकिन मैं उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री जी की बधाई देना चाहता हूं और साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि जो उनकी नीति है, जो उनकी सोच है "सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय" की, वह बिल्कुल साफ सुथरी है।

(मेजें थपथपाई गईं)

ऐसी नेता, मैं 1996 से विधायक हूं। बहुत नजदीक से उनको जानता हूं उनकी कथनी-करनी में कोई फर्क नहीं है। यही कारण है कि 1995 में बहन मायावती जी जब पहली बार उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री बनी, माइनारिटी का जो अल्पसंख्यक एवं हज, मुस्लिम वक्फ का जो विभाग है, इसको अलग करने का काम किया, इसका अलग मंत्री बनाने का काम किया। मान्यवर, जो लोग समाजवादी पार्टी के साथी जो आज सदन में बैठ कर कटौती के प्रस्ताव पर ढिंढोरा पीट रहे हैं, इन्होंने माइनारिटी के लोगों को बहुत पीछे करने का काम किया। आज हमारी नेता मुख्य मंत्री बहन मायावती जी ने अभी 8-9 महीनों में ही बहुत कुछ ऐसा किया है, जिसको यह सदन सुनने के बाद यह कहेगा कि माइनारिटी के बारे में भी मा0 बहन मायावती जी की सोच और विचार और उनकी नीयत बिल्कुल साफ है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को बताना चाहता हूं कि जो हज कमेटी है, हज कमेटी का गठन बहन मायावती जी ने किया, मा0 नसीमुद्दीन साहब उसके चेयरमैन बनाये गये। मैं नसीम भाई के बारे में साफ-सुथरे शब्दों में कहना चाहता हूं कि इतने ज्यादा विभाग होने के बाद भी इन्होंने हज कमेटी के काम में जितनी भी मेहनत कर सकते थे, जितने भी अच्छे कार्य कर सकते थे, इन्होनें करने का काम किया और जहां तक मा0 सदस्य ने कहा कि जहाज पर छोड़ने तक नहीं गये, रिसीव करने नहीं गए। यह बिल्कुल गलत है। हम लोग बार-बार फ्लाइट पर जाया करते थे दिन में भी जाते थे, रात में भी जाते थे और यह पहली सरकार है जो फ्लाइट गयी है पूरे उत्तर प्रदेश के जितने भी हाजी हैं, सारे लोगों ने साफ लफ्जों में सरकार की, हम लोगों की तारीफ की है। हमारा काम उत्तर प्रदेश में हज फार्म को जमा करना और उनको समय पर जहाज पर बैठा

देना, हमारे बारे में कोई शिकायत नहीं है। अगर शिकायत हाजियों को है तो वह केन्द्र सरकार से है, जहां पर ये एयर इण्डिया के लोगों ने उनके साथ मिस बिहैव किया, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। हम लोग पूरी-पूरी रात जागकर हाजियों के बारे में बात करते रहे, लेकिन केन्द्र की सरकार जो माइनारिटी के बारे में बहुत हमदर्द बनती है, उनकी वजह से मान्यवर, यह दिक्कत सामने आई है। मान्यवर, जहां लखनऊ में काफी लोगों की डिमाण्ड थी कि यहां से फ्लाइट हो तो यहां से तो पिछले सालों में भी रही है, लेकिन पूर्वांचल के लोगों की यह मांग थी, हाजी लोगों की ओर क्षेत्र के लोगों की कि बनारस से भी फ्लाइट होनी चाहिए। मान्यवर, मैं बधाई देना चाहता हूं, मा0 बहन मायावती जी को, उन्होंने अथक प्रयासों से बनारस से पहली बार हाजियों के उड़ान को शुरू किया और हम लोगों ने और मा0 नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब ने, अब्दुल मन्नान साहब ने और तमाम हमारे साथियों ने वहां जाकर झण्डी दिखाने का काम किया। मान्यवर, यही नहीं लगभग कई वर्षों से जो यहां मा0 नेता जी है, मा0 सदस्य जो आज यहां नहीं है, जो हमारी पार्टी में हाजी याकूब साहब है, इनकी वजह से झगड़े की वजह से इतना परेशान हाजी जी को किया कि खारियुल हुज्जाज नहीं जा सके। लेकिन मा0 बहन मायावती जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने तत्काल पैसे की व्यवस्था करके और 42 लोगों को खारियुल हुज्जाज के रूप में वहां पर भेजने का काम किया। मान्यवर, यह बहुत सराहनीय कार्य हमारी सरकार में हज के दौरान हुए। जहां पर हमारे मा0 सदस्य ने कहा कि इस बार हाजियों को बहुत दिक्कतें हुई, साफ सुथरी बात कहनी चाहिए। जहां तक अल्पसंख्यक आयोग का सवाल है मैं दावेके साथ कहता हूं कि पूरे भारत में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और लगभग एक बड़ी तादात अक्लियत के लोगों की यहां पर रहती है। मान्यवर, 6 सदस्य और 1 अध्यक्ष पहले नामिनेट हुआ करते थे और उनके वेतन भत्ते भी बहुत कम थे कि पूरे प्रदेश की 16 करोड़ की आबादी को देखने में सक्षम नहीं थे।

मान्यवर, जब विधान सभा में इसका संशोधन आया, विधान परिषद् में आया, इन्हीं समाजवादी पार्टी के लोगों ने इसका विरोध किया था। क्यों विरोध किया था क्योंकि यह नहीं चाहते है कि माइनारिटी उत्तर प्रदेश में फलेफूले। लेकिन बहन जी ने जब नारा दिया कि हम सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की बात करेंगे। माइनारिटी पर अत्याचार, जुल्म नहीं होने देंगे। यही नहीं हमने 17 सदस्य, 2 उपाध्यक्ष और 1 अध्यक्ष बनाने का काम किया। मान्यवर, आज पूरे उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी के बारे में चर्चा है कि कहीं दंगे नहीं हो रहे हैं। लेकिन जब कांग्रेस की, भाजपा की, समाजवादी पार्टी की सरकारें थीं तो दंगों के अम्बार थे। यह मुसलमानों के हितैषी बनते हैं। इनकी सरकार में कहीं दुकानें जलायी गयी हैं, कहीं बस्तियां जलायी गयीं, गाजीपुर में मिलीभगत से दंगे कराने का काम किया गया। गोरखपुर में फर्जी तरीके से वहां के सांसद के साथ मिलकर ऐसा माहौल पैदा किया जिससे हमारी 20 सीटें वहां घट गयीं। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि हम लाशों की राजनीति नहीं करते। मान्यवर, यह प्रदेश देखेगा कि हम इस प्रदेश में माइनारिटी के साथ क्या करेंगे ? मान्यवर, बहन कुमारी मायावती जी ने बहुत साफ लफ्जों में कहा है कि हम इस प्रदेश में किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि हमारी जंगे

आजादी के सिपाहियों ने यह सोचकर अंग्रेजों को भगाने का काम किया था कि अंग्रेजों के जाने के बाद जब हमारा मुल्क आजाद होगा तो इसमें सबको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन मान्यवर, बहुत जुल्म हुए हैं बहुत अन्याय हुआ है। जिन्होंने अपनी सरकारें बनायीं उन्होंने हमें शैक्षिक रूप से, आर्थिक रूप से आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया। मान्यवर, जो मंशा हमारी जंगे आजादी के सिपाहियों की थी आज वही मंशा हमारी बहन कुमारी मायावती जी की है कि अगर हम पूरे भारत में इस प्रदेश को अच्छे प्रदेशों के मानचित्र पर ले जाना चाहते हैं तो इसके लिए सारे लोगों को आगे बढ़ाना होगा और इन घोषणाओं का स्वागत करना चाहिए। मान्यवर, बहन जी का मानना है कि जब तक इस मुल्क का इस प्रदेश का हर व्यक्ति तरक्की नहीं करेगा तब तक यह मुल्क उतना आगे नहीं बढ़ पाएगा जितनी हम उम्मीद करते हैं। मान्यवर, किसी कौम और मुल्क के जब नौजवान मेहनती होंगे, पढ़े-लिखे होंगे और ईमानदार होंगे तो वह मुल्क तरक्की करेगा। मान्यवर, मैं एक वाकया बताना चाहता हूं कि आपने इराक के बगदाद का नाम तो सुना होगा। मान्यवर, लगभग 1100 वर्ष पहले वहां के बादशाह ने कम्पीशन किया। उसमें हर वर्ग के लोगों को, हर क्षेत्र के लोगों को जो जिस क्षेत्र में माहिर था, घुड़सवारी में, निशानेबाजी में या अन्य तरह के खेलों में जो भी थे उन सबको बुलाया गया तो एक अब्दुला नाम का शख्श था उन्होंने हर क्षेत्र में पुरस्कार हासिल करने का काम किया। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि जब तक हमारे मुल्क में, हमारे प्रदेश में अच्छी सोच के लोग नहीं होंगे तब तक हमारा प्रदेश आगे कैसे बढ़ेगा। मान्यवर, क्या कारण है कि बुन्देलखण्ड आज सूख रहा है। जिसकी नीयत साफ होती है वह प्रदेश कभी दुखी नहीं रहता। मान्यवर, जो देश का मुखिया होता है, प्रदेश का मुखिया होता है अगर उसके दिल में कौम की चिन्ता रहती है तो वह दुखी रहता है अवाम खुश रहता है। लेकिन जो लोग आरामपरस्त होते हैं बंद कमरों में ए0सी0 में आराम करते हैं तो उस प्रदेश का अवाम दुखी रहता है। मान्यवर, हमारी नेता की नीयत बिलकुल साफ है और जब नीयत साफ होती है तो कोई भी काम ऐसा नहीं है जो न हो सके। लेकिन मान्यवर, उन लोगों की नीयत ऐसी नहीं रहती हैं, सिर्फ दिखावा किया है। इन लोगों ने कहा कुछ और किया कुछ है। मान्यवर, चूंकि समय काफी हो रहा है। उन्होंने जो सुझाव दिये हैं मैं उन पर गौर करूंगा और माइनारिटी के बारे में क्या अच्छा हो सकता है। अतः मैं मा0 सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वह कटौती का प्रस्ताव वापिस ले लें। अभी तो शुरुआत है फ्यूचर में आप देखेंगे तो आप खुद कहेंगे कि बहन मायावती जी ने माइनारिटी के साथ में जो किया है वह आज तक किसी सरकार ने नहीं किया होगा। मान्यवर, मैं माननीय महबूब जी को भरोसा दिलाता हूं जो आपके विचार है और अन्य माननीय सदस्यों के जो विचार हैं उन पर हम विचार करेंगे और जो भी माइनारिटी के लिए बेहतर हो सकता है उसके लिए करेंगे। मैं चाहूंगा माननीय महबूब साहब से कि वह अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें।

श्री इकबाल महमूद-

मान्यवर, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि यह जो बजट है, इसके ऊपर अल्पसंख्यक कल्याण का बजट है, इसका बजट 50-60 करोड़ रुपये जो भी हो और होता रहा है हर सरकार में

और हर सरकार में जो भी मंत्री बना है इसका वह मुसलमान मंत्री बना है और मैं यह कहता हूं कि अगर यह विभाग माननीय लालजी वर्मा जी को, राय जी या यह जो हमारे समाज कल्याण मंत्री बैठे हैं ऐसे लोगों को दे दिया जाये तो कम से कम इन लोगों को यह खुशी होगी कि हमें यह मिला है और ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करेंगे मुसलमानों को भी खुश करने की कोशिश करेंगे। यह तो है ही मुसलमान इनको तो हमें वोट देना ही है हम तो यह सोच लेते हैं। मगर इन जैसों को दे दिया जाये तो यह खुद बजट ज्यादा लेकर आयेंगे, ज्यादा लेकर आयेंगे तो ज्यादा मिल जायेगा हमें। यह सारी पाबंदियां जो लगा रहे हैं कि गोश्त पर पाबंदी हो गई है नौकरी पर पाबंदी हो गई है आटोमेटिक यह लोग खत्म करा लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

महबूब साहब, आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री महबूब अली-

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे मंत्री साहब बड़े भोले हैं और देखने में और वाणी में भी बड़े खूबसूरत हैं, लेकिन शायद मेरे ख्याल से तो हो सकता है कि जो उनकी भावना थी, जो उनका मन था कि मैं अपनी बात को विस्तार से कहूं। हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी ने उस वक्त रोक दिया था लेकिन जो तैयार करके वह अपना भाषण लाये थे, वह अपना बाद में कह गये लेकिन मेरी कोई भी बात का जवाब वह नहीं दे पाये, इसलिए मैं अपने इस कटौती प्रस्ताव पर पुनः बल देते हुए अपनी बात को खत्म करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-48 मुस्लिम वक्फ विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-48-मुस्लिम वक्फ विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,07,01,34,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या-87 सैनिक कल्याण विभाग

मत्स्य एवं सैनिक कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री जमुना निषाद)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-87 सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये,

लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 20,66,16,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

महबूब साहब कटौती रखिये।

श्री महबूब अली-

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-87-सैनिक कल्याण विभाग के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने के उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना और सुझाव देना है। मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि यह ऐसा बजट है जिस पर शायद विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में 70 जिले हैं सैनिक कल्याण से सम्बन्धित 65 जिलों में कार्यालय है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो नवसृजित जिले बनाये हैं मेरा अनुरोध है कि उनमें भी सैनिक कल्याण के कार्यालय खोल दिये जायें। इसी तरह से गत वर्ष 86 कर्मचारियों की भर्ती हुई थी वह इसलिए हुई थी कि वह जिलों में जायें और सैनिकों की परिशानियों को देखें। लेकिन वह सारे के सारे कर्मचारी निदेशालय से सम्बद्ध है। उनको जिलों में भेजने का काम करें ताकि सैनिकों की समस्याओं का निराकरण हो सके। मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री जमुना निषाद-

मान्यवर, मैं अपने विरोधी पक्ष के साथी जो कटौती का प्रस्ताव लाये हैं मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि हमारा विभाग एक ऐसा विभाग है जिसे सैनिक कल्याण विभाग कहते हैं और सेना, सैनिक और इस विभाग के सम्बन्ध में देश की महान जनता में देश की संसद और विधान सभाओं में भी कोई मतभेद नहीं हुआ करता है। आपने एक प्रश्न किया है कि प्रदेश के 70 जिलों में से 65 जिलों में सैनिक कल्याण के कार्यालय खुल गये हैं पांच में नहीं हैं। वे पांच जनपद हैं संतकबीरनगर, बागपत, औरैया, कन्नौज और ललितपुर। बहन मायावती जी ने बहुत सोच समझकर मुझ एक किसान के बेटे को जवानों की सुध लेने के लिये बैठाया है। मैंने बहन कुमारी मायावती जी से संसदीय कार्य मंत्री जी से और माननीय लोक निर्माण मंत्री जी से राय मशविरा करने के बाद प्रस्ताव भेजा है और इन पांच जिलों में भी कार्यालय खोलने का प्रकरण शासन के समक्ष विचाराधीन है। जल्दी ही यह कार्यालय खोल देंगे। आप लोगों ने सभी विभागों पर भरपूर बहस की है। लेकिन सैनिकों के विषय पर देश के सवाल पर कम से कम आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि आप अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें।

श्री महबूब अली-

मान्यवर, मेरे जो सुझाव हैं वह ऐसे हैं कि आप उसे चाहें तो आराम से पूरा कर सकते हैं। आपने कहा है कि कर देंगे। तो जब कर देंगे तो हम यह भी कर देंगे। मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-87 सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-87-सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 20,66,16,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

अब हम नियम-51 की सूचनाएं ले रहे हैं।

आज दिनांक 29 फरवरी, 2008 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 39 सूचनाएं प्राप्त हुईं। स्वीकृत सूचनाओं का विवरण निम्न प्रकार है :-

पहली सूचना श्री प्रमोद तिवारी की प्रदेश के वर्ष 2000 तक के ऐसे जूनियर हाई स्कूल विद्यालयों जो सभी शर्तें पूर्ण करते हैं और स्थायी मान्यता प्राप्त हैं, को अनुदानित करने के सम्बन्ध में,

दूसरी सूचना श्री सूरज सिंह शाक्य की जनपद एटा के थाना सोरों में दर्ज अपराध संख्या-671/07 में अब तक फरार अपराधी को गिरफ्तार करने के सम्बन्ध में तथा

तीसरी सूचना श्री सी0एम0 प्रसाद की जनपद सोनभद्र में ग्राम अमवार के पास कनहर नदी पर निर्माणाधीन कनहर सिंचाई परियोजना को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में सूचनाएं वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

चौथी सूचना श्री प्रदीप जैन आदित्य की झांसी के ग्रोथ सेन्टर बिजौली में मीट प्रोसेसिंग प्लाण्ट/पशु बधशाला बनाये जाने की योजना निरस्त करने के सम्बन्ध में,

पांचवीं सूचना श्री कालीचरण राजभर की गार्जीपुर के जहूराबाद क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सेमऊर से ग्राम दहेन्द्र दलित बस्ती तक का मार्ग पीच करवाने के सम्बन्ध में,

छठीं श्री राजेन्द्र कुमार की मऊ के मुहम्मदाबाद गोहना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सभा भुजही में प्रस्तावित आई0टी0आई0 की स्थापना के सम्बन्ध में,

सातवीं सूचना कुंवर आर0पी0एन0 सिंह की प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा में कार्य करने वाले अनुदेशकों/पर्यवेक्षकों को समायोजित करने के सम्बन्ध में,

आठवीं सूचना श्री सुरेन्द्र प्रसाद मिश्रा की सी0एम0ओ0 कार्यालय, आजमगढ़ में व्याप्त अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार में लिप्त कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के सम्बन्ध में तथा

नवीं सूचना श्री विनोद चतुर्वेदी की जालौन के मुख्यालय उरई में निर्माणाधीन मेडिकल कालेज में प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता की जांच एवं निर्माण कार्य, समय से पूर्ण कराये जाने से सम्बन्धित सूचनाएं केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

दसवीं सूचना श्री मदन चौहान की गाजियाबाद के गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पीरनगर से तिगरी व मादापुर ग्राम तक क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में,

ग्यारहवीं सूचना महंत कौशलेन्द्र नाथ योगी की जनपद बलरामपुर में राप्ती नदी पर निर्मित कोडरी पुल को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने के सम्बन्ध में तथा

बारहवीं सूचना श्री सुखलाल की पीलीभीत के बरखेड़ा क्षेत्रान्तर्गत कतिपय गांवों को नदियों के कटान से बचाने हेतु ठोकर बनाये जाने से सम्बन्धित सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकृत हुईं :-

1-श्री उदयराज यादव, 2-डॉ0 राधामोहन दास अग्रवाल, 3-श्री लालजी यादव, 4-श्री शम्भू चौधरी, 5-श्री राम विशुन आजाद, 6-श्री रमापति उर्फ रमाकान्त, 7-श्री दुर्गा प्रसाद यादव, 8-श्री बैजनाथ दुबे, 9-श्री महेश चन्द्र गुप्ता, 10-श्री अनिल कुमार सिंह यादव, 11-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी, 12-श्री संजय कपूर, 13-श्री अवस्थी बाला प्रसाद, 14-श्री निर्मल वर्मा, 15-श्री राम प्रकाश कुशवाहा, 16-श्री मदन भैया, 17-श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ला, 18-श्री संजीव दरियाबादी, 19-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद, 20-श्री पूरन प्रकाश, 21-श्री यशपाल सिंह चौहान, 22-श्री सुरेश कुमार खन्ना, 23-श्री अनूप सण्डा, 24-डॉ0 राजेन्द्र सिंह, 25-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, 26-श्रीमती कृष्णा राज तथा 27-श्री लल्लू सिंह।

अब हम उठते हैं। कल 11.00 बजे पुनः मिलेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन रात्रि 9 बजकर 17 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
दिनांक 29 फरवरी, 2008

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी (क)

(देखिये अता0प्र0सं0-8 का उत्तर पृष्ठ 33 पर)

वृक्षारोपण वर्ष 2007-2008 में लक्ष्य के सापेक्ष रोपित वृक्षों का विवरण **सूची-1**

वृक्षारोपण हेतु निर्धारित लक्ष्य	लक्ष्य के सापेक्ष रोपित वृक्षों का विवरण			
	क्र0सं0	ग्राम का नाम	रोपित वृक्षों की संख्या	जीवित वृक्षों की संख्या
1	2	3	4	5
4000 चार हजार मात्र	1	बीबीपुर बारडीह	1500	900
	2	पहलकापुर	400	280
	3	डेईडीह धोरहरा	700	450
	4	भरर्थापुर	300	190
	5	अमसौना	1500	918
	6	नारायणपुर मुफरीद	600	380
	7	जोगीपुर	200	124
	8	वीरापुर	400	252
	9	धरौली मधुपुर	600	370
	10	रामापुर	300	195
	11	चन्दौक	300	190
	12	सराह शंकर	500	335
	13	नरहरपुर	400	254
	14	पूरेचन्दी	300	188
	15	नैवादा	800	510
	16	ढाढर	700	455
	17	ढिढुई	500	335
	18	आमापुर	600	378
	19	नचरौला	1000	645
	20	सैफाबाद	800	520
	21	रामगंज	600	372
		योग :	13000	8241

वृक्षारोपण वर्ष 2007-08 में लक्ष्य के सापेक्ष रोपित वृक्षों का विवरण **सूची-2**

वृक्षारोपण हेतु निर्धारित लक्ष्य	लक्ष्य के सापेक्ष रोपित वृक्षों का विवरण			
	क्र0सं0	ग्राम का नाम	रोपित वृक्षों की संख्या	जीवित वृक्षों की संख्या
1	2	3	4	5
2500 दो हजार पांच सौ मात्र	1	बर्नी	500	410
	2	नेवादा	150	115
	3	आमापुर	75	62
	4	अर्जुनपुर	70	55
	5	सिंहपुर	10	8
	6	उमरडिहा	20	16
	7	महदहा	90	78
	8	जैर्तापुर	100	81
	9	नागापुर	250	212
	10	दोहरी	15	10
	11	भरोरवन	90	80
		योग :	1370	1127

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी (ख)

(देखिये अता0प्र0सं0-84 का उत्तर पृष्ठ 68-69 पर)

अतारांकित प्रश्न संख्या-84 से सम्बन्धित सूची

क्रम संख्या	विकास खण्ड का नाम	गांव का नाम	सेन्सेस कोड	ऊर्जीकरण की स्थिति	ऊर्जीकरण का दिनांक
1	आसपुर देवसरा	बीबीपुर मुस्तरका	5247200		
2	आसपुर देवसरा	सुजान पट्टी	5247300		
3	आसपुर देवसरा	गोपालपुर मुस्तरका	5247500		
4	आसपुर देवसरा	भैरोपुर	5249500	हां	01-2-08
5	आसपुर देवसरा	गहरिया	5251900		
6	आसपुर देवसरा	बहारपट्टी	5252600		
7	आसपुर देवसरा	धौरहरा	5251000	हां	14-9-07
8	आसपुर देवसरा	परिहरा	5253900	हां	26-1-08
9	आसपुर देवसरा	पूरे बालकिशुन	5255300	हां	25-11-07
10	आसपुर देवसरा	पहलमापुर	5256000		
11	आसपुर देवसरा	पूरेदानी	5258200		
12	आसपुर देवसरा	गौहानी	5252900		
13	आसपुर देवसरा	पचौरी	5253000		
14	आसपुर देवसरा	दाही	5254300	हां	6-12-07
15	आसपुर देवसरा	दमरीह	5254200	हां	6-12-07
16	आसपुर देवसरा	अतरौरा रमईपुर	5246700		
17	आसपुर देवसरा	दफरा	5255400	हां	25-11-07
18	आसपुर देवसरा	देवरखा	5247100		
19	मंगरौरा	चक गुतौली	5207100	हां	13-01-08
20	मंगरौरा	सलाव शुक्ली	5208200		
21	मंगरौरा	लखनामऊ	5207900	हां	6-11-07
22	मंगरौरा	चन्द्रभान पुर	5207800	हां	5-2-08
23	मंगरौरा	उमर	5208300		
24	मंगरौरा	नीमा	5210800		

अतारांकित प्रश्न संख्या

25	मंगरौरा	सोनवर्षा	5211800	हां	16-1-08
26	मंगरौरा	भैसिया	5213400		
27	मंगरौरा	गोरकटा	5215200	हां	31-12-07
28	मंगरौरा	धरमपुर	5217100	हां	30-01-08
29	मंगरौरा	चक रामचन्द्रपुर	5217200	हां	30-01-08
30	मंगरौरा	बहुउद्दीनपुर	5218700	हां	23-11-07
31	मंगरौरा	दोमनपुर	5218800	हां	23-11-07
32	मंगरौरा	पेन्डरा	5219400	हां	25-01-08
33	मंगरौरा	चन्दापुर	5219500	हां	25-1-08
34	मंगरौरा	तिगुरी	5220700	हां	15-11-07
35	मंगरौरा	बीगा	5221000		
36	मंगरौरा	इटावा	5222600	हां	15-11-07
37	मंगरौरा	चक गहजनीपुर	5222700	हां	28-1-08
38	मंगरौरा	चक मुबारकपुर	5222800	हां	28-1-08
39	मंगरौरा	फतेहपुर इसान	5223600	हां	13-1-08
40	मंगरौरा	असलपुर	5224400	हां	18-1-08
41	मंगरौरा	कीरतपुर	5224500	हां	18-1-08
42	मंगरौरा	पुरे बेनीराग	5224600	हां	14-1-08
43	मंगरौरा	उपधान पट्टी	5226000	हां	9-12-07
44	मंगरौरा	दूल्हेपुर	5226500		
45	मंगरौरा	जगदीशगढ	5227100	हां	3-11-07
46	मंगरौरा	नेवादा	5227300		
47	मंगरौरा	शिवगढ़	5217400	हां	1-2-08
48	मंगरौरा	गौरीपट्टी	5210100	हां	1-2-08
49	मंगरौरा	ताला	5225400	हां	2-11-07
50	मंगरौरा	राजापुर मुफरीद	5222900		
51	मंगरौरा	पूरे निरंजनी	5218200	हां	21-11-07
52	मंगरौरा	रामपुर कुर्मियान	5223400	हां	20-12-07
53	पट्टी	जलपा निम गिर	5228800	हां	9-11-07

54	पट्टी	बासुपुर	5228900	हां	7-12-07
55	पट्टी	बजिदपुर	5229400		
56	पट्टी	उपरदहा बसदेवा	5229600	हां	9-11-07
57	पट्टी	देवकली	5230100	हां	28-1-08
58	पट्टी	बेला	5231800		
59	पट्टी	पहलामपुर	5232400	हां	17-1-08
60	पट्टी	मजीठी	5233000	हां	17-1-08
61	पट्टी	जैतापुर	5233100	हां	28-12-07
62	पट्टी	पूरेदूबे	5233500		
63	पट्टी	अलीपुर	5234200	हां	28-12-07
64	पट्टी	रघुनाथपुर	5235400	हां	22-1-08
65	पट्टी	बहलियापुर	5236700	हां	31-1-08
66	पट्टी	विजहरा	5238500	हां	28-1-08
67	पट्टी	हरजामपुर	5239500		
68	पट्टी	जामीन	5239600	हां	10-12-07
69	पट्टी	गोधापट्टी	5240500		
70	पट्टी	सेवापट्टी	5241900	हां	10-12-07
71	पट्टी	धनवा	5242000	हां	28-12-07
72	पट्टी	दबौलीसुखव	5242100	हां	03-11-07
73	पट्टी	भावापुर दूबेपट्टी	5242200		
74	पट्टी	धुई	5242300	हां	10-01-08
75	पट्टी	वीरापुर खुर्द	5242800		
76	पट्टी	उसरौली	5243000		
77	पट्टी	जगदीशपुर	5243300		
78	पट्टी	रसूलहा	5240300	हां	09-01-08
79	पट्टी	दानाई	5264300	हां	09-01-08
80	पट्टी	रामपुर बेला	5231500	हां	14-09-07
81	पट्टी	पूरे देवजनी	5233300	हां	12-01-08
82	पट्टी	गोगलापुर	5233400	हां	12-10-07
83	पट्टी	सैफाबाद	5229500	हां	15-09-07

NOT FOR PRINT

नत्थी (ग)

(देखिये अता0 प्र0 सं0-99 का उत्तर पीछे पृष्ठ 76 पर)

फैक्स-0522-2239278

सोहेलवा वन्य जीव प्रभाग-बलरामपुर

वर्ष 2005-06 में पार्वती आरगा पक्षी विहार रेंज के अन्तर्गत आरगा झील के निकट कराये गये कार्यों की सूची

क्रम सं0	कार्यमद	दर	धनराशि (रु0 में)
1	2	3	4
1	लान का विकास-एक अदद	200000.00	200000.00
2	जेटी (नाव खड़ी करने के लिये घाट) का निर्माण -एक अदद	150000.00	150000.00
3	वन दरोगा आवास का जीर्णोद्धार-एक अदद	50000.00	50000.00
	योग	--	400000.00

वर्ष 2006-07 में पार्वती आरगा पक्षी विहार रेंज के अन्तर्गत आरगा झील के निकट कराये गये कार्यों की सूची

क्रम सं0	कार्यमद	दर	धनराशि (रु0 में)
1	2	3	4
1	जेटी (नाव खड़ी करने के लिये घाट) का निर्माण -एक अदद	100000.00	100000.00
2	पर्यटकों के लिये थारु हट का निर्माण-दो अदद	25000.00	50000.00
	योग	--	150000.00

नत्थी (घ)

संलग्नक-1

(देखिये अता0 प्र0 सं0-110 का उत्तर पीछे पृष्ठ 83 पर)

जिला पंचायत सिद्धार्थनगर द्वारा विकास खण्ड उसका बाजार अन्तर्गत कराये गये कार्यों का विवरण योजना-सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना वर्ष 2005-06

क्रम सं0	परियोजना का नाम/प्रकार	लम्बाई/संख्या	स्वीकृत धनराशि	व्यय धनराशि
1	ग्राम सभा डथिवडताल से पनिहवा घाट से बगला रोड तक मि0	2 किमी0	1,60,000	78,880
2	ग्राम सभा पोखरभिटवा से प्रा0वि0 से खड़रिया गांव तक मि0खं0	500 मी0	2,25,000	222349
3	ग्राम सभा अंजिगरा में बांध से नव्वा दोनों डीह तक मि0	2.5 कि0मी0	2,00,000	189254
4	बेतरी खुर्द उसका बाजार से ब्रह्म स्थान होते हुए सड़क मार्ग तक मि0/खं0	500 मी0	2,25,000	216846
5	बेवरी खुर्द उसका बाजार के उत्तर भटपुरवा पोखरे की खुदाई	1 अदद	79,982	74820
6	सकैनिहा ाधू कुटी से बगाही पूर डीह होते हुए गंगाधरपुर सड़क तक मि0/2मी0 रफन की पुलिया	2 कि0मी0/ 1 अदद	3,65,000	3,50,917
7	बृजमनगंज रोड से कंचनपुर गांव तक पु0 2 मी0	1 अदद	2,05,000	1,87,170
8	बिन्देशरपुर से डोमिनगढ़ तक मि0	1 कि0मी0	79,982	79,692
9	जोगीडीह से गंगाधरपुर गांव तक पु0 2 मी0	1 अदद	2,05,000	1,92,104
10	उसका बृजमनगंज रोड से नवलपुर मि0	400 मी0	32,000	28,014
11	ग्राम नटवा से टोला धर्मपुरवा से ग्रा0स0 कथवलिया से टोला मझरिया मि0	1.5 कि0मी0	1,20,000	1,14,840

क्रम सं0	परियोजना का नाम/प्रकार	लम्बाई/संख्या	स्वीकृत धनराशि	व्यय धनराशि
12	उसका बृजमनगंज मार्ग से मनखाही रेलवे ढाला डींगनगर तक मि0	1 कि0मी0	79,982	69,600
13	उसका बृजमनगंज पक्की सड़क से उसका राजा गांव के पूरब से रेलवे लाइन तक मि0/खं0	500 मी0	2,25,000	1,48,123
	योग :		22,01,946.00	19,52,609.00

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जिला पंचायत सिद्धार्थनगर द्वारा विकास खण्ड उसका बाजार अन्तर्गत कराये गये कार्यों का विवरण योजना-सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना वर्ष 2006-07

क्रम सं0	परियोजना का नाम/प्रकार	लम्बाई/संख्या	स्वीकृत धनराशि	व्यय धनराशि
1	महदेवा चौराहे से चौरासी गांव के दक्षिण मि0	500 मी0	42,976	40020
2	सिवरपार से छितरापुर तक मि0	1.5 कि0मी0	1,20,588	1,00,920
3	ग्राम सभा सेहरा बाजार में दीनानाथ के घर से शिवशंकर के घर तक मि0/खं0	300 मी0	1,25,362	1,19,140
4	ग्राम सभा मेटिया में मि0 कार्य	800 मी0	64,148	62,640
5	ग्राम सभा परसकुल्लाह में पुलिस चौकी (पंचायत भवन) से बगनी गांव तक मि0	1.5 कि0मी0	1,46,260	1,40,940
6	के0जी0 बांध से केसारी गांव तक मि0	1 कि0मी0	1,00,000	96,048
7	शेखुपर से तुलिहवा तक मि0/खं0	1 कि0मी0	4,15,000	3,98,275
8	फरेन्दा नौगर एफ0एम0बी0एस0 मार्ग से चित्रापुर ब्रांच से ग्राम मेहनियां होते हुए विकापुर गांव तक मि0/खं0	2 कि0मी0	8,58,000	9,08,093
9	नवलपुर से मेहदिया पठानपुर तक मि0	1 कि0मी0	86,000	76,800
10	हंसराजपुर से मुजहना नि0	1 कि0मी0	81,000	90,040
11	ऊंचहरिया पिच से बजरहा तक मि0	1.1 कि0मी0	97,400	98,800
12	मुगही से सरेली मार्ग तक मि0	1.5 कि0मी0	1,31,080	1,06,980
13	उसका झानी मार्ग से काली जी स्थान तक मि0/खं0	200 मी0	84,248	78,607
14	उसका झझनी मार्ग से महनथ सालिग्राम दास जू0हा0तक ख0	500 मी0	2,26,458	2,15,293
15	उटिया बाबर अली के मकान से ईदगाह तक मि0/खं0	500 मी0	2,14,510	2,03,485
16	उसका बृजमनगंज मार्ग से नवलपुर तक मि0/खं0	400 मी0	1,60,608	1,50,732
17	बहेरवा से लोधपुरवा मार्ग पर खं0	500 मी0	2,18,400	2,10,678

क्रम सं0	परियोजना का नाम/प्रकार	लम्बाई/संख्या	स्वीकृत धनराशि	व्यय धनराशि
18	ग्राम सभा परती बाजार से तालाब खुदाई	1 अदद	98,000	64,800
19	ग्राम सभा देवलहवा ग्रान्ट में तालाब खुदाई	1 अदद	1,141,500	1,00,800
20	ग्राम सभा चोखर तकियवा में तालाब खुदाई	1 अदद	1,19,000	76,800
21	ग्राम सभा सेखुइया में तालाब खुदाई	1 अदद	1,36,000	88,800
22	ग्राम सभा मधवापुर में तालाब खुदाई	1 अदद	1,17,000	64,800
23	ग्राम सभा सोहास जनूबी में तालाब खुदाई	1 अदद	2,16,000	1,39,200
24	ग्राम सभा परसा बुजुर्ग में तालाब खुदाई	1 अदद	3,89,000	2,65,600
25	ग्राम सभा ऊंचहरिया में तालाब खुदाई	1 अदद	2,16,000	1,56,000
	योग :		39, ,348	34,28,271

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी0एस0यू0पी0-एल0 63 विधान सभा (110)-16-7-2008-813 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।